खण्ड-389, अंक-6
बृहस्पतिवार, 27 माघ, शक संवत् 1910
(16 फरवरी, 1989 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 389 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	ग
प्रश्नोत्तर	1–75
श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा आज की कार्यसूची की नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के लिखित एवं अनुपूरक उत्तरों में विरोधाभास होने के संबंध में कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकर की अवहेलना की सूचना	75
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	76
जनपद इलाहाबाद के सिराथू निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा शेरपुर के चयनित लाभार्थियों को छूट न दिये जाने तथा जबरन वसूली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	76
जिला बलिया के निर्वाचन क्षेत्र दोआबा में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ताओं की सेवा विसंगतियों एवं अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	77
जिला बरेली की फरीदपुर पालिका के अध्यक्ष द्वारा वैध निर्माणाधीन दुकानों की अवैधानिक तोड़-फोड़ के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	78
जिला गाजीपुर के कासिमाबाद विकास खण्ड में विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	78
जिला फैजाबाद के कतिपय ग्रामों में बाढ़ से होने वाली तबाही एवं राहत कार्यों में होने वाली धांधली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना. . ..	79
जनपद मेरठ के ग्राम टाण्डा के किसानों की फसलों की हरियाणा राज्य निवासियों द्वारा जबरदस्ती कटाई एवं पुलिस उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
जिला बरेली की तहसील बहेड़ी स्थित चीनी मिल पर गन्ना काश्तकारों द्वारा गन्ना सप्लाई करते समय चुंगी की वसूली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
जिला फैजाबाद में चकबन्दी विभाग द्वारा किसानों के शोषण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80
लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1978 में चयनित सहायक लेखाधिकारियों की पदोन्नति अवरुद्ध होने से असन्तोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	81
जनपद इटावा में खराब ट्यूबवेल ठीक कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .	81
औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें	82
प्रथम सत्र, 1989 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के सन्दर्भ में औचित्य का प्रश्न	83

श्री राम दुलार यादव, उप मन्त्री द्वारा एक विधवा के मकान पर बलपूर्वक कब्जा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न 84–88

हमीरपुर जिले की महोबा तहसील को जिला बनाये जाने विषयक, सर्व श्री देवेन्द्र पालीवाल, माधो सिंह एडवोकेट अयोध्या सिंह पाठक निवासीगण ग्राम व पो० महोबा जिला हमीरपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) 89

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर, धन्यवाद का प्रस्ताव .. (स्वीकृत)* 89–153

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 151

नत्थियां 152–162

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार दिनांक 16 फरवरी, 1989

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे।

अजीत सिंह सेठी, श्री	मेरठ	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
अमिताभ अनिल दुबे श्री	गाजीपुर	मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
अमीर आलम खां श्री	मुजफ्फरनगर	मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री	रायबरेली
अरुण प्रताप सिंह श्री	गोण्डा	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती	रघुवर दयाल वर्मा, श्री	आगरा
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	रघुवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बहराइच	राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
इम्तियाज मोहम्मद खां, श्री	बुलन्दशहर	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
ओम प्रकाश रिष्टारिया, श्री	झांसी	राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
औसान सिंह, श्री	इटावा	राम सजीवन, श्री	बांदा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	राम शरण दास, श्री	सहारनपुर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	रिछपाल सिंह बन्सल, श्री	मेरठ
कोकब हमीद, श्री	मेरठ	रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
गजराज सिंह, श्री	गाजियाबाद	रेवतीरमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
चारुशीला, श्रीमती	मुजफ्फरनगर	लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	विमला राकेश श्रीमती;	सहारनपुर
जय नारायण शर्मा, श्री	मेरठ	विमला सिंह, श्रीमती	गाजियाबाद
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर	शफीकुर्रहमान बर्क, श्री	मुरादाबाद
नरेश पाल सिंह, यादव, श्री	बदायू	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
फागू चौहान; श्री	आजमगढ़	शिवानन्द नौटियाल, डा0	चमोली
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरी-गढ़वाल
बुधपाल सिंह "खुर्जावाले" श्री	बुलन्दशहर	श्री प्रकाश, श्री	आजमगढ़
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
भोपाल सिंह, श्री	मेरठ	सरदार सिंह, श्री	मथुरा
मंगलदेव, श्री	गोंडा	सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच	सुरेन्द्र बहादुर, सिंह, श्री	रायबरेली
महरम सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
महावीर सिंह राणा, श्री	सहारनपुर	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 16 फरवरी, 1989

अनुसूचित तारांकित प्रश्न

"सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम" के अंतर्गत प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना

**1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "सबके लिए स्वास्थ्य" कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार कौन से कदम उठाने वाली है और उस लक्ष्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? क्या यह सही है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक 5 कि0मी0 पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र (लगभग 25 हजार उपकेन्द्र) खोले जाने की योजना थी जिसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री बिहारी लाल दोहरे)—

सबके लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में विस्तृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवायें प्रारम्भ की गई हैं, जिनके अन्तर्गत प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या पर मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में क्रमशः प्रति 5,000 एवं 3,000 की जनसंख्या पर एक उपकेन्द्र, 30,000 एवं 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 80,000 से 1,00,000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र वर्ष 2,000 तक स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है । किन्तु प्रत्येक 5 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र (लगभग 25,000 उपकेन्द्र) खोले जाने की सम्प्रति कोई योजना नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत यह अपेक्षा की गयी थी कि प्रत्येक स्थान की पांच हजार की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बीस हजार की आबादी पर और तीस हजार की आबादी के बीच में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 1986-87, 1987-88 में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र खोले जाने का लक्ष्य था वह 1986-87 में 500 और 1987-88 में भी 500 का था लेकिन वह लक्ष्य के अनुरूप नहीं खोले गये हैं । तो माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो लक्ष्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित था उसे क्या आपने पूरा कर लिया है ? और जो उपकेन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये हैं उनमें से अधिकांश के पास यानि कि 90 फीसदी जो केन्द्र खोले जा रहे हैं उनके पास अपने भवन नहीं हैं और लगभग पांच हजार स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं तो किस तरह से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इन केन्द्रों की व्यवस्था करने जा रहे हैं, क्या आप इस संबंध में जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

जन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री गोपी नाथ दीक्षित)–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने अपने प्रश्न में जो स्वास्थ्य संबंधी बात कही है तो 1987-88 तक 20,153 उपकेन्द्र, 2,476 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 142 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये थे। 1988-89 में 1,500 उपकेन्द्र, 502 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 41 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का निश्चय किया गया है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगले वर्ष 1989–90 के लिए 559 उपकेन्द्र, 519 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 31 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले का लक्ष्य रखा गया है।

इस प्रकार सन् 2,000 तक जो लक्ष्य पूरा होना चाहिए, वह हम सन् 1990 तक ही पूरा कर लेंगे। यह इरादा प्रदेश सरकार का है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि वह 10 वर्ष पूर्व ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, चाहे अस्पतालों में डाक्टर्स और दवाएं रहें या न रहें। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों व उप केन्द्रों में माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने रुपयों की दवाओं का प्रयोजन करेंगे। दूसरे यह कि जो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे हैं या जिनकी आय प्रति माह 500/- रु0 ही है, ऐसे प्रत्येक लोगों को दवाई किस रूप में और कितनी राशि की उपलब्ध करायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

संसाधनों को देखते हुए ही प्रत्येक स्थान पर दवाओं का प्रबन्ध किया जाता है और जहां तक ग्रामीण अंचलों व पहाड़ी क्षेत्रों में डाक्टर्स की उपलब्धता का प्रश्न है, हमारे यहां इस संबंध में एक कठिनाई अवश्य है कि जितने पढ़े-लिखे और होशियार डाक्टर्स होते हैं, वह इन स्थानों पर रहना पसंद नहीं करते हैं और हम और आप ही उनकी सिफारिश लेकर आते हैं, परन्तु अब यह व्यवस्था की जा रही है कि जितने भी एम0 बी0 बी0 एस0 डाक्टर्स पास होकर निकलते हैं, उनसे 5 साल का बाण्ड भराया जा रहा है कि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में सेवा करनी अनिवार्य होगी अन्यथा उन्हें एक लाख रु0 नकद वापस करना होगा।

श्री राजेन्द्र शर्मा–

जिन स्वास्थ्य केन्द्रों, व उप केन्द्रों के खोलने की व्यवस्था अभी माननीय मंत्री जी द्वारा बताई गयी है, इनमें भलीभांति रूप में डाक्टरों की व दवाओं की व्यवस्था किस रूप में पूरी की जायेगी क्या इसकी भी कोई योजना बनायी गयी है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

यह जितने भी केन्द्रों व उप केन्द्रों के खोलने का कार्यक्रम बनाया गया है, वह सब भारत सरकार की नीति के अनुसार बनाया गया है। अब जितनी भी धनराशि वहां से समय-समय पर प्राप्त होती रहेगी उसी के अनुसार समस्त स्थानों पर, इन चीजों की आपूर्ति होती रहेगी। इन सब के बावजूद बहुत सी जगहों पर हम पहले इन चीजों की समुचित व्यवस्था नहीं कर पाये हैं, अब हमारा ऐसे स्थानों पर समुचित ध्यान रखने का प्रयास जारी रहेगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

जो भी केन्द्र, उपकेन्द्र व स्वा0 प्रा0 केन्द्र खोले जा रहे हैं, विशेषकर ग्रामीणांचलों में, वहां पर आज भी इनके भवनों का अभाव है, कारणवश वह बेचारे किसी एक कमरे में यह सारी चीजें लिए बैठे रहते हैं। इस संबंध में मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस ओर भी वह कुछ ध्यान देंगे ताकि इन केन्द्रों की समुचित व्यवस्था सही ढंग से चल सके, इसी संबंध में दूसरी एक बात यह भी बताने की कृपा करें कि वहां पर, दवाओं पर व डाक्टरों और स्टाफ पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय करेंगे क्या इसका भी कोई लेखा तैयार किया है ? और इनके जर्जर भवनों के निर्माण पर कितनी राशि खर्च करेंगे, कृपया यह विवरण देने की कृपा करें ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

यह सही है कि इस विशाल प्रदेश में जितने भी केन्द्र, उप केन्द्र खोले जा रहे हैं, उन सभी में भवन की व्यवस्था अभी नहीं हो पायी है, लेकिन इस ओर हम स्वयं प्रयत्नशील हैं कि खासकर ग्रामीणांचलों व पहाड़ी क्षेत्रों में इनके भवन जहां नहीं हैं, वहां भवन निर्माण कराए जाएं, परन्तु कोई ऐसी इकाई हमें इन निर्माण कार्यों के लिए मिल नहीं सकी है जो सुचारु रूप से कार्य कर सके, अब हम स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही कोई ऐसी इकाई की स्थापना करना चाहते हैं, जो इन कार्यों को सुचारु रूप से करे ताकि हमारे छोटे-छोटे ग्रामों में भी इनके भवन बन सकें।

(व्यवधान)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है कि गांव और पहाड़ों पर डाक्टर नहीं जाते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कितने प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स हैं, जहां पर डाक्टर नहीं हैं और उनके रहने की व्यवस्था नहीं है।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस समय एलोपैथिक के लगभग 2500 डाक्टरों की कमी है, होम्योपैथी में 400 की कमी है और आयुर्वेद में 700 डाक्टरों की कमी है। इस प्रकार से...

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रश्न यह पूछा गया है कि कितने केन्द्रों पर डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं और कितने ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र और सामुदायिक केन्द्र हैं जहां पर डाक्टरों के रहने के लिये मकान नहीं हैं। यह प्रश्न पूछा गया है और माननीय मंत्री जी दूसरी चीज बता रहे हैं।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

अलग-अलग न बताकर टोटल बता दिया है। किस केन्द्र पर डाक्टर नहीं हैं, और कहां पर उनके रहने के लिये मकान नहीं हैं, इसके लिये विस्तार से सूचना की आवश्यकता होगी। माननीय सदस्य की भावना को देखते हुये पूरी संख्या बता दी है।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जिला प्लान के अन्तर्गत जिले में प्राथमिक केन्द्रों के भवनों का निर्माण किया जाता है, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति में आप का विभाग अनावश्यक विलम्ब करता है और बहुत सारी मदों की स्वीकृति नहीं दी जाती है । इस कारण जो रुपया जिला प्लान में दिया जाता है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है, उसकी बचत हो जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप की नीति है कि स्वीकृति न देकर रुपये को बचाया जाये । आप क्या उपाय करेंगे कि स्वीकृति समय से दे दी जाये ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

हम इसका प्रयास कर रहे हैं कि स्वीकृति समय पर दे दी जाये और भवनों के निर्माण का कार्य समय पर पूरा हो ।

श्री बदन सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनके सामने कठिनाई है कि उनको गांवों में मकान नहीं मिलते हैं, इसलिये किराया देना पड़ता है और इसके साथ ही साथ डाक्टर वहां पर जाना पसन्द नहीं करते हैं ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन गांवों के नागरिक अपनी ओर से मकान देने के लिये तैयार हों, तो क्या आप वहां पर उप केन्द्र खोल देंगे और डाक्टर को वहां जाने के लिये विशेष भत्ता देने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, प्राथमिक उप केन्द्र खोलने की हमारी नीति है कि बुन्देलखण्ड और पहाड़ी इलाकों में जहां पर आबादी 5 हजार है कि जहां पर आबादी 5 हजार हो और बुन्देलखण्ड और पहाड़ी इलाकों में जहां पर आबादी 3 हजार हो, वहां पर उप केन्द्र खोले जा सकते हैं । अगर इस मानक के अनुसार कोई भवन देने के लिये तैयार हों तो हम वहां पर प्राथमिक उप केन्द्र खोल देंगे।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं केवल दो प्रश्न करना चाहता हूं, एक तो यह है कि वर्ष 1988-89 जिसका की अन्त हो चुका है और नये वर्ष का बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत कर दिया है, तो मैं जानकारी चाहता हूं कि वर्ष 1988-89 में जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र की स्थापना और उनके भवनों का निर्माण कार्य प्रस्तावित था, क्या शासन ने उनको स्वीकार कर लिया है, उनकी स्वीकृति दे दी है ? दूसरा प्रश्न यह है कि 7वीं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत भवनों का निर्माण का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, इस वर्ष 88 की अधिकांश स्वीकृतियां भेजी जा चुकी हैं और जो नहीं भेजी गई हैं उनको यथाशीघ्र भिजवाने का हम प्रयास कर रहे हैं . . .

श्री सूर्य प्रताप शाही–

वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है ।

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

वित्तीय वर्ष में अभी एक महीना और कुछ दिन बाकी हैं और इसी बीच 88-89 की स्वीकृतियां भेज दी जायेंगी । दूसरी बात यह है जैसा कि आपने कहा है कि उनके लिये भवनों के संबंध में क्या विचार किया जा रहा है, मैंने निवेदन किया है कि भवनों के निर्माण के संबंध में जितनी भी निर्माण इकाईयों के सुपुर्द ये भवन किये गये थे उन सबसे सम्पर्क करके यह निश्चय किया जा रहा है कि उनमें से 85 फीसदी भवनों का निर्माण हो चुका है 31 मार्च तक पूरा कर दिया जायेगा । शेष भवनों का निर्माण जून तक पूरा कर दिया जायेगा ।

लखनऊ, बलरामपुर चिकित्सालय के सेवानिवृत्त कन्सलटेन्ट की पुनर्नियुक्ति एवं प्रोन्नति

**2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री हर्ष वर्धन–

द्वितीय सत्र 1988 के प्रश्नकर्ता के 5 अक्टूबर, 1988 के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि चीफ कन्सलटेन्ट बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ के दिनांक 31-10-88 को सेवा निवृत्त होने के बाद उन्हें शासन ने 5 नवम्बर, 1988 के आदेश से एक वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति प्रदान करके प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर अस्पताल लखनऊ के पद पर तैनात कर दिया है जो उक्त प्रश्न में दिये गये उत्तर में निहित सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल हैं ? यदि हां, तो शासन द्वारा उक्त पुनर्नियुक्ति हेतु सहमति दिये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री बिहारी लाल दोहरे–

डा0 जे0 बी0 सक्सेना चीफ कन्सलटेन्ट बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ को दिनांक 31-10-88 को सेवा निवृत्त के पश्चात् वरिष्ठतम विशेषज्ञों के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए एवं जनहित में प्रमुख अधीक्षक बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ के पद पर तैनात करते हुए उन्हें एक वर्ष की पुनर्नियुक्ति प्रदान की गई है जो द्वितीय सत्र 1988 में माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, विधायक द्वारा पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के उत्तर में निहित सिद्धान्तों के प्रतिकूल नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के अंत में कहा है कि पिछले सत्र में मेरा जो अल्प सूचित प्रश्न था उसमें शासन की तरफ से जो उत्तर दिया गया था वह आज की प्रश्नगत नियुक्ति से तर्क संगत है । मैं माननीय मंत्री की याददाश्त के लिए पिछले सत्र में दिये गये प्रश्न के संबंध में जो उत्तर गिरी शंकर जी ने दिया था वह पढ़ना चाहता हूं । इसमें लिखा है कि "अति विशिष्ट मामलों में जो अत्यन्त प्राविधिक एवं वैज्ञानिक पद हैं तथा जिन पदों पर प्रतिस्थानी उपलब्ध होना सम्भव

नहीं हो पा रहा है । जनहित में जिनकी पुनर्नियुक्ति या सेवा विस्तार स्वीकार करना अपरिहार्य एवं अत्यन्त आवश्यक हों, वे पद आते हैं । ऐसे मामलों में विशेषज्ञों के पदों पर कन्सलटेंट के रूप में अधिक से अधिक 2 वर्ष तक के लिए अनुबन्धात्मक रूप में कार्य करने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग के पूर्व परामर्श एवं सहमति के आधार पर विचार किया जाता है ।''

तो श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है कन्सलटेंट का मतलब होता है एडवाइजर । एग्जीक्यूटिव पावर कभी कन्सलटेंट को नहीं दी जाती । लेकिन यहां पर जो नियुक्ति की गई है वह कन्सलटेंट के पद पर नहीं बल्कि मेडीसिन में चीफ कन्सल्टेंट के रूप में कार्य करते हुये वह रिटायर हुये थे, उनको विशेषज्ञ के रूप में करते तो आपत्ति नहीं थी । लेकिन प्रशासनिक पद पर उनको नियुक्त करने से, आपकी इस नीति से, नीचे से आने वाले जो लोग थे, जिन्हें प्रमोशन मिलना था, उनका हक इस प्रक्रिया से मारा जा रहा है । मैं चाहूंगा कि यह किस तरह से पिछले सत्र में दिये गये उत्तर से तर्क संगत है । क्या इस नीति से जिन लोगों का प्रमोशन का नुकसान होता है उसको दृष्टिगत रखते हुये भविष्य में ऐसा न करने का सदन को आश्वासन देंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य तिवारी जी ने ठीक कहा है कि पिछले सत्र में उत्तर में यह बात कही गई थी कि कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर ऐसी नियुक्तियां नहीं की जायेंगी । लेकिन डाक्टर सक्सेना के अनुभव के कारण प्रशासनिक दृष्टि से उनकी नियुक्ति की गई है लेकिन इससे किसी भी प्रमोशन पाने वाले अधिकारी पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा और भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि इस तरह की पुनर्नियुक्ति न की जाय ।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि जो नियुक्ति की गई है वह कन्सल्टेंट के रूप में नहीं की गई है वरन् उनको एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दी गई है । जो पिछले सत्र में उत्तर दिया गया था उसमें और आज के उत्तर में परस्पर विरोधाभास है । क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनकी नियुक्ति कन्सटेंट के रूप में न करके किस तरह से उन्हें एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दी गई है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि डा0 सक्सेना बहुत लम्बे अर्से तक बलरामपुर अस्पताल में रहे हैं और उनको प्रशासनिक अनुभव है और दूसरी ओर हमारे माननीय सदस्यों ने भी इस बारे में काफी बार यह बात कही कि ऐसे योग्य अधिकारी को बलरामपुर अस्पताल में रखा जाय जिससे उनको चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई न हो इनकी बातों को ध्यान में रखते हुये तथा उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुये यह नियुक्ति की गयी है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शासनादेश के प्रतिकूल नगरपालिका में सृजित चेचक पर्यवेक्षक व वैक्सीनेटर के पदों को समाप्त कर प्रसूतिगृहों में लगाया जाना

*1–डाक्टर बंगाली सिंह तथा श्री अर्जुन सिंह यादव (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-76/16-10-1607/69, दिनांक 15 जून, 1969 एवं शासनादेश संख्या-22 एफ0/आर-18 जून, 1983 एवं शासनादेश संख्या–22-एफ/आर-18 दिनांक 17-8-83 के शासनादेशों के प्रतिकूल मुख्य चिकित्साधिकारी लखनऊ द्वारा नगरपालिका में सृजित चेचक पर्यवेक्षकों एवं वैक्सीनेटरों के पदों को समाप्त करके इनको प्रसूतिगृहों में लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो शासनादेशों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

नगर महापालिका क्षेत्र के लिए सृजित चेचक पर्यवेक्षक तथा वैक्सीनेटर के पद समाप्त नहीं किये गये हैं । जिला मुख्यालय में तैनात चेचक पर्यवेक्षकों एवं वैक्सीनेटरों को वृहत प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत महापालिका क्षेत्र में ही प्रसूतिगृहों से सम्बद्ध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में राजकीय कुष्ठ चिकित्सा पर्यवेक्षक के पदों को रिक्त रखे जाने का औचित्य

*2–कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि स्वास्थ्य विभाग में राजकीय कुष्ठ चिकित्सा पर्यवेक्षक (एन0 एम0 एस0) के लगभग दो सौ पदों पर प्रोन्नति न किये जाने के कारण उक्त पद गत दो वर्षों से रिक्त हैं ? यदि हां, तो इतने लम्बे समय तक इन पदों को रिक्त रखने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी प्रदेश में कुष्ठ उन्मूलन पर पड़ रहे कुप्रभाव को रोकने एवं रोगियों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उपरोक्त रिक्त पदों को वर्ष 88-89 में ही भरे जाने के आदेश करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 107 पद वर्तमान में रिक्त हैं । प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की कमी के परिप्रेक्ष्य में उक्त पदों पर नियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है। वर्तमान में 349 तैनात नान मेडिकल सुपरवाइजरों से कार्य लिया जा रहा है।

बरेली जिला अस्पताल में और शैय्याओं को बढ़ाने की मांग

*3–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 में क्या सरकार ने बरेली जिला अस्पताल में 20 शैय्याओं को बढ़ाने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो यह शैय्यायें अभी तक न बढ़ाये जाने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी बरेली की आवश्यकता को देखते हुए 20 शैय्याओं को तुरन्त बढ़ाने के आदेश देंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बिहारी लाल दाहरे–

जी हां । सन् 1985 में वित्तीय स्वीकृति समय पर न मिलने के कारण शैय्या बढ़ाने का कार्यक्रम परिपूर्ण नहीं हो पाया था । नवीन प्रस्ताव जनपद नियोजन एवं अनुश्रवण समिति को प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, बरेली एक बहुत बड़ा जिला है । जनसंख्या के आधार पर यहां 5 सौ बिस्तर का अस्पताल बनाया जाना चाहिए क्योंकि यहां पर कोई मेडिकल कालेज भी नहीं है। वर्ष 85 में माननीय मुख्य मंत्री जी बरेली आये थे और उन्होंने घोषणा की थी बिस्तरों की कमी को देखते हुए 20 शैय्यायें बढ़ाई जायेंगी । अब कहते हैं संसाधनों की कमी और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण नहीं बढ़ा पाये । मैं जानना चाहता हूं वह एक तरफ बात करते हैं दो हजार तक, सब के लिये स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो जायेगी और बरेली की अवहेलना कर रहे हैं। वह बता दें कि बरेली जिला की जनसंख्या को देखते हुए कितने बिस्तर उपलब्ध होने चाहिए और कितने इस वक्त उपलब्ध हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, मूल प्रश्न का उत्तर जौहरी साहब देखें उसमें वित्तीय संसाधनों का अभाव नहीं कहा गया है बल्कि यह कहा गया है कि वित्तीय स्वीकृति समय पर न मिलने के कारण यह शैय्यायें बढ़ाने का कार्य नहीं हो सका । उसके बाद जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा दुबारा प्रस्ताव नहीं आया । डाक्टर साहब स्वयं अनुभवी हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वह जिला अनुश्रवण समिति से प्रस्ताव भिजवा दें शैय्यायें बढ़ाने की तत्काल व्यवस्था कर दी जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 1985 में प्रस्ताव आया और उसे समय पर स्वीकृति नहीं मिली । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 तक तीन वर्ष बीत जाने तक तत्कालीन सी0 एम0 ओ0 का उत्तरदायित्व प्रस्ताव भेजने का नहीं था क्योंकि उस वर्ष किसी कारणवश स्वीकृति नहीं मिल पाई । क्या तीन वर्ष तक जिला नियोजन समिति के समक्ष प्रस्ताव रखने का उत्तरदायित्व उनका नहीं था ? यह प्रस्ताव उन्होंने नहीं रखा तो क्या तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ इस त्रुटि के लिए दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

एक ओर सी0 एम0 ओ0 का उत्तरदायित्व तो है लेकिन इसका विस्तृत विवरण मेरे पास नहीं है कि सी0 एम0 ओ0 ने प्रस्ताव रखा या नहीं लेकिन यह निश्चित है कि यह प्रस्ताव शासन के सामने नहीं आया जिसके कारण स्वीकृति नहीं दी जा सकी । मैं बरेली के माननीय सदस्यों से आग्रह कर रहा हूं वह इस वर्ष प्रस्ताव भिजवा दें इसकी स्वीकृति इस वर्ष दे दी जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मंत्री जी को प्रस्ताव की जानकारी नहीं है इसलिए इसे स्थगित कर दें ।

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मैंने कहा कि प्रस्ताव नहीं आया यह जानकारी है लेकिन यह जानकारी नहीं है कि अनुश्रवण समिति में सी0 एम0 ओ0 ने प्रस्ताव रखा या नहीं इसकी जानकारी नहीं है । बरार साहब स्वयं बरेली से आते हैं वह अनुश्रवण समिति में रहे होंगे उनको यह मालूम होगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, बस्ती जिले की बांसी तहसील 8 लाख की आबादी की है, वर्ष 86-87 में 46 बिस्तरों का एक अस्पताल खोलने का शासन ने निश्चय किया था. . .

श्री अध्यक्ष–

अब आप बरेली से बस्ती पहुंच गये, फिर आप आगरा पहुंच जायेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह–

दोनों बेकार हैं बरेली और बस्ती ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

कहा गया था कि अस्पताल खोल दिया जाएगा और 88-89 में अस्पताल खोलने की जगह पर भी संस्तुति हो गयी, तब भी सारा मामला खटाई में पड़ा हुआ है, अब वह अस्पताल कब से चालू कर दिया जाएगा ?

(मंत्री जी का नाम नहीं पुकारा गया ।)

डाक्टर दिनेश जौहरी–

वहां के लिए जो पहले का 500 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल प्रपोज्ड है, उसके बनाने की कब अनुमति दी जाएगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

यह शासन के विचाराधीन है।

[गुरुवार दिनांक 16 फरवरी, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

हाता बेला हरैया चिकित्सालय को प्रान्तीयकृत करने की मांग

*1–श्री हर्ष वर्धन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् गोरखपुर द्वारा संचालित हाता बेला हरैया चिकित्सालय को प्रान्तीयकृत किये जाने के सम्बन्ध में अनेक प्रस्ताव होने के बाद भी उक्त चिकित्सालय को प्रान्तीयकृत न किये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त चिकित्सालय को व्यापक जनहित में अविलम्ब प्रान्तीयकृत करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बिहारी लाल दोहरे–

पूर्व वर्षों में प्रश्नगत अस्पताल का प्रान्तीयकरण परिव्यय आदि के अभाव में सम्भव नहीं हो सका ।

पूर्ण प्रस्ताव अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद्, गोरखपुर से प्रतीक्षित है। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हर्षवर्धन–

मैं यह जानना चाहता हूं, मेरी निश्चित जानकारी है कि सितम्बर, 88 में यह प्रस्ताव वहां से शासन को भेजा जा चुका है और शासन के विचाराधीन है, तो क्या वह बतायेंगे कि उस अस्पताल का कब तक प्रान्तीयकरण कर दिया जाएगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

यदि प्रस्ताव आ गया है तो उसके खोलने पर यथाशीघ् कार्यवाही की जाएगी ।

प्रदेश के कुष्ठ कर्मचारियों के वेतनमान पुनरीक्षित करने पर विचार

*2–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि वेतन समिति द्वारा पुनरीक्षित वेतन की पुस्तिका में प्रदेश के कुष्ठ कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतन के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं छापा गया है ? यदि हां, तो क्या इसका कारण महानिदेशक स्वास्थ्य द्वारा कुष्ठ कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने की वेतन समिति को कोई संस्तुति न किया जाना है ? यदि हां, तो कुष्ठ कर्मचारियों के साथ हुए इस अन्याय के लिए कौन जिम्मेदार है तथा इनका वेतन कब तक पुनरीक्षित करा दिया जायेगा ?

श्री बिहारी लाल दोहरे–

जी हां । वेतन आयोग को श्रेणी तीन के कर्मचारियों के वेतनमान के सम्बन्ध में संस्तुति भेजे जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का है। समता समिति के विचारार्थ कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान के पुनरीक्षण हेतु संस्तुति समता समिति को भेजी जा चुकी है। वर्तमान में कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में समता समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, मेरा प्रश्न था कि क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायेंगे कि वेतन समिति द्वारा पुनरीक्षित वेतन की पुस्तिका में कुष्ठ कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है, और इसके बारे में क्या महानिदेशक द्वारा कुष्ठ कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित किये जाने की वेतन समिति से संस्तुति नहीं की गयी है । इसका उत्तर दिया है—"जी हां," तो उसके आगे यह जो समता समिति की बात कह रहे हैं उसका क्या मतलब है, जब विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी थी और उसने कुष्ठ कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण करने हेतु कोई संस्तुति नहीं की, तो अब क्या वह विभागाध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

यह वेतन समिति के समक्ष प्रस्ताव जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद उनकी एसोसियेशन समिति से मिलती रही और वह स्वयं वेतन समिति से मिल चुके हैं और अपना प्रतिवेदन दे चुके हैं और जब समिति ने विभाग को सूचित किया तो उनकी ओर से भी समता समिति की संस्तुतियों सहित रिपोर्ट जा चुकी है।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

लेकिन जो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी होते हुए भी नहीं किया तो क्या वह उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? दूसरे, अब इन कर्मचारियों का वेतन कब तक पुनरीक्षित कर दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

समता समिति में पुनरीक्षण करा देंगे ।

*3–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नियमित आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों की ज्येष्ठता सूची में कतिपय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को स्थान न देने का कारण

*4–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश परिपत्र संख्या 113/अधि0 दिनांक 20-7-87 द्वारा 1-1-77 के बाद विभाग में नियुक्त नियमित आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों की वरिष्ठता सूची (अनन्तिम रूप से प्रकाशित) में केवल उन्हीं चिकित्साधिकारियों को जो प0 सं0 17(6)/1800-8/80/विनियमितीकरण दिनांक 28-1-87 के अन्तर्गत नियमित रूप से नियुक्त किये गये थे को वरिष्ठता दिये जाने का क्या कारण है, जबकि 28-1-87 से पूर्व विभाग में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की संस्तुति के आधार पर शासनादेश सं0 4593/क-9/5-601/77 द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 1985 को नियमित रूप से नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को इस सूची में कोई स्थान नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बिहारी लाल दोहरे–

आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय, उत्तर प्रदेश के परिपत्र दिनांक 20-7-87 द्वारा विभाग में विनियमित किये गये चिकित्साधिकारियों की मात्र अन्तरिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित की गयी थी तत्पश्चात् प्रश्नगत अन्तरिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर उक्त सेवा संवर्ग के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर नियमित रूप से चयनित चिकित्साधिकारियों को भी अन्तरिम ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित कर लिया गया है । अन्तरिम ज्येष्ठता सूची का परीक्षण कर उसे अन्तिम रूप दिए जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर प्रगति पर है।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह सूची कब तक प्रकाशित हो जायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जल्दी प्रकाशित की जाएगी ।

फैजाबाद के कटेहरी विधान सभा क्षेत्र की डिस्पेन्सरियों में डाक्टर समेत पूरे स्टाफ की तैनाती करने की मांग

*5–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कितने समय से कोई एलोपैथिक डाक्टर नहीं है ? क्या यह सही है कि कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित अधिकांश राजकीय एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक डिस्पेन्सरियां कई वर्षों से डाक्टर विहीन हैं और पूरा स्टाफ भी नहीं है ? यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं और सभी राजकीय डिस्पेन्सरियों और स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टर समेत पूरे स्टाफ की तैनाती का काम कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

श्री बिहारी लाल दोहरे–

जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एलोपैथिक चिकित्सा अधिकारी नियुक्त है । कटेहरी विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा राजकीय चिकित्सालयों एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों में डाक्टर तथा अन्य स्वीकृत स्टाफ कार्यरत हैं । केवल नसीरपुर स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सक नहीं है। शेष सभी स्टाफ नियुक्त हैं ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहूंगा । मान्यवर, राजकीय चिकित्सालय बसोहरी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय भिझौड़ा, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पहुती, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हरी पकरिया,, कटहरी में तथा मायापुर में राजकीय चिकित्सालय बेनीपुर, प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र महबूबगंज खुला है, यहां पर न तो कोई डाक्टर है,, न स्टाफ है सिर्फ वार्ड ब्वाय है और एक कम्पाउन्डर है। बाकी अस्पतालों में स्टाफ नहीं है। जो हम बताते हैं वह इनको सही नहीं लगता है और संजय तो नहीं रहे लेकिन महाभारत के संजय की दिव्य दृष्टि इनकी है। जिन अस्पतालों के नाम मैंने बताये हैं अगर वहां पर डाक्टर हैं तो माननीय मंत्री जी उनके नाम पढ़कर बता दें ।

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, डाक्टर के नाम तो नहीं हैं, लेकिन जिन जगहों का उल्लेख किया गया है कटहरी ब्लाक के मुख्य स्वास्थ्य केन्द्र पर आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्साधिकारी तैनात हैं । मीठी ब्लाक में आयुर्वेदिक और एलोपैथिक चिकित्साधिकारी तैनात हैं। दो होम्योपैथिक चिकित्सालय डीडी पकड़िया, पहितीपुर में चिकित्साधिकारी तैनात हैं । महिला चिकित्सालय गोसाइगंज में महिला चिकित्साधिकारी तैनात है । नसीरपुर स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्साधिकारी के पद रिक्त हैं । उसको यथाशीघ्र भरने का प्रयास किया जाएगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र महबूब गंज जो साल भर पहले खुला है उसमें डाक्टर की तैनाती कब की गयी, यह बता दें ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, इसमें हम पता लगा लेंगे और यदि नियुक्ति नहीं हुई है तो करा देंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मंत्री जी ने अभी बताया था कि प्रदेश में कई सौ डाक्टरों की कमी है और बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां डाक्टर्स नहीं हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इण्डियन मेडिकल मैनुअल के पैरा 33–35, 36–37 में यह प्राविधान है कि यदि कहीं 7 दिन तक डाक्टर नहीं रहता है तो दवा देने का काम बन्द कर दिया जायगा और अस्पताल बन्द कर दिया जायगा । तो क्या यह मैनुअल हमारे उत्तर प्रदेश में लागू है ? यदि नहीं, तो कैसे अस्पताल चल रहे हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

नियम सब लागू हैं । उनका पालन न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी होती है और इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं, अगर कहीं डाक्टर नहीं जाते हैं तो बतायें, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

*6–श्री धनराज यादव–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में दिनांक 15 अगस्त, 88 को बटी मिठाई खाने से छात्राओं के बीमार होने की घटना का विवरण

*7–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में 15 अगस्त, 1988 को बटी मिठाई खाने से अनेक छात्राएं बीमार पड़ गयी थी ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बिहारी लाल दोहरे–

जी हां, घटना का और शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(दीखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 155 पर)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, संलग्नक बहुत बड़ा है । 15 अगस्त, 88 को राजकीय कन्या इण्टर कालेज, रानीखेत में मिठाई का वितरण हुआ जिसको खाकर वहां की 188 लड़कियां बीमार पड़ गयीं क्योंकि मिठाई की किस्म खराब थी । उनकी बीमारी इस शिद्दत की थी कि जब उनका उपचार वहां नहीं हो सका तो उनको मेडिकल कालेज, लखनऊ लाना पड़ा और कुछ लड़कियों की हालत गड़बड़ होने पर फिर आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली ले जाना पड़ा लेकिन इस सम्बन्ध में कार्यवाही केवल 3 व्यक्तियों के खिलाफ की गयी और अभियोजन को दायर कर दिया गया । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इतनी गम्भीर घटना को इतने हल्के तरीके से निपटाने की जो बात की गयी है वह हमारी समझ में नहीं आती । मैं जानना चाहता हूं कि जब उस हल्के में ऐसी एडल्ट्रेटेड मिठाई बन रही थी तो वहां के फूड इंसपेक्टर भी दोषी हैं । क्या इसकी कोई उच्चस्तरीय जांच की जायगी कि और कौन-कौन से लोग दोषी हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

मान्यवर, जब यह घटना हुई तो इसको लेकर इस सदन में कई बार चर्चा भी हुई थी और स्पष्टीकरण भी किये गये थे । यह गम्भीर मसला था। जो बालिकायें बीमार हुई उनको मेडिकल कालेज, लखनऊ लाया गया । मुख्य मंत्री और हम सब लोगों ने उनको जाकर देखा था । मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक मरीज के लिये एक हजार रुपये की सहायता दी थी । उनमें से सब लड़कियां स्वस्थ होकर वापस चली गयी थीं और कुछ लड़कियों को फिर तकलीफ हुई तो उनकी चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली में हुई । इस सम्बन्ध में यह निश्चित अभी तक नहीं हो सका है कि कैसे उनके पेट में दर्द हुआ था । दूसरी बात जो कार्यवाही से सम्बन्धित

है तो जिन दुकानों से मिठाई खरीदी गयी थी उन दुकानों को सील करके मुकदमा चलाया गया । वहां लखनऊ और बरेली से डाक्टरों का दल भी गया था। श्री केशव राम वर्मा, उप अधीक्षक, सिविल अस्पताल, रानीखेत जिनके बारे में कहा गया कि उन्होंने तत्काल व्यवस्था नहीं की उनका स्थानान्तरण वहां से कर दिया गया है और एस0 डी0 एम0 जिनके बारे में कहा गया कि वहां एकत्रित परिवार जनों के साथ दुर्व्यवहार किया तो उनका भी स्थानान्तरण वहां से कर दिया गया है। '

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं यह बात सही है कि बालिकाओं के इलाज के लिए माननीय तिवारी जी ने काफी प्रयत्न किया और हम सबके कहने पर उन्होंने कुछ सहायता भी दी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं और यह भी सही है कि और वहां पर जो लापरवाही चिकित्सा अधीक्षक ने की और अन्य संबंधित अधिकारियों ने की उनके खिलाफ शासन ने कार्यवाही की है लेकिन इसका जो कारण है वह अनुत्तरित है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस दुकान से वह लड्डू खरीदे गये और वह लड्डू जांच के लिए शासन को भेजा गया, बल्कि मैं माननीय सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि सील्ड जो लड्डू का पैकेट था जो इक्जीक्यूटिव आफिसर ने खुद सील किया था और हमने स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी को वह पेश किया था सील्ड सहित पेश किया था कि इसकी जांच करायें, उसकी कोई लिखित जानकारी हमारे पास नहीं है उसमें तीन तरह के विषैले पदार्थ पाये गये थे यह सुनने में आया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न करें, आप तो भूमिका बना रहे हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, ऐसा जानकारी में आया है कि 2-3 तरह के विषैले पदार्थ पाये गये थे तो मैं जानना चाहता हूं कि यह विषैला पदार्थ जो उस लड्डू को बनाने में प्रयोग हुआ है दाल, बेसन, घी और तेल है और उसे दुकानदार ने विभिन्न दुकानदारों से प्राप्त किया है तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन वस्तुओं को जिनमें विषैले पदार्थ पाये गये हैं इन वस्तुओं को जहां-जहां से प्राप्त किया गया था उनकी जांच करायेंगे ? मान्यवर, ऐसे तमाम मामले पर्वतीय क्षेत्र में हैं जो घटिया और मिलावटी चीजें बेची जा रही है क्या इन पर रोक लगाने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, जांच के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है कि उनको कहीं से पता चला है कोई लिखित सूचना नहीं मिली है । तो मान्यवर, वह फाइनल रिपोर्ट अभी आई नहीं है रिपोर्ट फाइनल आ जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो छात्राएं यहां आई थी उनको अनुग्रह राशि भी दी गयी । मैं जानना चाहता हूं कि जो छात्राएं यहां नहीं आ सकी और रानीखेत के अस्पताल में भर्ती रहीं क्या उनको आर्थिक अनुग्रह राशि जो दी गयी है, को समान रूप से देने की कृपा करेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, इसकी जानकारी कराने वाले माहरा जी से भी पूछ लेंगे और आवश्यक हुआ तो उनको भी सहायता दी जायेगी ।

श्री अमर चन्द्र–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि उन्होंने वहां के अधीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया है । मान्यवर, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो, चाहे छात्राओं के साथ हो या समाज के किसी दूसरे के साथ हो यह अक्षम्य अपराध है और आपने दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के साथ सिर्फ स्थानान्तरण जैसी कार्यवाही करके शासन की जिम्मेदारी को पूरी कर दिया । मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस अधिकारी के खिलाफ शासन कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगा जिससे भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, रिपोर्ट आ जाय उसमें जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह जो आपने कहा कि तीन दुकानें सील की गयी हैं यह दुकान उस घटना के कितने दिन बाद सील की गयी हैं और दूसरा जब वहां की जनता इकट्ठा होकर एस0 डी0 एम0 के पास गयी और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ और फर्जी मुकदमे कायम हुए तो क्या उनको वापस लेने की शासन कृपा करेगा और क्या शासन यह समझता है कि मात्र एस0 डी0 एम0 का स्थानान्तरण करना दण्ड है । क्या शासन की यह नीति है कि स्थानान्तरण को दण्ड मानता है या उस स्थानान्तरण में यह उल्लेख किया गया है कि दण्ड स्वरूप उनका स्थानान्तरण किया गया है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, स्थानान्तरण की सूचना, कि किस कारण से किया गया था, यह मेरे पास नहीं है, लेकिन जहां से ये लकड़ बनाये गये थे, जो विषैले थे, उनको खाने के कारण छात्राएं बीमार हुई, अस्पताल गयीं तो वहां के अधीक्षक ने तत्काल कार्यवाही नहीं की, उनका ट्रान्सफर हो गया । जो पार्टियां एकत्र हुए, कहते हैं कि उनके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ, तो एस0 डी0 एम0 का स्थानान्तरण कर दिया । दण्ड स्वरूप किया गया या प्रशासनिक दृष्टि से कर दिया गया, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है, मैं माननीय सदस्य जी को बता दूंगा ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया कि लड्डू के नमूने लिए गये थे, 20 नमूने लिये गये थे । मैं जानना चाहता हूं कि ये नमूने किस तारीख को, कब और किस अधिकारी दवारा लिये गये । दूसरे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह पेट में दर्द की तकलीफ कैसे पैदा हुई, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिये कोई जांच चल रही है, यदि हां, तो जांच कौन कर रहा है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

मान्यवर, दिल्ली के आयुर्विज्ञान संस्थान दवारा इसकी जांच कराई गयी और उन्होंने कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है । नमूना उसी दिन लिया गया था ।

प्रदेश के कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत का वैज्ञानिक तरीका एवं समर्थन मूल्यों को आंकने का आधार

*8–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के भिन्न-भिन्न भागों में उत्पादित होने वाले कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत की जानकारी प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग के पास कोई वैज्ञानिक तरीका है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा उसके आधार पर क्षेत्रवार अथवा जिलावार प्रदेश के कृषकों दवारा राजकीय फार्मों पर उत्पादित खरीफ 1988 में धान तथा रबी 1988-89 में गेहूं जौ, चना, मटर, मसूर तथा सरसों की प्रति कुन्तल औसत उत्पादन लागत क्या-क्या आंकी गई है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार केन्द्र सरकार को समर्थन मूल्यों की संस्तुति करते समय इन उत्पादों के लागत मूल्यों के अभाव में संस्तुति किस आधार पर करती है ?

कृषि मंत्री (डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल)

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य सरकार दवारा समर्थन मूल्यों की संस्तुति करते समय कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त उत्पादन लागत कृषि लागत एवं मूल्य उपयोग दवारा समय-समय पर दी गयी सूचनाओं के अतिरिक्त परिवहन व्यय, जोखिम, प्रबन्ध एवं किसानों को समुचित लाभांश, बाजार मूल्य तथा उत्पादन से संबंधित अन्य सूचनाओं को ध्यान में रखा जाता है । यह मूल्य प्रदेश के भिन्न -भिन्न भागों एवं पूरे देश के लिए एक ही होता है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पहले तो माननीय कृषि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि पहली बार उन्होंने अपने पूर्व मंत्री के कदमों पर न चलने का निर्णय लिया और यह बताने की कृपा की कि सरकार के पास कृषि उत्पादनों की उत्पादन लागत जानने के लिए कोई भी वैज्ञानिक तरीका नहीं है । इसके लिये उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार की अकुशलता को बताया । अब मैं प्रश्न करना चाहता

हूं कि समर्थन मूल्य नहीं बतायेंगे, यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार गोपनीयता का सहारा लेगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने कहा कि समर्थन मूल्य संस्तुत करते समय किन बातों को ध्यान में रखा गया है । उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों से प्राप्त उत्पादन लागत और उसके अतिरिक्त चार और मदों का उन्होंने उल्लेख किया है, परिवहन व्यय, जोखिम, प्रबन्ध एवं किसानों को समुचित लाभांश, बाकी का उल्लेख मैं नहीं करना चाहता । मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष जब आपने समर्थन मूल्यों के संबंध में निर्णय लिया, जो गोपनीय हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालयों ने गेहूं, चना और सरसों के संबंध में आपको क्या लागत बतायी है । आपने उस पर क्या परिवहन का आंकलन किया है, क्या जोखिम का आंकलन किया है और आपने उसमें किसानों के लिए समुचित लाभांश और प्रबंध के लिए क्या प्राविधान किया है ? अलग-अलग बताने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष–

एक ही सवाल में चार सवाल?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, चार चीजों का उल्लेख किया है, इसलिए जानना चाहता हूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह आगरा, बरेली का महत्वपूर्ण सवाल है ।

(हंसी)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैं माननीय बरार जी को बधाई के लिए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं । श्रीमन्, उन्होंने कुछ मुद्दों का जिक्र किया है जो प्रश्न पर आधारित थे और प्रश्नों के उत्तर में थे। लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बहुत से मुद्दों का इसमें उल्लेख ही नहीं किया गया है। जो मूल्य लागत पता लगाने में ध्यान में रखी जाती हैं। मसलन, श्रीमन्, हमारे उत्तर प्रदेश में 13 करोड़ आबादी है और इसमें 85 प्रतिशत जनता खेती से जुड़ी हुई है और श्रीमन्, इस 85 प्रतिशत जनता के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़े रहने से 188 लाख जोतें हैं। इसमें लघु, लघु सीमान्त, मध्यम और मध्यम में भी ऊपर और नीचे और सबके बाद बड़े हैं। इस प्रकार 188 लाख जोतें है। अब इन सारी श्रेणियों में श्रीमन्, किसी के पास ट्रैक्टर हैं, किसी के पास बैल हैं, किसी के पास ट्रैक्टर अपने हैं, कोई किसान किराये पर लेकर जोतता है, कोई अपने ट्यूबवेल से पानी लेता है, कोई किराये के ट्यूबवेल से सिंचाई करता है।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होने पर)

माननीय बरार साहब पूरी बात सुन लें।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, जो माननीय मंत्री जी बता रहे हैं, इनके बारे में पूछा ही नहीं गया । मूल प्रश्न से हट गए हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बरार जी आपने एक में चार कर दिया, अब वह चार के आठ बतायेंगे।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, अगर सदन की पुरानी कार्यवाही उठाकर देखें, माननीय बरार साहब हमारे पुराने मित्र हैं, हर बार यहीं प्रश्न पूछते हैं। आपकी पीठ से हमेशा यह निरस्त हुआ है और निरस्त ही नहीं हुआ, गत वर्ष जब यह प्रश्न पूछा गया तो श्रीमन्, यह प्रश्न एवं संदर्भ समिति को निर्दिष्ट कर दिया गया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

वह 1986-87 के संबंध में था, मैं आज नीतिगत प्रश्न पूछ रहा हूं।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

माननीय बरार साहब को अगर कोई शंका रह जाय तो मेरे कहने के बाद पूछ सकते हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा । प्रश्न एवं संदर्भ समिति ने उस पर पूरी कार्यवाही की बैठकें कीं । उसके बाद इस प्रकरण को समाप्त कर दिया कि निश्चित रूप से यह गोपनीयता का प्रश्न है, इस पर प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

श्री मैनेजर सिंह–

डाक्टर कौशल साहब, एक मिनट जरा बीच में लूंगा । आपने अपने उत्तर में कहा था कि एक मध्यम वर्ग है, आप दोनों आगरा-बरेली के हैं, आपने मध्यम वर्ग के साथ कहा कि एक ऊपर है एक नीचे है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि आप और बरार साहब में कौन ऊपर है और कौन नीचे है?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

अब मान्यवर, इनको ही ऊपर रखा जाय। यह मैंने गत वर्ष की बात बतायी । इस वर्ष माननीय हृदय नरायन दीक्षित जी का भी प्रश्न आया, आपने कृपा पूर्वक उसको निरस्त कर दिया, उसको नहीं लिया।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मुझे आपत्ति है। मान्यवर, प्रश्नों का समय बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, जब प्रश्न स्वीकार किया गया, तो वह नहीं कह सकते कि कृपा की गयी । वह इस समय अनर्गल बातें कर रहे हैं। 1986-87 के प्रश्न को इससे जोड़ रहे हैं। समर्थन मूल्य क्या संस्तुत किया है, उसको भी गोपनीयता की आड़ में ले लिया, लेकिन हमने उसको भी चैलेंज किया हुआ है । लागत के संबंध में, उसके ऊपर परिव्यय-परिवहन व्यय, जोखिम, प्रबंध एवं किसानों का समुचित लाभांश- इसके बारे में बताया कि इसका भी ध्यान रखते हैं । मान्यवर, अब इसकी जानकारी गोपनीय है, इसके बारे में उस पीठ से कोई स्पलिंग तो है नहीं। माननीय मंत्री जी वह बात बता रहे हैं, जिसका प्रश्न में उल्लेख नहीं है। माननीय मंत्री जी का उत्तर भी अनुपूरक प्रश्नों से सुसंगत होना चाहिए । जो मैंने प्रश्न पूछा है, अगर उसका उत्तर देने की स्थिति है, तो उत्तर दें, नहीं तो बतायें कि उत्तर नहीं दे पायेंगे, उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। मान्यवर, आपको अपना संरक्षण देना चाहिये, इनको निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बरार जी, सारा समय तो आपने ले लिया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

कहिए तो मान्यवर, मैं अपना सवाल अनुपूरक सवाल दोहरा दूं । मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि . . .

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, आगरा और बरेली के चक्कर में सारा समय जा रहा है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय अध्यक्ष जी, आप इसमें अपना संरक्षण दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बरार साहब, आप पूरा समय ले रहे हैं, आपने ही सारा समय ले लिया ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप मंत्री जी से कहें कि सुसंगत उत्तर दें, समय न नष्ट करें। मान्यवर, मैं अपना प्रश्न दोहरा दे रहा हूं। क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास जो राज्य में कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके द्वारा गेहूं, चना, सरसों के लिये, वर्ष 1988-89 के लिये, क्या उत्पादन लागत की जानकारी प्राप्त हुई है और माननीय मंत्री जी ने परिवहन व्यय-जोखिम, प्रबन्ध एवं किसानों को समुचित लाभांश की बातें बतायी हैं, इन मदों में क्या-क्या उनका एक औसत जो है, उसमें जोड़ड़ा है, यह बताने की कृपा करें?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

श्रीमन्, मुझे क्षमा करें, मैं तो इसके प्रत्येक पहलू पर बताने का प्रयास कर रहा था ठीक है, अब मैं इसे सीमित किये देता हूं । श्रीमन्, अभी तो मैंने जीतों का जिक्र किया । अब जो मान्यवर, ने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा घोषित लागत मूल्य के बारे में प्रश्न किया है, उस पर आ रहा हूं । श्रीमन्, उत्तर प्रदेश इतना विशाल प्रदेश है जहां एक तरफ पूर्वांचल है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ बुन्देलखण्ड का इलाका है, एक तरफ पश्चिम का क्षेत्र है।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर-व्यवधान)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

मान्यवर, मैं इसीलिये इसका जिक्र कर रहा था कि कानपुर विश्वविद्यालय का जो जिक्र किया गया है, वह हमारे मध्य उत्तर प्रदेश में है। वैसे भी मैंने अपने उत्तर में पहले ही जिक्र किया है कि हमारे पास उत्पादन लागत की जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। दूसरी बात यह कि मान्यवर, कृषि विश्व-विद्यालय जो अपनी रिसर्च करता है, उससे हमको अवगत नहीं कराता है, यह रिसर्च केवल उसके अपने छात्रों के लिए होती है और वह शिक्षण स्तर तक ही कार्यक्रम

सीमित है। कभी भी शासन को यह नहीं बताया गया है कि इस समय लागत मूल्य कितना है। कृषि विश्वविद्यालय ने कोई भी सूचना इस संबंध में हमको न तो इस साल और न पिछले साल ही भेजी है।

(पुनः विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर-व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसी के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालयों का कार्य केवल प्रशिक्षण देना है, केवल छात्रों को शिक्षित करना है। मुझे ऐसी जानकारी है कि कृषि विश्व-विद्यालय यह भी काम करते हैं जैसे बीजों की नयी-नयी तकनीक विकसित करना, कैसे अच्छी फसल पैदा की जाय, कैसे कम लागत पर अधिक उत्पादन किया जाय आदि कार्य भी उनका काम है, तो माननीय मंत्री जी यह बता दें कि जो बात मैं कह रहा हूं, क्या वह सही है?

डाक्टर कृष्णवीर वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत सही प्रश्न पूछा है। बरार साहब ने तो लागत मूल्य का जिक्र किया और माननीय उपाध्याय जी ने उसमें यह और जोड़ दिया कि कृषि विश्वविद्यालय का काम शोध और अनुसंधान करना भी है, मैं उनकी राय से सहमत हूं। नये-नये बीज पैदा करना, कम लागत पर फसल उत्पादकता करना, यह उनकी बात सही है।

(पुनः घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण अगर आप लोग बैठेंगे नहीं, तो मुझे मजबूरन सदन को स्थगित करना पड़ेगा। आप लोग कृपा करके बैठिये।

(श्री जयदीप सिंह बरार व श्री माता प्रसाद पाण्डेय के खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा करके बैठ जायं। मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्रश्न संख्या-9 पुकारे जाने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आप सही उत्तर नहीं दिलवा रहे हैं। किसानों का मामला है, इसलिए हमारा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री हरीश चन्द्र, हरीश जी अपने समुदाय सहित सदन त्यागकर चले गये)

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय व श्री शारदा नन्द अंचल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री पाण्डेय जी, आप कृपा करके बैठ जायं। सदन नियमों के अनुसार चलेगा कि नहीं चलेगा ⊥ मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

श्री बरार जी, आप कृपा करके बैठ जायें।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े रहने पर)

श्री बरार जी आप सदन छोड़ें । जो आप बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा । आप सदन छोड़ें ।

(श्री गोपीनाथ वर्मा सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये । परन्तु श्री शारदा नन्द अंचल के प्रयास से अपने स्थान पर वापस चले गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 5 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। नियम 301 के अन्तर्गत.....

परिवार कल्याण खण्ड प्रसार शिक्षकों का मासिक यात्रा भत्ता दिये जाने हेतु शासनादेश का जारी करना

*9–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक, परिवार कल्याण ने अपने पत्र संख्या प0 का0/3/प्र0 शि0/नि या0 भ0/86/7985 दिनांक 29 अक्टूबर, 1985 द्वारा खण्ड प्रसार शिक्षकों को मैदानी क्षेत्र में रु0 75/-एवं पर्वतीय क्षेत्र में 85 रुपये प्रतिमाह नियत मासिक यात्रा भत्ता स्वीकृत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था ? यदि हां, तो अभी तक शासनादेश जारी न किये जाने का क्या कारण है ? अब शासनादेश कब तक जारी हो जायेंगे ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्रसंगत प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है जिसके उपरान्त यथाशीघ्र समुचित आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

टिप्पणी–1 [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

2–नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

लखनऊ, मेडिकल कालेज में प्लास्टिक सर्जरी वार्ड का निर्माण एवं शैय्याओं की संख्या बढ़ाने पर विचार

*10–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ मेडिकल कालेज में प्लास्टिक सर्जरी सेक्शन में कुल कितनी शैय्याओं की व्यवस्था है ? क्या यह सही है कि प्रदेश भर से भारी संख्या में मरीज यहां आते हैं और उन्हें एक-एक वर्ष तक प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त विभाग के पास पड़ी हुई भूमि में इतनी ही और शैय्याओं के प्लास्टिक सर्जरी वार्ड का निर्माण करा दिये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या इस हेतु कोई एस्टीमेट बना है या नहीं ? यदि बना है, तो निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी सेक्शन में कुल 25 शैय्याओं की व्यवस्था है । यह सही है कि उक्त कालेज में प्रदेश भर से मरीज अपने उपचार हेतु आते हैं जिन्हें लम्बी अवधि तक प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है । उक्त विभाग के भवन के ऊपर भवन निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव आगरण सहित प्राप्त हुआ था । जिस पर शासन द्वारा विचारोपरान्त प्रथम तल के भवन के निर्माण के लिए 22.18 लाख के लागत के बने आगणनों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन हेतु 1.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। भवन निर्माण का कार्य राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जायेगा।

प्रदेश के किसानों को रसायनिक खादों पर छूट देने पर विचार

*11–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों को सूखा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए रबी की फसल की तैयारी हेतु अक्तूबर, 1988 में रसायनिक खादों पर छूट दिये जाने का कोई कार्यक्रम बनाया था ? यदि हां, तो वह कार्यक्रय क्या था ? यदि नहीं, तो क्या उनको रसायनिक खादों के खरीद के लिए छूट का प्राविधान किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चूंकि रबी की बुवाई का समय अब समाप्त हो चुका है।

कृषि विभाग अधीनस्थ सेवा वर्ग 3(क) के पदों हेतु परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति में विलम्ब का कारण

*12–श्री राज किशोर सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग अधीनस्थ सेवा वर्ग 3 (क) में 1000 पदों के लिए 22 मार्च, 1987 को परीक्षा सम्पन्न हुई थी? यदि हां, तो सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति होने में विलम्ब के कारण क्या है?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां।

नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश स्तर पर कृषि मूल्य एवं लागत आयोग बनाने की योजना पर विचार

*13–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि मूल्य एवं लागत आयोग प्रदेश स्तर पर बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसके क्या-क्या मुख्य बिन्दु हैं?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

एफ0 एफ0 सी0 दलपतपुर मुरादाबाद के सिविल कार्यों हेतु हुए अनुबन्ध सम्बन्धी एम0 बी0 के खोने के दोषी अधिकारी के विरुद्ध कृत कार्यवाही

*14–श्री मित्रसेन–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0 सी0 डी0 एफ0 के संदर्भ संख्या मेमो/पी0 एफ0 ए0/सी0 ई0/एफ0 सी0 दिनांक 18-11-84 द्वारा एफ0 एफ0 सी0 दलपतपुर (मुरादाबाद) के सिविल कार्यों हेतु श्री रतन सिंह विष्ट राजकीय ठेकेदार के साथ हुए अनुबंध से सम्बन्धित कार्यों की एम0 बी0 खो गई है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि एम0 बी0 के अभाव में सम्बन्धित ठेकेदार को कार्य का भुगतान नहीं हो पाया है? क्या मंत्री जी एम0 बी0 जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख के खोने के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे तथा संबंधित ठेकेदार के बकाया देयों का भुगतान सुनिश्चित करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

दुग्ध विकास, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

श्री रतन सिंह विष्ठ ठेकेदार को एफ0 एफ0 एच0 सी0, दलपतपुर (मुरादाबाद) के सिविल कार्यों हेतु ठेके का कार्य दिया गया था। रुपये 1,02,456·30 पैसे का भुगतान रनिंग बिल्स के समक्ष किया जा चुका है। केवल 3,922·25 पैसे भुगतान हेतु शेष है। अंतिम समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। यह सही नहीं है कि भुगतान एम0 बी0 के खो जाने के कारण नहीं किया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

ठेकेदार के बिलों की लेखा जांच के पश्चात् भुगतान योग्य धनराशि के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद-मथुरा की क्षतिग्रस्त फसलों की क्षतिपूर्ति

*15–श्री कुशलपाल सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि वर्ष 1986-87 के खरीफ की फसल घोर सूखा के कारण मथुरा जनपद में बर्बाद हो गयी थी जिसका जिला अधिकारी मथुरा द्वारा 50 प्रतिशत से अधिक क्षति होने का प्रमाण-पत्र भी जारी किया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसी के आधार पर अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करा दिया गया लेकिन फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ फसल की क्षति-पूर्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्षतिपूर्ति न करने के क्या कारण है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

यही सही है कि खरीफ 1394 फसली (वर्ष 1986-87) में मथुरा जनपद की फसलें सूखा से क्षतिग्रस्त हुई थी परन्तु क्षति के संबंध में कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया था।

जी नहीं ।

जी हां।

फसल बीमा के प्रस्ताव भेजने के लिए 31-10-86 अन्तिम तिथि निर्धारित थी, मथुरा जिले के सम्बन्धित बैंकों ने बीमा के प्रस्ताव निर्धारित तिथि के बाद साधारण बीमा निगम को भेजे थे, एवं इन प्रस्तावों के निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने के कारण भारतीय साधारण बीमा निगम ने स्वीकार नहीं किया परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकी।

बरेली में रक्त बैंक खोलने हेतु लाइसेंस दिलाने की मांग

*16–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन बरेली ने लगभग एक वर्ष पूर्व जनपद में कम दाम पर गरीब मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने के लिए रक्त बैंक खोले जाने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन किया था किन्तु इतना समय बीत जाने पर भी अभी तक लाइसेन्स न दिये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी इस समाज सेवी कार्य के लिए यथाशीघ्र लाइसेन्स दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन बरेली ब्रान्च, बरेली, को रक्त कोष (ब्लड बैंक) चलाने हेतु लाइसेन्स दिनांक 13-12-1988 को स्वीकृत किया जा चुका है।

लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय, सिविल व टी0 बी0 अस्पताल में सात वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*17–श्री शारदा प्रताप–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बलरामपुर चिकित्सालय, सिविल अस्पताल, टी0 बी0 अस्पताल, ठाकुरगंज में सात वर्ष की अवधि से अधिक से कितने लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं ? शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार पांच वर्ष से अधिक समय से एक स्थान पर कार्यरत कर्मचारी को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारी के स्थानान्तरण पुनः रोक दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या शासन की नीति के अनुसार इनके स्थानान्तरण किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

बलरामपुर चिकित्सालय में 6, सिविल अस्पताल में 1 और ठाकुरगंज चिकित्सालय में 2 ऐसे लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं।

यह सही है कि कुछ ट्रांसफर रोके गये हैं। इन सभी कर्मचारियों का अगले स्थानान्तरण सत्र में स्थानान्तरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशालय को निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड की शाहगंज व सुईथाकलां के मत्स्य पालकों को वितरित धनराशि का विवरण

*18–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर, तहसील शाहगंज, विकास खण्ड सोथी (शाहगंज) व सुइथाकला के किन-किन ग्रामों में ओखरा खोदने हेतु व मरम्मत हेतु, मछली पालन हेतु, वर्ष 1986-87, 87-88, 88-89 में कितना धन व्यय किया गया है ? उक्त ब्लाकों में ग्रामवाइज किन-किन आवंटियों को कितना धन दिया गया है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

वर्ष 1986-87 में जनपद जौनपुर में तहसील शाहगंज के विकास खण्ड शाहगंज में मत्स्य पालकों को रुपये 1,05,870 की धनराशि तथा विकास खण्ड सुईथाकला के मत्स्य पालकों को रुपये 11,800 की धनराशि वितरित की गयी ।

वर्ष 87-88 में विकास खण्ड शाहगंज के मत्स्य पालकों को रुपये 56,070 की धनराशि तथा विकास खण्ड सुईथाकला के मत्स्य पालकों को रुपये 18,988 की धनराशि वितरित की गई ।

इसी प्रकार वर्ष 1988-89 में विकास खण्ड शाहगंज के मत्स्य पालकों को रुपये 8 490 की धनराशि तथा सुईथाकलां विकास खण्ड के मत्स्य पालकों को 10,960 की धनराशि वितरित की गयी है। ग्रामवार आवंटियों को दी गयी धनराशि से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 156-157 पर)

*19–श्री विजय सिंह राणा–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश में टी0 एस0 पी0 नामक उर्वरक पर किसानों को दी जाने वाली सबसिडी का औचित्य

*20–श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में टी0 एस0 पी0 नामक उर्वरक (रसायनिक खाद) पर किसानों को सबसिडी दी जाती है? यदि हां, तो प्रतिवर्ष किसानों के नाम से दी जाने वाली सबसिडी का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया अंश कितना है ? क्या यह सत्य है कि टी0 एस0 पी0 नामक खाद के प्रयोग से किसान को फसल में लगभग 20-21 पानी देने पड़ते हैं इस कारण इस खाद का प्रयोग उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अव्यवहारिक एवं अनुपयुक्त रहा है और किसानों को छूट पर दी जाने वाली खाद का विक्रय करने वाला पी0 सी0 एफ0 सहकारी समितियां और बीज गोदामों से इस खाद की बिक्री आज तक नहीं हुयी है? यदि हां, तो क्या उक्त संस्थाओं को गत तीन वर्षों में टी0 एस0 पी0 नामक उर्वरक की सप्लाई हुई है? यदि नहीं, तो सबसिडी देने का क्या कारण है?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है ।

इसमें जल विलय फासफेट की मात्रा कम रहती है । अतः प्रदेश के कृषकों के लिए अव्यावहारिक एवं अनुपयुक्त है।

पी0 सी0 एफ0, सहकारी समितियां और बीज गोदामों से इस खाद की बिक्री 1981-82 से नहीं की गई है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सेवा निवृत्त मुख्य लिपिक, श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव को बकाया धनराशि दिलाने की मांग

2–श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती कार्यालय के मुख्य लिपिक श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव दिनांक 30-6-88 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या उन्हें पेंशन आदि की सुविधाएं मिल रही है ? क्या उनको उनकी बकाया धनराशि मिल चुकी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां।

जी नहीं।

श्री श्रीवास्तव द्वारा अपनी चिकित्सा अवकाश की अवधि का प्रार्थना पत्र दिनांक 31 जनवरी, 1989, को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया और दिनांक 1 फरवरी, 1989 को अवकाश स्वीकृति हेतु उसे मण्डलीय अपर निदेशक को अग्रसारित कर दिया गया। मण्डलीय अपर निदेशक को इस पर त्वरित कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है और अदेयता प्रमाण पत्र निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है ताकि पेंशन स्वीकृति हेतु प्रक्रिया पूरी की जा सके।

जनपद बलिया के सर्वाधिक ग्राम सभा वाले विकास खण्ड सीयर व नगरा में पांच-पांच कृषि गोदाम बनाने की मांग

3–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद में विकास खण्ड वार कितने-कितने कृषि गोदाम हैं ? क्या सरकार जनपद के सर्वाधिक ग्राम सभा वाले विकास खण्ड सीयर व नगरा में और पांच-पांच कृषि गोदाम बनवाने की कृपा करेगी ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

बलिया जनपद में 18 विकास खण्ड हैं जिसमें विकास खण्ड नगरा में 4 और विकास खण्ड रसड़ा, पन्द्रह, गडवार तथा बेरूआरबारी में तीन-तीन कृषि गोदाम हैं, शेष 13 विकास खण्डों में दो-दो गोदाम हैं ।

जी नहीं ।

4–7–श्री जयदीप सिंह बरार–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

पांच वर्ष से अधिक के कार्यरत चिकित्साधिकारियों को उनके ही जिले में रोके रखने का औचित्य

8–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितने आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी नियमों/आदेशों के विरुद्ध 5 वर्ष से अधिक से एक ही चिकित्सालय/जिले में नियुक्त हैं तथा कितने अपने गृह जिले में नियुक्त हैं ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सूचना प्राप्त होने पर यथावांछित कार्यवाही की जायेगी ।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों हेतु मेसर्स प्रज्ञा फार्मा से दवाओं का क्रय किये जाने का औचित्य

9–नवाब सिकन्दर अली खां–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स प्रज्ञा फार्मा से कितने रुपये की दवायें गत तीन वर्षों में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिए खरीदी गई हैं ? क्या यह सही है कि इस कम्पनी की दवाएं घटिया किस्म की होने के कारण क्रय नहीं की जाती थी ? यदि हां, तो अब इन दवाइयों के खरीदे जाने का आधार क्या है?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

गत तीनों वर्षों में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिए मेसर्स प्रज्ञा फार्मा से कोई भी दवा निदेशालय स्तर से क्रय नहीं की गई है । अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा क्रय के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गाजियाबाद, श्री जयवन्त सिंह ए0 एम0 ए0 जिला परिषद् के विरुद्ध शिकायत पर कृत कार्यवाही

10–श्री कनक सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2 मई, 1988 जो श्री जयवन्त सिंह ए0 एम0 ए0 जिला परिषद् गाजियाबाद के द्वारा नसबन्दी में फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर एक कम्पाउण्डर का वेतन दिलाने के आदेश दिये जाने तथा उसी महिला को स्वयं का अभिप्रेरक दिखाये जाने के संबंध में है, पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बलिया के विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में पशु चिकित्सालयों आदि की कमी दूर करने हेतु कृत कार्यवाही

11–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या पशुधन विकास मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सबसे पिछड़े हुए विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में पशु चिकित्सालयों व स्टाक मैन सेन्टरों तथा दवाओं और स्टाफ की कमी के कारण पशुओं की बीमारी पर काबू पाने हेतु उनके उपचार की व्यवस्था ठीक नहीं है जिसके कारण किसानों में रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार विशेष परिस्थितियों में इस पिछड़े क्षेत्र में इन कमियों को पूरा करने पर विचार करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं । बलिया जनपद के विकास खण्ड सीयर, नगरा व रतनपुरा में पशु चिकित्सालयों एवं स्टाकमैन सेन्टर्स तथा दवाओं की कोई कमी नहीं है । तीनों विकास खण्डों में 8 पशु चिकित्सालयों के समक्ष 4 पर पशु चिकित्साधिकारी के पद अवश्य रिक्त हैं लेकिन कार्य हित में की गई व्यवस्था के अनुसार इनका कार्य निकटवर्ती पशु चिकित्सालयों के प्रभारियों की देख-रेख में सम्पन्न किया जा रहा है । इन विकास खण्डों में स्थित आठ पशु सेवा केन्द्रों पर पशुधन प्रसार निरीक्षक कार्यरत है । विभागीय मार्ग के अनुसार इन संस्थाओं पर दवाओं की आपूर्ति की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ तथा सूखा ग्रहत मदों में भी दवाओं की अतिरिक्त आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है । इस प्रकार तीनों विकास खण्डों में न तो पशुपालन संस्थाओं की कमी है और न ही दवाइयों की कमी है । उक्त संस्थाओं पर कार्यरत स्टाफ द्वारा रोग नियंत्रण तथा उपचार की व्यवस्था की जा रही है अतः जनता में रोष की स्थिति नहीं है ।

इस क्षेत्र के लिए सामान्य व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य कोई विशेष याजना प्रस्तावित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठा ।

सण्डीला (हरदोई) में स्थापित दुग्ध शीतक केन्द्र बन्द करने का कारण

12–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सण्डीला (हरदोई) में कोई दुग्ध शीतक केन्द्र स्थापित था ? यदि हां, तो उसे क्यों बन्द किया गया और अब तक उसे क्यों नहीं चलाया जा सका ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां ।

सण्डीला चिलिंग सेन्टर का संचालन अव्यवहारिक, असुविधाजनक एवं अनार्थिक होने के कारण दिनांक 1-3-1984 में उसे बन्द कर दिया गया था ।

हरदोई जनपद के दूध को सण्डीला चिलिंग सेन्टर में ठंडा करके लखनऊ डेरी भेजना अनार्थिक, असुविधाजनक एवं अव्यवहारिक होने के कारण उक्त चिलिंग सेन्टर का नहीं चलाया जा रहा है ।

श्री जय कीर्ति सिंह के कृषि प्रक्षेत्र (बागपत) में स्थानान्तरण का स्थगन

13–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर कृषि निदेशक (सामान्य) ने अपने पत्रांक एस-एस 2702/ए0 एस0-3 दिनांक 28-7-86 में माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का जिक्र किया है जिसके कारण श्री जय कीर्ति सिंह का स्थानान्तरण कृषि प्रक्षेत्र (बागपत) में स्थगित कर दिया गया था ? यदि हां, तो माननीय उच्च

न्यायालय का स्थगन आदेश किस तिथि को हुआ और न्यायालय में कौन गये ? यदि कोई स्थगन आदेश था तो श्री रमा शंकर सिंह का स्थानान्तरण वर्ष 87 में उक्त कृषि प्रक्षेत्र पर क्यों किया गया जबकि शासन के निर्देश के अनुसार अपर कृषि निदेशक ने श्री रमाशंकर सिंह को कार्यभार ग्रहण करने का आदेश भेजा था ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी नहीं, बल्कि श्री जयकीर्ति सिंह का स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तक स्थगित किया गया था । माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश 12-9-85 को हुआ था । न्यायालय में वाद हेतु श्री अजयपाल सिंह गये थे ।

श्री जयकीर्ति सिंह का कोई स्थगन आदेश नहीं था । श्री रमा शंकर सिंह को उक्त क्षेत्र पर जनहित में तैनात किया गया था ।

श्री सिंह उक्त आदेश के पहले ही पूर्व आदेश के क्रम में प्रक्षेत्र का कार्यभार ग्रहण कर चुके थे ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी कार्यालय हरदोई में सेवाकाल में मृत एवं सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के देयकों के भुगतान में विलम्ब के कारण

14–श्री परमाई लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी कार्यालय हरदोई में सेवा काल में मृत एवं सेवानिवृत्त कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के अवशेष देयकों का भुगतान होना शेष है ? अब तक उक्त भुगतान न किये जाने में विलम्ब का क्या कारण है एवं इसका उत्तरदायित्व किस अधिकारी/कर्मचारी का है ? क्या दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विलम्ब का उत्तरदायित्व निर्धारण करने हेतु जांच कराई जा रही है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड के बांदा हमीरपुर आदि जिलों की गेहूं की पैदावार व बुन्देलखण्ड राठ डिग्री कालेज कृषि फार्म को अनुसंधान केन्द्र में विकसित कर गेहूं की नई प्रजातियों के विकास पर शोध कार्य

15–श्री राम सजीवन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड के पांच जिलों–बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर व जालौन में प्रत्येक जिले में अलग-अलग सिंचित क्षेत्र गेहूं की आर0 आर0 21 और सोनालिका प्रजातियों की प्रति हेक्टेयर औसत पैदावार क्या है ? क्या इन्हीं प्रजातियों की उपज प्रदेश के मध्य व तराई व पश्चिम के जिलों में

कहीं अधिक होती है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है ? क्या यह सही है कि अन्य जिलों की तुलना में बुन्देलखण्ड के जिलों में गेहूं बुवाई के समय गर्मी अपेक्षाकृत अधिक रहती है और फूल लगने के समय भी गर्मी अधिक पड़ने लगती है जिससे उपज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या बुन्देलखण्ड राठ डिग्री कालेज के कृषि फार्म को अनुसंधान केन्द्र के रूप में विकसित करके बुन्देलखण्ड की मिट्टी और जलवायु के अनुकूल गेहूं की नई प्रजातियां विकसित की जायेंगी और उपज बढ़ाने की दिशा में कदम उठाये जायेंगे ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

प्रजातिवार क्राप-कटिंग न होने की दशा में इसके क्षेत्रवार आंकड़े उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है ।

जी हां ।

सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, झांसी तथा चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के भरारी स्थित शोध केन्द्र पर बुन्देलखण्ड की मिट्टी और जलवायु के अनुसार गेहूं की नई प्रजातियों के विकास के सम्बन्ध में शोध कार्य किया जाता है ।

जनपद मथुरा के उच्चीकृत अस्पताल मांट में स्थाई रूप से महिला व पुरुष डाक्टरों की नियुक्ति

16–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मथुरा के उच्चीकृत अस्पताल मांट में किसी महिला डाक्टर की स्थाई रूप से नियुक्ति की गयी है ? यदि हां, तो किसकी ? क्या यह सही है कि जिस महिला डाक्टर की नियुक्ति मांट में दिखायी गई है उनसे पूरे जनपद में नसबंदी कैम्प का कार्य लिया जाता है जिसके कारण नियमित रूप से महिला मरीजों को उक्त अस्पताल में नहीं देखा जाता है जिससे सम्बन्धित मरीजों को भारी असुविधा होती है ? क्या शासन उच्चीकृत अस्पताल को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यकता व नियमानुसार पुरुष व महिला डाक्टरों की नियुक्ति स्थाई रूप से करने पर विचार करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

डा0 (श्रीमती) राजवंशी को दिनांक 16-6-87 से नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत डा0 राजवंशी से परिवार कल्याण में नसबंदी का कार्य लिया जाता है क्योंकि वे जनपद की वरिष्ठतम महिला चिकित्सक हैं जो लेप्रोस्कोपिक में दक्ष एवं प्रशिक्षित हैं । शिविर के अतिरिक्त दिनों में वे चिकित्सालय में उपलब्ध रहती हैं । जनपद की अन्य महिला चिकित्सकों को भी परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए लेप्रोस्कोपिक प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की गई है । इसके उपरान्त डा0 (श्रीमती) राजवंशी परिवार कल्याण के लक्ष्य को पूर्ण

कराने के साथ चिकित्सालय में रोगियों के चिकित्सा उपचार में भी आवश्यकतानुसार अधिक समय दे सकेंगी । पुरुष चिकित्सकों की तैनाती पर भी विचार किया जायगा ।

जनपद अलीगढ़ की सासनी टाउन एरिया के प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर 30 शैय्याओं का चिकित्सालय खोलने की मांग

17–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ की सासनी टाउन एरिया जो एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहरी क्षेत्र है, उसके प्रा0 स्वा0 केन्द्र पर 30 शैय्यायुक्त चिकित्सालय कब तक निर्माण कराया जा रहा है ? निर्माण में विलम्ब के क्या कारण है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

30 शैय्यायुक्त चिकित्सालय अर्थात् सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण नामक योजना विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला सेक्टर योजना का अंग है। जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा ऐसे कार्य के लिये जहां प्रस्ताव पारित कर परिव्यय उपलब्ध कराया जाता है वहां स्वीकृति आदेश जारी किये जाते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में उक्त कार्य हेतु जनपद अलीगढ़ की जिला प्लान में कोई परिव्यय उपलब्ध नहीं हो पाया है अतः निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है ।

श्री भगवत नारायण चौबे, खाद्य निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामौर, झांसी का स्थानान्तरण

18–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री भगवत नारायण चौबे, खाद्य निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बामोर–झांसी के अंगरक्षक की मांग करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी ने पत्र संख्या–ज-6/88, दिनांक 16 जनवरी, 88 द्वारा शासन से यह अनुरोध किया था कि श्री चौबे झांसी जनपद के निवासी हैं तथा इनका प्रशासनिक आधार पर झांसी जनपद से अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जाय ? यदि हां, तो गांव की राजनीति एवं पार्टी बन्दी में सक्रिय श्री चौबे को झांसी जनपद में ही पद स्थापित रखने का क्या औचित्य है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां, पत्र महानिदेशालय में प्राप्त हुआ है। विषयवस्तु विचाराधीन है।

फैजाबाद, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में तदर्थ नियुक्तियों का विवरण

19–श्री मित्रसेन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में जनवरी, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक कुल कितनी तदर्थ नियुक्तियां किन-किन तिथियों में और किस-किस श्रेणी में की गयी हैं ? क्या यह सही है कि तदर्थ नियुक्तियां विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय 13 प्रस्तर 10(1) के विपरीत हैं ? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में जनवरी, 1988 से दिसम्बर, 1988 तक विभिन्न श्रेणियों में कुल 149 तदर्थ नियुक्तियां की गयी हैं, जिनका तिथिवार विवरण संलग्न † है ।

जी हां ।

यथाविधि कार्यवाही की जायेगी ।

20–श्री मित्रसेन–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय महिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर के आपरेशन से श्रीमती राजपति की मृत्यु एवं मुआवजे की मांग

21–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के राजकीय महिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ गर्भवती महिलाओं के बच्चा पैदा कराने के आपरेशन (सीजेरियन) कर रहे हैं, जिसकी वजह से अनेक शिशुओं तथा जच्चाओं की अकाल मृत्यु हो रही है ? क्या मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि 4 अथवा 5 अप्रैल, सन् 1988 को इसी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर सविता मित्तल ने श्रीमती राजपति, पत्नी श्री सज्जन लाल, निवासी–गोहनलाल गंज का सीजेरियन आपरेशन किया, जिन्हें इससे पूर्व भी दो बार सीजेरियन आपरेशन से ही बच्चा पैदा हुआ था, जच्चा की मृत्यु हो गई ? क्या डाक्टरों की राय के अनुसार ऐसे मामलों में अनिवार्य इस तीसरे सीजेरियन से पहले जच्चा अथवा इसके परिवार के सदस्यों की सहमति से सीजेरियन के साथ जच्चा की, नसबन्दी की गयी थी ? यदि हां, तो क्यों तथा मृतक महिला के परिवार को क्या मआवजा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

---

†छापा नहीं गया ।

22–श्री जयदीप सिंह बरार–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

23–24–श्री सुखपाल पाण्डे–

[दि0 9-2-89 को अता0 प्र0 सं0 44--45 द्वारा उत्तरित]

25–श्री सुखपाल पाण्डे–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद मण्डल में कृषि सेवा वर्ग एक, दो व तीन के कर्मचारियों का वर्ष 87 में स्थानान्तरण, कार्यमुक्त करने व रोके जाने का विवरण

26–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में कृषि सेवा वर्ग एक, दो, तीन में वर्ष 87 में कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में किया गया था ? कितने कार्य मुक्त किये गये, कितनों को रोका गया तथा कितने कार्यमुक्त नहीं किये गये ? स्थानान्तरित कर्मचारियों को कार्यमुक्त न किये जाने का क्या कारण था ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

फैजाबाद मण्डल में वर्ष 87 में कृषि सेवा वर्ग–एक के 15, वर्ग–दो के 103 तथा वर्ग–3 के 213 सदस्यों का स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में किया गया था ।

कृषि सेवा वर्ग-एक के 15, वर्ग-दो के 72 तथा वर्ग-3 के 172 कर्मचारियों को कार्यमुक्त किया गया ।

कृषि सेवा वर्ग–2 के 13 तथा वर्ग-3 के 12 कर्मचारियों का स्थानान्तरण रोक दिया गया ।

कृषि सेवा वर्ग–2 के 18 तथा वर्ग-3 के 29 कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं किए गए ।

कृषि सेवा वर्ग–2 के एक सदस्य को मा0 उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण तथा 17 सदस्यों को प्रतिस्थानी के अभाव में कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है । कृषि सेवा वर्ग–3 के 5 सदस्यों को निलम्बित होने, 6 सदस्यों को प्रतिस्थानी के अभाव में कार्यमुक्त नहीं किया जा सका है ।

जनपद अलीगढ़ के गांव जलालपुर की नसबन्दी कराने वाली महिलाओं को धनराशि व परिचय-पत्र न मिलना

27–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ब्लाक हाथरस के गांव जलालपुर में मार्च, 88 में 59 महिलाओं ने नसबन्दी कराई थी, उनके परिचय पत्र तथा सरकार से स्वीकृत धनराशि किन कारणों से अभी तक नहीं मिली है ? क्या यह सही है कि वहां के मौजूदा प्रधान एवं लेखपाल ने धनराशि एवं परिचय पत्र नहीं दिए हैं ? यदि हां, तो इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला ललितपुर, झांसी और रामपुर में अपने गृह जनपद में नियुक्त चिकित्साधिकारी

28–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला ललितपुर, झांसी और रामपुर में ऐसे कितने चिकित्साधिकारी हैं जिनकी तैनाती उनके गृह जनपद में ही की गयी है और कितनों ने गृह जनपद परिवर्तित कराने के लिए विभाग को प्रार्थना पत्र दिए हैं तथा उनमें से कितनों के गृह जनपद परिवर्तित हुए ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के कर्मचारियों की बढ़ी मंहगाई भत्ते की धनराशि व अन्य बकायों का भुगतान

29–श्री परमाई लाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, हरदोई के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के वर्ष, 1985 से बढ़ी हुई महंगाई भत्ते व अन्तरिम राहत की धनराशि (एरियर) का भुगतान नकदीकरण का एरियर, अवशेष वेतन का एरियर एवं देय अन्य एरियरों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस विलम्ब का क्या कारण है तथा कौन कर्मचारी अधिकारी इसके लिये दोषी है तथा उक्त भुगतान कब तक करा दिए जाएंगे ? क्या उक्त कार्यालय में समस्त कर्मचारियों की जी0 पी0 एफ0 पासबुकें बना दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक बना दी जायेंगी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

स्थिति ज्ञात की जा रही है । तदुपरान्त उत्तरदायित्व निश्चित किया जायेगा । शीघ्रातिशीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

जी नहीं ।

विलम्ब के कारण ज्ञात किए जा रहे हैं । उनके निस्तारण के पश्चात् पास बुक यथाशीघ्र बना दी जायेगी ।

जिला गोरखपुर विकास खण्ड सरदार नगर के कृषि सप्लाई योजनान्तर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का प्रार्थना-पत्र

30—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री राज किशोर सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सरदार नगर जिला गोरखपुर के कृषि सप्लाई योजना अन्तर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री सकूर अहमद, बांके लाल व श्री काशी प्रसाद दुबे ने कोई संयुक्त प्रार्थना-पत्र माह अक्तूबर व नवम्बर, 1988 में मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर व परियोजना अधिकारी कृषि गोरखपुर को अपने आर्थिक उत्पीड़न के संबंध में प्रेषित किया है ? उक्त प्रार्थना-पत्र की जांच किसी अधिकारी द्वारा कराई गई है ? जांच रिपोर्ट क्या है तथा जांच रिपोर्ट के क्रम में अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोरखपुर सोनमंशा स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलना

31—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड पाली, चिकित्सालय पाली सहजनवां, विकास खण्ड गोरखपुर में सोनमंशा स्वास्थ्य केन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बदलने का निर्णय शासन ने लिया है ? यदि हां, तो भवन आदि का काम कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला-सीतापुर, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बाड़ी के चिकित्साधिकारी को अवशेष धनराशि के भुगतान की मांग

32—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय बाड़ी, जिला-सीतापुर में सम्प्रति कार्यरत चिकित्साधिकारी डा0 वी0 के0 वर्मा के मार्च, 1986 से फरवरी, 1987 तक के मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के समस्त अवशेष धन का भुगतान अब तक न करने का क्या कारण है ? कुल कितने अवशेष हैं तथा उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित—

अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण डा0 वी0 के0 वर्मा चिकित्साधिकारी के मार्च, 1986 से फरवरी, 1987 तक के मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते की धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ।

श्री वर्मा का कुल रु0 2316.00 की धनराशि अवशेष है जिसका भुगतान यथाशीघ्र किया जावेगा ।

फैजाबाद, नरेन्द्र देव कृषि वि0 वि0 कुमार गंज की 1984 की आडिट आपत्तियां

33–श्री मित्रसेन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि वि0 वि0 कुमारगंज, फैजाबाद में वर्ष 1984 से अब तक कुल कितनी आडिट आपत्तियां नोट की गई हैं ? इन आडिट आपत्तियों में कुल कितनी धनराशि का समाधान नहीं किया जा सका है ? उक्त वित्तीय अनुशासन हीनता में कौन लोग दोषी हैं इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

वर्ष 1984-85 से अब तक महालेखाकार तथा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा से प्राप्त आडिट आपत्तियों की संख्या क्रमशः 24 एवं 1450 हैं ।

आडिट आपत्तियों के विश्लेषण के बाद कुछ में विशेष आडिट और कुछ मामलों में विभागीय तकनीकी समिति से जांच का निर्णय लिया गया है । इसलिए यह निश्चित करना संभव नहीं है कि कुल कितनी धनराशि ऐसी होगी जिससे संबंधित आडिट आपत्तियों का समाधान नहीं किया जा सका ।

विशेष आडिट तथा शासन द्वारा गठित की गई जांच समिति के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही उत्तरदायित्व निर्धारित की कार्यवाही संभव होगी ।

काशीपुर (नैनीताल) की हेचरियों में घोटाला एवं धन का गोलमाल

34–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या मत्स्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 5 जुलाई, 1988 का सूखा राहत योजना के अंतर्गत काशीपुर (नैनीताल) में बनाई गयी हेचरियों में किये गये जबरदस्त घोटाले तथा धन के गोल माल के सम्बन्ध में उन्हें मिला है । यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, प्रश्नकर्ता का कथित पत्र प्राप्त हुआ । उसमें लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है । जांच पूर्ण होने पर यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

मुरादाबाद के गांव पीपलसाना की जल-भराव की समस्या के निराकरण की मांग

35–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 22-3-88 का गांव पीपलसाना, मुरादाबाद में जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में उन्हें मिला है ? यदि हां, तो भूमि संरक्षण विभाग द्वारा नदी देला के जल भराव का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

संदर्भित क्षेत्र भूमि संरक्षण अधिकारी मुरादाबाद के चयनित जल समेट में नहीं है । अतः फिलहाल इस समस्या का समाधान इस विभाग द्वारा सम्भव नहीं है ।

कुष्ठ आश्रम के प्रबन्धक के विरुद्ध पत्र पर जांच एवं कार्यवाही की मांग

36–श्री कनक सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 19-8-88 जो जिलाधिकारी गाजियाबाद को सम्बोधित था और जिसमें बुजघाट स्थित कुष्ठ आश्रम के प्रबन्धक श्री जय भगवान शर्मा, ग्राम बक्सर द्वारा उक्त आश्रम की जमीन की पैदावार व सरकार से प्राप्त अनुदान तथा जनता से प्राप्त दान को स्वयं हड़पने तथा कुष्ट रोगियों को दवा, आवास व कपड़ा की कोई सुविधा न प्रदान करने की जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई थी पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहायक परिवहन अभियंताओं के विरुद्ध शिकायतों की जांच एवं कृत कार्यवाही

37–श्री राज किशोर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायक श्री विजय सिंह राणा का पत्र दिनांक 29-3-88 विभाग में सहायक परिवहन अभियन्ता के विरुद्ध शिकायतों की जांच के बारे में शासन तथा निदेशालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

38–श्री राज किशोर सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

गोरखपुर के हरपुर बुड़हट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की मांग पर विचार

39–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतायें की कृपा करेंगे कि सहजनवां विकास खण्ड, गोरखपुर में हरपुर बुडहट में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने का निर्णय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना तथा भवन निर्माण की योजना जिला सेक्टर की योजना है । तद्नुसार जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति गोरखपुर द्वारा स्थापना अथवा भवन निर्माण हेतु अनुमोदन एवं वित्तीय उपलब्ध कराये जाने पर ही गोरखपुर के हरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना अथवा भवन निर्माण पर विचार किया जा सकता है । सम्प्रति ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

40–श्री राम आसरे वर्मा–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जिला–बस्ती, मत्स्य विभाग बस्ती कार्यालय में मत्स्य सहकारी समिति विकास खण्ड मिठवल को सदस्य बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र

41–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या मत्स्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विकास खण्ड मिठवल, जनपद बस्ती के बछनी ताल तथा उसके आसपास के अन्य कई ग्रामों के मछुआ समुदाय के लोगों का कोई प्रार्थना-पत्र मत्स्य विभाग, बस्ती कार्यालय में मत्स्य सहकारी समिति, शहरी बुजुर्ग, पोस्ट पथरा बाजार, विकास खण्ड मिठवल, जिला बस्ती में सदस्य बनाये जाने हेतु प्राप्त हुआ है ? क्या प्रार्थना-पत्र में यह भी वर्णित है कि सहकारी समिति का संचालक मण्डल उपरोक्त व्यक्तियों को सदस्य बनाने में टालमटोल कर रहा है ? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अरूण कुमार सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

21 में से 9 व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा चुका है तथा अन्य व्यक्तियों की औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण सदस्य नहीं बनाया जा सका है ।

मत्स्य विभाग में तालाबों का पट्टा करने के नियम व पथरा ताल का किया गया पट्टा

42–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या पशुधन तथा मत्स्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग के विभिन्न श्रेणियों के तालाबों का पट्टा किये जाने के निर्धारित नियम क्या हैं और जनपद बस्ती, तहसील बांसी के अन्तर्गत स्थित पथरा ताल किस श्रेणी में आता है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि पथरा ताल का पट्टा विगत तीन वर्षों के अन्तर्गत कब किया गया है और क्या शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन पट्टा किये जाने हेतु किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए दोषी कौन हैं और क्या मंत्री जी अवैधानिक पट्टे को समाप्त करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

निर्धारित नियम के अनुसार मत्स्य विभाग के अन्तर्गत श्रेणी–1 के जलाशयों को एक वर्ष के लिये, श्रेणी–2 के जलाशयों को 3 वर्ष के लिये, श्रेणी–3 के जलाशयों को 5 वर्ष के लिये तथा श्रेणी–4 के जलाशयों को 10 वर्ष हेतु नीलाम किया जाता है। पथरा ताल श्रेणी–3 में आता है।

पथरा ताल का ठेका दिनांक 11-8-86 को दिया गया।

तालाब का ठेका गठित नीलाम समिति की सहमति से दिया गया है। निर्धारित नियमों का पूर्ण अनुपालन के सम्बन्ध में जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त मामले में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बस्ती व गोण्डा में 3–4 वर्ष से अधिक के कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण

43–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती व गोण्डा में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लगातार पिछले 3–4 वर्ष से अथवा इससे अधिक समय से वहां कार्यरत हैं ? क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को दूसरे जनपद में जनहित में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद–गोण्डा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमुनहा को कस्बा बभनान में स्थानान्तरित करने की मांग

44–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जमुनहा जनपद गोण्डा एक प्राइवेट भवन में पिछले 12 साल से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या यह भी जानकारी में है कि वह स्थान चिकित्सा के प्रयोजन से अत्यन्त अधिक दूर है और उसका किराया भी अत्यन्त अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र को कस्बा बभनान में स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद–बस्ती, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांथा के भवन निर्माण में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में जानकारी

45–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 452/लो0द0/86, दिनांक 5-4-86 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांथा, जनपद बस्ती के भवन निर्माण में की गयी अनियमितताओं से संबंधित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि निदेशालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित सेवा में लेने की मांग

46–श्री विष्णु देव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कब तक नियमित सेवा में ले लिया जायेगा और अब तक नियमित सेवा में न लिए जाने का क्या कारण है जबकि ये श्रमिक काफी लम्बे समय से कार्यरत हैं?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

कृषि निदेशालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में रिट याचिकायें दायर करने और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के कारण रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित चयन की कार्यवाही अवरुद्ध है । दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित चयन के माध्यम से ही नियमित किया जा सकता है ।

कृषि निदेशक उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशालय में कार्यरत सहायक लेखाकारों को दिया गया वेतनमान

47–श्री विष्णु देव–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश सं0 वे0आ0-1-1002/दस-34/एम/83 दिनांक 11-8-83 के अनुपालन में कृषि निदेशक उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशालय में कार्यरत स0 लेखाकारों को वेतनमान 515/860 दिया जाने के उपरान्त कृषि निदेशक द्वारा निरस्त कर दिया गया जबकि अन्य विभागों में स0 लेखाकारों को क्रमागत कथित वेतनक्रम दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी शासनादेश के अनुपालन में देय पावनों का भुगतान कृषि निदेशालय के सहा0 लेखाकारों का भी करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां ।

रु0 515-860 का वेतन मुख्यालय के सहायक लेखाकारों को विभिन्न विभागों में अलग-अलग दिया गया है क्योंकि सहायक लेखाकार का संवर्ग मुख्यालय पर तथा क्षेत्र में सामान्यतया अलग रहा है किन्तु कृषि निदेशालय में क्षेत्र में तैनात सहायक लेखाकार तथा मुख्यालय पर तैनात सहायक लेखाकार का एकीकृत संवर्ग है और ये आपस में स्थानान्तरणीय है जबकि रु0 515-860 का उक्त वेतनमान यदि संवर्ग एक है तो ज्येष्ठता के आधार पर ही अनुमन्य हो सकेगा ।

यह सम्भव नहीं है कि मुख्यालय पर यदि कनिष्ठ सहायक लेखाकार नियुक्त हों तो उसे उच्च वेतनमान दिया जाय एवं क्षेत्र में नियुक्त वरिष्ठ सहायक लेखाकार को निम्न वेतनमान दिया जाए । यदि अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर मुख्यालय के जितने पद सहायक लेखाकार के हैं, उनका चयन करते हैं और उनकी नियुक्ति मुख्यालय पर की जाती है तो उस दिनांक से रु0 515-860 का वेतनमान दिया जा सकता है । ऐसे निर्देश कृषि निदेशक को भेज दिए गए हैं ।

जनपद-वाराणसी, ग्राम भटरेवा की बाई श्रीमती रामदेयी देवी की स्थाई दाई के पद पर नियुक्ति की मांग

48–श्री मूलचन्द्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रमदेयी देवी बेवा श्री राम लखन हरिजन (पासी) ग्राम भटरेवा ब्लाक सूरियावां जनपद वाराणसी में कितने वर्ष से अस्थायी दाई के पद पर 50 रुपये माहवार पर कार्य करती चली आ रही है ? क्या यह सही है कि वे परिवार कल्याण कार्यक्रम में कई बार पुरस्कृत की गई है ? यदि हां, तो क्या उक्त विधवा रमदेयी स्थाई-दाई के पद पर नियुक्ति करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद–इलाहाबाद, वि0 स0 क्षेत्र हंडिया में गोधन विकास केन्द्र खोलने की मांग

49–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र हंडिया जनपद इलाहाबाद में गोधन विकास केन्द्र खोलने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र हंडिया जनपद इलाहाबाद में कोई गोधन विकास केन्द्र खोलने की योजना शासन के विचाराधीन नहीं है । अतः योजना के क्रियान्वयन

का प्रश्न नहीं उठता। वर्तमान में हंडिया क्षेत्र के पशुपालकों को पशुपालन सम्बन्धी सुविधायें इस क्षेत्र में स्थापित 3 पशुचिकित्सालय (हंडिया, बरौंत, सैदाबाद) 10 पशु सेवा केन्द्र, दो भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र तथा भारतीय एग्रो इंडस्ट्री फाउन्डेशन (बैफ) द्वारा हंडिया में स्थापित अतिहिमीकृत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र द्वारा प्रदान की जा रही है इसलिए गोधन विकास केन्द्र खोलने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-हमीरपुर की तहसील राठ के तत्कालीन सह0 कृषि निदेशक का निलम्बन

50—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद हमीरपुर की तहसील राठ के तत्कालीन सहा0 कृषि निरीक्षक(श्री राम चरण अहिरवार)को बिना आरोप पत्र के दिनांक 29-12-80 से दिनांक 26-5-82 तक निलम्बित रखा गया तथा साक्ष्यों की प्रमाणित प्रतिलिपियां भी उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या यह सही है कि तत्कालीन राज्य मंत्री पी0 डब्लू0 डी0 के पत्र सं0 434/एस0 एम0/पी0 डब्लू0 डी0 दिनांक 26-2-82 द्वारा एवं अनेक विधायकों द्वारा इनकी बहाली हेतु अनुरोध किया गया था? क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र का जवाब दिनांक 16-8-84 को दिया गया, जिसकी जांच, जांच अधिकारी (उप कृषि निदेशक, झांसी एवं जिला कृषि अधिकारी, हमीरपुर) द्वारा करके इनकी बहाली की संस्तुति की गई ? यदि हां, तो इनको अभी तक बहाल न किये जाने के क्या करण है तथा इनकी बहाली कब तक कर दी जायेगी ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्री राम चरण अहिरवार, सहायक कृषि निरीक्षक को गबन के आरोप के सम्बन्ध में 29-12-80 के आदेश द्वारा निलम्बित किया गया था। आरोप पत्र 29-12-80 को ही अनुमोदित किया गया परन्तु साक्ष्यों को अभिलेखों की मूल प्रतियों से मिलान में विलम्ब होने के कारण दिनांक 26-5-82 को हस्तगत कराया जा सका। साक्ष्यों के मिलान में विलम्ब का कारण यह था कि अभिलेख पुलिस द्वारा गबन के सम्बन्ध में लिखाई गई रिपोर्ट के जांच हेतु ले लिये गये थे।

जी हां।

सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र का उत्तर दिनांक 16-8-84 को दे दिया गया था परन्तु अपराधिक कार्यवाही के अन्तर्गत मूल अभिलेखों को साक्ष्यों के रूप में न्यायालय में जमा हो जाने के कारण उप कृषि निदेशक, झांसी द्वारा की जा रही जांच पूर्ण न हो सकी है। जांच कार्यवाही में विलम्ब को देखते हुए श्री अहिरवार को अनन्तिम रूप से 12-2-88 के आदेश द्वारा सेवा में बहाल कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहजनवां का उच्चीकरण

51—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सहजनवां गोरखपुर को जो तहसील मुख्यालय पर स्थित है उच्चीकृत करने का निर्णय शासन ने ले लिया है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद-टिहरी गढ़वाल में पशु चिकित्सालयों की संख्या एवं उनमें रिक्त चिकित्साधिकारी के पद भरना

52–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या पशुधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने पशु चिकित्सालय हैं? इसमें कितने चिकित्सालय बिना वेटनरी सर्जन के खाली पड़े हैं? कब तक उक्त डाक्टरों के रिक्त पद भरे जायेंगे ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जनपद टिहरी गढ़वाल में 24 पशु चिकित्सालय हैं जिनमें से 16 पशु चिकित्सालयों पर पशु चिकित्साधिकारी नहीं हैं । लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध हो जाने पर रिक्त पदों को भरना सम्भव हो सकेगा ।

पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्ति के बाद पशुधन डाक्टरों की स्थानान्तरण की समस्या रोकने हेतु कृत कार्यवाही

53–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पशुधन डाक्टरों की नियुक्ति में हिल केडर का विकल्प पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्तियां करने हेतु लिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी को विदित है कि पशु चिकित्सक पर्वतीय क्षेत्रों में नियुक्ति के पश्चात शीघ्र स्थानान्तरण करवा देते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों में पशु अस्पताल खाली हो जाते हैं ? क्या इस समस्या को रोकने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं।

पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्ति के बाद स्थानान्तरण कराने की समस्या पर नियंत्रण हेतु पर्वतीय विकास अनुभाग-10 द्वारा जारी शासनादेश सं0-2607/28-10-87-12 (10)/82, दिनांक 30 जुलाई, 1987 द्वारा यह प्राविधान किया गया है कि बिना प्रतिस्थानी के कार्यभार ग्रहण किये किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को पर्वतीय क्षेत्र से कार्य मुक्त न किया जाय ।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पदों पर नियमित चयन हेतु कृत कार्यवाही

54–श्री धनराज यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के पदों पर नियमित चयन लम्बी अवधि से लम्बित है? यदि हां, तो क्या शासन होम्योपैथी चिकित्सा व जनहित में होम्योपैथिक चिकित्सकों का उक्त लम्बित चयन शीघ्रातिशीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

ती हां ।

नियमित चयन की कार्यवाही लोक सेवा आयोग के स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है ।

प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मैडिकल कालेजों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट प्रदान करने की मांग

55–श्री धनराज यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीयकृत होम्योपैथिक मैडिकल कालेजों के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आयु में छूट का प्रस्ताव 1984 से ही शासन व निदेशालय के बीच लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रस्ताव को कर्मचारियों के हित में शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी नहीं । तृतीय एवम् चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को आयु-सीमा में छूट देने के लिए निदेशक, होम्योपैथी स्वय सक्षम है । प्रश्न नहीं उठता ।

सेवानिवृत्त श्री गुणानन्द गैरोला, मुख्य खाद्य निरीक्षक कार्यालय, मेरठ की पेंशन आदि का भुगतान हेतु कृत कार्यवाही

56–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुणानन्द गैरोला, मुख्य खाद्य निरीक्षक मेरठ कार्यालय से दिनांक 30-11-84 को सेवा निवृत्त होने के पश्चात् उन्हें आज तक पेंशन आदि न दिये जाने का क्या कारण है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा तथा विलम्ब के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

श्री गुणानन्द गैरोला, मुख्य खाद्य निरीक्षक की पेन्शन सम्बन्धी प्रपत्र महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को अपर स्वास्थ्य सेवानिदेशक, मेरठ मण्डल मेरठ द्वारा दिनांक 29-1-85 को भेज दिये गये थे। इस सम्बन्ध में महालेखाकार को 5 स्मरण-पत्र भी भेजे गये। महालेखाकार द्वारा यह सूचना देने पर कि उनके कार्यालय में कागजात उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। पेन्शन सम्बन्धी प्रपत्र की द्वितीय प्रतिलिपि महालेखाकार को दिनांक 30-11-88 को पुनः भेज दी गई है। महालेखाकार से उक्त प्रकरण का त्वरित अनुसरण करने के लिए मण्डलीय अपर निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनी नगर, लखनऊ के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा में पायी गयी अनियमितता के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

57–श्री वीरेन्द्र सिंह (एटा)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनी नगर, लखनऊ के अभिलेखों की सम्प्रेक्षा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के वित्त एवं लेखाधिकारी श्री आर0 एल0 श्रीवास्तव एवं सम्प्रेक्षक श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा दिनांक 15 एवं 16 जुलाई, 1986 को की गई? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अभिलेखों में क्या अनियमितताएं पायी गईं? इन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरोजनी नगर के कार्यालय का दिनांक 15 एवं 16 जुलाई, 1986 को श्री आर0 एल0 श्रीवास्तव, वित्त एवं लेखाधिकारी एवं श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव सम्प्रेक्षक द्वारा आडिट नहीं वरन् निरीक्षण किया गया था। उक्त निरीक्षण में निम्न अनियमितताएं पायी गयीं :–

(1) रोगियों से प्राप्त भर्ती शुल्क के रुपये 4932 को अपने पास रखकर सरकारी कोष में न जमा करना।

(2) 28 रुपये भर्ती शुल्क कम वसूला जाना।

(3) कर्मचारियों को नकदीकरण अवकाश अनियमित रूप से स्वीकृत कर भुगतान किया जाना।

(4) आहार सम्बन्धी अभिलेखों का अनियमित रखरखाव।

(5) परिवार कल्याण अधिनियम के आहरण में अनियमितता।

(6) कर्मचारियों के सामान्य भविष्यनिधि खाते में कटौती न किया जाना।

(7) कर्मचारियों की सेवापुस्तिका प्रतिभूति रजिस्टर इत्यादि का अनियमित रखरखाव।

(8) स्टाक बुक के रखरखाव में अनियमितता।

(9) रोकड़बही एवं संबंधित अभिलेखों के रखरखाव में अनियमितता।

इन अनियमितताओं के लिए डा0 आर0 के0 जैन, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी श्री आर0 बी0 शर्मा वरिष्ठ लिपिक एवं श्री एस0 पी0 मिश्रा फार्मेसिस्ट के दोषी होने का उल्लेख है। डा0 आर0 के0 जैन से रोगी एवं भर्ती शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि (4932+28) = 4960.00 रुपये की वसूली कर राजकीय कोषागार में जमा किया जा चुका है। शेष कार्यवाही दोष निर्धारण की प्रक्रिया की पूर्ति के उपरान्त ही सम्भव हो सकेगी।

स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा नान मेडिकल असिस्टेंट के प्रशिक्षण हेतु चयन

58–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1987 में स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा नानमेडिकल असिस्टेंट 6 माह के प्रशिक्षण हेतु 300 अभ्यर्थियों का चयन दो सत्रों हेतु किया गया था ? यदि हां, तो क्या प्रथम सत्र के 150 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण पूरा होने पर शेष 150 को दूसरे सत्र में प्रशिक्षण हेतु भेजा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित में शेष बचे चयनित 150 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण हेतु भेजने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां । राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1987 में नान मेडिकिल असिस्टेंट के 6 माह के प्रशिक्षण हेतु 300 अभ्यर्थियों का चयन दो सत्र हेतु किया गया था । तदनुसार प्रति सत्र 150 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रथम व द्वितीय सत्र हेतु आदेश क्रमशः दिनांक 18-8-1987 तथा 13-9-1988 को जारी किये जा चुके हैं।

प्रादेशिक यूनानी कालेजों (लखनऊ एवं इलाहाबाद) में स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ करने की मांग

59–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक यूनानी कालेजों (लखनऊ एवं इलाहाबाद) में स्नातकोत्तर शिक्षा का प्रबन्ध है ? यदि हां, तो किस-किस विषय में ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी नहीं ।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षण केन्द्रीय पुरोनिर्धारित योजना है, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रारम्भ किया जा सकता है।

प्रदेश के यूनानी कालेजों में वर्ष 1987 में छात्रों के प्रवेश में विलम्ब

60–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के यूनानी कालेजों में वर्ष 1987 में होने वाले प्रवेश 27 जून, 1988 को हुए हैं जिसमें कि छात्रों का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ है ? यदि हां, तो यूनानी कालेजों में प्रवेश में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां, प्रदेश के यूनानी कालेजों में वर्ष 1987 में होने वाले प्रवेश 30 जून, 1988 में हुए।

सी0 पी0 एम0 टी0, 1987 में बी0 यू0 एम0 एस0 कोर्स हेतु चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची में वांछित संख्या में अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत को शिथिल कर पुनः विज्ञापित कराने एवं प्रवेश सूची को अन्तिम रूप देने के फलस्वरूप प्रवेश दिये जाने में विलम्ब हुआ ।

पशुओं के लिये प्रयोग की जाने वाली दवाओं एवं आहार की खराबी या अनुपयुक्तता की जांच

61–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या पशुपालन मंत्री बतायेंगे कि पशुओं के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाओं की खराबी या अनुपयुक्तता का पता लगाने के लिए कितने टेस्ट लैब प्रदेश में कार्यरत हैं और वर्ष 1985-86, 86-87 व 1987-88 में उत्तर प्रदेश में कितनी-कितनी पशु दवाओं या खाद्यान्नों की जांच कराई गई हैं ? यदि टेस्ट लैब नहीं है तो क्या उसके लिए निदेशक पशुपालन ने कोई प्रस्ताव शासन को भेजा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

कोई नहीं ।

पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं के लिये प्रयोग की जाने वाली दवाओं की खराबी या अनुपयुक्तता की वर्ष 1985-86, 86-87 एवं 1987-88 में पशु दवाओं की जांच नहीं कराई गई क्योंकि क्वालिटी ड्रग्स एण्ड कासमेटिक एक्ट के अन्तर्गत यह दायित्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0 प्र0 का है। जहां तक खाद्यान्नों की जांच का प्रश्न है पशुओं/कुक्कुट आहार की गुणवत्ता जांचने हेतु चकगंजरिया (लखनऊ), पशु लोक ऋषिकेश (देहरादून) में विभागीय आहार परीक्षण प्रयोगशाला है। इसी प्रकार पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मथुरा एवं आई0 वी0 आर0 आई0 इज्जतनगर, बरेली में परीक्षण केन्द्र हैं जहां पर वर्ष 1985-86, 86-87 एवं 1987-88 में पशुओं/कुक्कुट आहार की जांच कराई गई थी ।

प्रदेश में औषधियों की खराबी या अनुपयुक्तता का पता लगाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0 प्र0 का दायित्व है तथा वहां दवाओं के नमूनों की जांच पब्लिक एनालिस्ट द्वारा की जाती है इस कारण निदेशक, पशुपालन द्वारा पशुओं के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाओं की खराबी या अनुपयुक्तता की जांच हेतु प्रयोगशाला स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया ।

जनपद-बलिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर और नगरा में पांच वर्ष से अधिक कार्यरत चिकित्सक व कर्मचारियों का स्थानान्तरण

62–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सीयर और नगरा में कितने चिकित्सक व कर्मचारी पांच वर्षों से ज्यादा दिनों से कार्यरत हैं ? क्या सरकार शासनादेशानुसार इनके स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

पांच वर्ष से अधिक की अवधि से तैनात चिकित्सकों/कर्मचारियों की संख्या निम्नवत् है :–

प्रा0 स्वा0 केन्द्र में	चिकित्सकों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
1–सीयर	4	46
2–अगरा	3	49

इनके स्थानान्तरण का विषय विचाराधीन है ।

महिला चिकित्सालय फैजाबाद में श्री हरिनारायण सिंह एडवोकेट की लड़की की मृत्यु की जांच कराने की मांग

63–श्री मित्रसेन–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री हरि नारायण सिंह एडवोकेट फैजाबाद की लड़की श्रीमती तारा सिंह पत्नी श्री अनिल सिंह मैनेजर सहारा इण्डिया फैजाबाद प्रसव पीड़ा के उपचार हेतु दिनांक 7 सितम्बर, 1988 को महिला चिकित्सालय, फैजाबाद में भर्ती हुई थीं ? क्या यह सही है कि श्रीमती तारा सिंह उपरोक्त का सही चिकित्सा उपचार न होने के कारण उन्हें गम्भीर बीमारी का शिकार होना पड़ा और उनका देहान्त हो गया ? यदि हां, तो किन-किन लोगों की लापरवाही तथा गलत इलाज के कारण उनकी मृत्यु हो गई ? क्या इस सारे प्रकरण की जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्रीमती तारा सिंह दिनांक 7-9-88 को भर्ती हुई और उसी दिन सीजेरियन आपरेशन से बच्ची का जन्म हुआ । उनके संरक्षक दिनांक 15-9-88 को अपने उत्तर-दायित्व पर अपने घर ले गये।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

स्वास्थ्य विभाग में जिप्सी जीपों की खरीद

64–श्री सरदार सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि उनका विभाग बिना रेट कान्ट्रेक्ट के व टेक्निकल सलाह के प्रतिकूल महेन्द्र एण्ड महेन्द्रा के स्थान पर जिप्सी जीपें खरीद रहा है ? यदि हां, तो विभाग अब तक कितनी जिप्सी जीपें खरीद चुका है और क्यों ? क्या सरकार इन जीपों पर हुए खर्चे (रखरखाव एवं ईंधन) का तुलनात्मक विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला-फैजाबाद, श्री महेन्द्र प्रताप वर्मा, कम्प्यूटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के परिवार नियोजन कार्यक्रम सम्बन्धी शिकायती-प्रार्थना-पत्र पर जांच

65–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित पत्र संख्या-1291/ज0 गा0/88, दिनांक 17 नवम्बर, 1988 संलग्नकों सहित शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो श्री महेन्द्र प्रताप वर्मा, कम्प्यूटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कटेहरी जिला फैजाबाद के परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित शिकायती प्रार्थना-पत्र तथा प्रश्नकर्ता की सूचनाओं की जांच किसके द्वारा करायी गई और जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि फर्जी नसबन्दी के मामलों की सूचना प्रश्नकर्ता को देने के कारण उसका स्थानान्तरण जनपद के भीटी ब्लाक में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

सम्पूर्ण मामले की जांच निदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश के माध्यम से कराई जा रही है ।

सीतापुर एवं अलीगढ़ के अस्पताल में डिप्लोमा प्राप्त छात्रों की नियुक्ति की मांग

66–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर एवं अलीगढ़ आंख के अस्पताल में शासनादेश सं0-2202/5/8/86/सोलह/1080/85, दिनांक 22-7-86 के अनुपालन में डिप्लोमा प्राप्त छात्रों की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण है ? उक्त डिप्लोमा प्राप्त छात्रों की नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सीतापुर एवं अलीगढ़ स्थित आंख के अस्पतालों से डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु चयन कर लिया गया है और उक्त पदों पर नियुक्तियां कर ली गई है ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहायक निदेशक के विरुद्ध किये गये पत्र पर जांच

67–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में कार्यरत सहा0 निदेशक (औषधि) श्री पी0 एन0 सक्सेना के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा उ0 प्र0 शासन को सम्बोधित अक्टूबर, 86 के दूसरे सप्ताह (10-10-86) में पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

जांच कराई गई परन्तु जांच में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से वर्ग एक में आये सदस्यों की ज्येष्ठता सूची व रिक्त पदों को भरने की मांग

68–श्री मैनेजर सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से वर्ग-एक में आए हुए सदस्यों की नियमानुसार ज्येष्ठता सूची तैयार की जा रही है ? यदि हां, तो उसे कब तक पूरा करा लिया जायेगा ? क्या श्रेणी दो में पदोन्नति में प्रश्नगत ज्येष्ठता सूची को आधार माना जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? वर्तमान श्रेणी दो (विकास) में कुल कितने पद रिक्त हैं और उन्हें कब तक और किस प्रकार पूरा किया जायेगा ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशिल–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

69–श्री राज किशोर सिंह–

[4थी गुरुवार के लिए स्थगित]

वरिष्ठ लिपिकों को अवैध रूप से प्रत्यावर्तित किये गये आदेश को निरस्त करने हेतु कृत कार्यवाही

70–श्री आसान सिंह–

क्या कृषि मंत्री को प्रश्नकर्ता का अवैध रूप से वरिष्ठ लिपिकों को प्रत्यावर्तित करने सम्बन्धी पत्र दिनांक 5-10-88 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या वरिष्ठ लिपिकों को अवैध रूप से प्रत्यावर्तित किया गया आदेश निरस्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-10-88 प्राप्त हुआ है जिसमें ज्येष्ठता सूची को बिना अंतिम रूप दिए वरिष्ठ लिपिकों के प्रत्यावर्तन का आरोप लगाया गया है ।

प्रश्नगत 5 कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन कृषि निदेशक के आदेश दिनांक 7-1-89 के द्वारा स्थगित कर दिया गया है ।

प्रत्यावर्तन स्थगित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बस्ती कार्यालय के सेवा निवृत्त लिपिक की पेंशन शीघ्र भुगतान की कार्यवाही

71–श्री धनराज यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य चिकित्साधिकारी बस्ती कार्यालय के मुख्य लिपिक श्री हरीश चन्द्र श्रीवास्तव दिनांक 30-6-88 को सेवा निवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें पेंशन आदि की सुविधायें मिल रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

जी नहीं ।

श्री श्रीवास्तव द्वारा अपनी चिकित्सा अवकाश की अवधि का प्रार्थना पत्र दिनांक 31 जनवरी, 1989, को मुख्य चिकित्सा अधिकारी बस्ती के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया और दिनांक 1 फरवरी, 1989 को अवकाश स्वीकृति हेतु उसे मण्डलीय अपर निदेशक को अग्रसारित कर दिया गया । मण्डलीय अपर निदेशक को इस पर त्वरित कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दिया गया है और अदेयता प्रमाण-पत्र निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए कह दिया गया है ताकि पेंशन स्वीकृति हेतु प्रक्रिया पूरी की जा सके ।

72–74–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[दि0 9-2-89 को अता0 प्र0 सं0 19, 20, 21-द्वारा उत्तरित]

जनपद रायबरेली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जेतुआ टप्पा तथा अमावां में लेखा लिपिकों की नियुक्ति

75–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जेतुआ टप्पा तथा अमावां जनपद रायबरेली में लेखा लिपिक की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि की गई है, तो वहां के प्रभारी चिकित्साधिकारीगण आहरण वितरण तथा बिल आदि बनाने का कार्य स्वयं क्यों करते हैं तथा वहां के लेखा लिपिकों से कौन सा कार्य लिया जाता है और वास्तव में उनकी नियुक्ति कहां है ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

दोनों ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लेखा लिपिक कार्यरत हैं ।

जनपद रायबरेली, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमावां के कर्मचारियों को द्वितीय उ0 प्र0 वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वेतन का भुगतान

76–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमावां जनपद रायबरेली के सभी कर्मचारियों को द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर देय वेतनमानों में वेतन निर्धारण कर उनके अन्तर का भुगतान किया जा चुका है ? यदि हां, तो श्री जी0 एस0 शर्मा परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक का भुगतान न किए जाने का क्या कारण है तथा उनके अवशेषों का भुगतान किस तारीख तक कर दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अमावां, (रायबरेली) के दो कर्मचारियों श्री जी0 एस0 शर्मा व श्रीमती शकुन्तला देवी को छोड़कर अन्य समस्त कर्मचारियों को द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर देय वेतनमानों में वेतन निर्धारण कर अन्तर का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री जी0 एस0 शर्मा, स्वास्थ्य सहायक के वेतन निर्धारण में त्रुटियां होने के कारण अन्तर भुगतान समय से न हो सका एवं बिल प्री आडिट के लिए महालेखाकार को भेजा गया है । इस बिल के भुगतान की यथा शीघ्र कार्यवाही की जा रही है ।

श्रीमती पुष्पा सचान बेसिक हेल्थ वर्कर (महिला) के स्थानान्तरण का स्थगन

77–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सी0 एम0 ओ0, उन्नाव को 3 नवम्बर, 88 को जारी स्थानान्तरण रद्द करें व सूचना दें आदेश जो इंका नेता कौशल किशोर तिवारी निअटवा पुरवा उन्नाव के प्रार्थना पत्र पर किया गया है, को मुख्य चिकित्साधिकारी ने नहीं माना है ? यदि हां, तो मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा मा0 मंत्री जी के आदेश को न माने जाने का क्या कारण है ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

इंका नेता श्री कौशल किशोर तिवारी के प्रार्थना-पत्र पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय द्वारा जारी आदेश स्थानान्तरण रद्द करें व सूचना दें दिनांक 3 नवम्बर, 88 प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु श्रीमती पुष्पा सचान बेसिक हेल्थ वर्कर (महिला) का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर पुरवा से किया गया था जिसे 12-1-89 के आदेश द्वारा अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है ।

कृषि विभाग के पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत मानचित्रकारों का स्थानान्तरण

78–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग में पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत मानचित्रकारों का 12 वर्ष बाद स्थानान्तरण एक मंडल से दूसरे मण्डल में किए जाने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि शासनादेश

संख्या 14/1/1984 कार्मिक-2 दि0 17 अप्रैल, 1984 द्वारा समूह (ग) लिपिक वर्गीय एवं अप्रशासकीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण मण्डल के अन्तर्गत ही सीमित रखने के स्पष्ट आदेश हैं ? यदि हां, तो इस आदेश को उक्त मानचित्रकारों पर भी लागू किया जायेगा ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वार्षिक स्थानान्तरण के संबंध में वर्ष 1987-88 के लिए जो नीति 3 अप्रैल, 1987 के शासनादेश द्वारा निर्धारित की गई थी उसके अन्तर्गत अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2 तथा 3 के कर्मचारियों को मण्डल में 12 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर स्थानान्तरित करने का प्राविधान था ।

जी हां ।

समूह ''ग'' के कर्मचारियों को अपने मण्डल में स्थानान्तरित करने के सामान्य निर्देश इस समूह के लिपिक वर्ग व अप्रशासकीय कर्मचारियों के लिए ही हैं । मानचित्रक का पद उक्त श्रेणी के कर्मचारियों में नहीं आता है । अतः कार्मिक विभाग का आदेश इस श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री आत्माराम तत्कालीन उप कृषि निदेशक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

79–श्री विष्णु दत्त तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या कृषि मंत्री अपने पत्रांक सं0–303/वी0 आई0 पी0/के0 एम0/188 दिनांक 5 सितम्बर, 88 एवं अर्धशा0 पत्र सं0–वी0 आई0 पी0 139/12-1-88 दिनांक 4 सितम्बर, 1988 तथा अर्धशा0 पत्र सं0–6103/12-1-88-944/87 दिनांक 15-11-88 जो विभिन्न जिलों में किए गए भ्रष्टाचार की जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित है के सन्दर्भ में बतायेंगे कि उक्त पत्रों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण हो गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

श्री आत्माराम, तत्कालीन उप कृषि निदेशक के विरुद्ध अनियमित नियुक्तियों आदि के संबंध में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

प्रदेश में फसल बीमा योजना को लागू कर किसानों को लाभान्वित करने संबंधी विवरण

80–श्री अवधेश प्रसाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फसल बीमा योजना कब से लागू है ? क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 1987-88 में सूखा के कारण विभिन्न जनपदों के अधिकांश किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थीं ? यदि हां, तो फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कितने किसानों को लाभान्वित किया गया और इस पर कितना धन खर्च किया गया ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

प्रदेश में फसल बीमा योजना वर्ष 1983-84 (खरीफ) से लागू की गई थी ।

खरीफ, 1987 में प्रदेश के गोरखपुर व देवरिया जनपदों को छोड़कर शेष जनपदों में सूखे से किसानों की फसलें प्रभावित हुई थीं ।

प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने का विवरण निम्नवत् है :–

1–कुल किसानों की संख्या जिनको क्षतिपूर्ति की गई ।	खरीफ	79872
	रबी	18654
	योग–	98526
2–कुल क्षतिपूर्ति की धनराशि	खरीफ	298·15
	रबी	17·73
(लाख रुपयों में)	योग रु0	315·88

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त चिकित्सकों के पदों पर नियुक्ति

81–श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों पर हजारों स्थान चिकित्सकों के रिक्त चल रहे हैं ? क्या रिक्त डाक्टरों की पोस्टिंग के लिए यूनानी तिबिया कालेज के बी0 यू0 एम0 एस0 पास डाक्टरों व तबीबों का सेलेक्शन करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तृतीय चिकित्साधिकारी तथा चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पदों पर आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सकों, जिसमें बी0 यू0 एम0 एस0 उपाधि धारक भी सम्मिलित हैं, के नियुक्त किये जाने की योजना है।

उ0 प्र0 से बैलों को अन्य प्रदेश को निर्यात हेतु जारी परमिट

82–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या पशुधन विकास मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 से बैलों के अन्य प्रदेशों के लिए निर्यात के परमिट जिला पशुधन अधिकारी कार्यालय से ही जारी हो सकते हैं, किन्तु वर्ष 1980 के अन्त और 1981 के प्रारम्भ में जालौन जिले के कोंच नगर के पशुधन विकास अधिकारी कार्यालय से ही बम्बई लदान हेतु परमिट जारी कर दिए गये हैं और जिला पशुधन अधिकारी कार्यालय, उरई में इन जारी किये गये परमिटों का कोई उल्लेख नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई या अब की जायेगी ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं । गोवध निवारण नियमावली वर्ष 1964 के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के कार्यालय से बैलों के अन्य प्रदेशों के लिए निर्यात के परमिट जारी किए जा सकते हैं ।

वर्ष 1980 के अन्त और 1981 के प्रारम्भ में जालौन जिले के कोंच नगर के पशुधन विकास अधिकारी कार्यालय से बम्बई लदान हेतु परमिट जारी नहीं किये गये । तत्कालीन जिला पशुधन अधिकारी जालौन के कार्यालय से जिला मजिस्ट्रेट, जालौन द्वारा अधिकृत किये जाने पर बैलों के परिवहन परमिट दिये गये हैं, जिनके अभिलेख जिला पशुधन अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं । चूंकि जारी किये गये परमिट के अभिलेख उपलब्ध हैं अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में निर्माणाधीन मातृ शिशु कल्याण केन्द्र का कार्य पूरा कराने की मांग

83–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के भीटी ब्लाक में स्थित गांव सभा हीडी पकड़िया में निर्माणाधीन मातृशिशु कल्याण केन्द्र का निर्माण कार्य जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा रोक दिया गया है और तथाकथित भूमि विवाद का निपटारा उप संचालक चकबंदी, फैजाबाद के स्तर से हो जाने के बावजूद भी जिला प्रशासन उक्त निर्माण कार्य को पूरा कराने में रुचि नहीं ले रहा है ? यदि हां, तो सही स्थिति क्या है और उक्त निर्माण कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद फैजाबाद में स्वास्थ्य विभाग के डाक्टरों/अधिकारियों को 10 वर्ष की सेवा पर नया ग्रेड देने की मांग

84–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में स्वास्थ्य विभाग के बहुत से डाक्टरों/अधिकारियों/कर्मचारियों की विभाग में सरकारी सेवा का 10 वर्ष अथवा 16 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद उन्हें अभी तक नया ग्रेड नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और ऐसे सभी लोगों को नया ग्रेड कब तक प्रदान कर दिया जायेगा ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1986-87 तथा 87-88 में नसबन्दी के लक्ष्यपूर्ति का विवरण

85–श्री सुखपाल पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में 1986-87 तथा 1987-88 व जुलाई, 1988 तक नसबन्दी का कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ? कितना लक्ष्य पूरा हुआ ? क्या पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1986-87, 1987-88 तथा 1988-89 (अप्रैल से जुलाई) तक के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार है :—

नसबन्दी कार्यक्रम में–

(लाखों में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
86–87	6.50	7.43	114.18
87–88	6.50	7.50	115.14
(अप्रैल-जुलाई)	1.37	.51	37.46

वर्ष 1986-87 एवं 1987-88 में नसबन्दी कार्यक्रम में शत प्रतिशत से भी अधिक उपलब्धि हुई । इस वर्ष माह अप्रैल से जुलाई तक अनुपातिक लक्ष्य का 37.46 प्रतिशत उपलब्धि हुई है।

बस्ती में वर्ष 86-87 में खोले गये अतिरिक्त पी0 एच0 सी0

86–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले में 86-87 में कुल कितने अतिरिक्त पी0 एच0 सी0 खोले गये, कितने रुपये की दवा जिला अस्पताल द्वारा दी गई और कितने रुपये की दवा निदेशालय द्वारा दी जानी थी और कितनी दी गयी? कितना फर्नीचर दिया गया तथा कौन-कौन कर्मचारी नियुक्त किये गये ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है।

87–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी चिकित्सा (परिचर्या) नियमावली, 1946 को संशोधित कर नई नियमावली बनाना

88–श्री राम पाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी चिकित्सा (परिचर्या) नियमावली–1946 को संशोधित करके नयी नियमावली बनाई जा चुकी है जिस पर वित्त विभाग की सहमति भी प्राप्त कर ली गयी है ? यदि हां, तो अब किस-किस का अनुमोदन अपेक्षित है तथा नयी नियमावली किस तिथि से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

इस विषय से सम्बन्धित नियमावली की रचना विचाराधीन है। शेष प्रश्न सम्प्रति अपरिपक्व है ।

जिला मुख्यालयों पर मैदानी क्षेत्रों में 25 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की संख्या की जानकारी

89–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुख्यालयों पर मैदानी क्षेत्रों में कितने 25 शैय्या युक्त राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल हैं ? उक्त चिकित्सालयों में से वे कौन-से पांच ऐसे चिकित्सालय हैं जहां की वर्ष 1987-88 की औसत रोगी संख्या (अन्तरंग एवं बहिरंग) क्रमशः सर्वाधिक है ? क्या इसका विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जिला मुख्यालयों पर मैदानी क्षेत्रों में 25 शैय्यायुक्त कुल 23 चिकित्सालय हैं ।

सूचना एकत्र की जा रही है।

हरदोई, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन किराये का फर्जी भुगतान संबंधी प्रार्थना-पत्र

90–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला अधिकारी हरदोई एवं शासन को राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हरदोई के भवन किराये के फर्जी भुगतान किए जाने के विषय में श्री कृष्ण गोपाल शुक्ल निवासी हरदोई का दिनांक 20-4-88 का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

पत्र प्राप्ति के विषय में जिलाधिकारी, हरदोई से जानकारी की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मेरठ में सरकारी गेहूं के बीज का आवंटन

91–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 88-89 में मेरठ जनपद में गेहूं की बुवाई का अनुमानित कुल क्षेत्रफल कितना है इस क्षेत्रफल के अनुसार कितना सरकारी गेहूं का बीज आवंटित किया गया ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि मेरठ जनपद में 40 प्रतिशत गेहूं की बुआई गन्ना निकालने के बाद की जाती है ? यदि हां, तो जनपद में पछेती किस्म के बीज उपलब्ध न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां । अनुमानित क्षेत्रफल 1,65,500 हैक्टर है ।

कुल 6119 कुन्तल गेहूं का बीज आवंटित किया गया ।

जी हां ।

6119 कुन्तल आवंटित गेहूं बीज में से 5350 कुन्तल गेहूं की पछेती प्रजातियों का बीज आवंटित किया गया ।

92–93–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[दिनांक 9-2-89 को अता0 प्र0 सं0 65-66 द्वारा उत्तरित]

जनपद इलाहाबाद में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय के खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

94–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद इलाहाबाद में नये पशु चिकित्सालय खोलने हेतु प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और उसमें से विधान सभा हण्डिया में कितने पशु चिकित्सालय खोलने पर शासन विचार कर रहा है ?

श्री अरूण कुमार सिंह–

जी हां ।

वर्ष 1989-90 में जनपद इलाहाबाद के अंतर्गत दो पशुचिकित्सालय (एक पशु चिकित्सालय, जानापुर तथा दूसरा "द" श्रेणी पशुचिकित्सालय, उरूवा) की स्थापना का प्रस्ताव है । विधान सभा क्षेत्र हण्डिया में वर्ष 1989-90 के अंतर्गत कोई भी नवीन पशुचिकित्सालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है क्योंकि विधान सभा क्षेत्र हंडिया में पूर्व से ही चार पशु चिकित्सालय (हंडिया, बरौत, सैदापुर एवं धनुपुर), दस पशु सेवा केन्द्र (टूलापुर, लक्षागृह, बमैला, टेला, सराय कस्तूरिया, उतरांव, चान्दापारा, मातिहा, मुगरसन, आरा कला, दो भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र स्थापित है । इसके अतिरिक्त भारतीय एग्रो फाउन्डेशन द्वारा संचालित एक अतिहिमीकृत कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित है, जो दस किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत घर-घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा प्रदान कर रहा है । इस प्रकार सम्पूर्ण हंडिया क्षेत्र में पशुपालकों को पशुपालन संबंधी पूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही है ।

श्री अकबर शिकोह रिजवी सम्प्रेक्षक स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की विधवा को ग्रेच्युटी भुगतान हेतु कृत कार्यवाही

95—श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि स्वर्गीय श्री अकबर शिकोह रिजवी सम्प्रेक्षक स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की विधवा पत्नी को अभी तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रेच्युटी का जल्द भुगतान कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां ।

स्व0 श्री अकबर शिकोह रिजवी, सम्प्रेक्षक ने अपने सेवाकाल में भवन निर्माण अग्रिम लिया था जिसमें से 2,405.00 की मूल धनराशि तथा रू0 3500.00 ब्याज की वसूली अवशेष है ।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से स्व0 श्री रिजवी की ग्रेच्युटी की धनराशि में से 5905.00 की धनराशि काट कर शेष ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश निर्गत कराने हेतु अनुरोध कर दिया गया है ।

बांदा, पशुधन विकास विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उत्तराधिकारी को पावनों का भुगतान

96—श्री राम सजीवन—

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पशुधन विकास विभाग बांदा के पशुचिकित्सालय पहाड़ी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रामाधीन पत्रवाहक का निधन 9-11-86 को सेवाकाल के दौरान हो गया था ? यदि हां, तो उनसे संबंधित पावने उनके उत्तराधिकारी को अभी तक क्यों नहीं दिये गये ? क्या उनकी विधवा पत्नी राममनी निवासी पहाड़ी बांदा ने अपने क्लेमों के निस्तारण के लिए तथा अपने बेटे को नौकरी पर रखने के लिए पशुधन अधिकारी बांदा को 9-2-87 व 18-1-88 व 13-3-88 को प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो उन पर अभी तक कोई प्रभावी कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ? उनका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां ।

पावनों का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को किया जा चुका है ।

दिनांक 18-1-88 व 13-3-88 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये थे । उनके पावनों का भुगतान किया जा चुका है तथा उनके पुत्र को भी संविदांकित कर लिया गया है । उनकी उपादान तथा पेंशन भुगतान का मामला महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है ।

इस प्रकार विभागीय सभी अपेक्षित कार्यवाहियां पूर्ण की जा चुकी है ।

जनपद फर्रुखाबाद के मुख्यालय फतेहगढ़ में हृदय रोग चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

97–श्री बृहम दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के मुख्यालय फतेहगढ़ जिला अस्पताल में कार्डियोलाजी विभाग की इमारत काफी दिनों से तैयार है किन्तु अभी किसी डाक्टर की नियुक्ति न होने के कारण हृदय रोग से ग्रसित मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या शीघ्र किसी हृदय रोग चिकित्सक की नियुक्ति कर उक्त विभाग में चिकित्सा सुविधा चालू करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

फर्रुखाबाद के मुख्यालय फतेहगढ़ में आई० सी० सी० यूनिट का भवन बनकर तैयार है । उपकरणों तथा पदों की स्वीकृति के संबंध में कार्यवाही की जा रही है । आवश्यक व्यवस्था हो जाने पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

उन्नाव जिले के एलोपैथिक, आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सालयों के चिकित्सकों की संख्या

98–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के कितने एलोपैथिक आयुर्वेदिक व होम्योपैथिक चिकित्सालय ऐसे हैं जहां चिकित्सकों की संख्या मानक से कम है ? कितने ऐसे हैं जहां प्राविधान तो किया गया है मगर नियुक्ति नहीं हुई है ? चिकित्सकों की कम संख्या के कारण क्या हैं ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

औषधि नियंत्रक संगठन में वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों आदि के रिक्त पदों को भरने की मांग

99–श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में है कि औषधि नियंत्रण संगठन में वरिष्ठ औषधि निरीक्षकों के आठ पद, सहायक औषधि नियंत्रकों के छः पद एवं उप औषधि नियंत्रक का एक पद, औषधि निरीक्षक सम्वर्ग से प्रोन्नत के माध्यम से भरे जाने के लिए रिक्त हैं ? यदि हां, तो इन पदों पर औषधि निरीक्षकों को प्रोन्नत किये जाने की क्या नीति निर्धारित की गई है ? क्या निर्धारित नीति से उक्त सभी पद शीघ्र भरे जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्रश्न गत पद रिक्त हैं ।

नियमावली के अनुसार वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के पद पर औषधि निरीक्षक के पद से प्रोन्नति की जाती है । अन्य पदों के भरे जाने के संबंध में नीति विचाराधीन है ।

औषधि निरीक्षकों की वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप शीघ्र देने के लिए निदेशक को निर्देश दे दिये गये हैं । इस वरिष्ठता सूची के अंतिम होने पर वरिष्ठ औषधि निरीक्षक के पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी ।

100—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 170 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

101—श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी—

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 167 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद—गोण्डा के मथुरा बाजार में उच्चीकृत अस्पताल बनाने की मांग

102—श्री फसीउर्रहमान (उर्फ मुन्नन खां)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद—गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड शिवपुरा के ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र में मात्र एडिशनल पी0 एच0 सी0 मथुरा बाजार के अलावा सैकड़ों कि0मी0 के रेडियस में कोई उच्चीकृत अस्पताल नहीं है ? ग्रामीण समस्या के समाधान के लिए मथुरा बाजार में उच्चीकृत अस्पताल नहीं है ? ग्रामीण समस्या के समाधान के लिए मथुरा बाजार में उच्चीकृत अस्पताल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

सूचना एकत्र की जा रही है।

होम्योपैथिक कम्पाउण्डर प्रशिक्षण (1988-89) के लिए प्रशिक्षणार्थियों के चयन के विरुद्ध स्थगनादेश को निरस्त कराने हेतु कृत कार्यवाही

103—श्री गंगाराम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि होम्योपैथिक कम्पाउण्डर प्रशिक्षण 1988-89 के लिए प्रशिक्षणार्थियों के चयन के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ द्वारा पारित स्थगन-आदेश दिनांक 19-9-88 को वैकेट कराये जाने हेतु होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् व शासन स्तर पर क्या कार्यवाही चल रही है एवं कृत कार्यवाही से अब तक क्या परिणाम हासिल हुए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् स्वशासी संस्था होने के फलस्वरूप नियंत्रक, होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश को परामर्श दिया गया है कि प्रशिक्षण के विरुद्ध पारित स्थगनादेश दिनांक 19-9-88 को अविलम्ब निरस्त कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें । परिणाम प्रतीक्षित है।

वर्तमान उपनिदेशक (कृषि रक्षा) वाराणसी मण्डल द्वारा एक पुत्र का प्रमाण-पत्र देकर वेतन वृद्धि लेने के विरुद्ध कृत कार्यवाही

104–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान उप निदेशक (कृषि रक्षा) वाराणसी मण्डल (श्री देवी प्रसाद) एक पुत्र-का प्रमाण-पत्र देकर शासन से विशेष वेतनवृद्धि प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन की जानकारी है कि उक्त अधिकारी श्री देवी प्रसाद कई बच्चों के होते हुए फर्जी प्रमाण-पत्र देकर राजकीय धन का अपहरण कर रहे हैं ? यदि हां, तो इनके विरुद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

जी हां ।

उपलब्ध सूचनानुसार श्री देवी प्रसाद ने फरवरी, 77 में अपनी नसबन्दी का आपरेशन कराया था । उनका तीसरा बच्चा नसबन्दी के बाद दिनांक 30-3-77 को हुआ । कृषि निदेशक के आदेश दिनांक 8-1-88 द्वारा पूर्व स्वीकृत वेतन वृद्धि निरस्त कर दी गई है।

मामला शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के नरैनी पशु चिकित्सालय के निरीक्षण में पशुधन अधिकारी नरैनी के विरुद्ध आरोप-पत्र तथा निरीक्षण रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

105–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या पशुधन विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि 30-10-85 को उप निदेशक, पशुपालन विभाग, झांसी ने बांदा जनपद के नरैनी पशु चिकित्सालय का निरीक्षण किया था? यदि हां, तो क्या उप निदेशक पशुपालन झांसी ने अपने पत्र संख्या 8014-18 दि0 26-12-85 द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी एवं जिला पशुपालन विकास अधिकारी बांदा तथा विकास खण्ड अधिकारी, नरैनी जनपद बांदा को पशुधन अधिकारी, नरैनी (बांदा) के विरुद्ध निरीक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं एवं अन्य लापरवाही सम्बन्धी आरोप पत्र कठोर कार्यवाही करने के लिए भेजा था ? यदि हां, तो आरोप पत्र तथा निरीक्षण रिपोर्ट का विस्तृत विवरण क्या है और 20 मई, 87 तक पशुधन विकास अधिकारी नरैनी (बांदा) के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, झांसी ने दिनांक 31-10-85 को पशु-चिकित्सालय नरैनी जनपद बांदा का निरीक्षण किया था और निरीक्षण टिप्पणी तथा आरोप पत्र भी

भेजा था जिसमें पशुधन विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्य में रुचि न लेने, सरकारी सांड की समुचित देख-रेख न होने के कारण स्वास्थ्य खराब होने, कृत्रिम गर्भाधान का कार्य न होने, बरसीम तथा ओट का बीज वितरण न करने आदि अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाई गयी अनियमितताओं के लिए पशुधन विकास अधिकारी, नरैनी (बांदा) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आरोप पत्र तैयार किया गया। अनन्तर पशुधन विकास अधिकारी को उप निदेशक, पशुपालन विभाग, झांसी द्वारा प्रेषित आरोप पत्र तथा अन्य आरोपों के आधार पर दिनांक 21-9-88 को निलंबित करके विधिवत् अनुशासनिक कार्यवाही की गई। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त दिनांक 6-2-89 को सेवा में पुनर्स्थापित करते हुए सिद्ध आरोपों के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10-2-89 को भर्त्सनात्मक प्रविष्टि दी गयी।

बफर गोदाम कूड़ाघाट निरीक्षक द्वारा धन के गबन के विरुद्ध कृत प्रशासनिक कार्यवाही

106—श्री गोरखनाथ—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर ने अपने पत्रांक 3401 दिनांक 22-10-88 द्वारा बफर गोदाम निरीक्षक कूड़ाघाट द्वारा लगभग 12 हजार रुपये से अधिक का गबन करने की रिपोर्ट कृषि निदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ को करते हुए उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक कौन सी कार्यवाही हुई? उक्त प्रभारी का अभी तक चार्ज हस्तान्तरण न किये जाने का क्या कारण है?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

जिला कृषि एवं परियोजना अधिकारी गोरखपुर ने अपने पत्रांक 3401/कृषि-लेखा दिनांक 22-10-88 द्वारा बफर गोदाम कूड़ाघाट के प्रभारी श्री वीर सिंह बघेल के कार्यकाल अवधि वर्ष 1986-87 में डी0 ए0 पी0 उर्वरक में 3-156-000 टन रु0 11,361·60 पै0 के अनियमित क्षति की सूचना दी थी।

संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) गोरखपुर को कृषि निदेशालय के पत्र दिनांक 4-1-89 द्वारा तथ्यों की गहन समीक्षोपरान्त प्रारम्भिक जांच आख्या भेजने के निर्देश दिए गए है?

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के अभाव में उक्त प्रभारी का चार्ज हस्तान्तरण नहीं किया गया है।

107—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित]

जनपद बांदा के भ्रमण करने वाले किसानों की फर्जी संख्या बताकर भुगतान किये जाने की विजिलेन्स जांच की मांग

108–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 162 सी0 पी0 86 दिनांक 17 फरवरी, 86 जो ए0 डी0 ओ0 (एजी) विकास खण्ड महुआ, जनपद बांदा द्वारा पंतनगर (नैनीताल) में भ्रमण करने वाले किसानों की संख्या फर्जी बताकर अधिक भुगतान निकालने के सम्बन्ध में था, मिला था? यदि हां, तो क्या उपरोक्त भ्रष्टाचार की जांच विजिलेन्स से कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में जिले के बाहर के किसी अधिकारी से जांच कराने की मांग की गयी थी, जिसके अनुसार उप कृषि निदेशक, झांसी से जांच करा ली गयी है। अतः विजिलेन्स से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अलीगढ़ के सी0 एम0 ओ0 के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

109–डाक्टर बंगाली सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनपद अलीगढ़ के सी0 एम0 ओ0 के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायती पत्र स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव को 5-9-88 को दिये हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां:

शिकायती पत्र पर जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

ललितपुर में बनाई गई गहखंड़ा बन्धी के कार्य में अनियमितता सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

110–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 22-11-88 का पत्र ललितपुर में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा बनायी गयी गहखेड़ा बन्धी के कार्य में हुई अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? क्या मंत्री जी इसकी सम्पूर्ण जांच कराकर दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही कर जांच के परिणाम तथा की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां।

इसकी जांच कराई गई।

जांच अधिकारी ने सूचित किया है कि गहलेड़ा नाम की कोई बन्धी या परियोजना नहीं है जिस पर जनपद ललितपुर में कृषि विभाग (भूमि संरक्षण) द्वारा कार्य कराया गया हो। अतः दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

उप कृषि निदेशक झांसी श्री पी0 एल0 यादव के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

111—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रदनकर्ता का पत्र उप कृषि निदेशक झांसी श्री पी0 एल0 यादव के विरुद्ध लगाये गये गम्भीर वित्तीय अनियमितता के आरोपों के संबंध में जिसे मुख्य मंत्री के कार्यालय के पत्र संख्या सी0 एम0 वि0 को—3/70-334/ब/88 द्वारा सचिव, कृषि को भेजा गया है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पर अब तक की उच्चस्तरीय जांच रिपोर्ट तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

जी हां।

कृषि निदेशक को जांच हेतु निर्देशित किया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-प्रतापगढ़ में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीनस्थ अप्रशिक्षित कम्पाउण्डर की मृत्यु एवं उसकी विधवा श्रीमती मैरलीन के पत्र पर कृत कार्यवाही

112—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीनस्थ अप्रशिक्षित कम्पाउण्डर की दिनांक 23-7-87 को मृत्यु हुई थी? क्या उसकी विधवा श्रीमती मैरलीन 54/1 सिविल लाईन क्रिश्चियन कालोनी, प्रतापगढ़ का शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 2-12-88 जो मुख्य मंत्री को संबोधित है तथा स्वास्थ्य मंत्री तथा महानिदेशक स्वास्थ्य निदेशक प्रशासन तथा स्वास्थ्य सचिव व जिलाधिकारी प्रतापगढ़ व अन्य वरिष्ठ उच्च अधिकारियों को अंकित है, प्राप्त हुए है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई? क्या सरकार उन कर्मचारी/अधिकारियों जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये है, का स्थानान्तरण करके जांच करवायेगी? क्या मृतक के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि तथा तदर्थ बोनस भुगतान किया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोपीनाथ दीक्षित—

जी हां।

जी हां।

उक्त कमाउण्डर को देय धनराशि के संबंध में स्थिति निम्नवत् है :–

1. महालेखाकार, उ0 प्र0, इलाहाबाद के पत्र संख्या डी0 ए0 पी0/19330/489 दिनांक 8-2-89 द्वारा पेंशन रु0 483/प्रतिमाह एवं ग्रेच्युटी रु0 11577.85 की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

2. सामूहिक बीमा की धनराशि रु0 27237/- का भुगतान चैक द्वारा दिनांक 26-5-88 को किया जा चुका है।

3. वर्ष 1986-87 के बोनस रु0 742/- का भुगतान दि0 26-12-88 को किया जा चुका है।

4. शेष उपार्जित अवकाश नकदीकरण का भुगतान रु0 3416.90/- का भुगतान दिनांक 20-1-88 को किया जा चुका है।

5. भविष्य निधि का अंतिम भुगतान रु0 5478/- दिनांक 4-2-89 को किया जा चुका है।

6. भविष्य निधि से सम्बद्ध बीमा योजना रु0 2926/- का भुगतान दिनांक 8-2-89 को किया जा चुका है।

चूंकि सभी देय धनराशि के सम्बन्ध में समुचित कार्यवाही कर दी गई है। अतः किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बहुउद्देशीय योजना का क्रियान्वयन

113–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना लागू कर दी गई है? यदि हां, तो क्या इस योजना के लिए वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है? यदि सहमति नहीं दी तो योजना के क्रियान्वयन का औचित्य क्या है? क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत और भी कोई ऐसी योजयाएं चल रही हैं जिन्हें वित्त विभाग की सहमति नहीं मिली है? यदि हां, तो वह योजनाएं कौन-कौन हैं?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां।

इस योजना के कार्यान्वियन हेतु वित्त विभाग ने सैद्धान्तिक सहमति प्रदान कर दी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

नये संवर्गों में सम्मिलित होने का कर्मचारियों का विकल्प

114–श्री राम आसरे वर्मा–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 88 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि नये संवर्गों में सम्मिलित होने का विकल्प सभी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो क्या उसके विवरण को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो विकल्प प्रस्तुत न करने वाले ऐसे कर्मचारियों की कितनी संख्या है जिन्होंने बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत देय वेतनमान 1-7-79 से प्राप्त किया है?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां,

ऐसी स्थिति में जबकि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना के अन्तर्गत सृजित नये संवर्गों में सम्मिलित होने के बारे में समस्त कर्मचारियों द्वारा अपना विकल्प दे दिया गया था तथा उन्हें उक्त योजना के अन्तर्गत दिनांक 1-7-79 से देय वेतनमान दिया जा रहा है तब उनका विवरण पटल पर रखने का कोई औचित्य नहीं है ।

टौंरिया बन्धी में वित्तीय अनियमितता की जांच

115–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्न कर्ता का दिनांक 20-11-88 का पत्र उप कृषि निदेशक भूमि-संरक्षण ललितपुर द्वारा आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 योजना के अन्तर्गत टौंरिया बन्धी में की गई वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा जांच के क्या परिणाम निकले ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी हां ।

संयुक्त कृषि निदेशक (गेहूं एवं मोटा अनाज) से जांच कराई जा रही है । जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

116–श्री सूर्य प्रताप शाही–

[दि0 6-10-88 को अता0 प्र0 सं0 132 द्वारा उत्तरित]

मत्स्य विभाग में सेवा नियमावली बनाने एवं रिक्त को भरने हेतु कृत कार्यवाही

117–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग में सेवा नियमावली अब तक नहीं बनी है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की

कृपा करेंगे कि उनके विभाग में वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक एवं सहायक निदेशक मत्स्य के कब से कितने पद रिक्त हैं और वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक के सहायक निदेशक मत्स्य के पद पर प्रोन्नति का आधार क्या है और इस प्रकार की प्रोन्नति वर्ष 1966 से अब तक कितने लोगों की हुई है ? क्या इस प्रोन्नति की सूची तैयार की गई थी ? यदि हां, तो वरिष्ठता क्रम रखने वालों की प्रोन्नति अब तक न करने का कारण क्या है ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मत्स्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी (तकनीकी) कर्मचारियों की सेवा नियमावली प्रख्यापित हो चुकी है तथा अन्य सेवा नियमावलियों की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं ।

मत्स्य विभाग में वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षक के सीधी भर्ती के कोटे के 23 पद रिक्त हैं तथा प्रोन्नत कोटे के 3 पद रिक्त हैं जो अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं । सहायक निदेशक, मत्स्य के सीधी भर्ती के 19 पद वर्ष 74-75 से 84-85 तक की अवधि में रिक्त हुए हैं ।

अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता है ।

वर्ष 1966 से 40 वरिष्ठ मत्स्य निरीक्षकों को सहायक निदेशक, मत्स्य के पद पर प्रोन्नति दी गई है ।

जी हां ।

सहायक निदेशक के उपलब्ध पदों पर पदोन्नति की जा चुकी है।

मत्स्य विभाग में स्थायी एवं नियमित किये गये कर्मचारियों को प्रोन्नति में दिया गया प्रतिनिधित्व एवं रिक्त पदों पर प्रोन्नति

118–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग में लोक सेवा आयोग से चयनित एवं विभाग द्वारा स्थायी एवं नियमित किये गए कर्मचारियों को प्रोन्नति में 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि निर्धारित प्रतिशत में प्रोन्नति न किये जाने से अनेक पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

मत्स्य निरीक्षक से ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर 50 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व वर्ष 1959 से दिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मत्स्य निरीक्षक से ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति कोटे के 3 पद रिक्त हैं जो अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं । लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण अग्रनीत किये गये हैं ।

जनपद बस्ती के बघौली विकास खण्ड में किसानों को उपलब्ध कराये बीज की जांच एवं विवरण

119–श्री अफसर यू0 अहमद–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि रबी अभियान के अन्तर्गत किसानों को बस्ती जनपद के बघौली विकास खण्ड में उन्नतिशील बीज और खाद उपयुक्त समय पर उपलब्ध नहीं कराया गया ? यदि नहीं, तो उक्त ब्लाक में कब कितना बीज और किन किसानों को दिया गया ? क्या इसकी जांच उच्चस्तर से कराई जाएगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

जी नहीं, रबी अभियान के अन्तर्गत बस्ती जनपद के बघौली विकास खण्ड में किसानों को उन्नतशील बीज और खाद उपयुक्त समय पर उपलब्ध कराया गया है ।

बघौली विकास खण्ड में 208.15 कुन्तल रबी बीज माह सितम्बर व अक्तूबर में वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया है संबंधित कृषकों का विवरण सलंग्न है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उत्पन्न होता ।

उन्नतशील बीज और खाद उपयुक्त समय पर कृषकों को उपलब्ध करा दी गई थी ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 158–162 पर)

फर्रुखाबाद के 312 विधान सभा क्षेत्र स्थित राजकीय चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आवंटित धन

120–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 312 विधान सभा क्षेत्र फर्रुखाबाद में स्थित विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88 एवं चालू वित्तीय वर्ष 1988-89 में कितना-कितना धन किस-किस मद में आवंटित किया गया? इनमें से किस वर्ष में कितना धन व्यपगत हो गया और व्यपगत होने का कारण क्या था ?

श्री गोपी नाथ दीक्षित–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

121–श्री ओमान सिंह–

[स्वायत्तशासी संस्था में दैनिक प्रशासन से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जनपद-इलाहाबाद अन्तर्गत सैदाबाद में गोधन विकास केन्द्र बनाने एवं ग्राम भसाड़ी तथा कस्तूरिया तहसील हण्डिया में पशुपालन चिकित्सालय बनाने की मांग

122–श्री राकेश धर त्रिपाठी–

क्या पशुपालन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के अंतर्गत सैदाबाद में गोधन विकास केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में उप निदेशक पशुपालन विभाग, इलाहाबाद

ने अपनी संस्तुति शासन को भेजी है ? यदि हां, तो उक्त गोधन विकास केन्द्र कब तक बनाया जाएगा ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि ग्राम भसाढ़ी तथा कस्तूरिया तहसील हण्डिया में पशुपालन चिकित्सालय का निर्माण विभाग द्वारा कराया जाना है ? यदि हां, तो उक्त पशु चिकित्सालयों का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ कराया जावेगा?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं । अतः गोधन विकास केन्द्र बनाये जाने का प्रश्न नहीं उठता । ग्राम भसाढ़ी तथा कस्तूरिया तहसील हण्डिया में पशु चिकित्सालय भवन निर्माण का कोई प्रस्ताव वर्ष 89-90 की जिला योजना के अन्तर्गत नहीं है । अतः उक्त वर्णित स्थानों में भवन निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता । प्रश्नगत योजना जिला योजना है जिस पर जिला नियोजन समिति द्वारा विचार किया जाता है । वर्ष 1989-90 में विभाग द्वारा आठ पशु चिकित्सालयों के निर्माण हेतु 36.00 लाख रु0 का प्रस्ताव रखा गया था जो धनाभाव के कारण जिला नियोजन समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया ।

पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण अंचलों में दैनिक वेतन पर कार्यरत अंश कालीन होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के भत्ते में बढ़ोत्तरी

123–श्री शरदानन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय जनपदों के ग्रामीण अंचलों में दैनिक वेतन पर कार्यरत अंशकालीन होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों का भत्ता रु0 40 से बढ़ाकर रु0 75 किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त बढ़ोत्तरी से सम्बन्धित शासनादेश निर्गत हुआ ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्रश्नगत प्रकरण विचाराधीन है ।

तृतीय चिकित्साधिकारी व कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर के पद को होम्योपैथी चिकित्सा को आवंटित करने हेतु कृत कार्यवाही

124–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88 में तृतीय चिकित्साधिकारी व कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर के पद को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को भी आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा दिये गये मार्ग दर्शन में उक्त पदों को होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को भी दिये जाने का स्पष्ट उल्लेख है ? यदि हां, तो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को उक्त पद कब तक आवंटित कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

तृतीय चिकित्साधिकारी के पद होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को भी आवंटित है । कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर के पदों को चिकित्सा अधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) में परिवर्तित कर दिया गया है एवं उन्हें आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सा सेवा संवर्ग से भरने का निर्णय लिया गया है ।

भारत सरकार के निर्देशों में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि तृतीय चिकित्साधिकारी तथा कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर के पद होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को भी दिये जाय ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा की महिला डाक्टर के विरुद्ध पत्र पर कृत कार्यवाही

125–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं0–152-155 सी0 पी0/86 दिनांक 14 फरवरी, 86 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज अतर्रा जनपद बांदा में कार्यरत महिला डाक्टर (श्रीमती कमला देवी) के विरुद्ध स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश लखनऊ व निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उ0 प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

जी हां । माननीय प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 फरवरी, 86 आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय में प्राप्त हुआ । पत्र में उल्लिखित शिकायतों के बारे में जांच के आदेश दिये गये थे । उनमें से कतिपय शिकायतों के बारे में मामला न्यायालय में विचाराधीन है । शेष शिकायतों के सम्बन्ध में जांच के उपरान्त कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं समझी गई ।

जनपद-बांदा के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र के स्वास्थ्य उप केन्द्रों में नियुक्तियां एवं उनमें कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन

126–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बांदा जनपद के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1985–86 तथा वर्ष 1986-87 में कितने स्वास्थ्य उप केन्द्र खोले गये तथा अब तक खुले उप केन्द्रों में क्या सभी कर्मचारियों की नियुक्ति हो गयी ? यदि नहीं, तो कब तक सभी उप केन्द्रों में निर्धारित कर्मचारियों की नियुक्ति हो जायेगी ? क्या यह भी सही है कि कुछ उप केन्द्रों में निर्धारित कर्मचारियों की नियुक्ति होने के बावजूद भी उप केन्द्र में कर्मचारी नहीं रहते ? यदि हां, तो क्या ग्राम प्रधानों से उप केन्द्र में कर्मचारियों के उपस्थित रहने का सत्यापन प्राप्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

(क) जी हां जनपद बांदा के नरैनी निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1985-86 में 7 एवं वर्ष 1986-87 में 16 उप केन्द्र स्वीकृत हुये थे जिनकी स्थापना कर सभी उप केन्द्रों पर कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये हैं ।

(ख) जी हां, उप केन्द्रों में नियुक्त कुछ महिला कर्मचारी, मुख्यालय बनाकर रहने के निर्देश दिये जाने के बावजूद भी, उप केन्द्रों पर रात्रि निवास नहीं करती हैं ।

(ग) कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक द्वारा कराया जाता है । ग्राम प्रधानों द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति का सत्यापन कराये जाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

127–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[दि0 9-2-89 को अता0 प्र0 सं0–136 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण हेतु क्रियान्वित योजनाओं पर व्यय धन एवं सफलता का विवरण

128–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये प्रदेश सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है? इनमें से किस-किस योजना के क्रियान्वयन में कितना धन सरकार द्वारा व्यय किया गया ? इन वर्षों के दौरान जनसंख्या नियंत्रण में कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई ? क्या मंत्री जी संक्षेप में उसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोपीनाथ दीक्षित–

प्रदेश सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये विगत 5 वर्षों के दौरान नसबन्दी, आई0यू0डी0, निरोध, ओरल पिल आदि सेवायें निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने एवं विभिन्न गर्भ-निरोधक विधियों/साधनों का व्यापक प्रचार-प्रसार की योजनाओं का क्रियान्वयन किया है । पिछले पांच वर्षों में उक्त चार विधियों के लक्ष्य निर्धारित थे जिनकी लगभग शत प्रतिशत पूर्ति हुई है। विगत पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल रु0 73,82,05 हजार व्यय किया गया । जहां तक जनसंख्या नियंत्रण में प्राप्त सफलता का प्रश्न है इसका सही आंकलन 1991 की गणना से ज्ञात हो सकेगा । जहां तक लक्ष्य दम्पतियों को सुरक्षा प्रदान करने का संबंध है, इसके अन्तर्गत लक्ष्य दम्पति सुरक्षा दर में दुगने की वृद्धि हुई है ।

मृतक श्री फकीरे लाल की पत्नी को नियुक्ति कृषि विभाग में न करने की जांच

129–श्री अर्जुन सिंह यादव–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 88 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 151 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री फकीरे लाल की मृत्यु के उपरान्त अब तक विभाग में कितनी चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियां की

गई और उसमें मृतक की आश्रित श्रीमती भगवान देई की नियुक्ति न किए जाने का क्या कारण रहा है ? क्या सरकार द्वारा नियुक्ति पर लगाया गया प्रतिबन्ध मृतक के आश्रितों की नियुक्ति पर भी लागू है ? यदि नहीं, तो नियुक्ति में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही कर श्रीमती भगवान देई को तुरन्त सेवा में ले लिया जायगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल–

इस प्रसंग में जांच के आदेश दिये गये हैं ।

परिणाम आने पर और दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध यथाविधि कार्यवाही की जायेगी ।

(व्यवधान)

(समय 12 बजकर 20 मिनट पर)

श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा आज की कार्यसूची की मत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के लिखित एवं अनुपूरक उत्तरों में विरोधाभास होने के सम्बन्ध में कृषि मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के खिलाफ विशेषाधिकार अवहेलना की सूचना देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आप जो भी सूचना देना चाहते हैं, दे दीजियेगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

विशेषाधिकार हनन सदन के सामने हुआ है, मैं सूचना दे रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि समर्थन मूल्य की संस्तुति करते समय उत्पादन लागत की सूचना को आधार माना जाता है । बाद में अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कह दिया कि पिछले तीन सालों से कृषि विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त नहीं हुई है । एक ही प्रश्न का उत्तर देते समय दो अलग-अलग प्रकार के उत्तर दिये हैं और सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है । उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की सूचना दे रहा हूं । नियमावली की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि चूंकि विशेषाधिकार हनन सदन के समक्ष हुआ है, इसलिये इसे किसी समिति को भेजने की आवश्यकता नहीं है । इसी समय तत्काल इस सदन के सामने विशेषाधिकार के प्रश्न पर चर्चा करा दें और निर्णय ले लें ।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर भेज दीजिये, मैं देखूंगा ।

नियम 301 के अन्दर कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से 12 सूचनायें स्वीकृत हुई हैं ।

(श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा लगातार बोलते रहने का प्रयास करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

पहली सूचना श्री पुरुषोत्तम लाल की है, दूसरी सूचना श्री अफजाल अन्सारी की है, तीसरी सूचना श्री मैनेजर सिंह जी की है, चौथी सूचना श्री मोतीराम सागुड़ी, पांचवीं श्री श्याम बिहारी सिंह, छठी श्री सरजू प्रसाद 'सरोज', सातवीं श्री मित्रसेन, आठवीं श्री नरेन्द्र सिंह, नवीं श्री जयदीप सिंह बरार, दसवीं श्री अवधेश प्रसाद, ग्यारहवीं श्री रामचन्द्र शर्मा तथा बारहवीं सूचना श्री गया प्रसाद वर्मा जी की है।

ये सब सूचनायें पढ़ी हुई मानी जायं ?

(सदन की सहमति से सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद इलाहाबाद के सिराथू निर्वाचन क्षेत्र में पीने के पानी की कमी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री पुरुषोत्तम लाल–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अति लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं । मेरे निर्वाचन क्षेत्र सिराथू जिला इलाहाबाद में पीने के पानी की भयंकर कमी हो गयी है। करीब 80 प्रतिशत कुएं सूख गये हैं और शेष में कीचड़दार पानी आ रहा है । जनता में त्राहि-त्राहि मची हुई है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस भीषण परिस्थिति से सिराथू तहसील की जनता को राहत देने के लिए सरकार को निर्देशित करें कि दृहद् स्तर पर हैण्ड-पाइप लगवाने तथा पानी के टैंकर भिजवाने का कष्ट करें ।]

जनपद गाजीपुर की ग्राम सभा शेरपुर के चयनित लाभार्थियों को छूट न दिये जाने तथा जबरन वसूली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अफजाल अन्सारी–

[मान्यवर, गाजीपुर जनपद के शेरपुर गांव सभा के 65 व्यक्तियों (निर्बल) का चयन कर के एकीकृत क्षेत्र विकास परियोजना गाजीपुर द्वारा ऋय करायी गयी थी किन्तु आज तक उन लाभार्थियों को छूट नहीं प्रदान की गयी । इनमें से अधिकांश से बैंक में आधा रुपया (छूट छोड़कर) जमा कर दिया है । परन्तु बैंक ब्याज सहित पूरे पैसे की वसूली लाभार्थियों से तहसील द्वारा कराना चाहती है। जिससे गरीब लोगों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

में असंतोष एवं भय व्याप्त है । मैं इस लोक महत्व के विषय की सदन के संज्ञान में लाकर निवेदन करना चाहता हूं कि शेखपुर बैंक से जिन 65 व्यक्तियों को 1983 में एकीकृत क्षेत्र विकास परियोजना गाजीपुर द्वारा चयनित करके मेले से भैंस क्रय करायी गयी थीं उनकी छूट (अनुदान) का पैसा ब्याज सहित शीघ्र बैंक को भेज दिया जाये और तब तक वसूली स्थगित कर दी जाये ।]

जिला बलिया के निर्वाचन क्षेत्र द्वाबा में पशुचिकित्सकों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मैनेजर सिंह–

[मान्यवर, माननीय सदन की आज्ञा से नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। द्वाबा निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति न होने के कारण पशुओं की चिकित्सा में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। राजकीय पशु चिकित्सालय करमानपुर, जय प्रथ प्रकाश नगर, मुख्यालय मुरली छपरा विकास खण्ड लालगंज, बादिलपुर आदि चिकित्सालयों में चिकित्सकों के अभाव के कारण पशुओं के रोगों के उचित उपचार में कठिनाई उत्पन्न हो रही है फलस्वरूप अनेक मवेशियों की अकाल मृत्यु कई बीमारियों में हुई है और पशुरोग अनियंत्रित हो रहे हैं जिससे जनता में भय, आतंक व्याप्त है ।

अतः उपरोक्त की ओर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुये उचित सक्रिय कार्यवाही की मांग करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि शासन शीघ्र पशु चिकित्सकों की नियुक्ति उपरोक्त चिकित्सालयों में करेगी ।]

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में सहायक अभियन्ताओं की सेवा विसंगतियों एवं अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती राम सांगुड़ी—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति लोक महत्व पूर्ण सूचना लाना चाहता हूं, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत 14-5-79 से पूर्व लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित सहायक अभियन्ता तथा विभाग द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त सहायक अभियन्ता, दिनांक 14-5-79 को गठित चयन समिति द्वारा 51 सहायक अभियन्ता लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर विनियमित किये गये । लोक सेवा आयोग द्वारा चयन समिति से पूर्व चयनित सहायक अभियन्ताओं को दिनांक 2 जुलाई, 1982 को आदेशों द्वारा स्थाई घोषित किया गया, किन्तु उसके उपरान्त स्थाई सहायक अभियन्ताओं को संविधान की धारा 311 का उल्लंघन कर उनका स्थाई करण निरस्त कर दिया गया और बाद में तदर्थ नियुक्ति द्वारा नियमित हुये अभियन्ताओं को स्थाई कर वरीयता प्रदान कर दी गयी है, इन्हीं विवादों के चलते ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में स्वीकृत 7 पद अधीक्षण अभियन्ताओं के रिक्त पड़े हैं । जिन पर नियुक्ति न हो

नोट:–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पाने के कारण बीस सूत्रीय कार्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और विभाग में अत्यंत ही असंतोष उत्पन्न हो गया है। भयंकर आक्रोश के कारण स्थिति विस्फोटक हो गयी है किसी समय कुछ भी हो सकता है । अतः मेरी मांग है कि उपरोक्त सहायक अभियन्ताओं की सेवा विसंगतियों को समाप्त कर विभागीय रिक्तियों को तत्काल भरा जाय जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन हो सके।

जिला बरेली की फरीदपुर पालिका के अध्यक्ष द्वारा वैध निर्माणाधीन दुकानों की अवैधानिक तोड़-फोड़ के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम बिहारी सिंह–

[मान्यवर, गत सप्ताह फरीदपुर जनपद बरेली के पालिका अध्यक्ष ने 4 सदस्यों के साथ पूर्वी चुंगी के समीप प्लाट संख्या 857 पर जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार जब भू-मालिक श्री राजीव कुमार दुकानों का निर्माण करा रहे थे। निर्माणाधीन स्थल अवैधानिक तोड़फोड़ की व निर्माणास्थल से जबरन निर्माण सामग्री उठा ले गये। निर्माणाधीन दुकानों को तोड़ डाला गया, प्लाट की बाउन्ड्री पर लगे कांटे के तार, खम्भे, सीमेन्ट व सरिया उठाकर ले गये व राज मजदूरों की पिटाई की। नगरपालिका के इस व्यवहार से नागरिकों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। मैं मांग करता हूं कि इस प्रकरण की जांच कराई जावे व भू-मालिक को क्षति का मुआवजा दिलाया जावे।]

जिला गाजीपुर के कासमाबाद विकास खण्ड में विद्युत सबस्टेशन के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सरजू प्रसाद सरोज–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोकमहत्व की जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड कासमाबाद में 132 के0 वी0 के विद्युत सब स्टेशन बनवाने एवं चालू करने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह सब स्टेशन कई वर्षों से स्वीकृत है लेकिन अभी तक सरकार द्वारा निर्माण न कराये जाने के कारण लोगों में बहुत ही क्षोभ एवं असंतोष है। इसके न बनने के कारण वहां पर धरना एवं प्रदर्शन भी किया गया लेकिन सरकार का ध्यान इतने महत्वपूर्ण विषय की ओर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए वहां पर भूमि भी दे दी गयी है, जो सुविधा से मिल सकती है। इस सब स्टेशन के न बनने से वहां के किसानों एवं जनता में असुविधा हो रही है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि सरकार को निर्देशित करके इस 132 के0 वी0 सब-स्टेशन का निर्माण कास्माबाद में कराने का कष्ट करें । जिससे किसानों एवं अन्य लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जिला फैजाबाद के कतिपय ग्रामों में बाढ़ से होने वाली तबाही एवं राहत कार्यों में होने वाली धांधली के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन–

[मान्यवर, जनपद फैजाबाद के तिहुरामाझा, रामपुर पूजारी काजीपुर माझा, दिलासीगंज तक लाखों एकड़ भूमि में फैले वृहद् कृषि क्षेत्र के पच्चीसों हजार से अत्यधिक लोग आदिवासी की जिन्दगी जी रहे हैं प्रतिवर्ष सरजू नदी की बाढ़ की चपेट के कारण एक तरफ कृषि क्षेत्र में करोड़ों-करोड़ों की क्षति होती है दूसरी तरफ हजारों परिवार तबाह, बर्बाद, निर्वासित हो जाते हैं और अपनी मुसीबत की गठरी बाल-बच्चों की है। यद्यपि बाढ़ राहत के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों लूट होती है लेकिन बांध बना कर भीड़, पशुओं का झुण्ड लेकर कबीलों की तरह प्राणरक्षा के लिए टीलों की शरण लेते हैं। यद्यपि राहत के नाम पर प्रतिवर्ष लाखों लूट होती है लेकिन बांध बना कर माझावासियों की बस्ती एवं आवासीय स्थल की पटाई करा कर धन जन की अपूर्णनीय क्षति रोकने का कोई कार्यक्रम आज तक नहीं लागू किया गया है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य स्वच्छ पेयजल, बिजली, आवागमन की आवश्यक नागरिक सुविधा से ही वंचित नहीं हैं अपितु आज तक विकास कार्यक्रम का कोई लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाया है।

खेद है कि सिंचाई विभाग एवं सरकार की उदासीनता और उपेक्षा के कारण ही राम की पैड़ी से बनने वाला बांध भी माझा क्षेत्र में यहीं बनाया जा रहा है।

मैं लोक महत्व के इस प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर माझा की आबादी को ऊंचा कराने और पटाने तथा दिलासों गंज तक बांध बनाने की मांग करता हूं।]

जनपद मेरठ के ग्राम टाण्डा के किसानों की फसलों की हरियाणा राज्य निवासियों द्वारा जबरदस्ती कटाई एवं पुलिस उत्पीड़न के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, मैं सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय अध्यक्ष जी की सम्मति से उठाना चाहता हूं।

मान्यवर, ग्राम टाण्डा, जनपद, मेरठ यमुना नदी पर स्थित है। यमुना नदी के उस पार हरियाणा प्रान्त है। वर्षों से हरियाणा प्रान्त के साथ यमुना नदी की भूमि पर विवाद चलता रहता है। अब सीमा संबंधित "दीक्षित अवार्ड" भी हो गया है, लेकिन टाण्डा गांव के सामने के हरियाणा प्रान्त के कई गांवों के लोग टाण्डा के किसानों की खड़ी फसल जबर्दस्ती काट कर ले जाते हैं। जबर्दस्ती टाण्डा के लोगों को कई बार हाल ही में पकड़ कर ले गये और पुलिस में झूठे मुकदमें कायम करा दिये। हरियाणा प्रान्त की पुलिस भी टाण्डा गांव के लोगों को झूठे अपराधों में फंसा रही है और पूरे गांव में भय का वातावरण बना हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन टाण्डा के लोगों को समुचित संरक्षण नहीं दे पा रहा है।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

यदि उत्तर प्रदेश शासन उच्च स्तर पर हस्तक्षेप कर टाण्डा गांव के लोगों को हरियाणा की पुलिस तथा फसल काटने वालों, अपराधियों से संरक्षण तुरन्त प्रदान नहीं करता है तो स्थिति बहुत बिगड़ सकती है और उसके गम्भीर परिणाम होंगे।

अत: आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन ग्राम टाण्डा जनपद मेरठ के किसानों को हरियाणा पुलिस से सरक्षण दिलाये ।]

जिला बरेली की तहसील बहेड़ी स्थित चीनी मिल पर गन्ना काश्तकारों द्वारा गन्ना सप्लाई करते समय चुंगी की वसूली के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयदीप सिंह बरार–

[मान्यवर, आज के उपवेशन के लिए मैं नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना दे रहा हूं । कृपया इसे शलाका में सम्मिलित करने का कष्ट करें ।

जिला बरेली के नगर बहेड़ी में इन किसानों से जो अपना गन्ना बहेड़ी चीनी मिल पर सप्लाई करते हैं, चुंगी की अवैध वसूली की जा रही है । मैंने यह मामला पहले भी सदन में उठाया था । पिछले दो वर्ष से गन्ने पर चुंगी नहीं ली जा रही थी । अब यह वसूली फिर आरम्भ कर दी गई है । गन्ना किसानों को वैसे भी वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है । ऊपर से इस अवैध वसूली ने किसानों की कमर ही तोड़ दी है । बहेड़ी के किसान इस सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त तथा शासन को भी लिख चुके हैं । परन्तु किसान विरोधी इस मामले पर आन्दोलन करने पर उतारू हैं तथा निश्चित रूप से बहेड़ी का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाएगा ।

अत: इस मामले को सदन के संज्ञान में लाकर मैं इस अवैध तथा किसानों का शोषण करने वाली चुंगी को तत्काल समाप्त करने की मांग करता हूं]

जिला फैजाबाद में चकबन्दी विभाग द्वारा किसानों के शोषण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवधेश प्रसाद–

[मानव्वर, मेरे जनपद फैजाबाद में चकबन्दी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किसानों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है । शासन को फर्जी प्रगति रिपोर्ट भेजी गयी है। ग्राम-भदरसा में कब्रिस्तान मडहा नदी झील की मालियत लगायी गयी, और उसे छोटे और गरीब काश्तकारों के चकों में दिया गया । ग्राम सरैयां में 8 बीघे के काश्तकार को 60 बीघे का चक बनाया गया । तालाब बन्जर, चरागाह खलिहान, हरिजन आबादी समाप्त कर दी गयी दौलत पुर में कुर्बानशाह की मजार मड़हा नदी जल भराव की भूमि की चकबन्दी की गयी । ग्राम मीरपुर कांटा, खिरौनी दवेई, लकौरी, पिरखौली बभिनियावां, कैल, गंगौली, करमाकोड़री, चिररा, बगनपुर, कोटिसराय, रायपुर, सरंगापुर, मानापर सोखावां, करेरू, हाजीपुर, बरसौंडी इब्राहिमपुर

नोट:–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कदई, मजनावां, अरथर, रामनगर धौरहरा, सरैया, भदरसा, आदि गांव की चकबन्दी 4 साल पहले समाप्त दिखाई गयी जबकि आज तक किसानों को उनके चकों पर कब्जा नहीं मिला, किसान परेशान हैं। चारों तरफ असंतोष व्याप्त है, किसानों में त्राहि-त्राहि मची है।

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से जांच करने तथा दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं]

लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1978 में चयनित सहायक लेखाधिकारियों की पदोन्नति अवरुद्ध होने से असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम चन्द्र शर्मा–

[मान्यवर, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्नांकित सूचना पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।

शासन के वित्त अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या 6616 दिनांक 9-10-73 द्वारा उत्तर प्रदेश लेखा अधिकारी (पदों का एकीकरण) तथा सहायक लेखा अधिकारी के नई सेवा सृजन में पदोन्नति के समान और पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। लोक सेवा आयोग द्वारा खुले चयन के आधार पर राजाज्ञा संख्या एस0 3219 दिनांक 21-1-78 द्वारा कुछ सहायक लेखाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जो आज तक न तो स्थायी घोषित किये गये हैं न तो पदोन्नति ही किये गये हैं जबकि शासनदेश संख्या 743/10/33/48/84 दिनांक 13-2-86 द्वारा 13 ऐसे अधिकारी की पदोन्नति कर दी गई जो न स्थायी थे न लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित।

अतएव उपर्युक्त मामले में शासन द्वारा निर्दिष्ट नीति के तहत छानबीन की जाय और प्रस्तावित कार्यवाही रहित सूचित किया जाय विशेषकर जब शासन ने कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों की विनियमितीकरण हेतु भी उदार नियम 15/96/86 कार्मिक-1 दिनांक 3-11-88 बना दिये हैं।]

जनपद इटावा में खराब ट्यूबवेल ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

[मान्यवर, जनपद इटावा में किसान परेशान हैं एवं भुखमरी के कगार पर आ गये हैं क्योंकि सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल लगे हैं उसमें से अधिकांश काम नहीं कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र लखना के पार क्षेत्र चकरनगर व उदी के बीहड़ों में वैसे भी फसलें कम होती हैं और ट्यूबवेल खराब होने की वजह से फसलें सूख जाती हैं।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अत: इस अविलम्बनीय लोकमहत्व मामले की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि चकर नगर महेवा जसवंत नगर उदी क्षेत्र के ट्यूबवेल अविलम्ब ठीक कराने की कृपा करें।]

(श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री सूर्य प्रताप शाही के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने से उत्पन्न घोर व्यवधान के मध्य)

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आप विशेषाधिकार की सूचना लिखकर दे दीजिये । नियम 300 में 4 सूचनायें मिली हैं।

(घोर व्यवधान)

*श्री शारदानन्द अंचल–

व्यवस्था का प्रश्न है।

जब सदन में कोई सदस्य बोलता हो और सदन अव्यवस्थित हो तो क्या पीठ से जो सूचना प्रसारित की जा रही है माननीय सदस्यों को सुनाई दे रही है, उस समय कोई घोषणा की जानी चाहिए?

श्री अध्यक्ष–

आप सुनने के लिए तैयार न हों और वह बोलते रहें तो सदन को तो चलाना ही है। नियम 300 में 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, पहली और दूसरी सूचना

(घोर व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

विशेषाधिकार भंग सदन के सामने हुआ है।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री जयदीप सिंह बरार–

इतने माननीय सदस्यों के प्रश्न अनुत्तरित रह गये । [x x x] 20 मिनट के लिए आपने सदन को स्थगित कर दिया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बरार जी, आप कृपा करके बैठें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मा0 सदस्य बरार जी ने कहा है कि आप शासन को संरक्षण देते हैं यह कार्यवाही में न आने पाये ।

(श्री जयदीप सिंह बरार लगातार खड़े होकर बोलते रहे)

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इसमें माननीय मंत्री ने कुछ गुमराह नहीं किया है, इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है । इस सदन को पहले ही बहुत सा अमूल्य समय नष्ट हो चुका है और इस समय भी सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चल नहीं पा रही है। अभी जो मा0 बरार जी ने "शासन को संरक्षण देने वाली बात" कही है, मेरा निवेदन है कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लिये तो नियम हैं पर क्या शासन के लिए सदन का कोई नियम लागू नहीं होता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है? मान्यवर, यह आप बतला दें और अगर आपकी पीठ से, आप यह निर्देश दे दें कि शासन के लिए यह नियम लागू नहीं होंगे तो मैं सदन को छोड़ दूं।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को "प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति" के सुपुर्द करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यही तो प्रार्थना मैं आपसे कर ही रहा था, यह पहले ही आप कर देते ।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और वह प्रश्न यह है कि आपने 30 मिनट के बाद महसूस किया कि यह प्रश्न "प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति" के सुपुर्द किया जाना चाहिये था जबकि सदन का सबसे महत्वपूर्ण समय प्रश्न-काल ही होता है, वह जाया हो गया।

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अंतर्गत आज चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं :–पहली और दूसरी सूचना श्री गोपी नाथ वर्मा जी की है जिसमें से पहली उनकी सूचना नियम 300 में नहीं आती है । तीसरी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही जी की है और चौथी सूचना कुंवर मानवेन्द्र सिंह तथा श्री हरीश जी की है ।

प्रथम सत्र, 1989 के पहले गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के उत्तर के संदर्भ में औचित्य का प्रश्न

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, मैंने विधान सभा के प्रथम सत्र गुरुवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 118, 145, 114 से संबंधित प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में उठाया है । मैंने अपने प्रश्न के द्वारा माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहा था और मेरा प्रश्न स्पष्ट था कि "क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि प्रभावित किसान कल्याण

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

समिति, कुमारगंज, फैजाबाद के अध्यक्ष केशवधर दुबे द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या 450, दिनांक 7-10-87 के तत्कालीन मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश को कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद से संबंधित कोई पत्र भेजा गया है ? इसके उत्तर में माननीय कृषि मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया कि उनको कोई पत्र उपलब्ध नहीं हुआ है । मान्यवर, जबकि मैंने सुनिश्चित जानकारी दी थी कि रजिस्टर्ड डाक संख्या अमुक है और भेजने की तिथि अमुक है । जब मैंने इनको पूरी जानकारी दे दी तो फिर इस संबंध में हमारी और क्या जिम्मेदारी बाकी रह जाती है और हमारी जानकारी है कि पत्र उनको प्राप्त हुआ है और उस पत्र के संबंध में आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है और जानबूझ कर सदन को गुमराह किया जा रहा है, इसलिए मान्यवर हमें संरक्षण दिया जाय । जान बूझकर शासन द्वारा इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखित रूप में नियम 49 के अंतर्गत चर्चा के लिए दे दीजिए या प्रश्न संदर्भ समिति के सुपुर्द करने के लिए जो भी मुनासिब समझें, उसमें लिखकर दे दीजिए ।

(व्यवधान)

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है, वह संविधान के अनुच्छेद 166 (2) के अनुसार मंत्रि परिषद् अपने कार्यों के लिए विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है ।

श्री राम दुलारे यादव, उप मंत्री द्वारा एक विधवा के मकान पर बलपूर्वक कब्जा किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अंतर्गत आता भी है या आप ऐसे ही खड़े होकर बोलना प्रारम्भ कर रहे हैं, कृपया बैठें ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, सुन तो लें, यही तो बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से आता है यह नियम 300 के अंतर्गत । सन् 1972 में यू0 पी0 अरबन बिल्डिंग एक्ट नं0 13 जो सन् 1972 में पारित हुआ जो बेदखली के संबंध में है । इस एक्ट के अंतर्गत मान्यवर, यह प्राविधान है कि जो मकान शहरों के अंदर बने हुए हैं 1975 से पूर्व, उन समस्त मकानों को रेंट कंट्रोल के अंतर्गत एलाटमेंट नहीं किया जा सकता है । परन्तु श्री राम दुलारे यादव जो मंत्रि-परिषद् के सदस्य हैं, ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए विधवा श्रीमती गुरुदेई के मकान पर, जिसका प्रयोग वह स्वयं और उनका परिवार कर रहा था, दिनांक 21/22 जनवरी, 1988 के लगभग रात 1·30 बजे एक कम्पनी पी0 ए0 सी0, 6 दरोगा और 12 सिपाहियों के साथ गये और विधवा के घर के सारे सामान को निकाल कर उसके घर पर ताला लगवा दिया और इस प्रकार से हजारों रुपये के सामान का नुकसान करवाया तो इस प्रकार से अपने पद का दुरुपयोग किया गया है . . .

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

आप बराबर बोले जा रहे हैं, बगैर मेरी अनुमति के और यह मामला आपका नियम 300 के अंतर्गत आता भी नहीं है, कृपया अब आप बैठ जाएं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, श्री राम दुलारे द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर और जिला प्रशासन को अपनी साजिश में लेकर विधवा के मकान को, चुपके से 19 जनवरी को आवंटित करवाकर यह दुराचार किया गया है . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठ जाएं, यह नियम 300 के अंतर्गत आता नहीं है, लेकिन आप बगैर मेरी अनुमति के बोले चले जा रहे हैं, जो उचित नहीं है, अब इसके बाद भी यदि आप बोलेंगे तो लिखा नहीं जायेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

[x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठें, जो भी बोलेंगे वह कुछ लिखा नहीं जायेगा । हरीश जी, आपको क्या कहना है ? अब आप कृपया बैठ जाइए . .

(व्यवधान)

उसको 300 के अंतर्गत अस्वीकृत कर चुका हूं । हरीश जी आपको कुछ कहना है ।

*श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठ जाइये । आपकी व्यवस्था को सुनूंगा ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी शाही जी ने एक मंत्री पर आरोप लगाया है, उन्हें सदन में मौजूद तो होना चाहिए । आप उनके दर्शन करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

*सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, जिस प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है, उस पर आपने निर्णय दे दिया है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या आप संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत उत्तर दे रहे हैं । क्या आपकी इजाजत से कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

मेरी इजाजत से नहीं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

प्रश्न उप मंत्री के बारे में है, क्या अम्मार साहेब संयुक्त जिम्मेदारी के अंतर्गत उसका उत्तर दे रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी–

जी हां ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

तो यह ओन कर रहे हैं । मैं बहस शुरू करता हूं, क्योंकि एक मंत्री के विरुद्ध गम्भीर आरोप है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने नियम 300 के अंतर्गत स्वीकार ही नहीं किया है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

अब आप व्यवस्था कैसे उठायेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने हरीश जी, को बुला लिया है ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, बड़ी गम्भीर स्थिति है, बड़ी गम्भीर परिस्थिति आ गयी है । जो असहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक हैं, 9 लोग विधान सभा के सामने अनशन पर बैठे हैं । उनकी दशा बहुत गम्भीर हो गयी है। मैं विधान सभा आ रहा था, हड़ताली शिक्षकों ने मुझे पकड़ कर रोक लिया और कहा कि हम लोग जीवन-मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं और शासन उनकी बात को सुन नहीं रहा है, आप विधान सभा में किस लिए जायेंगे । उनके कारण यहां आना मुश्किल हो गया है । ऐसे तदर्थ शिक्षक हैं, अंशकालिक शिक्षक हैं वे भी धरना भूख हड़ताल पर बैठे हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

80 हजार अध्यापकों का जीवन खतरे में है। आठवीं कक्षा तक की शिक्षा निःशुल्क हो जाने के कारण असहायता प्राप्त शिक्षकों के सामने और कठिन परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है, उनके सामने जीवन-मरण का सवाल है। यह 80 हजार अध्यापकों की समस्या है। अगर आपने संरक्षण नहीं दिया और सरकार को आदेश नहीं दिया कि उनको अनुदान की सूची पर रखा जाये और जो तदर्थ और अंशकालिक अध्यापक हैं उनका विनियमितीकरण किया जाये, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कल से हम लोगों का सदन में आना मुश्किल हो जायेगा । आप मान्यवर, शासन को आदेश दें कि इसका कोई हल निकाले ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है । लिहाजा अस्वीकार ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, आज तो मैं किसी तरह से आ गया हूं। कल मुझे शिक्षक नहीं आने देंगे । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा । आप मुझे संरक्षण दें और शासन को निर्देशित करें ।

श्री अध्यक्ष–

आप स्वयं सक्षम हैं, आ जायेंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम 304 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें अगर किसी सदस्य ने कोई ऐसे असंसदीय शब्द कहे हों और अध्यक्ष की राय हो तो उसको आप कार्यवाही से निकाल सकते हैं लेकिन अगर कोई ऐसा तथ्य सदन में आया हो जो संसदीय भाषा में व्यक्त किया गया हो या संसदीय परम्पराओं के अनुसरण में व्यक्त किया गया हो तो उसे नहीं निकाला जा सकता है। यह इसमें साफ लिखा हुआ है। माननीय शाही जी ने एक तथ्य आपके सामने रखा और आपने व्यवस्था दी कि नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता । आपने उनका आरोप खारिज कर दिया । लेकिन मान्यवर, प्रधान मंत्री के क्षेत्र में सुल्तानपुर में मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य और उपमंत्री इतना बड़ा भ्रष्टाचार और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । माननीय सदस्य का स्पष्ट आरोप है कि उनका अपना मकान होते हुए वे वहां पर एक विधवा के मकान पर कब्जा कर रहे हैं और कर भी लिया है । न्यायालय के आदेश की अवहेलना के बावजूद और वहां के प्रशासन का दुरुपयोग करके उन्होंने ऐसा किया है। मान्यवर, जब मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य पर और प्रधान मंत्री के क्षेत्र में इस तरह के आरोप सदन में लगाये जाते हैं और आप उस पर चर्चा नहीं करायेंगे तो यह समझा जायेगा कि यह शासन भ्रष्टाचार में पूरी तरह से सराबोर है। शाही जी ने जो आरोप लगाया है वह सत्य है, तथ्य परख है और शासन इसकी जांच कर सकता है । साथ ही जब तक इस तथ्य की जांच होती है तब

तक मंत्रि-परिषद् के ऐसे सदस्य को बर्खास्त किया जाना चाहिए और प्रधान मंत्री [x x x] के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है इससे बड़ी शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती है। यहां पर कानून व्यवस्था की कोई बात नहीं है। [x x x]

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे अस्वीकृत करता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आपकी पीठ से जो व्यवस्था दी जाती है उसको हम स्वीकार करते हैं और मानते भी रहेंगे। आपने यह औचित्य का प्रश्न स्वीकार नहीं किया, इस पर मेरी आपत्ति नहीं है लेकिन हर औचित्य के प्रश्न को अस्वीकार करने से पहले उसके मेरिट पर उसके गुण-दोषों पर आपको विचार करना चाहिए और उसे सुनना चाहिए। इस लिये मैं आपसे पुनर्विचार के लिये निवेदन करना चाहता हूं। जिस तरीके से मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य राम दुलारे यादव ने नियमों का उल्लंघन किया है वे इस विधान सभा के प्रति उत्तरदायी हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166(2) के अन्तर्गत जो उनका उत्तरदायित्व इस विधान सभा में है उसको पूरा न करके उन्होंने अपने कृत्यों से पूरे विधान सभा के सदस्यों और उत्तर प्रदेश की अवमानना की है। इससे इस सदन की वैल्यू गिर रही है, आपके अध्यक्ष होने के नाते। मान्यवर, विधान सभा के अध्यक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि यहां पर सदस्यों की आचार संहिता बनाएं ताकि ठीक से व्यवस्था चल सके और समाज के ऊपर उसका ठीक प्रभाव पड़े।

मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य ने जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुये सुलतानपुर के प्रशासन और कलेक्टर को मजबूत किया है वे वहां पर इस तरह से व्यवहार करे मानों वे पाकिस्तान के बोर्डर पर कब्जा करने जा रहे हैं। तो मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि संविधान के अनुच्छेद 166 (2) के तहत आप ऐसी व्यवस्था दें कि क्या यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। आप सरकार को हिदायत भी दें कि वे इस तरह की हरकतों से बाज आयें। इसी उम्मीद से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 (2) के अन्तर्गत विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली है।

हमारी प्रक्रिया नियमावली भी संविधान के अनुसार बनती है तो अनुच्छेद 166(2) में व्यवस्था है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्यों के कार्यों की जवाबदेही विधान सभा को है तो उस नाते मैं जानना चाहता हूं श्री रामदुलारे यादव द्वारा अवैध रूप से रिहायसी मकान पर कब्जा किया जाना और उसकी जिम्मेदारी क्या विधान सभा की नहीं है? यदि है तो उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष–

शाही जी, मैंने पहले नियम 300 में इसे अस्वीकार कर दिया है (व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैं संविधान के अनुच्छेद 166(2) के तहत कह रहा हूं।

नोट – [xxx] यह अंश की अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाही जी, आप बोल चुके हैं, मुझे भी बोलने दीजिए ।

(व्यवधान)

*कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, नियम 300 की बात नहीं है संविधान के अनुच्छेद 166 (2) के के अंतर्गत कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

जिस नियम के तहत उठाया है उसे मैं अस्वीकार कर चुका हूं और किसी के अंतर्गत उठाना चाहते हैं तो लिख कर भेज दीजिए, मैं देख लूंगा

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, राम दुलारे यादव जैसे [××] मंत्री को संरक्षण दिया जा रहा है । मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं ।

(श्री सूर्य प्रताप शाही सदन त्याग कर चले गये)

हमीरपुर, जिले की महोबा तहसील को जिला बनाये जाने विषयक, सर्व श्री देवेन्द्र पालीवाल, माधो सिंह एडवोकेट, अयोध्या सिंह पाठक, निवासीगण ग्राम व पोस्ट महोबा जिला हमीरपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

*कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से हमीरपुर जिले की महोबा तहसील को जिला बनाये जाने विषयक, सर्वश्री देवेन्द्र पालीवाल, माधोसिंह एडवोकेट, अयोध्या सिंह पाठक, निवासीगण ग्राम व पोस्ट महोबा, जिला हमीरपुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(इस समय 12 बजकर 47 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ‡

*डाक्टर दिनेश जोहरी–

मान्यवर, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का मौका दिया । मैं आपका आभारी हूं । मैं सोच रहा था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बरेली जनपद और इसके आसपास के इलाकों की समस्याओं का उल्लेख अवश्य होगा लेकिन मुझे खेद है कि इसका कोई उल्लेख इसमें नहीं है । बरेली जो पहले रुहेलखण्ड कमिश्नरी हुआ करती थी जो अब बरेली कमिश्नरी हो गयी है वहां पर कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

† छापी नहीं गयी ।

‡‡दिनांक 13 फरवरी, 1989 की कार्यवाही से ।

मैडिकल कालेज नहीं था । वहां वर्षों से इस बात की मांग हो रही है कि 5 सौ शैय्याओं का अस्पताल खोला जाय लेकिन इस बात का इसमें कोई उल्लेख नहीं है । इसी तरह इंजीनियरिंग कालेज खोलने की मांग थी और पिछले सदन में मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इंजीनियरिंग कालेज खोला जायेगा लेकिन इस वर्ष भी उसका कोई उल्लेख नहीं है ।

मान्यवर, बरेली शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ा हुआ है वहां केवल एक डिग्री कालेज है । बरेली में हजारों हजार छात्र ऐसे हैं जिनको शिक्षा की सुविधा नहीं है वह मारे-मारे घूम रहे हैं और कोई बदायूं कोई मुरादाबाद कोई चंदौसी एडमीशन के लिये जाता है । वहां किसी भी सूरत में एक डिग्री कालेज और खोला जाय । इसके साथ ही पुराने शहर में लड़कियों का कोई इंटर कालेज नहीं है उसके लिए पिछले शिक्षा मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि कैंट में एक लड़कियों का इण्टर कालेज खोल दिया जायेगा लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उसका जिक्र नहीं है । यही कारण है कि बरेली से कांग्रेस का सफाया हो रहा है । वहां की जनता ने स्थानीय निकायों के चुनावों में नगरपालिका में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नगर प्रमुख बनाया है । इस पर मैं दो लाइन कहना चाहता हूं :–

"अब न नीदों की चर्चा करो दोस्तों,
कुछ उम्मीदों की चर्चा करो दोस्तों,
छोड़ कर जासूसों और दलालों को तुम,
अब शहीदों की चर्चा करो दोस्तों ।

कांग्रेस प्रशासन में जो महापालिका की वोटर लिस्ट बनाई गई उसमें जैन्यून वोटर्स को हजारों की संख्या में छोड़ दिया गया । वोटर लिस्ट में संशोधन किया गया और जो कि जैन्यून वोटर्स हैं, जो बरेली शहर में वर्षों से रहते चले आ रहे हैं और ऐसे-ऐसे लोग वोटर लिस्ट में शामिल किए गए जिनका बरेली शहर से कोई वास्ता नहीं था । गांवों के हजारों लोग बरेली शहर की वोटर लिस्ट में शामिल किए गए और एक सभासद भी चुनकर ऐसे आए जो कि बरेली शहर के रहने वाले नहीं थे । आखिरी दिन इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया और सम्बन्धित अधिकारियों ने बड़े भ्रष्ट तरीके से उनका नाम शामिल किया ।

वहां पर शिक्षा और परीक्षा की भी हालत बड़ी खराब रही है । पिछले वर्ष इण्टर-मीडिएट और हाईस्कूल की परीक्षा में बहुत से छात्र, जिनके परीक्षाफल विदहेल्ड किए गए थे, वे आज भी उसी तरह विदहेल्ड हैं। उन तमाम छात्रों को यह भी पता नहीं है कि वह दसवें के छात्र हैं या ग्यारहवें क्लास के । उनका रिजल्ट आज तक घोषित नहीं किया गया है । हजारों छात्र ऐसे हैं जिन्होंने दसवें के फार्म भर रखे हैं और ग्यारहवें में पढ़ रहे हैं । उनमें अनिश्चिता की भावना फैली हुई है ।

वहां पर सुभाष छात्रावास हरिजन छात्रावास था और वहां पर पिछले कुछ दिनों पहले हरिजन विभाग के अधिकारियों की सांठ-गांठ से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वह छात्रावास रातों-रात गिरा दिया गया, जबकि उस छात्रावास के आवासीय छात्र दशहरे की छुट्टी में अपने घरों पर गये हुए थे । वह ध्वस्त कर दिया गया और आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । उसका नतीजा यह है कि आज वहा पर पूरे शहर के हरिजन छात्र शहर में मारे-मारे फिर रहे हैं, उनके लिए कोई रहने की जगह नहीं है और सरकार की ओर से उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है । बरेली शहर में छात्रावास बनाने की वर्षों से मांग हो रही थी, लेकिन नया बनाने की बात छोड़ दीजिए जो पुराना था वह भी खत्म हो गया और उसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और पूरे शहर के हरिजन छात्र मारे-मारे घूम रहे हैं ।

बरेली शहर बहुत बड़े महानगर के रूप में विकसित हो रहा है, वहां पर यातायात की भीषण समस्या बनी हुई है । केवल एक दो सिटी बसें ही वहां पर चलती हैं, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा पड़ा है-जंक्शन से एअर फोर्स और आवास विकास तक, जहां बस स्टेशन से उतरकर लोगों को अपने घर पहुंचने के लिए दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह रुपए खर्च करने पड़ते हैं । तो वहां पर बस की मुद्रिका सेवा चलाने की बड़ी आवश्यकता थी और उसके लिए मांग होती रही है । यह सेवा वहां पर चलाई जाए । राज्यपाल के अभिभाषण में उसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है और बरेली शहर की यातायात समस्या जैसी कल थी आज भी है । वहां बरेली-बदायूं मार्ग बहुत इम्पार्टेन्ट मार्ग है, उस पर सात सौ करोड़ की लागत वाला इण्डियन ऐक्सप्लोसिव्स का कारखाना स्थित है, जहां पर हजारों लोग नित्य शहर से आते जाते हैं । मैं सोच रहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण में एक ओवर हेड ब्रिज यहां पर बनाने का जिक्र अवश्य होगा, किन्तु उसका भी उसमें कोई जिक्र नहीं हुआ है ।

बरेली शहर में नित्य ही कोई न कोई मार्ग दुर्घटना हुआ करती है, इसका कारण यह है कि वहां पर कोई बाईपास नहीं है । सारा यातायात लखनऊ से दिल्ली का और पीलीभीत से दिल्ली का इसी शहर के मार्ग के मध्य से गुजरता है । रोज कोई न कोई लाडला, जो स्कूल पढ़ने गया है, घर लौटकर नहीं आता है, किसी घर का स्वामी जो नौकरी के लिए जाता है घर लौटकर नहीं आता है । बरेली शहर में बाई पास अवश्य बनाया जाना चाहिए और वहां पर ट्रकों के खड़े होने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाए । लेकिन उसका भी कोई जिक्र अभिभाषण में नहीं है ।

यहां पर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि बरेली से एक समाचार पत्र निकलता है 'विश्व मानव' । अभी कुछ दिनों पहले जनवरी के अन्तिम सप्ताह में उस अखबार में कांग्रेस (आई) के महामंत्री, जो विधान परिषद् के सदस्य भी हैं, के विरुद्ध कोई मामला छप गया था

दूसरे ही दिन जीप में भरकर कांग्रेस आई के महामंत्री और गुण्डे उस अखबार पर हमला किये और नगर सम्पादक हरिओम गुप्ता के बाल पकड़कर खींचने लगे ।

उसे जान से मारने की धमकी दी । बहुत से लोग इकट्ठा हो गये, उसके बाद कांग्रेस आई के लोगों ने उनसे कहा कि कल दिखाई दिए तो जान से मार दिये जाओगे । इसकी रिपोर्ट भी लिखाई गई, लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई एक्सन नहीं लिया गया। कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि पत्रकारों को संतोष होता । बरेली क्षेत्र में असंतोष व्याप्त है उनकी जान को खतरा हो गया है। सही बात रखने में भी परेशानी हो रही है। मान्यवर, मैं आपसे बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि पत्रकारों के साथ जब ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो आम आदमी के साथ क्या होगा ? मान्यवर, पुलिस का शासन बरेली में चल रहा है बरेली ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है अब वह दिन दूर नहीं कि कांग्रेस शासन टूट जाएगी । नगर महापालिकाओं के चुनाव में 6 में से दो नगर महापालिकायें ही कांग्रेस को मिली, तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी चर्चा समाप्त करता हूं ।

श्री अवधेश राय शास्त्री–

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव हमारे लाल प्रताप सिंह जी ने रखा है उस पर बोलने का अवसर दिया । मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में मानव के चतुर्दिक विकास और सर्वांगीण विकास की तरफ प्रकाश डाला गया है, चाहे वह कृषि हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, सड़कें हों या शान्ति व्यवस्था हो, ज्यादातर जितनी भी चीजें विकास की हैं उन सभी पर प्रकाश डाला है, लेकिन मान्यवर, विपक्ष की तरफ से कभी-कभी ऐसी बातें दर्शायी जाती हैं कि विकास हुआ ही नहीं है, किन्तु ऐसी बात नहीं है, विकास हुआ है। आजादी मिलने के बाद से आज तक का अगर मूल्यांकन किया जाए तो विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ है, लेकिन विशेष परिस्थिति यह है कि देश की आबादी प्रतिदिन बड़ी तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और समस्याएं भी उसी के साथ बढ़ती जा रही हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। गाजीपुर जनपद की कुछ समस्यायें हैं । मान्यवर, आजादी की लड़ाई में गाजीपुर अग्रणी रहा । मोहम्मदाबाद तहसील पर 11 लोग मातृभूमि की बलिवेदी पर अपनी जान निछावर कर दिये, लेकिन 8 लाख 50 हजार की स्कीम जो शहीदों के स्मारक बनाने के लिए दी गई। लेकिन अब तक वह स्मारक अधूरा पड़ा है लगता है वह सारा धन हमारे अधिकारी भाइयों की तरफ से कहीं चला गया । साथ ही साथ मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलदार नगर विधान सभा क्षेत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में एक ऐसी लम्बी सड़क है जो 9.5 किलोमीटर लम्बी है जिस पर 6 गांव पड़ते हैं, रवेतीपुर, नगदीलपुर, मीरठपुर, नसीरपुर, परमानन्दपुर, हसनपुर आदि जो मिट्टी 72-73 में डाली गई थी उस पर पुल भी बनी है मिट्टी के बिना नंगी पड़ी है कोई कार्य नहीं हुआ है।

साथ ही साथ मेरे क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी बहुत बड़ी है जैसे गहमर जिसकी आबादी 40 हजार है । इसी गांव के बगल में एक शहीदों का गांव शेरपुर है । जहां पर 99 लोग शहीद हुए थे और जिस गांव के 99 परिवार जेल में ठूंस दिए गये थे । लेकिन इस गांव के लिए आज तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पायी है। वहां पर 21 हजार एकड़ कृषि योग्य भूमि है जिसमें सिंचाई नाममात्र की है। हमारे अधिकारी बंधुगण यह संकेत कर देते हैं कि वह बाढ़ एरिया है इसलिए वहां पर सिंचाई व्यवस्था नहीं हो पाती । रेवतीपुर ब्लाक में 26 विश्व बैंक के नलकूप लगाये गये हैं और भांवरकोल ब्लाक में 25 लगाये गये हैं । इसके बीच में 36 हजार की आबादी का गांव शेरपुर है । लेकिन वहां पर सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां सिंचाई की व्यवस्था हो ताकि हमारी प्रधान मंत्री स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के स्वप्न को साकार और सफलीभूत किया जा सके ।

हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर जल-भराव की स्थिति बराबर बनी रहती है जैसे नौली, उर्सिया, दिलदार नगर आदि । इन स्थानों के जल के निकासी की व्यवस्था की जाय । इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर प्राकृतिक ड्रेन पचोखर और नरसर हैं। यह 25–30 कि0मी0 लम्बी है । ये ड्रेनें गांव को दो भागों में बांटती हैं परन्तु क्रास करने के लिए कोई पुलिया नहीं है जैसे परखौलिया, नगखर । यह ड्रेन अठहठा गांव में मिलती है जहां की सारी कृषि योग्य भूमि गांव के उत्तर दक्षिण में पड़ती है। पुलिया न होने के कारण वहां बरसात के दिनों में बड़ी दिक्कत होती है और एक न एक जानवरों और बच्चों की डूब कर मृत्यु होती है तो इस तरफ भी ध्यान दिया जाय और वहां एक पुलिया की व्यवस्था करवायी जाय । इसके साथ-साथ जो शेरपुर गांव है जो शहीदों का गांव है वहां एक शहीद स्मारक बनाने की बहुत पहले से मांग की जा रही है । आपकी जो स्वतंत्रता संग्राम कल्याण परिषद् है उसके द्वारा इसकी स्वीकृति भी दी जा चुकी है लेकिन वह स्मारक अभी नहीं बना है। तो इस स्मारक को बनवाया जाय । इसके साथ ही साथ दिलदार नगर विधान सभा क्षेत्र बिहार के बार्डर पर पड़ता है । बिहार और उत्तर प्रदेश को कर्मनाशा नदी डिवाइड करती है । आये दिन बिहार से बदमाश, गुण्डे, डकैत आ जाया करते हैं और इस क्षेत्र के लोगों को तरह-तरह से परेशान करते हैं । हमारे यहां 8 आदमियों का नरसंहार इन्होंने किया है। साथ ही साथ, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि दंवेल के पास कर्मनाशा नदी पर पुल बनाया जाय जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश, दोनों प्रदेशों के लोगों को आसानी होगी और दोनों प्रदेशों को जोड़ा जा सकेगा । इसके साथ ही साथ मोहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र में गाजीपुर से उजियार को पी0 डब्लू0 डी0 की सड़क जाती है जो बड़ी लम्बी सड़क है लेकिन इतनी पतली है कि इस पर वाहनों को चलने में दिक्कत होती है। इस सड़क पर बड़े-बड़े वाहन बंगाल, बिहार,

आसाम से आते हैं, सड़क पतली होने के कारण ट्रैफिक को बड़ी परेशानी होती है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मार्ग को नेशनल हाइवे में स्वीकृति दिलायी जाय । साथ ही गाजीपुर जनपद औद्योगिक दृष्टिकोण से शून्य है वहां कोई भी उद्योग धन्धा नहीं है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि गाजीपुर को सब्सीडी दिलायी जाय (छूट दिलायी जाय) और भारी से भारी उद्योग धन्धे वहां लगाए जायं । साथ ही साथ गाजीपुर जनपद में सड़कें बहुत कच्ची हैं पहले से उनकी सोलिंग हो चुकी है और वह सोलिंग उखड़ रही है जैसे कि हमारे क्षेत्र में जमानिया से भदौरा सम्पर्क मार्ग से पचोखर गांव और ताड़ीघाट बारा मुख्य मार्ग से पकड़ी, ताड़ी घाट बारा मुख्य मार्ग से गहमर स्टेशन जाने वाली सड़क । इसी तरह से सारी सड़कें जो हैं वह सोलिंग के रूप में हैं लेकिन वह सोलिंग उखड़ रही है, सरकार का धन बर्बाद हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उन सड़कों को पक्का करा दिया जाय, धन्यवाद ।

*श्रीमती विजय लक्ष्मी–

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ संशोधन पेश कर रही हूं, नेता विरोधी दल के समर्थन में । मान्यवर, अभिभाषण की जो पुस्तिका है उसे मैंने भी पढ़ा है। कुछ विशेष बातें जो साधारण जनता के लिए और इस कृषि क्षेत्र का प्रदेश होने के कारण छूट गयी हैं उसको मैं जोड़ना चाहती हूं । मान्यवर, मैं जनपद बलिया बासड़ी विधान सभा क्षेत्र से आती हूं। वहां के कुछ बिन्दुओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं मैंने पिछली बार भी इस सदन के माध्यम से कहा था कि बलिया जनपद का बासड़ी विधान सभा क्षेत्र घाघरा की कटान से अति पीड़ित है और वहां का जनमानस क्षतविक्षत हुआ करता है उसे कटान से बचाने के लिए एक रिंग बांध की आवश्यकता है जिस पर सरकार कोई प्लान बनाए और वहां के जनधन को बचाने का प्रयास करे । इसमें मैं कुछ गांव सभाओं का नाम आपके सामने पढ़ना चाहती हूं।

हमारे एक रेवती ब्लाक में भोपालपुर से नौका गांव ग्राम सभा तक रिंग बांध की आवश्यकता है । वहां की जनता ने चीख-चीख कर अपने प्रस्ताव को मेरे माध्यम से आपके यहां तक पहुंचाने का प्रयास किया है । जिसमें मान्यवर, 5-6 गांव आयेंगे और 7-8 हजार खेत की भूमि जो है इस रिंग बांध के बन जाने से बाढ़ के पानी और जल-जमाव से बच जायेगी । वहां के लोगों का मुख्य साधन खेती और भैंस वगैरा पालना है और इसी से उन लोगों का जीवन-यापन होता है । दूसरे ब्लाक बासड़ी में भी इसकी एक रिंग बांध की भी योजना होनी चाहिए और जय नगर से चांदपुर गांव तक इसके अंदर 6 गांव आयेंगे और करीब-करीब 8-9 एकड़ खेती की जमीन जो है रिंग बांध बनने से बच जायेगी । इसी तरह से टेस बंधा 64 नम्बर पर हमने मांग की थी एक पैन्टून पुल की । मान्यवर, इसमें मेरा कहना है कि भागलपुर में जो आपके बड़े

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

बजट का पुल बन रहा है और घाघरा सेतु के नाम से एक निर्माण कार्य चल रहा है तो जिस बांध को 64 नम्बर पर हमने मांगा है यहां के किसान को खेती करने के लिए जो उस पर बिहार से लगी हुई जमीन खेती की जो है उस पर 50-60 कि0 मी0 जाना पड़ता है उनकी असुविधा समाप्त करें । मेरी आपके माध्यम से मांग है कि वहां एक पान्टून पुल की व्यवस्था की तत्काल जरूरत है । इसको ध्यान में रखकर किया जाय ।

मान्यवर, विदित होगा कि उत्तर प्रदेश का सूरहा ताल एक बड़े ताल के रूप में प्रसिद्ध है, जो बलिया जनपद में है । उसके सुन्दरीकरण के लिए प्रस्ताव हमने पर्यटन विभाग में दिया है । मैं यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि कुछ माह पहले जनपद के डी0 एफ0 ओ0 से जानकारी मिली है कि सूरहाताल के सुन्दरीकरण के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट वन विभाग द्वारा आपके यहां आया है । मैं चाहूंगी कि इस वित्तीय वर्ष में उस प्रोजेक्ट को मांग कर धन का आवंटन कर वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया जाय कि जल्द से जल्द काम प्रारम्भ करावें ।

मान्यवर, इसी संदर्भ में महिलाओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगी । हमारे प्रदेश की आबादी में महिलाओं की बराबरी की संख्या है, जिसमें शिक्षा के नाम पर हमारे यहां कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । जैसे कि बलिया जनपद की सारी तहसीलों में आप देख लें, बालिकाओं के लिए कोई इण्टर कालेज नहीं है । महाविद्यालय के लिए सोचना तो हम लोगों के लिए भूल होगी । मैं चाहती हूं कि पहले शिक्षा मंत्री की कुछ घोषणाएं अखबारों में आयी थीं, उसके तहत इस वित्तीय वर्ष में प्रत्येक तहसील में बालिकाओं के लिए इण्टर कालेज और डिग्री कालेज की व्यवस्था हो । इसी वित्तीय वर्ष में कुछ न कुछ व्यवस्था करें ताकि छात्राओं को दूर-दराज जाने में दिक्कत न हो और शिक्षा पाने में असुविधा न हो । मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में मेरी एक मान्यता है कि प्राइमरी विद्यालयों के भवन तो आपको बनाने हैं और हर साल कुछ न कुछ भवन बनाने के आदेश दे रखे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे गांव हैं कि जहां पर लोग स्कूल नाम की चीज को जानते ही नहीं हैं । मैं चाहूंगी कि इसमें भवन आप बनाते रहें, लेकिन कुछ गांवों में प्राइमरी पाठशालाओं को मान्यता दी जाय, ताकि जहां स्कूल नहीं है, वहां प्राथमिक विद्यालय खोले जांय ।

मान्यवर, टाउन एरिया की स्थिति से मैं अवगत कराना चाहूंगी । आजकल जो भी टाउन एरिया हैं, हमारे बांसडीह क्षेत्र में 3 टाउन एरिया आती हैं, बांसडीह, सहरतांवे और रेवती । उनकी हालत बहुत ही दयनीय है । उस पर मैं चाहूंगी कि आपका ध्यान आकृष्ट हो और टाउन एरिया की आबादी लगभग 25-30 हजार होती है, उसको देखते हुए वहां अलग से कुछ धन आवंटित किया जाय और ऐसी व्यवस्था की जाय कि वहां के जो प्रशासक या अध्यक्ष हों उनको कोई दिक्कत न हो । अब तो चुनाव हो गये हैं और जन-प्रतिनिधियों का कर्तव्य बनता है कि टाउन एरिया की स्थिति को सुदृढ़ करें ।

मान्यवर, राजभर्र की जिम्मेदारियों में आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आती है । उसमें खास-तौर से हमारे जनपद की व्यवस्था बड़ी ढीलीढाली है । वहां समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है । मेरा निवेदन है कि पिछले साल जो भी राशन की दुकानों के आवेदन पत्र आये हुए हैं, करीब एक साल हो गये, उसका न कहीं केन्द्र खोला गया, पता नहीं क्या वजह है कि एस0 डी0 एम0 या जिला पूर्ति अधिकारी स्तर से किस कारण से रुका हुआ है । उसकी व्यवस्था नहीं है और जनता को किसी भी त्यौहार पर चीनी और राजभर्र के राशन की परेशानी है । उसमें एक और बात सुनने में आयी है विशेष रूप से बांसडीह तहसील की बात कर रही हूँ। वहां कोई पाण्डेय करके सप्लाई इंस्पेक्टर हैं जिसकी भ्रष्टाचार के प्रति नीयत है, उसमें संलग्न है, यह सुनने में आता है । इसकी पूछताछ की जाय और वहां कोई अच्छे इन्सपेक्टर की व्यवस्था की जाय । बीस सूत्री के संबंध में एक बात कहूंगी कि जितने भी हरिजन आवास और निर्बल आवास बन रहे हैं, उसमें हरिजन भाइयों को सुविधा मिलती है, मैं कहना चाहूंगी कि इसमें जो और भी वर्ग हैं जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है रोजी-रोटी का अभाव है उन जातियों/जनजातियों को भी इसमें शामिल किया जाय । इसी के साथ माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधनों का समर्थन करती हूं ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की इजाजत दी । कल हमारे एक विरोधी दल के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि बेटा क्या भला करेगा महिलाओं का जब मां नहीं कर सकी । मान्यवर, उनका तात्पर्य मां से स्व0 विश्व नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी से था । वह सदस्य भूल गये कि उनके कार्यकाल में एक महिला अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया और उसमें इंदिरा जी के प्रयासों से हमारे भारत की जो महिलायें हैं उन सबको चाहे वह थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, हाईस्कूल की परीक्षा दिलवाई और उसके तहत आज हमारे देश में लाखों महिलायें चाहे वह हाईस्कूल पास हों या फेल हों अधिकांशतः राजकीय सेवाओं में काम कर रही हैं, या आज अन्य सेवाओं में हैं । महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने और विशेषकर इंदिरा जी ने जो काम किया इतिहास उसको हमेशा याद रखेगा। महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उससे यह स्पष्ट है कि समाजवादी समाज की दिशा में यह एक सशक्त प्रयास है जिस दिशा में राज्यपाल महोदय ने अपने उद्गार इस माननीय सदन में प्रस्तुत किये हैं । सभी क्षेत्रों में, चाहे हरिजनों के प्रति हो, महिलाओं के प्रति हो, वृद्धों के प्रति हो, चाहे गरीब लोगों के प्रति हो, छात्रों के प्रति हों, यह प्रयास किया कि उन्हें अवसर व सुविधाएं पहुंचाई जायं उनको आराम दिलाया जाय उनको काम दिलाया जाय, तो यह एक बहुत बड़ी बात है । जैसा हमारा देश है या प्रदेश है सब लोग इतने पढ़े-लिखे इतने सक्षम नहीं है कि एक साथ सबके सब ऊपर उठ जायं या उठा दिए जायं। प्रयास धीरे-धीरे चल रहा है। विशेषकर इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अगर डण्डे की हुकूमत होती है तो रातों-रात सारा नक्शा बदल सकता था लेकिन ऐसा नहीं है । 17 साल बाद हमारे प्रदेश में जनतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनका चुनाव हुआ आज हमारे विरोधी दल के जो सदस्य हैं नेता हैं उनको ध्यान देना

चाहिए, सन् 1977 में जनता पार्टी के शासन में जो रेलगाड़ी प्रजातंत्र की पटरी से उतार दी गई थी, कांग्रेस ने शासन में आकर बड़ी कठिनाई से उसको फिर पटरी पर बिठाया है। इसके लिए हम सबको अपने माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को धन्यवाद देना चाहिए और नहीं तो कम से कम इस बात के लिए तो हम सब लोगों

(समय 1 बजकर 20 मिनट पर)

को धन्यवाद देना ही चाहिए। अभी मान्यवर, जिला परिषदों, म्युनिसिपल बोर्डों के चुनाव हुए, इसके संबंध में मैं एक सुझाव शासन को देना चाहता हूं कि भविष्य में यह चुनाव जब हों, चाहे प्रमुखों के हों, या जिला परिषदों के हों या नगरपालिका अध्यक्षों के हों इन्हें डाइरेक्ट कराया जाय। यह नहीं होना चाहिए कि चुने हुए सदस्य लोगों को चुनें या अनुमोदित सदस्य इनको चुनें, ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि गलत तरीकों का इस्तेमाल किया गया, तो बड़ी तकलीफ होती है।

मान्यवर, हम लोगों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए अपने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी को। आज उन्होंने गंगा नदी के शुद्धीकरण का कार्यक्रम शुरू किया हुआ है, यह कितनी अच्छी बात है। गंगा हमारे देश की एक पवित्र नदी है, वैसे जितनी भी देश की नदियां हैं, सभी पवित्र हैं क्योंकि पानी तो पवित्रता की निशानी है और इस पानी से हमारा पूरा जनजीवन विशेषकर गरीब लोगों का जीवन सीधे जुड़ा हुआ है। हमारी गंगा जो इतनी मैली हो गई थी, उसमें तमाम कूड़ा-करकट, गलत तत्व शामिल हो रहे थे, उसको निकालने का प्रयास किया गया है, इसके लिए हमें बधाई देनी चाहिए और इस बात को हमारे इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा, जो काम हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी और हमारे मुख्य मंत्री माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने किया है और किया जा रहा है। हमारे देश में बहुत सी नदियां हैं और जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वहां तो नदियों का भण्डार है। मेरा यह अनुरोध है कि यह जो नदियों के शुद्धीकरण का कार्यक्रम है, इसे अन्य सभी नदियों में चलाया जाय, इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा और हमारा जीवन भी ऊपर उठेगा और हमारा दृष्टिकोण भी बदलेगा, साथ ही हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकेंगे।

मान्यवर, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में वन अधिनियम के कारण कुछ कठिनाइयां हैं। यह अच्छी बात है कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो और पेड़ इत्यादि न कटें जिन सड़कों को हमारे यहां शासन ने रद्द कर दिया था, उसके लिए जनता ने विरोध नहीं किया लेकिन मेरा सुझाव है कि जिन सड़कों को सन् 80 के पहले स्वीकृत किया गया था, तथा जहां वन की भूमि नहीं पड़ती है, जहां पर पेड़ नहीं आते हैं, वहां सड़कें आदि बनाने का काम जल्द से जल्द पूरा कराया जाय क्योंकि वे सभी लोग जो पहाड़ों के दूरदराज अंचलों में रहते हैं, वहां भी सभी लोग आराम चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं। हमारे यहां छोटे-छोटे दूरियों में उतार-चढ़ाव में ट्रांसपोर्ट न होने के कारण जो घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, वह एक मन सामान का 40-40 और 50-50 रुपया किराया ले लेते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ होती है। अतः मेरा पुनः अनुरोध है कि जहां पर कोई बाधाएं न हों, वहां सड़कें तुरन्त बनवाई जायें।

दूसरी बात मान्यवर, मैं बी0 टी0 सी0 के संबंध में कहना चाहता हूं । शासन ने एक आदेश दिया था कि बी0 टी0 सी0 में केवल महिलाओं को ही प्रशिक्षित किया जाय । मैं शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे यहां जिला टिहरी में पुरुषों को भी बी0 टी0 सी0 की ट्रेनिंग दी जाए क्योंकि हमारे यहां बहुत से दूरदराज के स्थानों पर, पहाड़ी जंगलों से होकर विद्यालयों में जाना पड़ता है । वहां स्थान रिक्त होने के बाद भी महिलाएं अपनी सुरक्षा के कारण जाने को उद्यत नहीं हैं, अतः पुरुषों को भी इसमें ट्रेण्ड किया जाना चाहिए ताकि वे कठिन परिस्थितियों में जाकर विद्यालयों में काम कर सकें ।

इसी प्रकार मान्यवर, चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के पदों पर रोक लगा रखी गई है, यह मेरी निश्चित जानकारी है कि हमारे जनपद में लगभग 13 हजार बेरोजगार लोग सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं । मेरा कहना यह है कि जिन-जिन विभागों में पद रिक्त हैं, उन स्थानों पर इन लोगों की नियुक्ति की जाय । साथ ही इस प्रकार की रोक को हटाया जाय । इससे बेरोजगारी कुछ तो कम हो सकेगी ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में "चम्बा" एक महत्वपूर्ण नगर है, जहां की आबादी काफी अधिक है, मेरा अनुरोध है कि इसको टाउन एरिया घोषित किया जाय क्योंकि वहां पर सफाई की, पानी की, बिजली की बड़ी तकलीफ है, इसलिए शासन से मेरी मांग है कि चम्बा को टाउन एरिया शीघ्र घोषित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं–

"लूटेंगी ये निगाहें,
हर कारवां दिल को,
जब तक चलेगा रस्ता,
यह रहजनी रहेगी ।"

मान्यवर, हमारे विरोध पक्ष के सदस्य ने कहा कि 21वां सूत्र भी रखा जाय । मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि 21वां सूत्र ऐसा हो जिसमें भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाय । उनको पकड़ने के लिए, उनको सजा देने के लिए, 21वां सूत्र अवश्य बनाया जाना चाहिए, यह मैं शासन से कहना चाहता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

*श्री मित्रसेन–

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की जो पुस्तक यहां पर पढ़ी गई है, उस पर आज यह चौथे दिन चर्चा हो रही है। नेता विरोधी दल व अन्य नेताओं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ने तथा हम लोगों ने जो संशोधन दिए हैं, उस पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उसमें कुछ रोशनी ऐसी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ करना चाहते हैं। इस पुस्तिका को देखने से ऐसा लगता है कि हमारी सरकार की जो कार्य-प्रणाली है और जो दिशा है, आर्थिक क्षेत्र में और जो विकास में विषमताएं हैं, उसको पाटने की कोई रणनीति इस किताब में दिखाई नहीं देती है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी आशा की है कि हम मितव्ययता के साथ अपने अगले प्रशासन और वित्तीय अनुशासनहीनता को देखते हुए, उन सब चीजों को चलाने वाले हैं, जिससे प्रदेश के विकास में गति आ सके । पिछले वर्षों में हमारे काबिना मंत्रियों ने 50 लाख रुपये अपने दौरे भत्ते में कमाये हैं। एक-एक मंत्री ने 18–20 हजार रुपये भत्ते में लिये हैं ?! जिस प्रदेश में हमारे मंत्री लोग 1-1 हजार रुपये रोज कमाते हैं और उनके साथ ऐसी-ऐसी हस्तियां बैठी हैं, तो मुख्य मंत्री जी के हाथ कैसे मजबूत होंगे । अपने हिस्से को तो ये लोग डकार रहे हैं, अब जनता की गाढ़ी कमाई को भी हड़पने के लिए लंगोटा कस लिये हैं।

किसानों के बारे में इस पुस्तिका में जो जिक्र किया गया है, चाहे वह बिजली का सवाल हो, उत्पादन का सवाल हो या फिर सिंचाई का सवाल हो । बिजली मंत्री जी रोज कहते हैं कि किसानों को हम 10 घण्टा बिजली दे रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे किसानों को कृषि कार्य हेतु अभी नलकूपों का कनेक्शन नहीं मिले हैं। 4-5 साल हो गये हैं कर्जा निकाले हुए और ट्यूबवेलों की बोरिंग किए हुए, किन्तु उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया है। उन्होंने प्रार्थना पत्र दिए हैं। उन गरीब किसानों के ऊपर कर्जे का व्याज बढ़ता जा रहा है। फिर भी यह सरकार किसानों को राहत देने की बात करती है। पिछले वर्ष प्रदेश में सूखा पड़ा । रेवेन्यू कानून के लिहाज से जिन किसानों की फसल 75 प्रतिशत से ज्यादा नष्ट हो गयी थी, उनके लगान व सिंचाई की वसूली तथा कर्जा माफ हो जाना चाहिए, किन्तु आज तक इस सरकार ने ट्यूबवेलों को कनेक्शन नहीं दिया और कर्जा तथा लगान को माफ नहीं किया । हमारी जो शारदा सहायक पोषक नदी है, रामगंगा व गण्डक नदी है, उनके गूलों के निर्माण में गलत वसूली की जा रही है। जबकि दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने चाहे वह पंजाब की सरकार हो या हरियाणा की सरकार हो, गूलों के खर्च को माफ कर दिया है, परन्तु हमारी प्रदेश सरकार द्वारा जबरन वसूली की जा रही है। इस प्रदेश सरकार का इस तरफ ध्यान ही नहीं है।

मान्यवर, पिछले वर्ष हमारे उत्तर प्रदेश में आलू का अकूत उत्पादन हुआ । हमारे प्रदेश के किसानों ने आलू का उत्पादन किया लेकिन शीतगृहों में कोल्ड स्टोरेज में इस सरकार की नीति की बदौलत और नरेन्द्र सिंह मंत्री की नीति की बदौलत 20 रु0 प्रति क्विंटल की दर से कोल्ड स्टोरेज में आलू रखा जाना था । पता

नहीं कितना रुपया लेकर उनका आलू नहीं रखा गया । जब किसानों का आलू 25 रु0 और 35 रु0 में खरीदा तब कोल्ड स्टोरेज में जगह हो गयी और इस साल निकालकर 150 रु0 में बेचा । हम पैदा करते हैं तो 25 रु0 और 35 रु0 क्विंटल पाते हैं, कोल्ड स्टोरेज का मालिक 150 रु0 पाता है। ये सब रिश्तेदार हैं [x x x] हमारी सरकार के ।

(व्यवधान)

ऊर्जा एवं बीस सूत्री कार्यक्रम (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

आप कहना क्या चाहते हैं कौन किसका रिश्तेदार है ?

श्री मित्रसेन–

यही कोल्ड स्टोरेज वाले ।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मित्रसेन जी सीनियर मेम्बर हैं लेकिन पता नहीं क्या बात है उनको आदत है कभी किसी का नाम लेकर कहेंगे, कभी भट्ठे वालों की पैरवी करेंगे, कभी किसी की करेंगे । हमने तो साढ़े छः करोड़ रुपये किसानों को वापस कराया है।

श्री मित्रसेन–

मैं चुनौती देकर कहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी बात कहें ।

श्री मित्रसेन–

पिछले वर्ष आलू उत्पादकों को कोल्ड स्टोरेज के गेट पर 25 रु0 प्रति क्विंटल में आलू फेंकना पड़ा । इस साल कोल्ड स्टोरेज वालों ने जब निकालकर बेचा तो 150 रु0 प्रति क्विंटल में बेचा । यह किसकी नीति है, हमारी या इस सरकार की ? इस साल 3-2 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया, 23 रु0 से 26 रु0 जमा करने का रेट बढ़ा दिया ।

अब मैं शारदा सहायक पोषक नहर के बारे में बताना चाहता हूं। कई जिलों में इस नहर के जरिये से नकसान होता है। इसमें जितने प्रोजेक्ट्स बनाये गये थे उसको कहीं पूरा नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि नहर, बांध बनकर सारे प्रदेश में बाढ़ और जल भराव की समस्या का कारण बनी हुई है। इसमें न तो सीपेज ड्रेन निकाला गया और न जो पक्की लाइनें बनानें की बात थी वही बनायी गयीं । न तो सीपेज का कोई इन्तजाम कर रहे हैं और न प्रोजेक्ट के मुताबिक काम हुआ । यह नहर जल-भराव और बाढ़ का कारण बनी हुई है। ग्यारह सौ हेक्टेयर जमीन सीपेज के नाते बर्बाद हो रही है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर वे किसानों की भलाई चाहते हैं तो सीपेज की ओर भी वे ध्यान देंगे ।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

मैं निवेदन कर रहा था मान्यवर, पुलिस विभाग के बारे में कि बाराबंकी में बृज लाल नाम के एक एस0 पी0 थे जो कि लखनऊ में भी रह चुके हैं । पुलिस प्रशासन में उनके बारे में उनकी छवि अच्छी थी, यह बात सरकार भी जानती थी क्योंकि बाराबंकी वह जिला है जहां चरस, गांजा, अफीम और बड़े-बड़े स्मगलर हैं, वहां के दो पुलिस के सिपाही जिनका नाम है –(1) धनश्याम तथा (2) सन्तोसिंह, ये दोनों कहते फिरते हैं कि हमने एस0 पी0 का ट्रांसफर यहां से करा दिया । जब हमारे प्रदेश की पुलिस का यह हाल है कि पुलिस के दो सिपाही सरे आम कहते घूमें कि हमने बृजलाल जैसे एस0 पी0 का ट्रांसफर करा दिया तो आप समझ सकते हैं कि आपका अपने पुलिस प्रशासन पर कितना अंकुश है । वहां की पुलिस का सिपाही सबसे बड़े स्मगलर का दलाल है । जब ऐसे सिपाही अपने एस0पी0 का ट्रांसफर करा सकते हैं तब आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का प्रशासन कैसा होगा ? इसके बारे में और मुझे कुछ नहीं कहना है ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सस्ता न्याय देने की जो बात है तो जो हमारे परगनाधिकारी है, एस0 डी0 एम0 हैं, वो तो मंत्रियों की खिदमतदारी में लगे रहते हैं, कोई एस0 डी0 एम0 जाकर कोर्ट नहीं करता है चाहे जितने मुकदमें पेंडिंग हों । दस-दस हजार मुकदमें पड़े हुए हैं । इस पर से आपने लोक अदालत बैठा दी है कि जल्दी न्याय प्राप्त होगा । इस संबंध में, मैं आपको बतलाता हूं कि लोक अदालत कुछ नहीं करती है । पहले दिन वह मुकदमा खारिज करती है और दूसरे ही दिन उसे बहाल कर देती है । माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर जनता को सस्ता न्याय दिलाने की अगर वास्तव में आपको चिन्ता है, तो इसकी ओर भी आप ध्यान दें ।

(लाल बत्ती होने पर)

अभी तो मान्यवर, मेरा समय शेष है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर दें ।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, हमारे यहां शिक्षा की विभिन्न पद्धतियां लागू हैं चाहे प्राइमरी शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, अब नवोदय शिक्षा पद्धति लागू हो गयी है । तो मैं निवेदन कर रहा था कि अभी एक प्रश्न भी, इस बारे में विधान सभा में पूछा गया था कि जो आपके यहां 450 असहायिक विद्यालय हैं इसके लिए सरकार ने सब समझते हुए कहा था कि प्रति वर्ष 200 विद्यालय अनुदान की सूची में रखे जायेंगे । इन विद्यालयों में शिक्षक जो कि निम्न वेतन भोगी है और बन्धुआ मजदूर की तरह काम करता है उसको आपने वित्त विहीन बना दिया है । वह शिक्षक जो कि सारे प्रदेश की जनता के बच्चों को शिक्षित करता है उसे आपने वेतन भोगी नहीं रहने दिया और आपने पांच करोड़ रुपये देकर जूनियर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा दिये जाने की बड़े गर्व से यहां घोषणा कर दी और सत्ता पक्ष के लोगों ने मेजें थपथपा दी ।

जो प्राईवेट इंस्टीट्यूशन्स चल रहे हैं उनमें वे फीस नहीं पायेंगे, आपने उनको वित्त विहीन बना दिया है । अब कैसे गरीब आदमी के बच्चे शिक्षा पायेंगे जब आप फीस माफ कर देंगे, प्राइमरी विद्यालयों की ?

आज माननीय मंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि जो हमने संशोधन प्रस्ताव माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया है, उनको देखते हुए समस्त योजनाओं को सही ढंग से चलाने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । ....

(व्यवधान)

*श्री अरविन्द तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय लाल प्रताप सिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया है, पर बोलने का समय दिया । मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, आज हमारे प्रदेश की कुल आबादी लगभग 11 करोड़ की है, जिसमें से 74074 ग्राम हैं और इनकी आबादी लगभग 9 करोड़ 10 लाख की है और शहरी क्षेत्र की आबादी एक करोड़ 99 लाख की है । तो इतने बड़े सूबे की तरक्की और बहबूदी के लिए प्रगतिशील कार्यक्रमों का बनाना और उनका बेहतरी के साथ बराबर क्रियान्वयन करना माननीय राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ही कर सकती है और किसी के बलबूते के बाहर की बात है । (तालियों की गड़गड़ाहट) और साथ ही हमें इस बात पर भी फख्र है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी और इनकी सरकार इन तमाम कार्यक्रमों व योजनाओं को बाखूबी अंजाम दे रही है और इन सब पर हमें उस वक्त ताज्जुब होता है जब हमारे विरोध पक्ष के साथी सरकार की और इनके द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की असफलता की बात करते हैं ।

श्रीमन्, मैं बहुत अधिक पहले न जाकर इधर के ही आंकड़े प्रस्तुत करते हुए यह बताना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश किस गति से विकास की ओर बढ़ रहा है । वर्ष 1981 की पंचवर्षीय योजना में 153 करोड़ रुपये का बजट बना था और अब सातवीं पंचवर्षीय योजना में 11 सौ करोड़ रु0 का बजट बना है, इससे साफ जाहिर होता है कि हम और हमारा प्रदेश माननीय नारायण दत्त तिवारी की नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बराबर आगे मजबूती से बढ़ रहे हैं और इस प्रकार गरीबों के, असहायक लोगों के, मजदूरों व किसानों के आंसू पोंछ रहे हैं और इन तमाम लोगों को निश्चित रूप से इस सरकार पर और इसकी नीतियों पर गर्व है, पूरा भरोसा है और हमारी सरकार आज सबसे ज्यादा जो चिन्तित है, वह किसानों के प्रति, मजदूरों और लघु सीमान्त कृषकों के प्रति है और इनकी हर बेहतरी के लिए काम करना चाहती है, इसीलिए मार्च, 86 से निःशुल्क बोरिंग का कार्यक्रम हमारी सरकार ने बनाया और वर्ष 1986-87 में 65047 हेक्टेयर, इसी प्रकार से 87-88 में 3 लाख, 25 हजार हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचन योजना बनायी

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

और इस वर्ष हमारा लक्ष्य निःशुल्क बोरिंग का जो है वह 4 लाख 12 हजार हेक्टेयर भूमि का है, जिससे इस प्रदेश के 2, 12, 175 लघु सीमान्त कृषकों को फायदा पहुंचेगा और उनकी हम इस प्रकार से निःशुल्क मदद कर सकेंगे । उस वक्त बड़ा ताज्जुब होता है जब उधर के बैठने वाले हमारे विरोधी साथी हमारी इस प्रकार की सहायता को देखकर, हिमायत को देखकर उल्टी बातें करने लगते हैं, हां आप यह तो कह सकते हैं कि हम बड़े किसानों के हिमायती नहीं हैं, लेकिन जो छोटे और गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, इनके प्रति हमारी सरकार की हमेशा यही नीति रही है कि इनका उत्थान, इनकी तरक्की, इनकी खुशहाली, सूबे की खुशहाली है और यही सारी की सारी बातें महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिक्र की गयी हैं । जो हम और हमारी लोकप्रिय सरकार कर रही है उसी का जिक्र भी है कि मजदूरों की मजदूरी उनका पसीना सूखने से पहले-पहले अदा कर दी जाए । इसीलिए आज मजदूरी की दरों में, उनकी मजदूरी को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है हमारी सरकार ने । जहां पहले दैनिक मजदूरी 12 रुपये दी जाती थी, वहीं पर अब 15 रुपये मजदूरी के देने का निर्णय लिये गये हैं । इसी प्रकार से एन0 आर0 ई0 पी0 और आर0 एल0 जी0 पी0 में जहां हम 13.50 रुपये मजदूरी देते थे, वहीं पर अब हम 18 रुपये मजदूरी दे रहे हैं । तो इस प्रकार से जब भी हम गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए कुछ भी करने के लिए सोचते हैं तो हमारे यह विरोधी साथी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि यह जन-विरोधी और जन-तंत्र विरोधी हैं और आज हमारी लोकप्रिय सरकार ने इन कुरीतियों और लोकतंत्र को हर प्रकार से बहाल किया है, यह एक अपने आप में एक मिसाल है ।

मान्यवर, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता हूं । सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता की इस प्रदेश में आवश्यकता है । मुझे फक्र है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र किया है कि राजकीय सेवाओं में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का विहित प्रतिशत है, उसको सुनिश्चित करने के लिए लोक सेवा आयोग और लोकायुक्त अधिनियम, 1975 में सरकार सक्रिय रूप से संशोधन करने पर विचार कर रही है । मान्यवर, यह महान क्रान्तिकारी कदम होगा । सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता तब तक नहीं हो सकती है, जब तक कि इस प्रदेश में राजा कहलाने और कहने का शौक चलता रहेगा । उधर के साथियों को इसका शौक लगा हुआ है । मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक समानता तब तक संभव नहीं होगी जब तक राजा शब्द का प्रचलन खतम नहीं होता है । मैं कहना चाहता हूं कि आई0 पी0 सी0 में संशोधन किया जाये और यह कानून बनाया जाये कि ऐसे शब्द कहलाने और कहने वाले को कागनिजबिल आफेन्स में लिया जाये, तब हम सही माने में समानता और एकता की बात कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुनें । चाहे औद्योगिक नीति हो और चाहे कोई जन कल्याणकारी कार्यक्रम हो उसको मजबूती के साथ करना होगा । हमें इस बात पर गर्व है कि 20 सूत्री कार्यक्रम में जो हमने लक्ष्य रखा था, उससे अधिक सफलता पायी है । हमारे जो सीलिंग और भूमि आवंटन के कार्यक्रम हैं, वह मुस्तैदी से चल रहे हैं, इसीलिए उधर

के लोगों में दर्द हो जाता है और यह स्वाभाविक भी है । इन शब्दों के साथ, मैं महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण का स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मैं जानना चाहता हूं कि राजा का प्रचलन किसने किया ?

श्री मैनेजर सिंह–

आपकी तरफ के एक राजा थे, वे हमारी तरफ चले आये, आपको तकलीफ हो गई है । आज भी कई राजा आप की तरफ हैं, राजा अजीत प्रताप सिंह, राजा दिनेश सिंह, राजा ग्वालियर, राजा गोण्डा आदि ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रजा की बात हो रही है, राजा की नहीं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

इसकी तो श्री राजीव गांधी और श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने ही शुरूआत की है ।

(व्यवधान)

*श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं कहना चाहता हूं कि आज कानून और व्यवस्था में निरन्तर गिरावट आ रही है और नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है । अलीगढ़ जिला परिषद् के चुनाव अपराधी तत्वों के संरक्षण में हुये । वहां के जो एस0 एस0 पी0 हैं वह पूर्णतः उदासीन हैं अपराधी तत्वों के कार्यों से । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि विगत जिला परिषद् के चुनावों में माननीय राजेन्द्र सिंह जो विपक्ष के नेता रहे हैं, उनके साथी और उन पर प्राण घातक हमला किया गया । जिस मारूति वैन में वह यात्रा कर रहे थे वह क्षतिग्रस्त हो गयी । उनके साथियों को गम्भीर अवस्था में मेडिकल कालेज पहुंचाया गया । मुकदमा दर्ज किया गया परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही एस0 एस0 पी0 के स्तर से नहीं की गई । जनपद अलीगढ़ में पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की बैठकों में प्रायः एस0 एस0 पी0 द्वारा कहा जाता है कि हमें नगर की चिन्ता है । जनपद के अन्दर जितने भी अपराध होते रहें, जितनी भी कानून व्यवस्था गिरती रहे, उसके संबंध में उनका कहना है कि इसकी कोई चिन्ता नहीं है । हमें तो यह देखना है कि अलीगढ़ नगर में व्यवस्था ठीक हो । परन्तु मान्यवर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अलीगढ़ नगर एक बहुत ही संवेदनशील नगर साम्प्रदायिक दृष्टि से है और वहां पर कानून व्यवस्था ठीक से बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और खास तौर से पुलिस प्रशासन का उल्लेखनीय योगदान नहीं है । जैसा कि सर्व विदित है वहां पर दो वर्ग हैं एक अल्प संख्यक और एक बहुसंख्यक । दोनों वर्गों का प्रभाव है । वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी है और उसके जो कुलपति हैं वे बधाई के पात्र हैं कि

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उन्होंने दोनों वर्गों के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया है जिससे नगर के लोगों में सद्भावना और आपसी भाई-चारे का वातावरण पैदा हुआ है । इसी तरह से जामा मस्जिद है उसके मुफ्ती एवं इमाम साहब हैं यहां पर मैं उनका उल्लेख करना उचित समझता हूं । उनके प्रयासों से भी वहां पर सद्भावना उत्पन्न हुई है । साम्प्रदायिक सद्भावना कायम करने में जनप्रतिनिधियों तथा बहुसंख्यक वर्ग हिन्दुओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है । एस0 एस0 पी0 महोदय नगर में स्थिति को नियंत्रण में रखने का श्रेय लेना चाहते हैं वह भ्रामक और तथ्यों से परे है । वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट आयी है । जनपद के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे पेशेवर अपराधियों द्वारा चुनावों में हस्तक्षेप किया गया है । जो माननीय राजेन्द्र सिंह जी के साथ घटना हुई थी वह इसलिए हुई कि उन्होंने दो पिछड़े वर्ग और एक हरिजन व्यक्ति के अपहरण के सिलसिले में हस्तक्षेप किया था और उन्हें बचाया था जब कि वह किसी दल या पार्टी से सम्बद्ध नहीं थे । उनके दो साथियों पर प्राण घातक हमला किया गया और वह बहुत दिनों तक ऐसी स्थिति में नहीं थे कि अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकें । वे जीवन और मरण के बीच संघर्ष कर रहे थे । वहां के प्रशासन को इन अपराधियों की सक्रिय गतिविधियों की सूचना दी गयी किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । कुछ अच्छे और कुशल प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस इन्सपेक्टर हैं, डी0 वाई0 एस0 पी0 हैं उन सबको लाइन में पोस्ट कर रखा है और पैसा लेकर [xxx] लोगों को अच्छी जगहों पर नियुक्त कर दिया गया है । वे कोई सुनवाई नहीं करते हैं । इससे उस क्षेत्र में विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है । किसी भी समय अलीगढ़ में सद्भावना और साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ सकती है ।

दूसरी बात, महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में शिक्षा के बारे में चर्चा की है और ब्लैक बोर्ड आपरेशन के बारे में कहा है । प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण की बात कही गई है । स्थिति यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर हाई स्कूलों की बहुत बड़ी संख्या है उनका कोई अपना भवन नहीं है । खुले आकाश में बच्चे पढ़ते हैं, बरसात में गरमी में पढ़ते हैं जिन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । इसके लिए कोई दूसरी स्कीम चलाने की नितान्त आवश्यकता है ।

इसी तरह से सड़कों की बात आती है । देहातों में जो सड़कें हैं उनके अनुरक्षण और रख-रखाव की कोई व्यवस्था नहीं है । इन सड़कों के रख-रखाव के लिए कोई रिकरिंग धनराशि मिले जिससे संबंधित विभाग इन सड़कों को ठीक से बना सके उनकी मरम्मत कर सके । जब तक इसके लिए विभागों को पैसा नहीं दिया जायेगा तब तक ये सड़कें यातायात के लिए नहीं रह जायेंगी । सातवीं पंचवर्षीय योजना काल की समाप्ति तक 1500 से अधिक आबादी वाले सम्पूर्ण ग्रामों को तथा एक हजार से 1499 तक आबादी के आधे ग्रामों को पक्के मार्गों से जोड़ने की राष्ट्रीय नीति है परन्तु अलीगढ़ जनपद के तीन गांव अगराना जरौरा, गिनौली, किसनपुर, गरिथाईशेपुर जिनकी जनसंख्या 15 सौ से अधिक है 1971 की जनगणना के अनुसार लेकिन उनको अभी तक नहीं जोड़ा गया है और न किसी योजना में मार्ग निर्माण प्रस्तावित है दूसरी श्रेणी के एक चौथाई ग्रामों का भी मार्ग निर्माण नहीं हुआ है ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी–

इन शब्दों के साथ, जो धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधन रखे हैं उनका समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

बोलने वालों की उत्सुकता को देखते हुए 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें क्योंकि बोलने वाले काफी हैं (व्यवधान) सबका नम्बर आयेगा, सबको बुलवा दूंगा ।

श्री फजले मसूद–

मान्यवर, आजादी के बाद कांग्रेस ने एक सपना देखा था कि इस देश के गरीब किसानों, इस देश के गरीब मजदूरों, गरीब जनता के दुखदर्द को दूर करने का हम प्रयास करेंगे । उस सिद्धान्त के तहत कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों ने कोशिश की कि हमारे देश के गरीब किसानों के गरीब मजदूरों और गरीब इन्सानों के दुखदर्द हरण किया जाए । उसी के तहत शासन द्वारा समय-समय पर कदम उठाये गए हैं और गरीबों को आंसू पोंछने का प्रयास किया गया है । शासन द्वारा गन्ना किसानों की कीमत में जो अन्तर था उसको समान किया गया और उनके साथ न्याय किया गया है ।

हमारी सरकार ने सदैव कोशिश की है कि साम्प्रदायिकता की बढ़ती हुई आग को खत्म करे और देश के अन्दर हिन्दू और मुसलमानों को एक साथ बांधा जाय और देश की अखण्डता को बनाए रखा जाय और उसके लिए सदैव प्रयास किया जाता रहा है उसी के तहत राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे हमारी स्व0 प्रधान मंत्री ने शहादत दी और उसी तिरंगे के नीचे हिन्दू मुसलमानों को एक साथ रखने के लिए कुर्बानी सिलसिलेवार देते आए हैं । मैं अपने लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनके शासन काल में हमारे मजदूरों को बढ़ी हुई कीमतें दी जा रही हैं, बुनकरों को बढ़ी हुई कीमत पर रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है । मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विरोध पक्ष के लोग सत्ता में आने का प्रयास करते हैं लेकिन कभी भी उन्होंने रचनात्मक कार्य नहीं किए उनका प्रयास हमेशा सत्ता हथियाने का होता है ताकि किसी तरह देश की सर्वोच्च सीट पर वह बैठ जायं उसके लिए तरह-तरह के षड़यंत्र करते हैं । देश में हिन्दू और मुसलमानों को लड़ा कर सत्ता में आ जायं । लेकिन देश की जनता ने देख लिया है और वह अच्छी तरह जानती है कि जिस तिरंगे के तले आकर आजादी के लिए कुर्बानी दी, आजादी के लिए बलिदान दिया और जिस देश की भूमि को आजादी के लिए लहू से सींचा उसको जनता भूली नहीं है वह जानती है कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जो उनके स्वप्नों को पूरा कर सकती है और इनका जो देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने का सपना है वह पूरा नहीं हो सकता है । राष्ट्रीय मोर्चे में जो इनके मुख्यमंत्री सम्मिलित हैं वह कभी भी विकास की बातें नहीं करते हैं । उनका षड़यंत्र है कि उनके प्रान्तों में जो कांग्रेस के लोग हैं चाहे वह आन्ध्र प्रदेश हो या वैस्ट बंगाल हो या हरियाणा हो वहां कांग्रेस के आदमियों को समाप्त करने में लगे हैं । हरियाणा में मां बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है। एन0 टी0 रामाराव के यहां

कांग्रेस विधायक की हत्या की गई है, वैस्ट बंगाल में कांग्रेस काउंसिलर की हत्या कर दी गई । यह लोग तो जो रचना में विश्वास रखते हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनका दमन कर रहे हैं और इस प्रकार की आंधी वहां चल रही है ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष–

उनको आप बोलने दीजिए । एक मिनट समय और हमने उनको दिया है, आप एक मिनट के बाद बोलिएगा । वह बैठें तब आप बोलिए ।

(व्यवधान)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैं यह जानना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

उसके बाद बोलें, जब यह बैठ जायं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

और हम हरियाणा और आन्ध्र प्रदेश के बारे में यहां चर्चा कर सकते हैं, तो आप व्यवस्था दे दें, तो क्या हम बिहार के मुख्य मंत्री भगवत झा आजाद और मध्य प्रदेश के आतंकवादी मुख्य मंत्री को हटाने के बारे में यहां चर्चा करने की आप अनुमति देंगे या नहीं देंगे ? यदि नहीं देंगे तो इसकी भी न दें और इसको रोकें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मसूद जी, आप अपने प्रदेश तक सीमित रहिए, केवल अपने प्रदेश की बात कहिए । केवल आप उसका उदाहरण दे सकते हैं, चर्चा अपने ही प्रदेश की करें ।

श्री फजले मसूद–

मैं साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने की बात कह रहा हूं, उसमें हर्ज क्या है ? मैं जो प्रमाण दे रहा हूं उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, आप बुरा क्यों मानते हैं ? इसको सभी पत्र कह रहे हैं, दुनियां कह रही है इसमें आपको बुरा क्यों लगता है ? आपने सदैव सत्ता प्राप्ति के लिए षड़यंत्र किया है, लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं की है । हम पर आप जो आरोप लगाते हैं, तीन साल तक आप भी सत्ता में रहे हो, उस तीन साल में आपने प्रदेश को क्या दिया है ? प्रदेश की प्रगति के लिए क्या दिया है....

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं...

श्री फजले मसूद–

आपने स्थानीय निकाय के चुनाव कहां कराए हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठिए ।

(व्यवधान)

श्री फजले मसूद–

हमने जनतंत्र की शक्तियों को नीचे के स्तर से मजबूत किया है । इसके साथ ही आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद देते हुए बैठता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

अपने भाषण में जहां-जहां माननीय सदस्य ने तुमने शब्द इस्तेमाल किया है, उसे हटा दीजिए और उसकी जगह "आपने" शब्द रख दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, यह तुमने शब्द हटा देंगे ।

श्री मैनेजर सिंह–

इनके महामंत्री गुलाम नवी आजाद, अभी यहां लखनऊ में आए थे, उन्होंने सारे कांग्रेसियों को तुम कहा था, इसलिए इनकी तो यह आदत पड़ गयी है, इन्हें क्षमा कर दीजिए ।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए हम आभारी हैं । माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में बहुत सारी कमियां रह गई थीं . . . .

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

तो आपने कहा था कि कल बोलिएगा । मैंने कहा था शाम तक बैठूंगा और बैठा भी, और आज भी आपने हमें टाइम नहीं दिया है । जब डाक्टर जौहरी बोल रहे थे तभी लिखकर दिया था. . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

जब आप चाहेंगे तब नहीं, जब मैं बुलाऊंगा तब आप बोलें ।

श्री शारदा प्रताप–

मुझे आपके प्रति शंका है कि आप हमें बोलने नहीं देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी शंका अपने दिमाग से निकाल दीजिए. . .

श्री शारदा प्रताप–

मालूम पड़ता है कि केवल आप [xxx] के ही जनता पार्टी के लोगों को ही बोलने का मौका दे रहे हैं, इन्डिपेन्डेन्ट को नहीं बोलने देना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अब बैठिए । यह आपका आरोप असत्य है । मैंने किसी दल के आदमी को नहीं बुलवाया है । मैं हिसाब से बुलवा रहा हूं । यह एक बड़ी पार्टी है । शारदानन्द अंचल की पार्टी का अभी तक कोई आदमी नहीं बोला है. . . (व्यवधान)

यह आरोप आपका असत्य है । (व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री शारदा प्रताप–

जिनकी सिफारिश है, उनको ही आप बुलवाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अंचल जी की पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं बोला है इसलिए बुलवा रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठ जायें । मैंने कह दिया है कि आपको बुलवा लूंगा ।

*श्री शारदानन्द अंचल–

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह जरूर दर्शाया गया कि फर्जी आंकड़ों पर पूरे प्रदेश का विकास किया गया है पूरे प्रदेश में सड़कें बनाई गई हैं । इनके इंजीनियरों के द्वारा बनाए हुए प्राक्कलन को अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 20 प्रतिशत का काम हुआ है और 80 फीसदी पैसा लूट लिया गया है। यह अभिभाषण में नहीं दर्शाया गया है। जिन बिन्दुओं को छोड़ दिया गया है उन बिन्दुओं को हमने जोड़ने को कहा है तो उनको जोड़ने की कृपा की जाए।

मान्यवर, मंडल कमीशन की रिपोर्ट प्रदेश के पिछड़े लोगों के लिए मंडल साहब ने दी है, उसको लागू किया जाए । उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश केन्द्र सरकार को जाए ताकि 52 प्रतिशत पिछड़े लोगों का उद्धार हो सके । इसका जिक्र भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होना चाहिए था । इनके एक नेता चन्द्रजीत यादव घूम-घूम कर कह रहे हैं कि राजीव गांधी साहब चाहते हैं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की जाए, तो माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार को चाहिए, क्योंकि वह इस सरकार के नेता हैं, उनको चाहिए कि वह रिपोर्ट लागू करें । लेकिन वह तो सारा पैसा पहाड़ पर ले जाकर दे रहे हैं उनको ऊपर उठाकर 52 प्रतिशत पिछड़े लोगों के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए । (एक सदस्य के खड़े होकर अंचल जी के साथ बोलने पर व्यवधान) मान्यवर, पूरे अनुदान का पैसा पहाड़ के लोगों में बांटा जा रहा है।

(व्यवधान)

पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जब दरख्वास्त लेकर जाते हैं मुख्यमंत्री निवास पर तो उनको हटाकर पहाड़ के लोग रख देते हैं और सारा का सारा पैसा अहेतुक अनुदान का पहाड़ पर चला जाता है और राज खजाना खाली किया जाता है। करोड़ों रुपया विकास का पहाड़ों पर जाता है । अभी मान्यवर, पूर्वान्चल में बाढ़ आयी थी, पूरे के पूरे लोग बाढ़ में डूब रहे थे । मैंने मांग किया लेकिन नारायण दत्त तिवारी जी ने कोई अनुदान बाढ़ग्रस्त लोगों को नहीं दी । पूर्वान्चल के लोग सोचते हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कि उत्तर प्रदेश के अन्दर रहें या न रहें । वह लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री केवल पहाड़ के मुख्य मंत्री हैं । बलिया, मऊ, गोंडा, बनारस, मिर्जापुर, बस्ती के मुख्य मंत्री नहीं हैं । लोग प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं इस बात का डायरेक्शन भी मुख्य मंत्री जी को दिया जाना चाहिए था ।

मान्यवर, पम्पिंग सेट्स के बारे में कहना चाहूंगा । आई0 आर0 डी0 योजना के बारे में कह रहा हूं। जो पम्पिंग सेट्स 65 सौ का मिलता है उसको नौ हजार में दिया गया है और जो 33 प्रतिशत छूट की राशि मिलती है उसको भी लिया गया है और यह कहते हैं पूरा विकास करते हैं । यह कहते हैं कि हरियाणा की सरकार ने ऐसा किया, तो हरियाणा की सरकार ने तो 65 वर्ष के तमाम बुजुर्गों को पेंशन देने का एलान कर दिया है। हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी देवी लाल जैसी लोकप्रियता हासिल करें और 65 वर्ष के बुजुर्गों को पेंशन देने का एलान करें । हरियाणा के मुख्य मंत्री ने एलान कर दिया कि जिन किसानों के खेत सड़कों के किनारे हैं और सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ों से जिन किसानों के खेतों को नुकसान होता है उन किसानों को मुआवजे के रूप में पेड़ों का आधा हिस्सा मिलेगा । यह कार्य हरियाणा के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने किया है मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अगर किसानों के बारे में सोचते हैं तो उनको भी यहां सदन में घोषणा करनी चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश के किसानों को सुविधा देंगे और जिनके खेत सड़कों के किनारे हैं और जिनके खेतों का नुकसान सड़कों के किनारे लगे पेड़ों से होता है उन किसानों को पेड़ों का आधा हिस्सा मिलेगा ।

आप हरियाणा सरकार की बात करते हैं, हरियाणा की सरकार ने बेरोजगारों को काम और जिन बेरोजगारों को काम नहीं मिला उनको बेरोजगारी भत्ता देने का एलान किया है । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अगर हरियाणा के मुख्य मंत्री की तरह लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं तो बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करें । हरियाणा की सरकार ने 35 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का दाम दिया है उसी तरह से उत्तर प्रदेश के किसानों को 65 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के दाम मुख्य मंत्री देने की घोषणा करें । हरियाणा की सरकार की भांति अगर उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को सुविधा नहीं देती है तो हम यह मानकर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है और उत्तर प्रदेश की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार नौकरशाहों की सरकार है और उन लोगों के हाथ में खेल रही है जो उत्तर प्रदेश के बहुमत किसानों को धोखा देना चाहते हैं ।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि प्रदेश के सभी गांवों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाय । सभी गांव के किसानों के खेतों को 24 घंटे बिजली दी जाय और सभी गांवों को ऊर्जीकृत किया जाय ताकि उनका विकास हो सके । हरियाणा सरकार ने किसानों के 20 हजार तक के कर्जों को माफ किया है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार को किसानों के कर्जों को माफ करना चाहिए ।

इसी के साथ मैं यह मांग करता हूं कि विपक्ष के संशोधन प्रस्तावों को सम्पूर्ण रूप से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अन्त में शामिल किया जाय । इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री भीखाराम–

मान्यवर, आपने जो मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिए अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में समाजवाद और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये संकेत मिलता है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में गिरजन, हरिजन और किसान उत्थान के लिये विशेष संकेत मिलता है। चाहे सिंचाई का मामला हो, चाहे गन्ने का मामला हो, चाहे उद्योगों का मामला हो इस अभिभाषण से प्रदेश के सर्वांगीण विकास का संकेत मिलता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मान्यवर, हमारे जनपद आजमगढ़ में एक अन्य जनपद मऊ बनाया गया है जिसके क्षेत्र के अन्तर्गत 8 ब्लाक मऊ जनपद में गये हैं । 21 ब्लाक आजमगढ़ जनपद में हैं। आजमगढ़ का वह भूखण्ड जो विकसित था वह मऊ में चला गया है और अब आजमगढ़ में उद्योग रहित, अविकसित क्षेत्र रह गया है । आजमगढ़ में साठियांव चीनी मिल थी जो मऊ की सरहद पर है। मेरा निवेदन है कि इसको आजमगढ़ से निकालकर मऊ जनपद में कर दिया जाय और आजमगढ़ को उद्योग शून्य जिला घोषित किया जाय । जिस समय आजमगढ़ जनपद के एक हिस्से को मऊ घोषित किया गया था उसी समय विधान सभा की कार्यवाही में आजमगढ़ को कमिश्नरी बनाने का उल्लेख किया गया था । मेरा आपसे निवेदन है कि आजमगढ़ को एक कमिश्नरी बनाकर वहां की 32 लाख की जनता का दिल जीतने का काम करें ।

मान्यवर, आपसे यह भी निवेदन है कि आजमगढ़ मुख्यालय से पश्चिम तरफ फूलपुर और दक्षिण पश्चिम तरफ लालगंज तहसील का एक इलाका है जिसमें उद्योग नाम की कोई चीज नहीं है। मान्यवर, यहां पर गन्ना सघन क्षेत्र है और आजमगढ़ के पश्चिम में जौनपुर जनपद है जहां पर शाहगंज चीनी मिल थी जो बहुत दिनों से बन्द पड़ी है। मान्यवर, वहां का किसान गन्ना का उत्पादन करता था और वह मिल बन्द हो जाने से वहां का किसान हतोत्साहित हो गया है। मैं निवेदन करता हूं कि फूलपुर तहसील के मुख्यालय के पास जमीन उपलब्ध है वहां पर चीनी गन्ना मिल का निर्माण कराया जाय ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तहसील लालगंज और फूलपुर के दक्षिणी हिस्से में अधिकतर ऊसर जमीन है और वहां के लोग खेती पर निर्भर करते हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऊसर सुधार योजना की विशेष योजना वहां पर लागू कर ऊसर जमीन का सुधार करके कृषकों के दिल को जीतें । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में शारदा सहायक की नहर जाती है । वहां पर ट्यूबवेल या अन्य कोई सिंचाई का साधन नहीं है । यह भाग शारदा सहायक नहर के टेल भाग पर पड़ता है इसलिए पानी समय पर नहीं मिल पाता है ।

(इस समय 2 बजकर 17 मिनट पर अधिष्ठता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फूलपुर का विकास खण्ड मार्टिनगंज में विशेषरूप से सर्वे कराकर एक कलस्टर ट्यूबवेल का कराया जाय । मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आजमगढ़ और सुल्तानपुर मार्ग का जो रोड है वह सिंगिल रोड है यहां से बलिया के लिए और कानपुर के लिए जो ट्रैफिक जाता है उसमें सिंगिल रोड बने के नाते दुर्घटनाएं हुआ करती है । इसलिए आपसे निवेदन है कि आजमगढ़ सुल्तानपुर मार्ग को चौड़ा कराया जाय । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में राज्यभर की कौम बसती है जो हरिजनों के समान ही कौम है उनका आरक्षण करके उनका सामाजिक व आर्थिक विकास किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप विराजें।

श्री भीखा राम–

इसके साथ ही मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शारदा प्रताप–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामोहम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैंने अभिभाषण को पढ़ा भी और सुना भी, नहीं केवल पढ़ा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपने दोनों काम किये हैं ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, चुनाव के संबंध में जो इस पुस्तिका में लिखा है इसमें वह प्रकरण जोड़ दिया जाय जिसे मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय उच्च न्यायालय ने सीता राम द्विवेदी, एडवोकेट की याचिका पर सरकार को बाध्य कर दिया चुनाव कराने के लिए जब यह चुनाव हुए वरना शायद यह पंगु सरकार 20-25 वर्षों तक चुनाव कराने की स्थिति में नहीं थी । लखनऊ और इलाहाबाद में अभी तक ये नगरपालिका के चुनाव नहीं करा पाये । जिला परिषद् के चुनाव में जो प्रक्रिया है और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार पनपा है उससे सारे माननीय सदस्य ही नहीं पूरा प्रदेश उससे चिन्तित है । मान्यवर, अगर समय रहते इस राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया । तो मान्यवर, इस माननीय सदन में या संसद में वही लोग बैठेंगे जिनकी तस्वीर राजनीति में स्वच्छ नहीं है ।

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में जहां से मैं चुनकर आया हूं, कुछ ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिनके इस अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल ने संजय गांधी आयु-

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

विज्ञान संस्थान, जिसे देश की अग्रणी संस्था के रूप में विकसित किए जाने की बात की है, परन्तु मान्यवर, उन्होंने इसमें यह नहीं कहा कि जिन काश्तकारों की जमीन अधिगृहीत की गयी, जिनको 25 नए पैसे के हिसाब से 12-13 सौ रुपए बीघा के

हिसाब से मुआवजा दिया गया था, जिनकी रोजी-रोटी, जीविका छीनी गयी, उनके परिवार को अविलम्ब वहां पर रोजगार दिया जायगा । मान्यवर, मैं उनसे डाक्टर और तकनीकी जगह पर जगह नहीं मांगता, मैं चाहता हूं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर उनको वहां पर समायोजित कर लें, ताकि उनकी रोजी-रोटी की समस्या समाप्त हो जाय । मान्यवर, पूरे प्रदेश में बड़े-बड़े शहरों में जमीन अधिग्रहण की है आवास विकास के द्वारा और प्राधिकरणों के द्वारा और हमारे लखनऊ में भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा 7 आवासीय कालोनियां बनाई जा रही हैं । जमीन का अधिग्रहण कर लिया, परन्तु काश्तकारों को 25 पैसे से लेकर 140 पैसे तक मुआवजा देकर बात समाप्त कर दी । मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने कश्मीरा सिंह बनाम सरकार के मामले में सरकार को आदेशित किया कि बाजार भाव से किसानों को उनकी जमीनों के मुआवजे का 80 फीसदी पैसा तत्काल दिया जाय, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है । मान्यवर, जिन काश्तकारों की जमीन ली गयी, उनके सामने रोजी-रोटी और भुखमरी का सवाल है । मान्यवर, 81 गांव 1987 में नगर-महापालिका द्वारा शहरी सीमा में मिला लिए गए : उन गांवों में शहरी सुविधा की कोई सुविधा आज तक नहीं दी गई । जिला योजना में वहां के लिए पैसा मिल नहीं सकता और महापालिका कोई काम वहां करना नहीं चाहती । दो-एक गांव जैसे निलमथा में सड़क नदारद है । बंगला बाजार और तेलीबाग में सफाई हो ही नहीं रही है । अगर सफाई जल्दी नहीं हुई तो एक माह में बीमारी शुरू हो जायगी और तमाम लोग मृत्यु के गर्त में चले जायेंगे । मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के मामले में यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने तमाम आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी पी0 एच0 सी0 में बदल दीं । मान्यवर, आयुर्वेदिक डाक्टर, एलोपैथिक डाक्टर को वहां पर बैठने नहीं दे रहे हैं..

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपना भाषण एक मिनट में सीमित करें ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप इसकी तत्काल व्यवस्था कराएं ताकि जो दसियों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य विभाग द्वारा खोले गए हैं, जिनमें एलोपैथिक डाक्टर बैठ नहीं पा रहे हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश करें कि वे इसकी व्यवस्था करें । मान्यवर, स्कूटर इण्डिया मेरे क्षेत्र में आता है । कहा जाता है कि भारत सरकार का है । डेढ़ सौ एकड़ जमीन ली गई है काश्तकारों की । पौने तीन सौ करोड़ का वह कारखाना जो इटली से बोगस कारखाना खरीद कर लाया गया था और लगाया गया था, जिसे 1972 में लगाया गया, मगर अब वह बजाज के हाथों सरकार ने 30 करोड़ में बेच दिया । जिसमें 25 करोड़ की सबसिडी दी गई । इस प्रकार 5 करोड़ में वह कारखाना बजाज के हाथों बेचने की साजिश की जा रही है । इससे बेरोजगारी और शान्ति की समस्या खड़ी हो जायगी जिससे हम सभी चिन्तित हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सदन केन्द्र सरकार को अपना यह सुझाव दे और प्रस्ताव करे कि जब यह कारखाना वहां के श्रमिक चलाना चाहते हैं तो उनको चलाने दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, दो मिनट चाहूंगा । जब शारदा सहायक की बात की जाती है...

श्री अधिष्ठाता–

अभी बजट आयेगा और उसमें सब बोलेंगे । अभी आपके सामने समय है । यह चर्चा अभिभाषण पर हो रही है (अब आप विराजें)।

श्री शारदा प्रताप–

इन शब्दों के साथ, माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा जो संशोधन के प्रस्ताव रखे गए हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री कल्लूराम रत्नाकर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने मिर्जापुर जनपद की ओर ले जाना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनपद मिर्जापुर जनपद है । विशालता के नाते माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि उसको दो भागों में विभक्त करके एक दूसरा जिला बनाया जायेगा। उसका नामकरण भी सोनभद्र के रूप में किया गया लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्या परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि अभी तक उसकी विधिवत घोषणा नहीं हो पाई है। आज हमारे क्षेत्र में या हमारे जनपद में इसको लेकर अनशन, प्रदर्शन और अनेक कार्यवाही प्रारम्भ हो गई है । अतः आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि मिर्जापुर जनपद को दो भागों में शीघ्र विभाजित कर दिया जाय । क्षेत्र की विशालता को देखते हुए यह कार्य शीघ्र सम्पन्न हो जाना चाहिए । मिर्जापुर जनपद में औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विद्युतगृह बहुत से हैं । जैसा कि विदित है कि वहां के मूल निवासी इसके लिए अपनी जमीन दिए, लेकिन उसका मुआवजा बहुतों को उचित रूप से नहीं मिल पाया है । वहां यह वादा किया गया था कि वहां के 80 प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया जायेगा । लेकिन, उसमें भी शिथिलता बर्ती जा रही है । वहां रोजगार दफ्तर में केयर आफ करके बाहरी लोग लोकल बनकर अपना पंजीकरण करा लेते हैं और अपनी नियुक्ति करा लेते हैं इसे रोका जाय । वहां इस समय वन विभाग के द्वारा वृहद् रूप से एक भूमि बन्दोबस्त की व्यवस्था चलाई गई है जिसमें गरीब आदिवासी जमीन जोत रहे हैं, बो रहे हैं लेकिन कागजातों में उनका नाम नहीं है । भूमि व्यवस्था में, जो प्रभावकारी व्यक्ति हैं अधिकारियों से मिलकर, बोने वाले व्यक्तियों को बर्खास्त करवा रहे हैं और वहां अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं, इसे रोका जाय ।

हमारे विधान सभा क्षेत्र में स्थित डाला सीमेन्ट फैक्ट्री की चिमनी से सीमेन्ट की राख निकलती है । मैंने इस संबंध में प्रश्न भी किया था, माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखा था कि इस निकलती हुई राख को रोका जाय इससे प्रदूषण फैल रहा है, अगल-बगल निवास करने वाले लोग परेशान हैं । उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । मेरे विधान सभा क्षेत्र में कनहर और विपुत दो नदी हैं, मेरे क्षेत्र क्या पूरे मिर्जापुर को दो भागों में विभक्त करती हैं, इन नदियों पर पुल बनाने का कष्ट किया

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जाय । इसी के साथ मैं आपका एक बार पुनः आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय दिया ।

श्री भगौती सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह आशा थी कि महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण से कुछ दिशा देंगे । लेकिन उनके अभिभाषण को सुनकर के और पढ़ करके, उनका अभिभाषण अर्थहीन और दिशाहीन साबित हुआ है ।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश का जो नौजवान है बेरोजगारी की स्थिति से गुजर रहा है । सरकार की जो चाल-ढाल है, उससे ऐसा नहीं लगता कि इन बेरोजगारों को कहीं रोजगार मिल सकेगा। मान्यवर, जब देश पर संकट आता है, मुसीबत आती है तो यही नौजवान देश की रक्षा करता है। जो देश की रक्षा करता है, उन नौजवानों की रोजी-रोटी का इन्तजाम करना सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिये। मान्यवर, मुझे अफसोस है कि उन लोगों को बेरोजगारी से निजात नहीं मिल रही है। मुझे उम्मीद थी कि महामहिम राज्यपाल इस सरकार को कोई दिशा देंगे कि जो बेरोजगार हैं, उनको कम से कम 100 रुपये गुजारा हेतु मासिक भत्ता दिया जाय ताकि आज इन नौजवानों को जिस तरह अपमानित होना पड़ रहा है, उनमें जो कुंठा व्याप्त हो रही है, उससे नौजवानों को बचाया जा सके। मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई दिशा महामहिम के अभिभाषण में नहीं मिलती है। मान्यवर, आज सबसे विषम स्थिति उन लोगों की है, जो वृद्ध है, चाहे वह किसी जाति के हों, चाहे वह किसी धर्म के हों, चाहे किसी भी वर्ग के हों। जब पौरुष घटता है, तो उस समय बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। हर परिवार का वृद्ध पौरुष घटने के बाद अशक्त हो जाता है और वह बहुत ही अपमान की स्थिति में अपना जीवन काटता है। यह सरकार का धर्म है कि कम से कम पौरुष घटने के बाद वृद्ध लोगों को अपना जीवनयापन करने के लिये कुछ व्यवस्था करें ताकि किसी को किसी का आश्रित होकर अपमानजनक जिन्दगी बिताने के लिए मजबूर न होना पड़े। मान्यवर, मुझे खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस विषम परिस्थिति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और न कोई सरकार को दिशा ही दी।

इसी तरह से मान्यवर, हमारे गावों में और शहरों-कस्बों में तमाम गरीब लोग हैं, जो सरकारी कर्जे से लदे हुये हैं। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वह कर्जा वापस दे सकें। बड़े-बड़े उद्योगपति जब कर्ज के भार से दब जाया करते हैं, तो अक्सर देखा गया है कि सरकार उनको राहत देती है और उनका कर्जा माफ करती है लेकिन गरीब आदमी जो 10 हजार, 5 हजार, 15 हजार के कर्ज वाले हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है, जेलों में बन्द किया जाता है, उनकी कुर्की की जाती है। मान्यवर, इस सरकार को उन लोगों को राहत देने के लिये सोचना चाहिये था और कम से कम 10 हजार रुपये तक के कर्जे वालों के कर्जे माफ करना चाहिये था।

इसी तरह से मान्यवर, अभी सरकार ने पिछले कुछ दिनों में नये जिले पुनर्गठित किये हैं, जैसे बंधा बांटे रेवड़ी, अपने-अपने को दीह जहां-जहां इस सरकार

की दिलचस्पी थी वहां गठन कर दिया गया। लेकिन जहां आवश्यकता थी, उसको जिला नहीं बनाया गया। मान्यवर, गोण्डा जिले में बलरामपुर को जिसे जिला बनाने की आवश्यकता थी और इसके लिये वहां पर लोग आन्दोलन कर रहे हैं, लोग आन्दोलित हैं और वहां जिला बनाने का पुराना वायदा भी कांग्रेस पार्टी के नेता और इस देश के प्रधानमंत्री का था। लेकिन इस वायदे को पूरा नहीं किया जा सका।

मान्यवर, इसी तरह से लखनऊ जिले में मलिहाबाद एक बड़ी तहसील है। आजादी की लड़ाई के समय से यह मांग चली आ रही है कि मलिहाबाद तहसील को तोड़कर दो हिस्सों में करके एक नई तहसील बख्शी के तालाब के नाम से गठित की जाय। लेकिन उसका भी यहां कोई जिक्र नहीं किया गया। मैं आपसे पुलिस व्यवस्था के बारे में भी कहना चाहता हूं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज पुलिस की क्या स्थिति है? लखनऊ में दिन-दहाड़े डकैतियां-चोरियां हो रही हैं। यहां हम राजधानी में बैठकर अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले रिवर बैंक कालोनी में दिन में 2 बजे डकैती पड़ी जिसमें 3 लाख से अधिक का सामान चला गया। आये दिन राम सागर इन्दिरा नगर और अन्य कालोनियों में कत्ल डकैतियां और चोरियां हो रही हैं, लेकिन पूरा प्रशासन निकम्मा हो गया है और पुलिस प्रशासन उसको रोक नहीं पा रहा है। अभी आपने भी सुना होगा कि लखनऊ में गाजीपुर थाने के एक दरोगा का कत्ल हुआ। मान्यवर, उस कत्ल के जो असली मुलजिम हैं, उनको पकड़ पाने में यहां की पुलिस पूरी तरह अक्षम रही है। कितने ही लोगों को प्रताड़ित किया। खुर्मनगर व फरीदीनगर के तमाम लोगों को 10-10 दिन तक थाने में बैठाया गया और उनकी दाढ़ी नोची गई। उनको मारा गया और पीटा गया। एक विशेष वर्ग के लोगों को अपमानित किया गया और अपशब्द कहे गये। खैर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं। आज तक उस दरोगा के कत्ल का पता नहीं चल पाया। जो पुलिस दरोगा के कत्ल का पता नहीं लगवा सके, ऐसी पुलिस को दण्ड देना चाहिये। असली मुलजिमों को पकड़ने में यह पुलिस असफल रही है।

मान्यवर, सड़कों की स्थिति के बारे में कहना चाहता हूं। श्री नारायण दत्त तिवारी जी जब अपना बजट पेश कर रहे थे तो तमाम नगरों व जिला हेड क्वाटरों पर चिकनी चुपड़ी सड़कें बना दी गई हैं, यह वह कह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि आज गांवों की सड़कों की स्थिति को देखा जाय। उन पर चलना मुश्किल है। जनता शासन काल के दौरान 105 किलोमीटर सड़क इस जिले में बनी थी, लेकिन आज उस पर बड़े-बड़े पत्थर पड़े हैं। जिसमें चकरपुर रथैया मार्ग है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमारे इन संशोधनों को भी जोड़ दिया जाय।

श्री बंशीधर राज–

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर भाई श्री लाल प्रताप सिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में चतुर्दिक विकास के सम्बन्ध में सरकार की सराहना करते हुये अपने विचार उन्होंने व्यक्त किये हैं। चाहे यह विद्युत के सम्बन्ध में हो, किसान के सम्बन्ध में हो या कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में

हां। इसमें कोई संदेह नहीं है कि माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास के कार्यों को एक नई दिशा मिली है और एक नई रोशनी मिली है। विकास के कार्यों की ओर उनकी लगनशीलता का इसी से पता लगाया जा सकता है कि अभी कुछ दिन पूर्व मेरे क्षेत्र में एक बसिगवां में खण्ड पड़ता है, वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी डेढ़ बजे रात विकास कार्यों की जानकारी और अधिकारी हेड क्वार्टर पर रहते हैं कि नहीं, इसका निरीक्षण करने पहुंच गये और निरीक्षण के बाद वह पौने तीन बजे वहां से वापस आये। प्रदेश के विकास कार्यों का इस तरह से निरीक्षण करने से विकास के कार्यों को एक नई दिशा मिलती है और मिलती रहेगी महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले जनतांत्रिक मूल्यों और प्रजातांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की सराहना की है। मान्यवर, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि टाउन एरिया, नोटीफाइड एरिया, महापालिकायें जिला परिषदें तथा सहकारी समितियों आदि के सभी के पूरे चुनाव कराकर सरकार ने जनतंत्र की रक्षा की है और जनतांत्रिक मूल्यों के लिए जन-प्रतिनिधियों का समावेश किया है, यह निश्चित ही सरकार का सराहनीय कदम रहा है। 20-सूत्रीय कार्यक्रम के सम्बन्ध में, जहां तक कार्य किये जाने का प्रश्न है, वर्ष 87-88 में 20-सूत्रीय कार्यक्रम में प्रदेश अग्रणीय रहा है। आज भी सराहनीय कार्य हो रहा है चाहे वह आवासीय व्यवस्था के संबंध में हो या निर्बल वर्ग को उठाने के सम्बन्ध में हो।

खाद्यान्न के उत्पादन के सम्बन्ध में जहां तक लक्ष्यों के निर्धारण का प्रश्न है, अभिभाषण में 123 मीट्रिक टन खरीफ के खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था जबकि पिछले वर्ष सूखे की समस्या रही है। इसमें 89 लाख मीट्रिक टन चावल का उत्पादन भी सम्मिलित किया गया है। रबी में 211 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित करके अगले वर्ष विशेष योजना चलाने का भी प्रस्ताव है जिसके तहत 363 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन निर्धारित किया गया है। 12 लाख मीट्रिक टन तिलहन के उत्पादन की योजना बनायी गयी है जिससे निश्चित ही कृषकों को लाभ मिलेगा और जो समस्या खाद्य तेलों की पैदा हो रही है, वह दूर होगी।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने भाषण को सीमित करें।

श्री बंशीधर राज–

इसी तरह से गन्ना किसानों के सम्बन्ध में महामहिम राज्यपाल जी ने जो अपने अभिभाषण में कहा है इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इस वर्ष गन्ना किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य दिया गया है। वर्ष 88-89 में गन्ना किसानों को जो मूल्य दिया गया है वह पिछले वर्षों की तुलना में सबसे अधिक है । पहली बार पूरे प्रदेश में गन्ने का सामान्य मूल्य घोषित किया गया है ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा श्री हरिशंकर तिवारी का नाम पुकारा गया)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह गन्ने का क्षेत्र है और गन्ने की पेराई का कोई समुचित साधन नहीं है। यहां पर एक चीनी मिल की नितान्त आवश्यकता है इस कारण इस क्षेत्र में चीनी मिल लगाने की मांग करता हूं।

इसी के साथ ही महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर आपने बोलने की अनुमति दी, आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जब देखा कि गोरखपुर जनपद की महाराजगंज नगरपालिका के चुनाव के समय वहां की जनता को जो झोले में वोट डालने के लिये बाध्य किया गया, इसका कोई जिक्र नहीं है, तो इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके साथ ही अपने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान मुख्य मंत्री एक अच्छे अर्थ शास्त्री और नियोजक हैं। हमारा विधान सभा का क्षेत्र राप्ती और घाघरा से घिरा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का 2/3 भाग अब तक प्रत्येक वर्ष बाढ़ से अभिशप्त हो जाता है। इस वर्ष 123 गांव बाढ़ में डूब गए। कठैं, नेवादा, असवनकरपुर आदि तथा काठिडिह पहिरिया, पिस्लौलिया टेढ़िया इस राष्ट्रीय मार्ग नं0 29 के दोनों तरफ के गांव राप्ती और सरयू नदी के कटान से अभिशप्त हैं लेकिन सुरक्षा का कोई उपाय नहीं किया गया है। मैं चाहूंगा कि जो प्रदेश के नियोजन की चर्चा होने वाली है, उसमें इस विधान सभा क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं की तरफ अवश्य ध्यान दिया जाय।

इन समस्याओं के अतिरिक्त हमारा विधान सभा क्षेत्र उद्योग शून्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से वहां कोई भी उद्योग नहीं लगाया गया है। मैं चाहता हूं कि जब नियोजन पर विचार किया जाय तब हमारे विधान सभा क्षेत्र को उद्योग के संबंध में वरीयता प्रदान की जाय।

दुर्भाग्य से भू0 पू0 मुख्य मंत्री हमारे ही जनपद से थे, वहां की ही यह दुर्दशा है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का अभी तक न तो परीक्षाफल ही निकला है और न अभी तक छात्रों का एडमीशन ही क्लोज हुआ है। महामहिम के आदेशों के बावजूद भी अभी भी वहां पर नई नियुक्तियां हो रही हैं जबकि इसके लिए स्पष्ट आदेश हैं कि नई नियुक्तियां न की जांय। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करा कर आप इस सम्बन्ध में अवश्य ही कार्यवाही करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री हरिशंकर तिवारी–

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां साउखोर-सिमरा मार्ग पर तरैना नाले पर पुल तथा पीडहनी धीरिया मार्ग पर भूतहा नाले पर पुल तथा हरैया से टेढ़िया बांध बनवाया जाय और सिमरा से पटना तक बांध की जो अत्यन्त आवश्यकता है, उसे बनवाया जाय। जब वहां पर बाढ़ का प्रकोप होता है, उससे सुरक्षा दिलाने के उपाय किये जाने चाहिए। अंत में, मैं नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर बल देता हूं।

श्री गजराज राम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, हमारा प्रदेश गांव का प्रदेश है, गांव का विकास प्रदेश का विकास है और इन तथ्यों के तहत मैं

आपके माध्यम से यह बतलाना चाहता हूं कि विकास की जो व्यवस्था है जिसे महामहिम राज्यपाल ने अपने भाषण में दर्शाया है वह एक जनतांत्रिक प्रणाली का स्वरूप है और उसके तहत गांव का विकास होना सुनिश्चित है । जैसा कि उन्होंने अपने प्रस्ताव में दिया है कृषि के क्षेत्र में, सड़कों के निर्माण के क्षेत्र में, औद्योगीकरण के क्षेत्र में, विकास का स्वरूप हर कड़ी से जुड़ा हुआ है । जैसे कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने बतलाया है कि 211 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य है और उसी के अनुरूप कृषकों को खाद की सुविधा, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सब चीजों को प्राप्त करने की सुविधा का अवसर दिया है । इसी तरीके से हमारे किसान भाई अपने परिश्रम से लक्ष्य की पूर्ति करने में सक्षम सिद्ध होंगे ।

मान्यवर, इसी तरीके से उन्होंने धन्यवाद के प्रस्ताव में यह संस्तुति की है कि पेयजल योजना को तीव्र गति से चलाया जाय । मैं इतना तो विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछली जो सूखा की स्थिति रही है हमारे प्रदेश की, कोई भी व्यक्ति चाहे वह हरिजन हो, चाहे गिरिजन हो या निर्बल वर्ग का हो या पिछड़ी जाति का हो, वह पेयजल के संकट से मर नहीं पाता ।

हां, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जौनपुर जिले में केराकत और मडियाहूं क्षेत्र में जो पेय जल का संकट पैदा हो गया था उसके लिए हमें आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करनी है और मैं इस ओर शासन का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां के निवासियों को पेय जल की सुविधा प्रदान करने के लिए हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जाय । ताकि उन्हें पेय जल के संकट से राहत मिल सके । इस तरह से मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि उद्योगीकरण के सिलसिले में भी हमारे यहां विचार किया जाए जैसा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में दर्शाया गया है कि उद्योग शून्य क्षेत्रों में उद्योग लगाये जायेंगे और इसी के तहत हमारे यहां नोयडा में उद्योग लगाये जा रहे हैं । इसी प्रकार से हमारी तहसील केराकत भी उद्योग शून्य है और इसके लिए हम अपने यहां की 110 हेक्टेयर भूमि जो ग्राम सभा की है, वह भी देना चाहते हैं, इसलिए इस पर यदि तत्परता से गौर किया जाए तो कुछ पिछड़ापन हमारे यहां का दूर हो सकता है । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

*श्री काजी कलीमुर्रहमान–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने इस अभिभाषण में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया । मैं आपके माध्यम से कुछ चीजें जो अभिभाषण में छूट गयी हैं, की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि आजमगढ़ जनपद हर प्रकार से पिछड़ा हुआ है, चाहे वह उद्योग का क्षेत्र हो, चाहे वह सड़कों के बारे में हो, स्कूलों और अस्पतालों के बारे में ही, हर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है, जिसका कोई जिक्र अभिभाषण में नहीं किया गया है, जो चीजें इसमें छूट गयी हैं, उनके बारे में इस आशा से कहना चाहता हूं कि उन पर विचार कर

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

यथाशीघ्र आगे बढ़ाने के निर्देश दिए जायं, उनमें सबसे प्रथम तो यह है कि परशुरामपुर को तहसील के रूप में घोषित किया जाए और गोपालपुर को ब्लाक के रूप में बनाने का निर्णय लिया जाए । साथ ही महुला गढ़वल बांध को सड़के के रूप में परिवर्तित किया जाय । साथ ही हमारे यहां आजमगढ़ में कुछ हरिजन आवास बनाएं जाएं ताकि इन बेचारों को रहाइश की सुविधा प्राप्त हो सके । साथ ही विद्युत उपकेन्द्र की भी स्थापना की जाए, जिससे समस्त उद्योग फलीभूत हो सकें और जनता को भी अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सके, इसी के साथ-साथ हमारे यहां शाहगंज से मऊ तक बड़ी लाईनरेल की व्यवस्था की जाए इससे भी उद्योग को काफी गति मिल सकती है और पेयजल योजना का कोई जिक्र हमारे यहां नहीं किया गया जिसकी परम आवश्यकता है, साथ ही लड़कों के लिए विद्यालयों और महिला विद्यालयों की परशुरामपुर में अत्यंत आवश्यकता है, इसकी व्यवस्था यथाशीघ्र कराई जाए और हमारे यहां के जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार दिलाए जाएं अथवा उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाये और इसी प्रकार से अल्प संख्यकों को सरकारी नौकरियों व अन्य प्रकार के रोजगार दिलाये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जाए । वैसे तो माननीय राजीव जी व माननीय तिवारी जी के नेतृत्व में काफी विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों व कर्मचारियों की वजह से प्रदेश विकास की ओर उस गति से नहीं बढ़ पा रहा है जैसे कि बढ़ना चाहिए, बैंकों में आज भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है, इसे भी दूर किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे आजमगढ़ में जो सड़कें अधूरी पड़ी हुयी हैं, उनको यथाशीघ्र पूरा करवाया जाए जैसे जगहा-बनकट, नसीरपुर-फलवरिया, शाहपुर-जैराज्यपुर और मन्दूरी से परशुरामपुर परशुरामपुर से जैराज्यपुर और इसी प्रकार से कुछ पुल हैं, जिनका निर्माण अत्यन्त आवश्यक है, जैसे भगरिया घाट जो आजमगढ़ में है, और शाहपुर जो गोरखपुर में है और बलिया कल्याणपुर जो मुबारकपुर में है तथा युवाघाट आदि पुलों का निर्माण यथाशीघ करवाया जाए । इसी प्रकार से आजमगढ़ में और बहुत सी छोटी बड़ी समस्याएं व्याप्त हैं, जिन पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद ।

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जो आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया उसे पढ़ने और सुनने का मौका मिला, उसमें जो बातें कहीं गयी हैं मजदूरों के दैनिक वेतन के बारे में । एन0 आर0 ई0 पी0 व जी0 आर0 एल0 पी0 में जो 18 रुपये प्रति दिन मानव दिवस के रूप में मजदूरी की बात कही गयी है, इस संबंध में मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि यदि कहीं भी इस मजदूरी के बारे में सर्वे करा लें तो बात आपके सामने स्पष्ट हो जायेगी कि कहीं भी यह मजदूरी लागू नहीं है । इसी प्रकार से मान्यवर, सिंचाई के सम्बन्ध में जितने भी काम हुये हैं, और जो मानव दिवस दिये गये हैं, सब फर्जी हैं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

दूसरे मैं कहना चाहता हूं कि जो हरिजन आवास के लिए 6 हजार रुपया दिया जाता है और दो हजार का ऋण दिया जाता है, तो इतने पैसे में कौन सा मकान बन पायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर दस हजार रुपया किया जाना चाहिये, जिस से कम से कम एक दो कमरे का मकान बन तो सके । एक और बात यह है कि एन0 आर0 पी0 का पैसा काटकर सड़कों के लिए दिया जा रहा है । मैं चाहता हूं कि इन सारी बातों का उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में होना चाहिए था ।

मान्यवर, जनपद गाजीपुर में काफी दिनों से यह मांग चल रही है कि कासमाबाद को तहसील बनायी जाये । इसके लिए तमाम आन्दोलन हुये, परन्तु उसको अभी तक तहसील नहीं बनाया गया है, मेरा निवेदन है इसको तहसील बनाया जाये । जनपद गाजीपुर में ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं के बराबर है । गांव वालों को बिजली नहीं मिल पा रही है । किसान जो कर्ज लेता है उसकी वसूली राजस्व वसूली की भांति की जा रही है । आप बैंकों में चले जाइये ट्रैक्टरों की लाइनें लड़ी हैं, लोगों से रिकवरी हो रही है और उनके पास इस समय पैसा नहीं है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वसूली का कार्य रबी की फसल के बाद से किया जाये ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, थोड़ा समय और दे दीजिए । हमारे यहां की सरकारी कताई मिल बन्द पड़ी है । बहादुरांज (गाजीपुर) की मिल बन्द पड़ी है ।वन संरक्षण के बारे में कहना चाहता हूं । पुलिस के लोगों को मिलाकर पेड़ों का कटान हो रहा है । इन चीजों के बारे में राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा गया है, इस प्रकार से यह एक खोखला भाषण है । किसी भी व्यक्ति को उद्योग लगाने के लिए वित्त निगम से रुपया नहीं दिया जाता है, कोई सहायता नहीं दी जाती है । कोल्ड स्टोरेज बन्द पड़े हैं और आलू भंडारण की समय आ गया है । वहां पर ट्रैक्टर आलू रखने के लिए लाइन लगाये खड़े रहते हैं । इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि आलू का भंडारण ठीक प्रकार से हो सके । जिला परिषद् के चुनाव किस प्रकार से जीते हैं, यह तो सभी को पता ही है । आज भ्रष्टाचार गांव-गांव में फैला हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मैं अपनी एक बात को कहकर समाप्त करता हूं । हमारे गाजीपुर जनपद में कई सड़के हैं, जो खडंजा स्तर तक बन गयी है, लेकिन उनको पिच नहीं किया गया है । मैं कुछ सड़कों के नाम आप को बताना चाहता हूं । एक तो हलबलपुर बरेसर पिंडारी मार्ग, सिधावर-पाली-राजघाट सलामतपुर, मटेहूं मरोदा सलामतपुर मार्ग, हैदरा बिजौरा कोर नखतपुर मार्ग, डंडापुर खजूरगांव कस्माबाद आदि सड़कों पर खडंजा लग गया है, लेकिन उनको पिच नहीं किया गया है । इस कार्य को सरकार को जल्दी करना चाहिये, जिससे वहां की जनता को सुविधा हो । एक और चीज है कि गोधनी नदी पर रेउवा घाट पर पक्का पुल बनाया जाये, जिससे लोगों के आने-जाने में सुविधा हो। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं अपने दल का अकेला सदस्य हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठिये ।

श्री मूल चन्द–

अनुसूचित जाति के लोगों के लिये बहुत गुण गाये जाते हैं, लेकिन घायल की गति घायल जाने । उसको आप नहीं जानते हैं । हमें भी उनके बारे में कहने का मौका दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल यह है कि मैं अपने दल का अकेला सदस्य हूं, मुझे भी समय देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

आपको उसी हिसाब से मौका मिलेगा ।

श्री देव कुमार यादव–

जब बहस समाप्त हो जायेगी क्या तब समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें । समय सीमित है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, समय सीमित है और उत्तर प्रदेश के सन्दर्भ में बात कहनी है । मैं समझता हूं राज्यपाल नें जो अभिभाषण दिया है उसमें एक बहुत बडी गलती हो गयी है और वह गलती यह है कि उसमें [xxx] का नाम नहीं है । आजकल [xxx] का नाम दिये बगैर कोई काम नहीं हो सकता है और [xxx] मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि वे उस अफसर को सिंचाई कर रहे हैं जिसने [xxx] के नाम का उल्लेख करने पर रोक लगाई है । आज उत्तर प्रदेश के विकास की बात कही जा रही है । मान्यवर, अभी पिछली 10 तारीख को उत्तर प्रदेश का जितना बड़ा अपमान प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है उससे पहले कभी इतना बड़ा अपमान नहीं हुआ है । वे बड़े-बड़े सी0 इन-सी0 [xxx] के हैं । जितने कांग्रेसी हैं उन सबको कह दिया "चुप" और जब उनके जिन्दाबाद के नारे लगने लगे तो बैठ गये । .... (व्यवधान) मेरा दुर्भाग्य नहीं था कि बैठ गया । लेकिन जो जो [xxx] डबल सी0इन-सी0 हैं.....

(व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

वे हमारे लीडर हैं । हमें कुछ भी कहें, गाली दें, आपको क्यों तकलीफ हो रही है । आप हमारे शुभ चिन्तक क्यों बन रहे हैं । आपको किसी भी चीज में मीन-मेख लगाने की आदत पड़ी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, भाई माथुर का कहना है कि उनके नेता उनको गाली दें, इनको क्या चिन्ता है । यह कांग्रेस पार्टी का अन्दरूनी मामला है । अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी में यह बात न कहीं गई होती तो हमारे कांग्रेस के भाई इतना न बौखला उठते । (व्यवधान)

श्री प्रदीप माथुर–

वे हमारे लिये कुछ भी कहें ।

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, अगर माननीय शतरुद्र प्रकाश जी मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ कह दूं . .

श्री शतरुद्र प्रकाश–

हमारा जो समय है वह इसमें न जोड़ा जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, श्री शतरुद्र प्रकाश जी रूल्स और रेगुलेशन के बड़े ज्ञाता हैं और इस समय यहां पर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है । मैं चाहूंगा कि वे अपने को उसी हद तक सीमित रखें । दूसरों की पार्टी में क्या होता है, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

श्रीमन्, मैं अपने योग्यतम डचल सी-इन-सी यानी चमचा इन चीफ का मैं बड़ा आदर करता हूं । सचमुच में मुझे उत्तर प्रदेश के अन्दर ही सीमित रहना चाहिए । अम्मार साहब का मैं बड़ा आदर करता हूं । वे मुझे दिशा-निर्देश देते हैं । मान्यवर, आप भाषण को देखें, राज्यपाल के अभिभाषण को । इसमें राजीव गांधी का नाम नहीं है और जो बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया है उसमें तो है . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो तजवीज पेश की है उस पर धन्यवाद के प्रस्ताव के बारे में आप अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

माननीय राज्यपाल महोदय ने भी केन्द्र सरकार का उल्लेख किया है जो कि उत्तर प्रदेश की परिधि के बाहर है। उत्तर प्रदेश केन्द्र सरकार की दया के बगैर चल नहीं पा रहा है । मेरा कहना है कि गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अधिवेशन में डांटा था वैसे यह इनका आंतरिक मामला है, ठीक नहीं है ।

मैं एक साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि गुलाम नबी आजाद समझ लें कि जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने साम्राज्यवाद के सामने सिर नहीं झुकाया और उसके [xxx] नहीं हुये तो [xxx] के गुलाम यहां के लिए नहीं हो सकते हैं (व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अधिष्ठाता–

जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में नहीं कह सकते हैं (व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं अपनी बात व्यक्त कर रहा हूं किसी पर छींटाकसी नहीं कर रहा हूं

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य बैठें, मैं देख लूंगा अगर कोई शब्द असंसदीय होगा तो निकाल दिया जायेगा ।

श्री हरदेव–

यह असंसदीय शब्द है "गुलाम" कहना ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें शांति बनाये रखें । मैं देख लूंगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं उन्होंने भगवत गीता का भक्तियोग का चौथा श्लोक उद्धृत किया मैं उसके आगे 5वां श्लोक उद्धृत करना चाहता हूं–

'क्लेशोऽधिकतरस्तेषा मव्यक्ता सक्तचेतसाम्

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते"

जैसे राजा के सभी बड़े छोटे अधिकारी राजा के ही द्वारा अधिकार पाते हैं परन्तु अधिकार प्राप्त अधिकारी को यदि राजा किसी कारण से पद से हटाना चाहे तो जितने विशिष्ट पदाधिकारी को पद से पृथक करना होगा राजा को उतना ही विशेष सावधान और सतर्क रहना होगा और यह भी अनुभव सिद्ध है कि कभी-कभी असावधानी के कारण राजा के सामने ऐसी भी समस्या उपस्थित हो जाती है कि अधिकारी विशेष अपने अधिकार बल से राजा को ही परवश कर देता है ।

तो कहीं ऐसा न हो कि श्री आजाद राजीव को ही परवश कर दें । अगर उनको नहीं हटाया गया तो वह उत्तर प्रदेश को दक्षिण में ले जायेंगे । मैं तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि मेरे इस श्लोक को सदन में न पढ़ कर [xxx] के सामने जरूर पढ़ दें वर्ना इससे पूरा-पूरा नुकसान होने जा रहा है ।

(इस समय 3 बजकर 8 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

मैं एक और निवेदन कर दूं कि यह सरकार अपनी नीतियों से भटक गयी है । इस समय पूरे प्रदेश में नेहरू शताब्दी मनाई जा रही है, वह महान व्यक्ति थे और देश के प्रधान मंत्री भी रहे हैं लेकिन उनसे इस प्रदेश में महान और विद्वान लोग हुये हैं जो पद में भले ही प्रधान मंत्री पद पर न रहे हों लेकिन उनकी योग्यता जवाहर लाल नेहरू से किसी माने में कम नहीं है जैसे आचार्य नरेन्द्र देव हैं, डाक्टर सम्पूर्णानन्द है या संत कबीर हैं । आप बनारस जाकर देख लें । वहां सम्पूर्णानन्द कालोनी में एक तारा-मंडल बनाने के लिये मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया था लेकिन उस पर कोई

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कार्यवाही नहीं हुई । आचार्य नरेन्द्र देव की जन्म शताब्दी मनाने के लिये अनुरोध किया गया लेकिन उस संबंध में कुछ नहीं किया जा रहा है । एक साधारण डाक टिकट जारी करने के लिये भी केन्द्र सरकार से सिफारिश नहीं कर रहे हैं । संत कबीर का नाम दुनियां जानती है तमाम दुनियां के लोग उनका आदर करते हैं लेकिन उनकी उपेक्षा की जा रही है कोई काम नहीं है । यह जो डायरी सूचना विभाग की ओर से दी गयी है, इसमें सभी का नाम तो है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है । ऐसा लगता है कि यह सरकार केन्द्र सरकार के, देश के राष्ट्रपति की उपेक्षा करने पर तुली हुई है। इसमें तिवारी जी का नाम भी है, मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम है और उनके [xxx] का नाम है । इसके अलावा इधर कई नये जिले बने, यह नये जिले बनवाते हैं, यह 89 के पहले बने हैं, लेकिन इसमें उन नये बने जिलों का नाम भी नहीं है। जिनका तिवारी जी ने अपने करकमलों से उद्घाटन किया है, उन जिलों का इसमें नाम नहीं आया है। मऊ, सिद्धार्थनगर, फिरोजाबाद का इसमें कहीं नाम नहीं है। 56 से 60 जिले हो गये, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं है । इसमें वही पुराने 56 जिले दिये गये हैं । तो, यह तो इस सरकार का हाल है।

कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, उसके सम्बन्ध में चाणक्य का एक श्लोक आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं । चाणक्य ने कहा है जिस देश में कानून व्यवस्था नष्ट हो जाती है, धर्म कार्य नष्ट हो जाता है, तो वह देश भी धीरे-धीरे अपने पतन की गति को जाता है और इस समय हमारे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। इसमें लिखा है—

"आत्मवर्ग परित्यज्य परवर्ग समाश्रयेत् ।
स्वयमेव लयं याति यथा राज्यममर्मतः ।।"

तो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज इस प्रदेश, देश और सरकार में कोई नहीं रह गयी है। इस प्रदेश का मालिक कौन है यह भी कहना कठिन है, क्योंकि कानून और व्यवस्था की इतनी स्थिति बिगड़ चुकी है। आप देखें यहां के पड़ोसी जिले बाराबंकी का एस0 पी0, जो ईमानदार और सख्त था, तस्करों और समाजद्रोही लोगों के प्रभाव से हटा दिया गया । बनारस में महापालिका चुनाव के दौरान बालाजी पाठक की थाने में नृशंसता पूर्वक पुलिस द्वारा हत्या कर दी गयी और सीतापुर के जिलाधिकारी को जिस तरह से मुख्य सचिव और गृह सचिव की अनुशंसा के बाद हटाया गया है वह भी अपने में एक मिसाल है। उससे ज्यादा घिनौनी कानून व्यवस्था की कोई हालत नहीं हो सकती है। यह ठीक है कि आपने लोकतन्त्रीय ताकतों को अधिकार दिया है, लेकिन अपने विरोधी पक्ष के कहने के बाद दिया है । परन्तु जो नगर महापालिकाएं हैं, उनमें सारा कार्य, सारा विकास कार्य विकास प्राधिकरण के जरिये हो रहा है और इन विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

नोट—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कमिश्नर और आई0 ए0 एस0 अधिकारी लोग हैं। जब तक इन महापालिकाओं को उनके अधिकार और कार्य वापस नहीं दिये जायेंगे, लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता है।

एक बात और कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर उस महापालिका के चुने हुए महापौर को बिठाया जाना चाहिए और उपाध्यक्ष भी उसका चुने हुए सभासदों के बीच से ही बनाया जाना चाहिये । इस समय यदि सचमुच में सरकार प्रदेश का विकास करना चाहती है और देश को गति प्रदान करना चाहती है तो उसे तेजी से विकास करना होगा ।

आज दर्जा 8 के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की बात कही गयी है, जबकि हमारे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अपेक्षानुसार इसे 52 से पहले हो जाना चाहिए था । यह 40 साल बाद आठवीं कक्षा के बच्चों की मुफ्त शिक्षा दी जा रही है । यदि आज इसी गति से विकास होता रहा तो यह विकास नहीं उत्तर प्रदेश का ह्रास और नाश हो रहा है। यह काम 52, 54 और 60 में हो जाना चाहिए था । 89 में करके आप प्रदेश को आगे नहीं ले जा रहे हैं।

अन्त में, राज्यपाल के अभिभाषण में जो संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, उसका समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

(मुख्य मंत्री का नाम पुकारे जाने और उनके खड़े होने पर)

*श्री देवकुमार यादव—

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है। मैं अकेला सदस्य हूं अपने दल का । मैंने आपसे प्रार्थना की थी और अधिष्ठाता महोदय से भी प्रार्थना की थी, कुछ समस्याएं हैं, जिन पर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि हर दल की तरफ से बात अवश्य आनी चाहिए । बार-बार खड़े होने पर भी मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला तो फिर मेरे यहां बैठने का औचित्य क्या है ? मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि हमारी बात को सुन लिया जाए ।

*नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)—

इनकी बात ठीक है, इनको भी मौका दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

चलिये दो मिनट में बात समाप्त कर दीजिए ।

श्री देव कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया और तिवारी जी हमारे प्रदेश के ऐसे व्यक्ति हैं, जिनसे प्रदेश बहुत अपेक्षा रखता है और हमें उम्मीद थी कि उनके माध्यम से जो बजट आ रहा है या जो अभिभाषण प्रस्तुत किया जाएगा, उसमें कुछ बुनियादी चीजें अवश्य आयेंगी । सबसे पहली बात तो प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

में जो स्थिति बनी हुई है, मुझे उम्मीद है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि मंदिर के विवाद के समाधान की निश्चित घोषणा होगी, लेकिन वह नहीं हुई । हमारे प्रदेश के ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे बहुत सी अपेक्षाएं इस प्रदेश की जनता करती है और हमें उम्मीद थी कि इनके माध्यम से जो बजट आ रहा है या जो अभिभाषण प्रस्तुत किया जायेगा, उनमें कुछ बुनियादी चीजें अवश्य आएगी सबसे पहली चीज प्रदेश में जो स्थिति 3-4 वर्षों से बनी है, मुझे उम्मीद थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के विवाद के समाधान के सम्बन्ध में कोई घोषणा अवश्य होगी, लेकिन नहीं हुई ।

दूसरी चिन्ता थी कि आज जो बेरोजगारी की समस्या है, उसमें सरकार बेरोजगार लोगों के लिये भत्ते की घोषणा करेगी । तीसरी चीज यह थी कि इस प्रदेश में, जो कि एक खेतिहर प्रदेश है, उसमें खेती को उद्योग के रूप में अवश्य मान्यता दी जायगी । चौथी समस्या मान्यवर, जो मैं उम्मीद करता था जो मा0 शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि इस भाषण में मा0 राजीव गांधी का नाम नहीं है, लेकिन मैंने पूरा भाषण पढ़ा, इसमें बुन्देलखण्ड नाम का कोई उल्लेख नहीं है और प्रदेश में बुन्देलखण्ड के विकास की समस्या पर एक नयी तरह का आन्दोलन जन्म ले रहा है । एक तरफ उत्तराखण्ड प्रान्त जन्म ले रहा है, इसी तरह से बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल का नाम चल रहा है । मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमको पी0 ए0 सी0 नहीं चाहिये, पानी, अनाज, सड़क और परिवहन की व्यवस्था चाहिये । लेकिन बुन्देलखण्ड के संबंध में एक भी शब्द की चर्चा इसमें नहीं है । मैं इसमें गहरा क्षोभ व्यक्त करता हूं और बताना चाहता हूं कि एक आन्दोलन बुन्देलखण्ड की जनता की ओर से शुरू हो रहा है । बुन्देलखण्ड बनाने की मांग शुरू हो रही है । एक नारा दिया जा रहा है कि "बुन्देलखण्ड की यही कहानी, न खेत को पानी, न पेट को पानी" ।

बांदा में कई जगह अनशन शुरू हो गये हैं । एक नारा किसानों ने दिया है "बिना सींच के खेती-बारी, हम न देंगे मालगुजारी" इस तरह से एक आन्दोलन शुरू हो रहा है । बांदा के गांवों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस समय बांदा और पूरा बुन्देलखण्ड सूखा और डकैत प्रभावित है । बांदा जनपद के लोग डकैती और पुलिस के उत्पीड़न से इतने प्रभावित हैं कि लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं । प्रशासनिक समस्या हमारे जनपद में ऐसी है कि एक तरफ आई0ए0एस0 लोगों को ट्रेनिंग के लिये बांदा भेज दिया गया । पुलिस के आई0पी0एस0 को ट्रेनिंग के लिये भेज दिया गया, लेकिन इस समय बांदा में एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया गया है कि जिसकी प्रशासन में मिसाल नहीं है । पिछली मार्च में एक गैंग द्वारा गुलाब सिंह के बच्चे का अपहरण किया गया और 20 हजार की फिरौती की मांग हुई । उसको 30 हजार की चांदी देकर छुड़ाया गया तो कहा गया कि 70 हजार का बकाया नहीं दिया गया तो बच्चे का कत्ल कर देंगे । मैं उस व्यक्ति को लेकर 3 बार पुलिस अधीक्षक से मिला । शुरू में दो बार उन्होंने कहा कि करेंगे । तीसरी बार उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता । इसके बाद मान्यवर, उसके बच्चे को दिन में घर से खींच लिया गया और गोली मार कर लाश में आग लगा दी । इसी तरह से गोण्डा थाने का एक सिपाही मुठभेड़ में मारा गया था । एस0 पी0 का कहना था कि क्योंकि इस गांव में एक सिपाही मारा गया है, इसलिये वहां सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे ।

पिछली 29 तारीख को, मा0 मुख्य मंत्री जी सुन लें, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है उस गांव में एक कत्ल के सिलसिले में एक कुर्की हुई थी । एक दुकानदार भइया लाल गुप्ता के ऊंट पर पुलिस कुर्की का माल ले गयी । डकैतों ने कहा तुम माल ले गये थे, इसलिये थाने से लाओ, नहीं तो कत्ल कर देंगे । (समय 3 बजकर 10 मिनट) पुलिस ने कोई व्यवस्था नहीं की । 29 तारीख की रात में वहीं डकैतों का गिरोह गया और उसको पकड़कर पेड़ में उल्टा टांगकर 16 गोलियां मारी। पूरे गांव में दहशत फैली है पूरा गांव खाली हो रहा है, मैं 13 तारीख को वहां गया था सबने कहा कि सुरक्षा की व्यवस्था कीजिए । फिर से डकैती पड़ गई है बदौसा थाने का दरोगा कुछ गुण्डे पाले हुए हैं ...

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री देव कुमार यादव–

जो गरीबों के घरों में घुस कर, हरिजनों के घर में घुसकर डकैतियां डालते हैं और बलात्कार करते हैं मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां की इज्जत आबरू को बचाने के लिए बांदा के थानाध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए ...

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री देव कुमार यादव–

बुन्देलखण्ड की समस्याओं के बारे में कहना चाहूंगा वहां की समस्याओं के लिए ऐसे कारगर कदम उठाने चाहिए जिससे वहां की समस्याओं का निदान हो सके । किसानों पर जो जुल्म हो रहा है उसको समाप्त किया जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया ।

*मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मैं विनम्रतापूर्वक आपकी अनुज्ञा चाहता हूं कि मैं माननीय सदस्य जनपद प्रतापगढ़ श्री लाल प्रताप सिंह जी द्वारा प्रस्तुत और माननीय सदस्य मेरठ श्री राजेन्द्र शर्मा जी द्वारा समर्थित राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद का समर्थन करूं । श्रीमन्, दोनों माननीय सदस्यों का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक बड़े ही सूक्ष्म रूप में, संक्षेपरूपेण अभिभाषण की विशेषताओं का उल्लेख किया और सदन के सामने इस सत्र में जो विषय विशेष विचार के लिए आ रहे हैं उनका भी उल्लेख किया इस संदर्भ में मैं माननीय नेता विरोधी दल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए था ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आगे चलिए मैं आपका आभार ही व्यक्त नहीं करूंगा बल्कि भार भी डालूंगा । श्रीमन्, मैं बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इस बात का

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

भरसक प्रयास किया कि नेता विरोधी दल के अनुरूप एक गम्भीर विचारशील और तथ्य से युक्त भाषण, जो एक मंजा-मंजाया भाषण था, ऐसे मंजे-मंजाए भाषण का विरोध करना बड़ा ही कठिन होता है । ऐसे कठिन कार्य को सम्पन्न करने का कार्य नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने किया, उनका प्रयास भले ही सफल न रहा हो, लेकिन प्रयास अवश्य किया, इसलिए भी मान्यवर, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। विरोधी दल के सभी सदस्यों ने बहुत समय बाद ऐसी परम्परा कायम की, कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के अवसर पर जो व्यवस्था रही, भले ही वह बहिष्कार की रही हो, वह ऐसे वातावरण की रही जिससे सदन में राज्यपाल जी शान्तिपूर्वक अभिभाषण दे सके, इसके लिए भी विरोधी दल के सदस्यों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं इसका एक कारण भी है हम सबको महसूस होना चाहिए, नेता विरोधी दल के जितने नेता हैं, विपक्ष की सरकारें 6-7 प्रदेशों में काम कर रही हैं वहां क्या होता है उसका प्रभाव वहां पड़ता है और यहां क्या होता है इसका प्रभाव वहां पड़ता है, इसलिए सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सदन में कैसा व्यवहार हो । हम एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, हमें अपने व्यवहार को मर्यादित रखना चाहिए । भिन्न-भिन्न मर्यादाओं पर चलने पर संसदीय जनतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है ।

अभी हमारे प्रदेश में स्थानीय निकायों का गठन हो गया । 98 प्रतिशत निकायों का गठन हो गया जो एक दो रह गये हैं वह कोर्ट के स्थगन के आदेश के कारण रह गये हैं वहां भी चुनाव हो जायेंगे ।

अब वह भी मिनी पार्लियामेंट और मिनी एसेंबलीज बन चुकी हैं। एक-एक महानगर पालिका में 100, 90, 80 सदस्य और नगरपालिका में 60, 70, 80 सदस्य बैठते हैं और उनके सामने भी बहुदलीय परिपाटी, पद्धति आ रही है। आप श्रीमन् कल्पना करें कि यह मिनी संसदें, यह ग्राम सभायें, खण्ड विकास समितियां, जिला परिषदें, नगर पालिकायें, टाउन एरियाज यह भारतीय जनतंत्र की लेबारेट्रीज हैं। भावी सांसद और विधायकों को जन्म देने वाली यह बुनियादी संस्थायें हैं और लोकतंत्र की इन बुनियादी संस्थाओं को शक्तिशाली होना चाहिए। हम यहां जो व्यवहार करते हैं वह समाचार-पत्रों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से उन तक पहुंचता है और उसका असर उनकी कार्यवाही पर पड़ता है। अगर हम यहां अपना कार्य जनतांत्रिक ढंग से, मर्यादित ढंग से नहीं करेंगे तो उसका असर उन पर पड़ेगा । इस संदर्भ में जो प्रयास यहां पर हुआ है मैं उसका स्वागत करता हूं। अभी हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है लेकिन उसके विस्तार में इस समय जाने की आवश्यकता नहीं है, समय समय पर हम उन सारे प्रश्नों पर विचार करेंगे।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कोई योजना का परिपत्र नहीं है। यह कोई 5 इयर्स प्लान का डाकूमेंट, पंचवर्षीय योजना का प्रारूप या उसकी पूरी रिपोर्ट नहीं है। अगर हम संविधान को देखें तो राज्यपाल का अभिभाषण जो सत्र के सामने मुख्य विषय आने वाले हैं उनका दिग्दर्शन उनके लिए आह्वान और संक्षेप में जो मुख्य-मुख्य बातें हुयी हैं उस दौरान, उनका उल्लेख उसमें होना चाहिए । श्रीमन्, यहां पर कोई

माननीयों ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में यह नहीं उल्लेख किया गया है, वह नहीं उल्लेख किया गया है तो सारी बातों का, सारे प्रश्नों का उल्लेख जो प्रदेश के सामने हैं, किसी भी राज्यपाल के अभिभाषण में जो किसी भी दल द्वारा दिया गया है, उसमें न हुआ है, न आज हो सकता है न आगे सम्भव है। हर बात का उल्लेख, हर समस्या के समाधान का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में होना सम्भव नहीं है। जो मुख्य-मुख्य बातें हैं उनको लिखा जाता है और हर एक मुख्य बात भी लिखनी मुश्किल है। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर वह राज्यपाल का अभिभाषण नहीं रह जायगा वह एक डाकूमेंट एक परिपत्र, पुस्तिका हो जाता है और संविधान के अर्थों में उसका महत्व नहीं रह जाता है, कम हो जाता है।

श्रीमन्, ऐसा एक संयोग हुआ, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लगभग 3–4 दिन बाद मुझे यहां आय-व्ययक प्रस्तुत करना पड़ा, ऐसा अवसर आया। मैं इस समय बजट के बारे में बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं उसका अवसर मिलेगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और बजट दोनों साथ-साथ सामने आये। माननीय नेता विरोधी दल ने जो मोटी-मोटी बातें सामने रखीं, जितने बिन्दु उन्होंने उठाये उसमें से 2/3 का उत्तर बजट भाषण में मैंने दिया है। (मेजों की थपथपाहट) मैं, जब वह बोल रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि इनका उत्तर उन्हें कल ही मिलने वाला है। श्रीमन्, मुझे जरा कष्ट हुआ, कष्ट मुझे इस बात का हुआ कि उन्होंने कहा कि विकास कार्य चुनाव कराने से रुक गये स्थानीय निकायों के चुनाव 6 महीने होते रहे उसके कारण विकास कार्य रुक गये। श्रीमन्, हम क्या करते, क्या चुनाव न कराते। क्या उनका यही मतलब था कि हमने चुनाव कराकर गलती की है। विकास कार्य रुक गये इसलिए चुनाव न कराता मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं। माननीय नेता विरोधी दल के मस्तिष्क में कहीं न कहीं यह परिभाषा थी कि या तो चुनाव कराते या विकास कार्य करते। लेकिन श्रीमन् प्रजातंत्र में चुनाव भी होते रहते हैं और विकास कार्य भी होते रहते हैं और यही उत्तर प्रदेश में हुआ, विकास कार्य भी होता रहा और चुनाव भी होते रहे हैं। इसका प्रयास हमने किया है और आगे भी ऐसे संदर्भ अनेक आयेंगे। कभी लोक सभा के चुनाव होंगे, कभी विधान सभा के चुनाव होंगे, कभी उप चुनाव होंगे और विकास की गति भी चलती रहेगी। हर प्रजातंत्र में ऐसा होता है हमें ऐसा करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं नेता विरोधी दल से आग्रह करता हूं कि वह इसकी शिकायत अगर न करें तो यह प्रजातांत्रिक मर्यादा के अनुरूप होगा।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, यहां पर जरा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसे मैं विद्वान मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैंने जो अपना संशोधन प्रस्ताव रखा था, उसमें मैंने यह कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जैसे नगर पालिका के चुनाव पिछले 16 वर्षों से नहीं हुए और वह चुनाव 16 वर्ष के बाद हुए, पिछले समय आपकी ही सरकार थी, गांव सभा के चुनाव हुए पिछले 5 साल पूरे हुए, तो जिला परिषद् के चुनाव करा पाये और ब्लाक प्रमुख के बाद जिला परिषद् गठित कर पाये। मैं कह रहा था कि जो सारे के सारे चुनाव खत्म हुए हैं, मैंने एक उदाहरण दिया था कि खाना खाना अच्छा है लेकिन एक साथ 4 बार खाना खाने से कब्ज हो जाती है। मान्यवर, चुनाव कराइये अच्छा है

लेकिन वहीं व्यवस्था यह भी आपको करनी चाहिए कि पूरे जिले का जो बजट था जो आपके राज्य विकास अधिकरण का जो बजट था उससे विकास हो उस हिसाब से करना चाहिए था, वह अवरुद्ध नहीं होना चाहिए था, वह अवरुद्ध हुआ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, आप देख रहे हैं जो माननीय नेता विरोधी दल ने स्पष्टीकरण मुझे दिया है। उन्होंने मुझे चुनाव एक साथ करा देने से अपच हो गया, कहा। (हंसी) कब्ज तो कहा ही आपने। श्रीमन् मुझे तो याद है कि जब इस सदन में कहा गया कि चुनाव कराना ही नहीं है, यह टाल तो रहे ही हैं, ऐसा कहते ही रहते हैं, चुनाव तो होते ही नहीं।

श्रीमन्, मैं यह नहीं कहता कि मुझे बधाई दीजिए, धन्यवाद दीजिये या कुछ कहिये, कम से कम कब्ज की बात तो न करिये और कब्ज हो गया चुनाव की वजह से।

श्री सत्य पाल सिंह–

16 वर्ष के बाद चुनाव करा पाये फिर भी आप बधाई चाहते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

धन्यवाद, धन्यवाद। श्रीमन् इस बात के पीछे से हमारे मित्र कह रहे हैं कि यह खत्म कब हुआ था मैं उसकी याद नहीं दिलाना चाहता हूं वह कड़वी बात हो जायेगी, मिठास के मौके पर।

(श्री भगवान दीन कुशवाहा द्वारा बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कुशवाहा जी आसन ग्रहण करें, माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आपने जो कहा, 77 वगैरा की याद दिलाई उसका ख्याल अच्छा है। श्रीमन्, नेता विरोधी दल ने एक बात का उल्लेख किया कि चुनाव की वजह से जो जिला योजना थी उनका परिव्यय स्वीकार नहीं हो सका। श्रीमन्, हमारे पास आकड़े हैं। जिला सेक्टर का मूल परिव्यय था बजट में 1988-89 का 502 करोड़ 76 लाख इसमें से 31 दिसम्बर तक 434 करोड़ 11 लाख रुपया रिलीज हो गया जो विशेष स्वीकृतियां हैं इसमें से 21 करोड़ 82 लाख रुपया किश्तों में जारी होना था, वह भी जारी हो रहा है। बाकी जो रह गया है 46 करोड़ जिला सेक्टर का वह ऐसी स्वीकृतियां थी जिनका विवरण जिलों से आना था, वह विवरण आ रहा है। मैंने उस संबंध में आदेश दे दिये हैं कि 46 करोड़ भी शीघ्राशीघ्र जो भी गल्तियां हैं उनको रिकन्साइल करके पारस्परिक समन्वय करके रिलीज किया जाय। तो यह 434 करोड़ रुपया जिसमें कुछ और रिलीज हो गया है तो नेता विरोधी दल सहमत होंगे कि चुनाव की वजह से काम रुका नहीं है। श्रीमन्, आंकड़े इस बात के साक्षी हैं। मैं आंकड़े देने का आदी नहीं हूं। चुनाव भी होते रहे और विकास कार्य भी होते रहे। जितने भी मैंने आंकड़े दिये हैं बीस सूत्रीय कार्यक्रम में प्रगति के यह उन्हीं आधार पर हैं जो काम हुआ, जो आंकड़े हुए। इस

बीच कुछ कार्य करने के ढंग को और तेज करने की कोशिश की है कार्य पहले से ही तेज था। एक नया मोड़ देने की कोशिश की है अभी स्वयं मुझ जैसे सेवक को 40 ब्लाकों में, पिछड़े विकास खण्ड में जाने का अवसर मिला। जितने भी उच्चाधिकारी हैं, सहयोगी मंत्री हैं, मानिटरिंग का एक नया स्वरूप सबके सामने रखा। पारटीसिपेटरी मानीटरिंग अनुश्रवण भागीदार होकर करें। भागीदारी के आधार पर अनुश्रवण यह नीति अपनायी है। सम्मानित सदस्यों का विपक्ष के सम्मानित सदस्यों का इसमें सहयोग चाहूंगा। कार्यक्रमों में नहीं देखते हैं कि कहां विपक्ष का एम0एल0ए0 है, कौन एम0पी0 है, कहां कौन है यह सारा प्रदेश का कार्यक्रम है। जहां हमारे एम0पी0 हैं, वहां विपक्ष के एम0एल0ए0 हैं। सारे ब्लाकों में यह कार्य समान रूप से चल रहा है। विपक्ष के कुछ सम्मानित सदस्य कहते हैं कि आंकड़े फर्जी हैं।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम आपका यह कार्यक्रम है, डी0आर0डी0ए0 की हर जिले में गवर्निंग बाडी होती है, जिसके सम्मानित सदस्य-सदस्य हैं। डी0आर0डी0ए0 के संचालन में सभी पक्ष के अधिकांश सदस्य भाग लेते हैं, दिलचस्पी लेते हैं और पूरी कोशिश करते हैं, जिला स्तर पर बीस सूत्रीय कार्यक्रम सफल है। अधिकांश विपक्ष की तरफ बैठने वाले विधायक भी जिला स्तर पर विकास अभिकरण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण डी0आर0डी0ए0 की बैठकों में भाग लेते हैं। गवर्निंग बाडी के हाथ में पूरा अनुश्रवण है। ब्लाक समितियों में जाने का आपको पूरा अधिकार है। हर ग्राम्य विकास अभिकरण की मेरे पास इतनी मोटी सूची रखी हुई है जिसमें हर गांव सभा के लाभार्थियों के नाम प्रकाशित किये गये हैं कि फलां ब्लाक के फलां गांव के यह लाभार्थी हैं यह इन्दिरा आवास योजना में है बोरिंग में है स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के हैं, बैंकों से लोन लिया है या डी0आर0डी0ए0 के प्रोग्राम के हैं। सबके नाम छपे रहते हैं। मैं जितने भी ब्लाक में गया स्वयं देखने का प्रयास किया कि वहां पर लाभार्थियों के नाम छांटे गये हैं। मैंने देखा 99 प्रतिशत ब्लाकों में वहां पर लाभार्थियों का रजिस्टर था वहां पर प्रकाशन हुआ था। डी0आर0डी0ए0 में सारी सूचना प्रकाशित थी। फर्जी रिपोर्टिंग कहीं हुई है, तो माननीय सदस्य कृपा करके बता दें मुझे बता दें, यदि कहीं पर फर्जी रिपोर्टिंग हुई है, हम अपनी गल्ती सुधारेंगे। आर्थिक रजिस्टर का जहां तक प्रश्न है, 1982-83 से कार्य हुआ हर गांव में आर्थिक रजिस्टर बना हुआ है। मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से कि जब कभी ब्लाकों में जायं गांव का आर्थिक रजिस्टर देखें। गांव का आर्थिक रजिस्टर गांव का गजेटियर है उसमें सारी सूचना गांव की है, कितने परिवार हैं, कौन से परिवार हैं, परिवार के सदस्यों के नाम क्या हैं, उनकी हैसियत क्या है, कितनी जमीन उनके पास है, ट्यूबवेल है, ट्रैक्टर है, कितनी सहायता मिली है, पूरा इतिहास आर्थिक रजिस्टर में गांव का लिखा रहता है।

श्री शारदानन्द अंचल–

हमारे बलिया जनपद में तो कहीं भी गजेटियर उपलब्ध नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष–

अंचल जी, आप आसन ग्रहण कीजिए, इस तरह बीच में ठीक नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मुख्य मंत्री जी आप गजेटियर की बात कर रहे हैं, आप खुद पता लगवा लें, इस तरह के गजेटियर किसी भी जनपद में नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आप हमारी बात पूरी सुन तो लें। मैं कह रहा था कि आर्थिक रजिस्टर सभी ब्लाकों में रखे हुए हैं। श्रीमन्, आर्थिक रजिस्टर सभी ब्लाकों में बन चुके हैं और यह आदेश दिया गया है कि आर्थिक रजिस्टर की एक कापी ग्राम सभा में भी रखी जाय, यह आदेश अभी हाल ही में दिया गया है। वैसे तो हर गांव में, हर ब्लाक में आर्थिक रजिस्टर मौजूद हैं। अगर फिर भी किसी ब्लाक में यह न हों, तो मुझे बताइये मैं व्यवस्था करूंगा। जहां तक मेरी सूचना है, प्रकाशित होने में और रखे जाने में किसी ग्राम विकास अधिकारी से त्रुटि रह गयी हो लेकिन प्रदेश के 99 प्रतिशत ग्राम सभाओं में आर्थिक रजिस्टर बन चुके हैं।

श्री शारदानन्द बंचल–

शियर ब्लाक भी ले लीजिये ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

ठीक है, हम देखने आ जायेंगे। श्रीमन्, इन आर्थिक रजिस्टरों से यह मालूम होता है कि लाभार्थियों में किन-किन व्यक्तियों को सहायता मिल चुकी है। असली कमी कहां है कमी यह है कि ग्राम सभाओं में सभी खुली ग्राम सभा की बैठक में लाभार्थियों का चयन नहीं हो पाता है। इस कमी को दूर करने के लिये होना यह चाहिये कि अपने-अपने गांवों में जो ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में लाभार्थियों का चयन हो तो आधी समस्या का हल ऐसे ही हो जायेगा।

(तालियों की गड़गड़ाहट)

इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य अपने-अपने गांवों की ग्राम सभा की बैठकों में जैसे यहां दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हैं, वैसे ही ग्राम की दर्शक दीर्घा में लोग बैठें और देखें कि कैसे वहां कार्यवाही चल रही है।

(तालियों की गड़गड़ाहट)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी अभी हमारे जनपद शाहजहांपुर में 3 तारीख को गये थे और वहां ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बिलहरी ग्राम सभा में गये, इतने में गांव वाले वहां इकट्ठा हो गये और तब मुख्य मंत्री ने पूछा कि ग्राम सभा की बैठक हुयी तो गांव वालों ने कहा कि न तो कबहुं भई है और न कबहुं होत है, इ तो केवल लिखा पढ़ी में हुई जात है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

श्रीमन्, मैं यह धृष्टता करने वाला नहीं था कि माननीय नेता विरोधी दल से कहा कि वहां बैठक नहीं होती। मैंने तो एक गांव में आकस्मिक निरीक्षण किया और गांव वालों ने बताया कि ग्राम सभा की बैठक नहीं हुयी। इसीलिये तो मैं कह रहा हूं कि असली काम यही है कि ग्राम सभा की खुली बैठकों में लाभार्थियों का चयन किया जाय, इनका चयन न होना सबसे बड़ी कमी है यह तो मैं कहने की धृष्टता करता ही नहीं मैं अपने क्षेत्र में तो कह सकता हूं लेकिन ऐसा कहना आपके क्षेत्र के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता है कि शाहजहांपुर में ग्राम सभाओं की बैठक ही नहीं हुआ करती है। हम भी

जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार हैं। यह सरकार आपकी भी है। यदि आप सरकार को जिम्मेदार ठहरायेंगे तो हम भी कह सकते हैं कि जन प्रतिनिधि होने के नाते आपने 14 साल से ग्राम सभाओं की बैठकें क्यों नहीं करवाईं। ग्राम सभाओं की बैठक होनी चाहिए। हम सबको यह देखना चाहिए कि यह कैसे हो सकता है।

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल की एक बात को सुनकर और कष्ट हुआ कि उन्हें कम्प्यूटरों से नाराजगी है। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर लगना आवश्यक नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि कर्नाटक में जनता दल की सरकार है आज वहां पर सबसे ज्यादा कम्प्यूटर हैं। हरियाणा में भी आज तक हमने कोई ऐसा बयान नहीं पढ़ा या सुना कि वह कम्प्यूटरों के खिलाफ है। वहां पर कारखानों में सबसे ज्यादा कम्प्यूटर प्रयोग हो रहे हैं। आन्ध्र में 5-6 साल पहले से कम्प्यूटरों का प्रयोग हो रहा है। पश्चिम बंगाल में कोशिश हो रही है। आसाम में कम्प्यूटरों के लिए खुद वहां के मुख्य मंत्री जी ने मुझसे बात की थी। कम्प्यूटर तो आधुनिक युग का टाईप राइटर है जिन्हें रखना आज के युग में जरूरी हो गया है अपनी सुरक्षा के लिए और विकास के लिए। मैं माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि उनके मुंह से कम्प्यूटरों का विरोध करना शोभा नहीं देता है। अगर उन्हें विरोधी दल में ही बैठा रहना है तो ठीक है। अगर हमें जिम्मेदारी सम्भालनी है चाहे वह केन्द्र में हो या प्रदेश में तो कम्प्यूटरों का विरोध करना आज के युग में उचित नहीं है। आज डिफेन्स में पायलेट लैस एअर क्राफ्टस चल रहे हैं, राकेट चल रहे हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, तोप चल रहे हैं गनें चल रही हैं, इन सबको कम्प्यूटर चला रहा है। यदि हम उन्हें सीखेंगे नहीं तो हम डिफेन्स सर्विसेज में जायेंगे कैसे। आज नई किस्मों की बन्दूकें हैं, उनको चलाने में कम्प्यूटरों का इस्तेमाल हो रहा है। यह गलतफहमी थी कि कम्प्यूटरों के आने से बेरोजगारी बढ़ जायेगी। मान्यवर, मैं केवल आपकी आज्ञा से एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने यह प्रश्न कौतूहलवश पूछा साम्यवादी देश में। मैं 1980 में प्लानिंग मिनिस्टर के नाते सोवियत यूनियन गया हुआ था। गौस प्लान के पोपगौप साहब थे। जब रूस में इतने कम्प्यूटर हैं तो इससे बेकारी नहीं बढ़ी ट्रेड यूनियन ने विरोध नहीं किया? उन्होंने हाथ मिलाया और कहा कि इसका उत्तर लेने के लिये एक दिन और रुकिये। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटर से रोजगार बढ़े हैं और किस तरह से विकास बढ़ा है, उसके लिये वे बतायेंगे। मैंने पूछा था कि इससे बेरोजगारी तो नहीं बढ़ी? उन्होंने कहा कि नहीं, 5 घण्टे गौसप्लान के मकान में कितने रोजगार बढ़े कितने कारखानों में प्रोडक्शन बढ़ा, पूंजीपति देशों के मुकाबले कितना उत्पादन बढ़ाया, 5 घण्टे एक सवाल के कारण लगाने पड़े। उत्तर प्रदेश में इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं और न इतने कम्प्यूटर लगे हैं। अभी तो प्रारम्भ हुआ है। मैं तो यह कहूंगा कि आज मिलकर वातावरण बनाना चाहिये कि किस तरह ग्राम की सेवा कर सकते हैं कम्प्यूटर के माध्यम से किस तरह से जिलों में खसरा-खतौनी कम्प्यूटराइज्ड हो सकते हैं। आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस के शासनकाल में शुरु हो गया था, नेशनल फ्रन्ट के चेयरमैन उसको और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय कम्प्यूटर का विरोध करने का नहीं है।

इसी तरह यह कहा गया कि खेती में हमारा ध्यान कम है। किसान को लाभ नहीं मिल रहा है। किसान के लिये जो मूल्य दिया जा रहा है गन्ने का, उससे लाभ नहीं हुआ है। श्रीमन्, सबसे बड़ी बात जो आज देखने की है वह यह है कि धान का मूल्य आप देखें

महज 2700 टन के लगभग धान खरीदना पड़ा खरीद केन्द्रों में इसलिये कि आया ही नहीं। मार्केट में दर इतनी अधिक मिली कि उसे खरीद केन्द्रों में धान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यह आप पता कर लें। हर पन्द्रहवें दिन मैं खुद पता लगाता था। पता चलता था कि आज दाम खुले मार्केट में अच्छा मिल रहा है। स्पोर्ट प्राइज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आलू का दाम जैसे ही कम हुआ वैसे ही किया, तीन हजार टन खरीदा, हमारे द्वारा खरीद हो रही है। जैसे ही दाम गिरे किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की। मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जैसा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि किसानों को उचित मूल्य मिले, उसके लिये हमारी सरकार कृत संकल्प है और राज्यपाल का भाषण हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

यह कहा गया कि आज लागत का दाम नहीं मिल रहा है, हमारे कुछ सदस्यों ने कहा और यह कहा कि दाम कम मिल रहे हैं। आप देखें, गन्ने के दामों को लें। गन्ने के दाम 1978-79 में 13 1/2 रुपये थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 1/2 रुपये थे यह आज से 8-9 साल पहले की बात है, आज यह दाम बढ़ करके 30 रुपये हो गया है यानी कि दुगने से कहीं ज्यादा हो गया है।

श्री शारदा नन्द अंचल–

यह अब हरियाणा में 35 रुपया हो गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

शायद माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं अपने पड़ोसी राज्यों से विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूं, सार्वजनिक विवाद में भी नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन हालत यह नहीं है। अब चूंकि आपने हरियाणा का उल्लेख कर दिया है, वहां जो दाम गन्ने के हैं उससे ज्यादा दाम उत्तर प्रदेश में गन्ने के हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे ? वह ऐसे कि हरियाणा में कुल सात या आठ मिलें हैं जिसमें से सरदार नगर की मिल सबसे अधिक क्षमता की है यानी कि सात हजार टन की एक ही मिल है। आप कह रहे हैं कि वहां 35 रुपये कर दिया गया है और हमने 30 रुपया दिया है। ऐसा नहीं है। वहां पर 31 रुपये और 35 रुपये के दाम हैं जबकि वहां पर ट्रांसपोर्ट के 2 रुपये काट रहे हैं और हम ट्रांसपोर्ट का एक रुपया ले रहे हैं। अगर कहिये तो हम भी ट्रान्सपोर्ट का 2 रु0 कर दें ? हरियाणा में दो-चार जिलों में 35 रुपये के दाम हैं जबकि हम पूरे उत्तर प्रदेश में 30 रुपये का दाम दे रहे हैं। यहां तक कि बलिया में भी रसड़ा में भी वही एक दाम गन्ने का दिया जा रहा है।

हमारे किसानों के नेता माननीय गेंदा सिंह जी और शिब्बन लाल सक्सेना जी जैसे मूर्धन्य नेताओं ने किसानों के लिए जो आवाज उठायी थी आज हम उसी के बराबर किसानों को दाम दे रहे हैं। श्री गेंदा सिंह द्वारा और श्री शिब्बन लाल सक्सेना जी के द्वारा जो आवाज उठायी गयी थी यहां आज उसी समाजवादी कदम को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उठाया गया है और उसमें उसका उल्लेख किया गया है। मैं समझता था कि यदि आप इसकी प्रशंसा नहीं करेंगे तो कृपा करके कम से कम सद्भावना के दो शब्द तो जरूर कहेंगे।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

हरियाणा की सरकार ने किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

हमने कहा कि हरियाणा में ट्रान्सपोर्ट का 2 रुपया कर दिया गया है, यह सहायता से कहीं ज्यादा है । जब जनता पार्टी की सरकार थी तो किसानों के भुगतान का देय 1979-80 में 155 करोड़ 34 लाख था । आज गन्ना किसानों का 1987-88 में भुगतान 797 करोड़ 40 लाख हुआ जो कि 155 करोड़ से 797 करोड़ कहीं अधिक है । इस साल यह रुपया बढ़ करके 950 करोड़ या 964 करोड़ होने जा रहा है । अब श्रीमन्, यह किसानों का हित है या अहित है?

मैं यह नहीं कहता हूं कि हम आदर्श तक पहुंच गये हैं या अब हमें करने को कुछ बाकी नहीं रहा है । परन्तु मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि कृपा करके इस राजनीतिक रट को आप बन्द करें और तथ्यों को सामने लाकर देखें, आप आलोचना करें, लेकिन यह न कहें कि कुछ नहीं हुआ है। अब आप ही देखिए कि गन्ना किसानों को मिलों से 900 करोड़ रु0 का भुगतान होने जा रहा है । इसी तरह से खंडसारी और गुड़ के दाम में भी आप देखेंगे कि उनको भुगतान दिया जा रहा है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप इसे हमारा अन्याय मान लीजिये, जो आप कह रहे हैं आप पूरे उत्तर प्रदेश पर अन्याय कर रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं माननीय नेता विरोधी दल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश पर अन्याय कर रहा हूं । श्रीमन्, दूसरी बात गेहूं के बारे में कही गयी । आप भी जानते हैं कि किसानों को सब्सीडी कितनी देते हैं, सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि बाजार में इसके भाव क्या हैं, प्राईस इण्डेक्स बढ़ी है । खाद में सब्सीडी, गेहूं में सब्सीडी जो कि मारकेट में बिक रहा है और गेहूं की मार्केट सब्सीडी जो सस्ते गल्ले की दुकानों में बिक रहा है, 5000 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने दिया है । क्योंकि किसानों को एक तरफ 3 हजार करोड़ रुपये और दूसरी तरफ 2 हजार करोड़ रुपये सब्सीडी के रूप में दे रहे हैं, एक तरफ तो किसानों का ध्यान और दूसरी ओर वहीं पर गरीब मजदूरों, गरीबी के रेखा से नीचे बसने वाले मेहनतकश लोगों और सरकारी कर्मचारियों जो शहरों में रह रहे हैं, को आसानी से सस्ता गल्ला उपलब्ध हो सके इसके लिए हमारी केन्द्र सरकार सब्सीडी के रूप में दे रही है, जबकि बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह सब्सीडी नहीं देनी चाहिए, जब मैं भी आप सब के उदार हृदय के प्रेमवश केन्द्र में वित्त सेवक के रूप में रहा तो मेरे सामने भी यह बात आयी तो मैंने कहा कि नहीं यह तो हमें बुनियादी तौर पर अवश्य देना ही है, चाहे 5 हजार ही क्यों न दें, देना अवश्य होगा । इसीलिए यह सब्सीडी हमारी योजना का मुख्य अंग है, जिसे घाटा कहा जाता है, वह वास्तव में घाटा नहीं है, बल्कि वह किसानों की सब्सीडी है, जो हमें और सारे राज्यों को केन्द्र सरकार दे रही है, जो हमें बराबर इससे पूर्व में देती रही है और आगे भी भविष्य में देती रहेगी खाद्य व गेहूं के संबंध में इसमें कोई शक नहीं है ।

अब मैं अन्य कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूंगा, जिनका उल्लेख मैंने अपने बजट में भी किया है, मैं अपने बजट में कही हुयी बातों को बार-बार स्वयं नहीं दोहराना चाहता, परन्तु यहां पर हवाला इसलिए देना जरूरी समझता हूं क्योंकि उनका जिक्र माननीय नेता विरोधी दल ने अपनी बातों के दौरान किया है । श्रीमन्, एक बात जो कुम्भ के मेले के सिलसिले में कहीं गयी । मैं तो अपेक्षा करता था कि इतिहास में सबसे बड़ा मानव समुदाय, जो करीब डेढ़ करोड़ के करीब था, कुम्भ मेले में इकट्ठा हुआ, जिसमें हमारी लगभग 15 हजार पुलिस उनकी सेवा में कार्यरत रही । साथ ही मैंने इस बात का भी भरपूर प्रयास किया कि बिना किसी परेशानी के हर काम निपट जाए, जो निपट गया, जनता के सहयोग से और आप सब के सहयोग से, इसके लिए मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं कि 144 वर्ष बाद इस महत्वपूर्ण मेले का मुहूर्त निकला था, इस शुभ अवसर पर आने वाले समस्त यात्रियों को अपने बजट में धन्यवाद दिया, बधाई दी व शुभकामनाएं दीं और हमारे जिन कर्मचारियों ने इस सिलसिले में जो अच्छे कार्य किये, उनके लिए सद्भावना के दो शब्द कहे ताकि उन्होंने जो अच्छे कार्य, सराहनीय कार्य किए, इसलिए कहे कि वह इसी प्रकार से भविष्य में भी कार्य करें ।

(शोर)

आज शांति और व्यवस्था के बारे में, पुलिस के बारे में कुछ बातें कहीं गयीं हैं, अगर आप जरा स्वयं देखें कि किन कठिनाईयों में पुलिस, पुलिस अधिकारियों व जिला प्रशासन तंत्र ने काम किया है, एक तरफ तो ऐतिहासिक कुम्भ मेला, जिसमें हमारी 15 हजार पुलिस फोर्स, होम गार्ड्स वगैरह लगे और दूसरी तरफ स्थानीय निकायों के चुनाव, जो सारे प्रदेश में चले और तीसरी तरफ स्वयं में शांति व्यवस्था का स्थापित रखना, इन तीनों मामलों में सामंजस्य कायम रखना आसान बात नहीं है, हो सकता है, इन बीच उनसे कुछ गल्तियां हो गयी हों, लेकिन वह जानबूझकर नहीं भूलकर हो सकती हैं, लेकिन पूरी संवेदनशीलता से हर जगह सारे काम हुए, इसके लिए हमें गर्व है । मुझे अपनी प्रशंसा स्वयं करते हुए अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन कुम्भ मेले में जो लोग गए उन्होंने स्वयं सारे इन्तजाम की प्रशंसा की है कि जहां पर इतने सारे लोग हों, वहां पर सारी अच्छी ढंग से व्यवस्थाएं की गयीं, जो लोग वहां से लौटकर आए ...(व्यवधान), कहा कि इन्तजाम अच्छा था । जो हमारा संदेह था, वह संदेह गलत निकला । उन्होंने कहा हम कुम्भ नहाने गये थे, कोई बारात में नहीं गये थे, लेकिन कुम्भ मेले का जो इन्तजाम था वह अच्छा था, आप बधाई के पात्र हैं ।

(व्यवधान)

मैं स्वीकार करता हूं कि हत्यायें हुई हैं, अपराध भी हुये हैं और इस सम्बन्ध में मैं आग्रह करूंगा, जरा शान्ति से बैठें । हम देखते हैं कि जो अपराध हैं, वह क्या है । क्या उनका नया स्वरूप सामने नहीं आया है ।

(व्यवधान)

आप जानते हैं कि मैं हमेशा चुपचाप सुनता रहता हूं और आशा करता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको आप भी सुनें ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

आपने धर्म परिवर्तित कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कुशवाहा जी, आप बैठिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

बड़ी कृपा, धर्म परिवर्तन कह दिया । धर्म परिवर्तन नहीं है, सर्वधर्म है सर्व धर्म को मानने वाला हूं । तो मैं कह रहा था कि अपराधों ने आज एक नया स्वरूप सारे संसार में ले लिया है । अपराधियों के पास हथियार नये किस्म के आ गये हैं । अपराधों में मैंगेस्टर प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रीय हो गयी है । अपराधों का आकार और प्रकार बदला है और आप देख रहे हैं कि नयी चीज हो गयी है कि सी0 आई0डी0 इन्क्वायरी पर जोर बढ़ रहा है । विधायकों पर जोर पड़ रहा है कि इसको सी0 आई0 डी0 में भिजवा दें। सी0 आई0 डी0 इनक्वायरी का दबाव हमारे और आप पर नहीं था। अच्छे-अच्छे स्पोर्ट्स को लाते हैं कि सी0 आई0 डी0 से इनक्वायरी करवा दो । यह पहले नहीं था, 4-5 सालों से हुआ है । मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से दबाव आप पर पड़ा है, लेकिन उस दबाव के सामने नहीं झुक रहे हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । एक नया ट्रेन्ड है, एक नया ढांचा है । आपने यह भी देखा होगा कि बहुत सी घटनायें उन लोगों से हुई हैं या उन लोगों की हुई हैं, जो जमानत पर छूटे हैं । वह आये और बदले की भावना से मारे गये या मारने वाले बन गये । तो यह भी देखना है कि जमानत पर छूटने का जो आधार है, हम कोर्ट के अधिकार को सीमित नहीं करना चाहते हैं, बेल ग्रान्ट करने का अधिकार उनको रहना ही चाहिए, लेकिन सोचने की बात है, क्या कारण है जमानतों की संख्या हमारे लीगल सिस्टम में बढ़ रही है अपराधों का यही बुनियादी कारण है । बात वही होगी लेकिन हमें बुनियादी हालत तक जाना है । इसलिए मैंने अपने डी0 जी0 सी0 और हाई कोर्ट के स्टैंडिंग काउन्सेल हैं, एडवोकेट जनरल हैं, उनसे कहा गया है कि जहां पर ऐसे मामले हों जिनका इतिहास आपराधिक रहा है, बदले की भावना रही है, बदले की भावना पहले भी रही है । आपसी दुश्मनी की बेल अप्लीकेशन्स का मुस्तैदी के साथ आप विरोध करें, अपोज करें। मैं समझता हूं कि इससे सदन सहमत होगा । बड़े संगीन अपराधों की जमानत मिलने में जो सहायता मिलती है उसका विरोध होना चाहिए । हमें कानून के साथ जनपक्ष को सुधारना है, एक वातावरण बनाना है । फिर भी आप आंकड़े देखें । मैं आंकड़ों के जाल में नहीं पड़ूंगा लेकिन जो आंकड़े हैं उनमें एकाध को छोड़कर बाकी सब में लूट, हत्या, दंगा, डकैती में कमी हुई है । घटी है । . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य–

यह सही नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं कैसे कह दूं कि आपके रहते हुये आपके जिले में ज्यादा होगी । आप ऐसे शक्तिशाली प्रतिनिधि हैं कि आपके जिले में क्राइम हो जाय, यह नहीं हो सकता । आपका प्रभाव इतना है कि वहां पर वैसे ही कम हो जाने चाहिए ।

एक बात मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद का प्रश्न यहां पर आया । उस पर नेता विरोधी दल ने अपने सुझाव रखे और कुछ माननीय सदस्यों ने भी रखे । मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं । यह मसला आपसी बातचीत से हल होना चाहिए । मैं यह भी आग्रह करूंगा कि हम देखते हैं कि हमने इस मामले का भी राजनीतिकरण कर दिया। कहा जाता है कि यह सब झगड़ा सरकार करा रही है । सरकार की इसमें क्या दिलचस्पी है। कौन सरकार करवायेगी, आप बतायें । कर्नाटक में हुआ, वहां पर हमने करवाया ? या वहां की सरकार ने करवाया, महाराष्ट्र में हमने करवाया । हर जगह इसका प्रभाव है । कर्नाटक में विदूर में हुआ, बंगलौर में हो गया, वहां पर सरकार ने कराया ? अगर वहां पर कराया तो हमने भी कराया । यह एक ऐतिहासिक और नाजुक प्रश्न है और करोड़ों लोगों के मर्म को छूने वाला प्रश्न है। इसको आपसी बातचीत के जरिये हल होना चाहिए । इस संबंध में नेता विरोधी दल ने सुझाव दिया कि हाई कोर्ट का पैनल इसको देख ले तो अच्छा है । मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूं । वहां पर अर्जी पहले से लगी हुई है। दिसम्बर, 87 में ही हाईकोर्ट में अर्जी लगी हुई है और हम नेता विरोधी दल और अन्य सदस्यों के सुझावों का स्वागत करते हुये अवश्य ही उनकी राय को ध्यान में रखते हुये आगे कार्यवाही करेंगे । एक बात और जरूर कहूंगा कि राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद, इन दोनों के नेता जो हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि वे संयुक्त विपक्ष से सम्बद्ध हैं .... (व्यवधान) । हमारा दुर्भाग्य यह है कि वह विपक्ष में हैं । वे हमारे पक्ष में कहा हैं । जो मुख्य नेता हैं वह संयुक्त विपक्ष के सदस्य हैं । ... (व्यवधान) नाम तो आप जानते हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मौलाना हाशमी कांग्रेस में है ....

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं यह भी आग्रह करूंगा कि नेता विरोधी दल अपने प्रभाव का प्रयोग कर लें और संयुक्त विपक्ष के लिए एक फार्मूला निकाल लें । वे दोनों वहां पर बैठकर आपस में एक फार्मूला निकाल लें ताकि इस विषय में कोई हल निकल जाये ।

श्री सत्यपाल सिंह–

समस्या आप पैदा करें और उससे निकलवाये हम । हमारी सरकार होगी तो हमसे कहना ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

हमारा दृष्टिकोण यह रहा है कि जिम्मेदारी सरकार की अवश्य है लेकिन समाज की भी जिम्मेदारी है सारे समाज को साथ लेना होगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

ताला आपने खुलवाया उसके बाद ही यह झगड़ा हुआ ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

कोर्ट ने खुलवाया, क्या हम उसकी बात न मानते।

श्री सत्यपाल सिंह–

उस समय इस कुर्सी पर बीर बहादुर सिंह जी थे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

कोर्ट के आदेश को सरकार को मानना ही होता है । यह कहना वीर बहादुर सिंह जी ने खुलवा दिया यह उनके साथ न्याय नहीं होगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कुशवाहा जी, आप बैठें। बाद में जानकारी कर लीजियेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं तो केवल सुझाव दे रहा था कोई बुरा नहीं मान रहा हूं । मुझे खुशी है एक बार दोनों पक्षों में बातचीत हुई जो राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के मुख्य नेता थे उनकी आपस में बातचीत हुई, वह सफल नहीं हो पाई, अधूरी रह गयी । यह डायलोग जारी रहना चाहिये । मैं इसमें संयुक्त विपक्ष का सहयोग प्राप्त करने की बात कर रहा हूं, वह नेतृत्व लें तो इसमें बुराई क्या है। हम कह रहे है कि सहयोग देने की कृपा करें । उसमें मुख्य नेता हमारे नहीं है इसलिए सहयोग मांग रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

पंजाब में कौन कर रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें पंजाब कहां आ गया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

एक महत्वपूर्ण बात नेता विरोधी दल ने बेकारी के बारे में कही मैं सहमत हूं यह एक सबसे महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न है इसको हल करना है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उठायें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्रश्न सभी माकूल हुये उत्तर भी माकूल हुये या नहीं यह सोचने की बात है । उन्होंने एक नुस्खा बताया कि हरियाणा में अनइम्पलायमेंट एलाउन्स दिया गया है इसलिए हमें भी देना चाहिए 100 रु0 उन्होंने कहा, दिया जा रहा है। तो मैंने उस हिसाब से लगाया अगर 50 लाख बेकार नौजवान है . . .

श्री सत्यपाल सिंह–

50 लाख कहां आपके जो 88 के आंकड़े है 1947 में 3 लाख थे जो बढ़ कर 33 लाख हो गये है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जब एलाउन्स की घोषणा कर देंगे तो यह जरूर बढ़ कर जब रजिस्ट्रेशन होने लगेगा तो 50 लाख हो जायेंगे । तो 100 रु0 देने में 12 महीने में 6 सौ करोड़ रुपया चाहिये आप हिसाब लगा लें । 100 रु0 देने के फौरन बाद मांग होगी और थर्डिनशन बन जायेगी कि 100 रु0 कुछ नहीं होता है 250 होना चाहिए फिर कहेंगे

कि 500 होना चाहिए जहां एक बार देना शुरू किया तो यह मांग बढ़ती जायेगी । हरियाणा में यह मांग शुरू हो गयी है (व्यवधान)

मुझे याद आ रही है चौधरी चरण सिंह जी की, मैं नेता विरोधी दल से सहमत हूं उन्होंने चौधरी साहब की प्रशंसा की ।

(समय 4 बजकर 20 मिनट)

बहुत सी बातें उन्होंने ऐसी कहीं, मैं नहीं जानता कि हरियाणा की सरकार चौधरी चरण सिंह के कहने पर चल रही है या नहीं, चलना चाहती है या नहीं । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह उनको मालूम होगा । लेकिन एक उनकी पुस्तक है– "चौधरी चरण सिंह–भारत की अर्थनीति" : तो इसमें उन्होंने कहा है–"किसी भी नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए–बेकारी भारत का सबसे बड़ा शत्रु है, या तो उसका उन्मूलन किया जाना चाहिए या फिर सभ्य राष्ट्रों के समाज से वह हमारा उन्मूलन कर देगी। इसके बाद हम चाहे जितनी ज्यादा सरकारी नौकरियां बढ़ा दें, गांव में निर्माण कार्य शुरू कर दें...(व्यवधान) इनमें से कोई भी कार्य बेरोजगारी की रोक का जो हमारे राष्ट्र की नींव को खोखला कर रहा है, न टिकाऊ है न उसका इलाज है ।" अब आप देखिए...उसी सन्दर्भ में आप इसी एलाउन्स की बात को देखिए । आज हमारे पास साधन नहीं हैं, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो चौधरी जी के अनुयायी हैं–मैं भी उनको मानता हूं, हमारे बुजुर्ग रहे हैं, किसी भी नीति का उद्देश्य यह होना चाहिए कि लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वह मजबूत हो, और जो उत्पादन है वह बढ़े, उससे उसके रहन-सहन का स्तर ऊपर उठे । इस बात को ध्यान में रखते हुए, उसी के अनुकूल हम चल रहे हैं । इसलिए हमने इस साल के बजट में प्रोग्राम रखे हैं बेकारी दूर करने के । (व्यवधान) आप देखेंगे, जब हमारा बजट आएगा तो उसमें आप देखेंगे आगे । हमने यही ध्येय रखा है कि लोगों को उत्पादक कार्यक्रमों के लिए तैयार किया जाए, उत्पादक योजनाओं के लिए ट्रेनिंग दी जाए। उसी में हमारी ट्राईसम योजना है...।

श्री रामआसरे वर्मा–

चौधरी साहब की इन्हीं नीतियों का आप पालन करेंगे या और भी नीतियों का पालन करेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

मैं रामआसरे जी को मार्क्सवादी मानता हूं । हैं या नहीं आप ? तो मैं मार्क्सवादी से कोई बहस थोड़े कर रहा हूं । हमारी तो मार्क्सवाद और गांधीवाद में समन्वय की दृष्टि है और यह हमारा उद्देश्य है । हमारा समाज मार्क्सवाद और गांधीवाद का समन्वय होगा । नेहरू जी, लाल बहादुर जी, इन्दिरा गांधी यह सब समन्वयवादी थे और हम सब भी हैं, हम सब भी समन्वयवादी होंगे तभी देश का काम चलेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आचार्य नरेन्द्र देव का भी नाम ले लीजिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

आचार्य नरेन्द्रदेव जी और बाबू सम्पूर्णानन्द जी भी समन्वयवादी थे । उनको जो मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला वह भी समन्वयवादी था तो मैं यह कह रहा था....

(व्यवधान) नेता विरोधी दल ने यह कहा कि विकास हो रहा है, सिंचाई हो रही है, सब कुछ हो रहा है लेकिन गरीबी और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है चौधरी चरण सिंह जी की किताब "एकनामिक नाइटमेयर आफ इण्डिया" है । इसका पेज नम्बर–553 का आखिरी पैरा पढ़ दूं–

इन कनक्लूजन वी विल रेफर द रीडर टू ह्वाट वैरा एनस्टी रोट 50 इयर्स एगो एबाउट इण्डियाज नीड टू प्रेक्टिस बर्थ कन्ट्रोल ।

"फर्स्ट एण्ड फोरमोस्ट, इट मस्ट बी डेफिनिटली रिकग्नाइज्ड दैट जनरल प्रोसपेरिटी इन इण्डिया कैन नेवर बी रैपिडली और सबसेन्टली इनक्रीज्ड सो लांग एज एनी इनक्रीज इन द इनकम आफ इनडीविजुअल इज एबजर्बड नाट बाई ए राइज इन द स्टैण्डर्ड आफ लाइफ, बट बाई एन इनक्रीज इन द पापुलेशन । तो जब तक जन्म की दर में कमी नहीं होगी भारत विनाश और दुर्घटना की ओर जाएगा ।

मोस्ट आफ अवर पीपुल आर कानटेन्ट विथ दियर लाट किसमेट एण्ड डू नाट बिलीव दैट दे देमसेलब्स कैन बी द आरकेटेक्ट्स आफ दियर फेट ।

यह चौधरी चरण सिंह का दस्तावेज है । आर्थिक नीति का उनका वसीयतनामा है । यह उनकी आखिरी किताब है । मैं इसको पूरी गम्भीरता के साथ रख रहा हूं आप यह न समझें कि मैं गम्भीरता से नहीं ले रहा हूं यह बात सही है कि जनता के विकास की दर बढ़ रही है लेकिन उससे ज्यादा तेजी से जन्म की दर बढ़ रही है । आबादी बढ़ रही है, तो उसके लिए उतने मकान, अस्पताल और खेती की आवश्यकता है तो यह हमारे लिए चुनौती है । मैं किसी डिबेट में यह नहीं बोल रहा हूं मैं यह सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे वाद-विवाद प्रतियोगिता में नम्बर ज्यादा मिल जाएंगे । मुझे आप फेल कर दें लेकिन आप यह देखें कि मूख्य कारण क्या है इसी तरह से चौधरी चरण सिंह जी ने एक बात और कही है जो सोचने लायक है ।

एक्सेप्टिंग फार ए फिऊ कम्युनीटीज लाइक द सिन्धीज, गुजरातीज, मारवारीज एण्ड पंजाबीज रेसीडिंग इन द वेस्टर्न पार्ट्स आफ द कन्ट्री अवर पीपुल आन द अदर हैण्ड, दैट इज अनलाइक द पीपुल आफ जापान, आर इजी गोइंग एण्ड अनएम्बीशस दे आर नाट प्रीपेयर्ड टू वर्क हार्ड, आफ दियर आन फ्री विल विद ए विऊ टू इम्प्रूविंग दियर एकनामिक एण्ड सोशल स्टेटस। दे आर एग्रेड आफ न्यू आइडियाज एण्ड वेज आफ टेकिंग चान्स, आफ इन्क्यूरिंग टेम्प्रेरी डिफीड एण्ड लास। हम लोग भाग्यवादी हैं । लेकिन हम लोग कम्प्यूटर से डरते हैं । हमारे सम्मानित अजीत सिंह जी कम्प्यूटर के एक्सपर्ट हैं ।

उन्होंने कम्प्यूटर में एक्सपरटाइज किया है, बिल्कुल ठीक किया है । आज हमें नए उद्देश्य से और नए विचारों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए बल्कि उनका स्वागत करना चाहिए । आज उत्तर प्रदेश में एक नया वर्क कल्चर लाने की जरूरत है । हमारी समस्याएं वही रहेंगी, कठिनाइयां और बिडम्बनाएं वही रहेंगी, प्रश्न वही रहेंगे और उनके उत्तर रहेंगे चाहे हम उन्हें किसी भी नाम से पुकारें । मैंने बहुत समय लिया है, बहुत सी बातें कहना चाहता था लेकिन उनको बजट के अवसर पर कहने का समय मिलेगा ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि और वही बात राज्यपाल की अभिभाषण में कही गई है कि हम सब मिलकर सहयोग के साथ काम करें । मथुरा नगरपालिका के एक चेयरमैन चुने गए हैं संयुक्त विपक्ष के । उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है । जैसे ही जिम्मेदारी आती है वाणी बदल जाती है । उन्होंने कहा है कि अकेले नहीं उठा पाऊंगा गोवर्धन पर्वत । उन्होंने सही बात कही । उन्होंने कहा कि यह गोवर्धन पहाड़ उठाना है । जब तक इसमें सभी की लाठी नहीं लगेगी इसे उठाना उनके लिए सम्भव नहीं है । उन्होंने विरोधी दल के सदस्यों से दलगत मतभेद भुलाकर नगर हित में समस्याओं से जूझने में सहयोग करने का आह्वान किया । मैं वही आज कर रहा हूं । (मेजों की थपथपाहट) उत्तर प्रदेश की गरीबी गोवर्धन पहाड़ जैसी बड़ी है । उसको दूर करने के लिए सबको लाठी उठानी है चाहे इधर के हों या उधर के बैठने वाले हों । राज्यपाल महोदय के भाषण का सारांश, मंतव्य यही है। इसलिए कृपा करके इस संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें और धन्यवाद का प्रस्ताव एक मत से पारित होने दीजिए ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री सत्यपाल सिंह–

आदरणीय तिवारी जी ने आज चौधरी चरण सिंह जी को उद्धरित किया । इससे पहले भी जब आप पिछली बार मुख्य मंत्री थे तो उस समय मुलायम सिंह जी नेता विरोधी दल थे तो उस समय भी आपने चौधरी साहब को उद्धरित किया था । आज आपने चौधरी अजीत सिंह का नाम लिया कम्प्यूटर के मामले में ।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अच्छाई में लिया है ।

श्री सत्य पाल सिंह–

केवल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय चौधरी चरण सिंह का स्मरण करने से काम चलने वाला नहीं है । अगर उनकी नीतियों को उत्तर प्रदेश की धरती पर उतारा होता तो शायद यह कठिनाइयां न होतीं और उत्तर प्रदेश आगे बढ़ गया होता । चौधरी साहब को आप साल भर के लिए भूल जायेंगे केवल अभिभाषण के अवसर पर जवाब देने के लिए उनका नाम लेंगे । आपने कहा कि अजीत सिंह कम्प्यूटर के विशेषज्ञ हैं । वह कम्प्यूटर इंजीनियर हैं । मेरा कहना है कि कम्प्यूटर जरूरी है कुछ स्थानों पर जहां जोड-घटाना लम्बे पैमाने पर किया जाता हो, मौसम आदि की गणना में उसकी उपयोगिता है लेकिन सामान्य रूप से अगर आप कम्प्यूटर का इस्तेमाल करेंगे तो उसका अच्छा असर नहीं होगा । रेलवेज में, बैंक्स में कम्प्यूटर लगाकर कितनी बड़ी बेरोजगारी बढ़ाई गई है । आप हमारे प्रदेश की तुलना अमेरिका, जापान, रूस से नहीं कर सकते हैं । मैंने उसी दिन कहा था कि वह देश काफी धनवान हैं । हमारे देश की आबादी ज्यादा है इसलिए अगर आपने कम्प्यूटर को ज्यादा बढ़ा दिया तो निश्चित तौर पर बेकारी और ज्यादा बढ़ेगी । इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आप लागू करेंगे और उनकी सराहना कर रहे हैं अजीत सिंह के कम्प्यूटर की सराहना कर रहे हैं अगर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की भी सराहना करते जिन्होंने भ्रष्टाचार के बोफोर्स दलाली काण्ड को खोली है । तो मैं समझता हूं कि इससे हिन्दुस्तान की तरक्की होती, अगर उनका नाम ले लिये होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं माननीय तिवारी जी,.....

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा शोर करने पर व्यवधान)

अगर मान्यवर, भ्रष्टाचार को आप अपने प्रदेश से खाली कर फेंक दें, चौधरी चरण सिंह हमेशा कहा करते थे कि भ्रष्टाचार नीचे से पनपता है और आपके [xxx] जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन पर आरोप लगे, इस बात का कि उन्होंने बोफोर्स दलाली में बोफोर्स सौदे में उन्होंने दलाली ली।

(व्यवधान)

लेकिन मान्यवर, इस रिश्वतबाजी के लिए, इस भ्रष्टाचार के लिए प्रधानमंत्री और आप अगर कोशिश करें तो मेरा निश्चित रूप से मत है कि जो लाभ आप किसानों को पहुंचाना चाहते हैं वह लाभ आवश्यक रूप से पहुंच जाय लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपने इस चुनाव में राष्ट्रीयकरण भ्रष्टाचार का कर दिया है वर्तमान सरकार ने और जिस धन को आप पहुंचाते हैं जो 5 हजार करोड़ रुपये धन का हवाला दिया है जिसके माध्यम से आप सबसिडी देते हैं किसानों को चाहे खाद के माध्यम से, चाहे वह खाद्य पदार्थों के माध्यम से हो लेकिन मान्यवर, वह सबसिडी किसानों को नहीं मिल रही है और वर्तमान समय में विशेषकर 84 से जब से हमारे नये प्रधानमंत्री आये हैं तब से हमारे देश में भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है और गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहां तक आपने चौधरी साहब का उद्धरण दिया आबादी के विषय में तो चौधरी साहब ही नहीं कहते उनका हर अनुयाई कहता है और लोग भी जानते हैं कि हमारी आबादी पर रोक नहीं होगी तो आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पायेंगे लेकिन आबादी की रोक के लिए जो धन 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने का जो तरीका अपनाया है और जिसमें केवल फर्जी आकड़े दिखाये जा रहे हैं और उसका सबूत यह है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ही कहा था, 52 में कहा था 36 करोड़ आबादी और अब वर्ष 88 आते-आते आपके देश की आबादी 80 से लेकर 82 करोड़ हो गयी है और आपके नसबन्दी का कार्यक्रम जारी है, आपका परिवार नियोजन दिनोंदिन फलफूल रहा है लेकिन अफसोस इस बात का है कि सारे आंकड़े फर्जी हो रहे हैं जिस बिना पर अनेकानेक जिले प्रथम स्थान पाने की कोशिश कर रहा है। जब तक आप इन फर्जी आंकड़ों पर प्रतिबन्ध नहीं लगा पायेंगे जब तक सही रूप से परिवार नियोजन अपनाने के लिए आप अपने अधिकारियों को मजबूर नहीं कर देंगे तब तक आप फर्जी आकड़ों से चौधरी चरण सिंह के सपनों को साकार नहीं कर पायेंगे जो उन्होंने आबादी को नियंत्रित करने का सपना देखा था और उनके नेताओं ने देखा था।

नोट :—[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, पहले चौधरी चरण सिंह का इकबाल पैदा कीजिये। उनके इकबाल का डर ऐसा था कि जब वह मुख्य मंत्री बने थे तो पेशकार और अहलमद 5 रुपया रिश्वत लेते थे तो पहले पीछे मुड़कर देखा करते थे कि चौधरी साहब या उनका कोई आदमी तो नहीं खड़ा है, तब रिश्वत लेते थे। आज तो सही काम के लिए रिश्वत ली जाती है। धड़ल्ले से रिश्वत ली जाती है। जो अधिकारी कमीशनबाजी करते हैं, जिला अभिकरण योजना में, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, उन सबमें पहले 18 से 20 फीसदी रिश्वत ली जाती थी, वह अब बढ़कर 50 प्रतिशत कमीशनबाजी पर पहुंच गयी है। इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे।

चौधरी चरण सिंह का इकबाल स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी तरह से प्रशासन में डर नहीं पैदा करेंगे तो केवल चौधरी साहब का नाम लेने से प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। चौधरी साहब ने विशेष कर, मा0 मुख्य मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं कि चौधरी साहब कहा करते थे कि जब तक खेती की उन्नति नहीं होगी, आपके देश और प्रदेश की उन्नति नहीं होगी। उन्होंने खेती की उन्नति मापदण्ड बताया है कि तभी उन्नति मानी जायगी जब उस पर काम करने वाले लोगों की संख्या कम होने लगे और लोग दूसरे उद्योगों पर आधारित होने लगें। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया था कि उस समय से 20 वर्ष पहले वहां पर 15 फीसदी लोग खेतों पर काम करते थे, इसके बाद अमेरिका में तरक्की हुई और अमेरिका के अन्दर 15 से घटकर 5 फीसदी लोग खेतों पर रह गये। हमें भरोसा था कि हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि जिस समय देश में आजादी आयी थी, उस समय खेतों पर कितने लोग मुनहसिर थे और आज 41 साल बाद खेतों पर दबाव बढ़ा है या घटा है। हमारी निश्चित मान्यता है कि बढ़ा है। जब दबाव बढ़ा है तो चौधरी साहब के उसूल लागू नहीं हो रहे हैं। और लागू नहीं हो रहे हैं तो खेतों की तरक्की नहीं होगी। आपने कह दिया कि गन्ने के दाम हरियाणा के समान नहीं दे रहे हैं तो वह ढुलाई दो रुपये क्विंटल ले रहे हैं, जबकि हम एक रुपये क्विंटल ले रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने गन्ने के दाम दिये 30 रुपये और हरियाणा में है 35 रुपये। आपने एक रुपया काटा तो 29 रुपया हुआ। तो उत्पादक को केवल 29 रुपया तो मिला, आप बता दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उन्होंने 35 दिया है और हमने 34 दिया है, लेकिन उनके 35 में से ढुलाई 2 रुपये घटाने पर 33 रुपया होता है और हमारे 34 रुपये में से एक रुपया घटाने पर भी 33 रुपया ही होता है।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित न करें। आपने गन्ने के दाम 30 रुपये देय किये। आप 34 रुपये की बात कह रहे हैं, तो आपने सामान्य गन्ने का दाम उत्तर प्रदेश में 30 रुपया तय किया है, इसमें से एक रुपया ढुलाई काट कर 29 रुपया आता है। हरियाणा में 35 रुपया दाम है, उसमें से ढुलाई 2 रुपया काटने पर 33 रुपया फिर भी आता है। मान्यवर, मैं गलत कह रहा हूं तो बता दें। सही कर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वहां पर साधारण गन्ने के लिए 31 रुपया है, हमारे यहां 30 रुपया है। उनके यहां के 31 रुपये में से 2 रुपये ढुलाई देने पर 29 रुपया आता है, हमारे यहां के 30 रुपये में से 1 रुपया ढुलाई देने पर भी 29 रुपया ही आता है।

श्री सत्यपाल सिंह–

इस तरह से आप कुछ भी कह दें, प्रदेश की जनता भ्रम में नहीं पड़ती है। हरियाणा में अच्छी वैरायटी का गन्ना होता है। दूसरी बात मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नेता विरोधी दल ने बताया कि 100 रुपये बेरोजगारों के लिए दे दिये जायं तो समस्या का समाधान हो जायगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी बहुत विद्वान आदमी हैं, लेकिन मैंने यह बात आप से नहीं कही कि 100 रु0 प्रति व्यक्ति प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने से बेरोजगारी समाप्त हो जायेगी। यह बेरोजगारी समापन का जरिया नहीं है, यह तो आपको वह मजबूरी की बात बतायी। 2 दिन पहले आपने अपने भाषण में कहा कि जो कृषि के स्नातक हैं उनके लिए हम खाद का खिदरा दर्जे बेचने के लिए, उसमें आपने हर एक स्नातक को शामिल नहीं किया, आपने कृषि के स्नातक को शामिल किया, उसे लाभ देने के लिए, रोजगार के साधन देने के लिए। हमारा आपसे कहना है कि 100 रु0 देने से बेरोजगारी दूर नहीं होती है। चौधरी चरण सिंह जी का भी यही सिद्धान्त था कि 100 रु0 दे देने से वह व्यक्ति अपना परिवार नहीं चला सकता, अपना भरण पोषण नहीं कर सकता है। 100 रु0 की मांग इसलिए कर रहे हैं, जब तक कोई भी बेरोजगार व्यक्ति है, उसके जीवित रहने के लिए, नौकरी तलाश करने के लिए, फार्म भरने के लिए, दौड़ धूप करने के लिए, इन्टरव्यू में शामिल होने के लिए उसे सहारा मिल जाय। जैसा कि अभी शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा, 43 सालों के बाद आपने 7–8 क्लास के बच्चों की फीस माफी की घोषणा की, आप उससे बड़ी वाहवाही लूटना चाहते हैं, उससे आपने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया, एक टाफी दी, उन बच्चों को क्या मिल पाया, उसमें कोई राहत नहीं मिलने वाली है।

मैं कहना चाहता हूं कि भले ही पहले चरण के अन्तर्गत रोजगार दफ्तर में दर्ज व्यक्ति के लिए 100 रु0 150 रु0 बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाते हैं, कम से कम जो ग्रेजुएट्स हैं उनको दे देते। इसके लिए आप भी मानते हैं, कह रहे हैं कि भावना से सहमत हैं। लेकिन फिर भी आपने पहले चरण में किसी वर्ग विशेष के लिए आपने कुछ नहीं दिया है। सामने बैठे एक साथी हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा आपकी की एक कमिश्नरी के बराबर है जहां सीमित ससाधन हैं और सीमित संसाधनों के बाद भी हरियाणा ने जो किया है वह आपके लिए एक अनुकरणीय होना चाहिए। आपको उसका उदाहरण लेना चाहिए। वहां तो इन्टरव्यू में आने जाने के लिए किराया तक माफ कर दिया है, परीक्षा देने के लिए जाने के लिये बस का किराया माफ है। माननीय मुख्य मंत्री जी अभी आप कह रहे थे कि जिला विकास अधिकरण के अन्तर्गत 502 करोड़ रु0 का प्रावधान किया। 502 करोड़ रु0 जो जिला अभिकरण के लिए तय किया था, उसमें रिलीज कर दिया 4.34 करोड़ रु0।

आपके नजरिये में केवल धन रिलीज हो गया कार्य सम्पन्न हो गया, इस नजरिये से काम चलने वाला नहीं है । धन का प्राविधान, धन को रिलीज कर देने का मतलब यह नहीं है कि विकास का कार्य आपने कर ही दिया । विकास का कार्य हो जाना इसकी कुंजी नहीं है, सबूत नहीं है । आप इस बात को देखिए कि जितना धन रिलीज किया, उसकी सही मायने में सदुपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ । आज कोई भी जिलाधिकारी अपर जिलाधिकारी ऐसा नहीं है जो जिला विकास कार्यक्रमों में अपना 10 फीसदी कमीशन न लेता हो । यह कमीशनबाजी सन् 1984 से इतनी बढ़ गयी है कि रोक नहीं लगा पा रहे हैं । इस कमीशनबाजी पर रोक लगाने के लिए, वर्तमान सरकार की लखनऊ से दिल्ली तक मंशा भी नहीं है जब तक इस कमीशनबाजी पर रोक नहीं लगती है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है । धन रिलीज करते रहेंगे, आंकड़ों को दिखाते रहेंगे, हमारे सामने वह आर्थिक रजिस्टर रखते रहेंगे । आपने कहा कि आर्थिक रजिस्टर है, उसमें कितनी-कितनी किस आदमी के पास सम्पत्ति है, क्या साधन है, रोजगार है, सब दर्ज है । कोई ऐसा रजिस्टर वहां पर नहीं है ।

हमें आपसे पूरा भरोसा था कि आपने जो यहां पर कीमतों के बारे में बताया कि 78-79 में गन्ने का दाम 13 रुपये था और आज 30 रुपया कर दिया । इसका मापदंड यह नहीं होना चाहिये । मापदंड यह होना चाहिये कि देखा जाय कि 78 से लेकर आज 89 तक कितनी महंगाई बढ़ी है। आपको मैंने बताया था कि सन् 70 में मूल्य सूचकांक 100 था और आज बढ़कर वह 436 हो गया है। आपके पास तो सारे साधन हैं, आप सरकार के मुखिया हैं। किसानों की जो फसल है, चाहे वह गेहूं हो, चना हो, दाल हो, गन्ना हो, उसमें यह देखा जाय कि लागत मूल्य इस पर क्या आता है और क्या आप किसान को दे रहे हैं। आप खुद देख लें कि जो समर्थन मूल्य आप दे रहे हैं उस मूल्य में धान बिकने नहीं आया जो कीमत उसे आप दे रहे हैं, उससे ज्यादा उसे बाजार में मिल रहा था । तो मैं समझता हूं कि आपने कुछ हासिल नहीं किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र नहीं हैं, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि आपकी इस नीति के तहत जो पैसा आपने धान के लिये तय किया, वह इतना कम रहा, जिससे उससे अधिक बाजार में मिल रहा था । मैं कहता हूं कि आपकी यह नीति, आपका समर्थन मूल्य किसी भी तरह किसान के हित में नहीं रहा । मैं तो यह सोच रहा था कि आज आप कुछ कम्परेटिव प्रस्तुत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ आपने प्रस्तुत नहीं किया ।

महाकुम्भ मेला के विषय में माननीय तिवारी जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने इस प्रदेश का 77 करोड़ रुपया वहां खर्च किया । यह रुपया वहां इसलिये खर्च किया गया कि शान्तिपूर्वक सभी लोग स्नान कर सकें और इन्सानों को सामान्य सुविधायें मिल जायें और कोई दुर्घटना न हो । आपका यह लक्ष्य था कि वहां कोई दुर्घटना न हो और आज इस मेला में कोई विशेष दुर्घटना नहीं हुई, तो आप उसके लिये वाहवाही चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई विशेष दुर्घटना हो जाना ही आपका लक्ष्य था और वह नहीं हो पायी, इसलिए आप शाबाशी चाहते हैं।

हमारे सारे प्रदेश की जनता यह जानती है कि जिस कुम्भ मेला के लिये आपने वायदा किया था और जिसके लिये देश के प्रधान मंत्री ने भी वायदा किया था कि हम गन्दे नालों का पानी गंगा में नहीं मिलने देंगे । इसी गंगा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए पिछले 5 सालों से आपकी योजना चल रही है, लेकिन इन 5 सालों के बाद भी गंगा की सफाई नहीं हो सकी और आज भी गंगा के अन्दर आपके इलाहाबाद का 90 प्रतिशत गन्दा पानी उसमें पहुंच रहा है। इसके लिये हमारे विधायक आवाज उठाते हैं, इलाहाबाद में अनशन पर बैठते हैं, अध्यक्ष जी के सामने अनशन पर बैठते हैं, लेकिन आप के इतना धन खर्च करने के बाद भी कुम्भ मेला के अन्दर यह मौलिक सुविधा भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो सकी । आप लोगों को स्वच्छ पानी नहीं दे सके और आप वाहवाही लूटना चाहते हैं।

मैं कुछ ऊसर सुधार की बात भी यहां पर कहना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि ऊसर मैनपुरी और इटावा के इलाकों में है लेकिन सरकार ऊसर योजना रायबरेली में लागू कर रही है। प्रदेश के अन्दर जितना ऊसर है, कितना सुधार हुआ है, इसकी कुछ जानकारी यहां पर दी जाती, लेकिन इसके बजाय आपने एक वाक्य में अपनी बात कहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर लिया ।

अपराधों के विषय में कहा गया कि अपराध अन्तर्राष्ट्रीय हो गये हैं। मान्यवर, मैं साफतौर पर कहना चाहता हूं और इस सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि आज जो अधिकारी निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, जो सरकार के ढंग से अलग हटकर काम कर रहे हैं, उनको यह सरकार काम नहीं करने दे रही है, उसका अन्जाम यह हो रहा है कि जो अफसर जहां बैठा है, वह अपने परिवार की खातिर सोचने को मजबूर हो जाता है कि अगर हमने सरकार के लोगों के अथवा सत्ता पार्टी के उन दलालों की बात को नहीं माना, अगर हमने ज्यादा इन्साफ से काम किया, या ज्यादा ब्लैकमेलर्स को पकड़ा, गलत धन्धा करने वालों को पकड़ा, तो हमारा अपना अन्जाम गलत होगा । आपको मालूम है कि बृजलाल जो एस0 पी0, पीलीभीत में थे, आपने उनको बाराबंकी में स्थापित किया ।

वहां अफीम का सबसे बड़ा धन्धा होता है। जब उन्होंने पकड़ना शरू किया तो इस सरकार को वह पकड़-धकड़ अच्छी नहीं लगी । वह अपराध समाप्त कर रहे थे, परन्तु उन तस्करों पर रोक लगाना सरकार को अच्छा नहीं लगा । एक अच्छे फील्ड वर्कर को यहां आपने अपने साथ बांध दिया संयुक्त सचिव बनाकर और उससे कहा कि लो बेटा कमरे में बैठकर फाइलें छांटो । वह एक ऐसा आफिसर था जो बड़ी बहादरी के साथ अपनी जिन्दगी को दांव पर लगाकर काम करता था । आपने भी उसे लखनऊ में देखा होगा, पीलीभीत में देखा होगा और बाराबंकी में देखा होगा । एक श्री वी0 सी0 गोयल, एस0 पी0 सीतापुर में थे, शाहजहांपुर में थे । उनकी ईमानदारी सारे प्रदेश में जानी जाती है । उन्हें पी0 टी0 सी0 मुरादाबाद भेज दिया गया। मैनेजर पाण्डेय, एस0 पी0 शाहजहांपुर शायद सबसे धनाढ्य एस0

पी0 हैं । उनके खिलाफ विजीलेन्स की कई जांचें चल रही हैं । उसे आपने शाहजहांपुर से हटाकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बनाकर मेरठ भेज दिया । के0 एन0 भट्ट के बारे में आप भी जानते होंगे कि कैसे वह थानों को लूटते हैं और कैसे बेचते हैं, उन्हें आपने डी0 आई0 जी0 बनाकर मुरादाबाद रेंज में भेज दिया । गोण्डा की पुलिस ने इतना बड़ा नरसंहार किया । श्री यशपाल सिंह के खिलाफ सी0 आई0 डी0 ने जांच की । उसने अपनी रिपोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कहा, लेकिन आज तक उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया गया । जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, वे आपकी सरकार में पनप रहे हैं और जो ईमानदार हैं, वे भटक रहे हैं । जब तक आप इस ओर ध्यान नहीं देंगे, आप लाख कोशिश कर लीजिए, इस प्रदेश का विकास होने वाला नहीं है।

अभी हमारे एक सी0 पी0 आई0 के सदस्य बोल रहे थे, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं। इस प्रदेश की राजनैतिक, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्वतीय अंचल को अलग से बजट दिया गया है । वाह-वाही लूटी जाती है कि हिमाचल प्रदेश के बराबर बजट दिया गया है । मैं उसी रूप में कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड वह क्षेत्र है जो हरियाणा से तीन गुना, पंजाब से ढाई गुना बड़ा है और जिसका एक लाख 23 हजार वर्ग मीटर एरिया है । जहां पथरीली जमीन है । जहां पर हीरा निकलता है, विभिन्न प्रकार के पत्थर पैदा होते हैं, जो विदेशों में, जैसे इटली व जर्मनी आदि में जाते हैं और इस देश के लिए पैसा लाते हैं। आज उस क्षेत्र की आपने उपेक्षा की है । पथरीली जमीन है, सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है। बारिश इतनी होती है कि हर साल बाढ़ आती है। हर साल सूखा पड़ता है। आज 43 साल के बाद भी आप उनके लिए कुछ नहीं कर पाये । मुझे खुशी होती यदि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में पर्वतीय क्षेत्र की तरह बुन्देलखण्ड के लिये भी अलग से बजट का प्राविधान करते । लेकिन ऐसा आपने नहीं किया । जब श्री तिवारी जी अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे तो दर्जनों बार उन्होंने राजीव जी का नाम लिया । लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बुन्देलखण्ड के लिये एक शब्द भी नहीं कहा और बुन्देलखण्ड अगर बचाना है, जिसमें आपको मालूम है कि लक्ष्मी बाई जैसी महिला, जो वीरांगना कही जाती है, जहां पर क्रान्तिकारियों ने अपना जीवन व्यतीत किया, आज उसके सम्बन्ध में एक शब्द भी न कहकर उसकी बहुत बड़ी उपेक्षा की है, जिसके कारण वहां पर विकास जो आजादी के बाद होना चाहिए था, नहीं हो पाया है।

अब अधिक न कहकर यह भरोसा करता हूं कि जब बजट पेश होगा तब उसकी चर्चा करेंगे, इस समय अधिक कुछ कहना मुनासिब नहीं है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, अगर हरियाणा जैसे छोटे से प्रदेश की कोई अच्छाई है, तो उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए । अच्छाई अपने दुश्मन की भी मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होती है। वहां पर 10-10 हजार रु0 के लोन माफ किये

गये, आपने भी किसी कैटेगरी का माफ किया है ? आपने सारे बजट में साढ़े चार रु0 छात्रों की फीस माफकर समझ लिया कि बहुत बड़ा उपकार कर दिया । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि साढ़े बारह हजार स्कूलों का निर्माण करायेंगे । आपने चरण सिंह को कोट किया मैंने नेहरू जी को कोट किया था कि कहीं-कहीं कारखाने बनाने से, स्कूल भवन बनाने से प्रदेश और देश का विकास तो नहीं माना जाता है, यह तभी माना जाता है जब देखा जाय कि आपने कितने गरीबों के बहते हुए आंसुओं को पोछा है । गरीब सीमान्त और लघु किसान तथा हरिजन काश्तकारों की जमीनें नीलाम हो रही हैं, उनको कैदखानों में बन्द किया जा रहा है लेकिन आपकी सरकार और कामों के माध्यम से कमीशनबाजी में रुपया खर्च करने के लिये तो तैयार है लेकिन गरीबों का कर्जा माफ नहीं कर सकती है । हरियाणा ने यह भी बुरा काम कर दिया जिसको आपने माना नहीं । उन्होंने ऐसी लोक अदालतों की मांग की, आप चाहे वन विण्डो सिस्टम चलायें या फोर विण्डो सिस्टम चलायें, उन्होंने व्यवस्था कर दी कि एक जगह पर ही सारे अधिकारी बैठकर समस्याओं का समाधान करेंगे लेकिन वर्तमान सरकार ने इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया । जिस समय आपका भाषण हो उस समय इस बात के लिए स्पष्ट रूप से कहें ।

आपने अनुसूचित जातियों के लिये राज्यपाल महोदय के माध्यम से बहुत कुछ कहा । मैंने आंकड़े प्रस्तुत किये । न अनुसूचित जातियों के बारे में काम हो रहा है कि नौकरियों में उनके प्रतिशत की संख्या पूरी की जाय हमें यकीन था कि जब आप उत्तर देने के लिये खड़े होंगे तो इस पर जरूर कुछ बोलेंगे, लेकिन उनके आरक्षण का कोटा 18 प्रतिशत तो पूरा करना दूर रहा, आप 8 प्रतिशत भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

इसी तरह से मण्डल कमीशन की बात है, आपके नेतागण तो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन आप हमें इतना ही बतला दें कि क्या आप मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे ? आपका प्रशासन, आपकी नौकरशाही उनके आरक्षण को लागू नहीं कर रही है और वर्तमान सरकार भी इस पर गम्भीरता से नहीं सोच रही है। यही स्थिति अल्प संख्यकों के विषय में भी है, आपका कर्तव्य था कि इस पर ध्यान देते लेकिन आप कहते हैं कि अदालत का आदेश था जिससे ताला खोला गया । यदि हम गलती नहीं कर रहे हैं तो पिछली बार जब आप उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो बनारस में शिया और सुन्नी का कुछ झगड़ा चल रहा था, एक वर्ग की कब्रें खुदवाने का आदेश था, लेकिन आपने उस आदेश को स्वीकार नहीं किया । इसी तरह से छोटे लाल कांण्ड को लेकर फैजाबाद में मुकदमा दायर किया गया था । लेकिन वीर बहादुर की सरकार के समय में यह हुआ कि ताला खुला. यह सरकार का कर्तव्य था कि उसके खिलाफ तुरन्त आदेश देते. यदि अदालत नहीं जा सकते थे तो आपको कन्टेम्प्ट करना चाहिए था । आपके आदेश प्राप्त करने के पहले ही

आपकी सरकार के अफसरों ने ताला खोल दिया । आप समस्याओं को पैदा करें, आज आजादी के मिलने के 40 साल बाद भी उत्तर प्रदेश साम्प्रदायिकता की आग में झुलस रहा है। आपसे भरोसा था कि आपने बजट भाषण में या राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ इन समस्याओं के समाधान की झलक मिलेगी, लेकिन वर्तमान सरकार इसको गम्भीरता से नहीं ले रही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी–

हम आपकी बात को मान रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह–

इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, आप इस सदन में भले ही मान लीजिये लेकिन आपको मालूम है कि इस समस्या का प्रमुख केन्द्र वही नहीं है बल्कि खतौली और मुजफ्फरनगर में साम्प्रदायिकता का नाच जो आये दिन हो रहा है, उन पर रोक लगाने के लिये सबसे ज्यादा विचार करने की बात है। आपकी सबसे बड़ी कुशलता यही होगी जिसकी कि मुझे आपसे उम्मीद नहीं है कि आप इस समस्या का समाधान कर पायेंगे । हमें भरोसा था, इसलिये मैं कह रहा हूं कि मेरा स्पष्ट रूप से आरोप है कि आपकी सरकार हरिजन विरोधी है, आपकी सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है, आपकी सरकार अल्प संख्यक वर्ग की विरोधी है।

दूसरी बात हमें कर्मचारियों के बारे में कहनी है कि न तो राज्यपाल के अभिभाषण में और न ही आपके बजट भाषण में कर्मचारियों का कोई जिक्र किया गया जिनकी कि पिछले तीन सालों से मांग चली आ रही है और वे लोग असन्तुष्ट हैं। उन्होंने बराबर अपना असन्तोष व्यक्त किया, चार-चार बार स्ट्राइक पर गये जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश का प्रशासन पैरालाईज हो गया उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

(श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी द्वारा व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय विद्यार्थी जी, आप बैठें, माननीय नेता विरोधी दल को बोलने दें, वे खड़े हुए हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

तो मैं कह रहा था कर्मचारियों के विषय में आपने कोई घोषणा नहीं की । आपने उन्हीं कर्मचारियों का आह्वान किया है कि वे हालात के साथ में अपने अनुभव के साथ प्रदेश का विकास जो हो रहा है उसमें सहयोग करें । आपने कर्मचारियों के बारे में कोई स्पष्ट नीति का उल्लेख इस अभिभाषण में नहीं किया है। आपको मालूम है कि इस समय तीस हजार तदर्थ शिक्षक हैं जो इस कोशिश में हैं कि उनकी नियुक्तियां नियमित हो जायं । आपको मालूम है कि डिप्लोमा होल्डर और इंजीनियर्स सारे के सारे हड़ताल पर हैं सारे के सारे हड़ताल कर रहे हैं और जितने भी आप पालिटेक्निक्स खोल रहे हैं और हर जगह पुनर्नियुक्ति कर रहे हैं, उनसे बेरोजगारी बढ़ रही है, घट नहीं रही है। वर्ष 1985-86 से जितनी नयी नियुक्तियों पर आपने पाबंदी लगायी है, उन्हें अभी तक हटाया नहीं है, उसे बर-

करार रखने से भी बेरोजगारी पर काफी असर पड़ रहा है और इसकी दूसरी ओर जहां आपने यह कहा कि जो कर्मचारी सेवाकाल में मर जायेंगे, उनके आश्रितों को नौकरी देंगे, इस सम्बन्ध में स्पष्ट शासनादेश है, परन्तु इस सम्बन्ध में भी बहुतों पर अन्याय हो रहा है। इसी प्रकार शिक्षा के बारे में भी मात्र भवनों के बनाये जाने के और कुछ सुविधा देने की बात अपने अभिभाषण में नहीं कही। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मेरा खुला हुआ इस सरकार पर आरोप है कि यह सरकार किसान, अल्पसंख्यक, हरिजन व गरीब मेहनतकशों के हितों की विरोधी है, इसलिए जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह बिल्कुल निस्सेवा और निस्सार है, इससे प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का बेहद आभारी हूं कि उन्होंने हर तथ्य पर विस्तार से प्रकाश डाला और जो बातें हमारे जीवन की जरूरी हैं, उन बातों को दिल की गहराई तक छूने वाली बातों को उजागर किया जो इस अभिभाषण में थीं और आगे चलकर इन बातों का भी आह्वान किया, जिन्हें हम सबको मिलकर अपने इस प्रदेश की तरक्की में पूरी-पूरी योगदान सिद्ध हों, करने की कहीं, यही इस बजट का सारांश है। मैं उन सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और विरोधी नेताओं व माननीय सदस्यों का भी आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने बहुमूल्य सुझाव इस चर्चा के दौरान दिए।

जहां कुछ बातों के बारे में कुछ सम्मानित सदस्यों की ओर से कहा गया और कम्प्यूटर की भी बात में बात आयी, मा0 नेता विरोधी दल ने भी इस बारे में कहा, तो मैं इस सम्बन्ध में यही कहना चाहूंगा कि जब सबसे पहले स्टीम इंजिन बना था, उस समय भी यही अन-इम्पलायमेंट की बात कही गयी थी और जब बड़ी-बड़ी मशीनों का इजाद हुआ तो उस समय भी इसी अन-इम्पलायमेंट की बात कही गयी। अगर यह चीजें न होतीं तो आज हम कहां होते और सारे संसार में हमारा क्या हाल होता और हम आज कहां पहुंचना चाहते हैं, यह भी हमें देखना होगा। आपने कहा कि हर चीज की एक मंजिल होती है, हम जहां पर थे, आज भी वहीं पर हैं, हमारी क्या मंजिल है? मैं अपने उन साथियों से यही कहना चाहता हूं कि मंजिल की कोई सीमा नहीं होती है, जिन मंजिलों को हम और आप तय कर चुके हैं, उतनी ही अभी और तय करनी है, उस मंजिल से हम हमेशा पीछे ही रहेंगे। जितना रास्ता हमने तय कर लिया है, उतना ही आगे और बाकी रहेगा, जितना ज्ञान हम प्राप्त कर चुके हैं, उतना ही ज्ञान हमें मौत तक और प्राप्त करना है, फिर वह ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए बाकी रहेगा, तो इस प्रकार से सिर्फ यह कहा जा सकता है कि एक

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

प्रकार से हम एक पड़ाव पर ही पहुंचे हैं, अभी आगे की मंजिल तय करनी बाकी है, उस पर बराबर स्ट्रगल करते रहना है । प्रदेश को अभी काफी आगे ले चलना है विकास के रास्ते पर । फिर किसी साथी ने कहा, जो सत्य भी है कि प्रदेश को आगे चलने में काफी जबर्दस्त प्रयास हुए हैं, आउट स्टैंडिंग अचीवमेंट हुए हैं, जिसे सारी दुनिया आज तस्लीम कर रही है ।

फिर आप इम्पलायमेंट की बात करते हैं और इस संबंध में अन-इम्पलायमेंट एलाउन्स देने की बात कही गयी । श्रीमन्, एलाउन्स देना तो आसान है, लेकिन काम देना कठिन है । काम जीवन को संचालित करता है । काम ही हम को जीवन देता है, काम ही शक्ति देता है । कहावत है बाडी एण्ड सोल टुगेदर । हमें काम मिलना चाहिये । अगर काम नहीं मिलता है, तो सिर्फ एलाउन्स देने से काम नहीं चलता है । काम के माने हैं क्रियेशन करे, काम का मतलब यह नहीं है कि जीविकोपार्जन करे । काम देकर सारी चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं । जो जिस लायक हो, जिस काम के लिये फिट हो उसको उसी प्रकार का काम दिया जाना चाहिये । काम को किस प्रकार से जेनरेट किया जाये, यह प्लानिंग का तरीका है । एलाउन्स देने से सारी बातें पैरालाइज हो जायेंगे । अभी वर्क कल्चर की बात है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी टेन्डेन्सी हो गयी है कि काम कम करना चाहते हैं और उसका रिजल्ट उसका नतीजा अधिक लेना चाहते हैं । इस बात पर हम सभी को मिलकर सोचना चाहिये। इस बात पर हमको आपको सोचना है । एक मंडल कमीशन रिपोर्ट है, एक निवेदन करना चाहता हूं कि फारवर्ड और बैकवर्ड की बात कही जाती है तो जो आज फारवर्ड है वह कल बैकवर्ड हो सकता है और जो आज बैकवर्ड है वह कल फारवर्ड हो सकता है । इस संबंध में एक नीग्रो लीडर ने बड़ी अच्छी बात कही । उसने कहा कि मेरा रंग काला है, मुझे किसी पद पर बैठा दें । मैं नहीं चाहता हूं कि मुझ में योग्यता है और उसी के अनुरूप पद पर बैठाया जाये । तो यह लक्ष्य होना चाहिये और यही लोकतंत्र की प्रक्रिया है । इन शब्दों के साथ, मैं नेता विरोधी दल से अपील करूंगा कि वह अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस ले लें और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रकट करें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

अभी माननीय सदस्य लाल प्रताप सिंह ने मण्डल कमीशन की बात कही है, उसके विषय में आपकी क्या नीति है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप इनकी बात को क्या मान रहे हैं ?

श्री सत्यपाल सिंह–

जी नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव में नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी, जो उपस्थित किए हुए माने गए हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 8 फरवरी, 1989 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जिनमें पहली सूचना श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी की वक्तव्य के लिए और दूसरी सूचना श्री सूर्य प्रताप शाही की केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार की गई है । शेष सूचनायें अस्वीकृत की गई हैं ।

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 22 मिनट पर शुक्रवार, दिनांक 17-2-1989 अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

16 फरवरी, 1989

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

15 अगस्त, 1988 को रानीखेत में छात्राओं के बीमार पड़ जाने से सम्बन्धित घटना का एवं इस संबंध में शासन द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण।

15 अगस्त, 1988 को स्वतन्त्रता दिवस समारोह के अवसर पर राजकीय कन्या इन्टर कालेज, रानीखेत में 1051 छात्राओं और 62 कर्मचारी वर्ग को कालेज द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया था। मिठाई खाने के बाद 183 छात्रायें बीमार पड़ गयीं और उनमें से 74 छात्राओं को रानीखेत सिविल अस्पताल तथा कैन्टोन्मेन्ट अस्पताल में भर्ती किया गया। शेष छात्राओं को प्राथमिक उपचार दिया गया। जो छात्रायें अस्पताल में भर्ती हुयीं उनके पेट में दर्द था परन्तु डायरिया, डिसेन्ट्री अथवा उल्टी के लक्षण नहीं थे।

छात्राओं के बीमार होने की सूचना प्राप्त होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी, अल्मोड़ा वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक एवं अन्य चिकित्सकों को लेकर स्वयं रानीखेत गये तथा उपचार का निरीक्षण किया। 29 छात्राओं के स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार न होने पर दिनांक 21-8-88 को मुख्य चिकित्साधिकारी उन्हें विस्तृत परीक्षण हेतु मेडिकल कालेज, लखनऊ लाये जहां उन्हें लाक्षणिक उपचार दिया जाना निश्चित किया गया। यही उपचार व्यवस्था रानीखेत में भर्ती छात्राओं के लिये भी सूचित कर दी गयी। मेडिकल कालेज, लखनऊ से स्वस्थ घोषित हो जाने पर छात्रायें रानीखेत वापस लौट गयीं।

6 छात्राओं को पूर्व की शिकायत दुबारा होने पर रानीखेत चिकित्सालय में पुनः भर्ती किया गया और उनके स्वास्थ्य में समुचित सुधार न होने की दशा में उन्हें 6-9-88 को लखनऊ मेडिकल कालेज में विशेष परीक्षण एवं उपचार हेतु भेजा गया। यह सभी छात्रायें लखनऊ से स्वस्थ होकर पुनः रानीखेत वापस पहुंच गयीं, परन्तु 5 छात्रायें पुनः रोग-ग्रस्त हुयीं और उन्हें 10-10-1988 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में उपचार हेतु संदर्भित किया गया। माह अक्टूबर और नवम्बर में राजकीय कन्या इन्टर कालेज, रानीखेत में भी एक चिकित्सक नियुक्त कर दिया गया जो छात्राओं को दर्द की शिकायत करने पर उपचार प्रदान करें।

इस घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुयी है और अब कोई छात्रा अस्वस्थ नहीं है।

रानीखेत में उक्त दुर्घटना के पश्चात् 20 नमूने बेसन लड्डू, बूंदी लड्डू, चीनी बक्खर, खोया, तेल, मसाला, चाय, नमकीन, जलेबी तथा पकाये हुए समोसों के लिये गये। 3 नमूने अपमिश्रित पाये गये और व्यवसायियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोजन दायर कर दिये गये।

परती 'ख'

(देखिए ता0प्र0सं0 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 26 पर)

श्री दीपचन्द्र सोनकर विधायक द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्न से सम्बन्धित विवरण

विकास खण्ड-शाहगंज (जौनपुर)

क्रम-संख्या	मत्स्य पालक का नाम		गांव का नाम	वितरित धनराशि	अन्य
वर्ष 1986-87					
1	श्री मु0 सईद	..	गयासपुर	11900/-	
2	श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह	..	सोनिकपुर	2760/-	
3	श्रीमती तारावती	..	शाहपुर	20300/-	
4	श्रीमती सफद रीखानम	..	लपरी	12750/-	
5	श्री कुन्ज	..	लपरी	1590/-	
6	श्री कुंवर	..	अरन्द	1680/-	
7	श्री भंवर	..	अरन्द	1110/-	
8	श्री अरुण कुमार सिंह	..	छताइकला	11700/-	
9	श्री हरिशचन्द्र गुप्ता	..	असरफपुर	17500/-	
10	श्री रामसुन्दर सिंह	..	कांपा	16580/-	
			योग ..	105870/-	
वर्ष 1987-88					
1	श्री अब्दुल हलीदम	..	पाराकमाल	5550/-	
2	श्री नियाज अहमद	..	असरफपुर	5250/-	
3	श्री हकीमउद्दीन	..	बारा	10000/-	
4	श्री अब्दुल हक	..	बारा	3060/-	
5	श्री अब्दुल रसीद	..	बारा	1680/-	
6	श्री अब्दुल रसीद	..	बारा	2130/-	
7	श्री एहसान अली	..	रफीपुर	9000/-	
8	श्री कुददस	..	,,	9000/-	
9	श्री जरगाम हैदर	..	कलापुर	10400/-	
			योग ..	56070/-	
वर्ष 1988-89					
1	श्री सिराजद्दीन	..	कलापुर	4500/-	
2	श्रीमती जवदा	..	लखमापुर	2100/-	
3	श्री फरीदुलहक	..	मरासी	1890/-	
			योग ..	8490/-	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री दीपचन्द्र सोनकर, विधायक द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्न से संबंधित विवरण।

विकास खण्ड–सुइथाकला (जौनपुर)

क्रम-संख्या	मत्स्य पालक का नाम		गांव का नाम	वितरित धनराशि	अन्य
वर्ष 1986-87					
1	श्री मोविन अहमद	..	सुइथाकला	4000/-	
2	श्री रुद्रमान सिंह	..	गंगोली	4800/-	
3	श्री जलील अहमद	..	काड़िया	3000/-	
			योग ..	11800/-	
वर्ष 1987-88					
1	श्री विजय प्रताप सिंह	..	सुइथाकला	5000/-	
2	श्री प्रगांस	..	रुधौली	0948/-	
3	श्री मटरु	..	,,	1320/-	
4	श्री कुमार	..	,,	1440/-	
5	श्री जयकरन	..	,,	1440/-	
6	श्री कखेड़	..	,,	1560/-	
7	श्री मुजामिल	..	रफीपुर	7280/-	
			योग ..	18988/-	
वर्ष 1988-89					
1	श्री राधे श्याम	..	शाहजहांगीर पटटी	3500/-	
2	श्री थीदेव सिंह	..	करातहां	2460/-	
3	श्री चन्द्रभान सिंह	..	चिलबिली	5000/-	
			योग ..	10960/-	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 119 का उत्तर पीछे पृष्ठ 71 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1989 के द्वितीय गुरुवार के लिए निर्धारित

श्री अफसर यू0 अहमद के अतारांकित प्रश्न संख्या– 119
के उत्तर का संलग्नक

क्रम-संख्या	कृषक का नाम	ग्राम का नाम
1	श्री दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी	जसावन
2	श्री नरसिंह यादव	खासाकोल
3	श्री सेवक	मगोथा
4	श्री सम्पत	पचेहड़ी
5	श्री राम प्रताप सिंह	दखिरा
6	श्री सेरेश पान्डेय	रमवापुर
7	श्री भानु प्रताप सिंह	बघौली
8	श्री रघुबर दयाल	चानीडिहा
9	श्री राधे	उत्तरावल
10	श्री विश्वनाथ दुबे	बघौली
11	श्री कुलखेलावन	कबरा
12	श्री फेंक	शाहपुर
13	श्री कुन्जी	कन्हइपार
14	श्री ऐसअली	शाहपुर
15	श्री उत्मान	बानडोला
16	श्री जुम्मन	कबरा
17	श्री अहमद जलील	शाहपुर
18	श्री दुर्गा प्रसाद	जसवल
19	श्री नरसिंह यादव	खासाकोल
20	श्री राघव यादव	सिहटीकर
21	श्री मोती	भुगिया
22	श्री कैलाश	करौदा
23	श्री राम उजागिर	बसिहखा
24	श्री मो0 यूसुफ	हरापट्टी
25	श्री ठाकुर प्रसाद	मेहरापार
26	श्री शिवमूर्ति	लटवा
27	श्री अम्बिका पाठक	लटवा
28	श्री प्रहलाद	मदरहा
29	श्री प्रहलाद सिंह	हटवा
30	श्री मुरतजा	गौरा
31	श्री शोहरत	पेचेदी
32	श्री मुनेश्वर प्रसाद	गौरा
33	श्री गौरी शंकर	कटामान सिंह

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
34	श्री त्रिलोकी पाठक	कटामान सिंह
35	श्री भोला नाथ	मलेन
36	श्री पुरुषोत्तम	समदा
37	श्री सोहन लाल	समदा
38	श्री करमुल्लाह	हीरापटटी
39	श्री सीताराम	बघौली
40	श्री भानु प्रताप सिंह	बघौली
41	श्री निवास	सिटौकर
42	श्री भास्कर राय	उलावल
43	श्रीसदानन्द : : : : : :	उलावल
44	श्री राम नारायन	कोल्हुआ
45	श्री श्याम नारायन	बाल शासन
46	श्री वंशीधर राय	उतरावल
47	श्री बड़े लाल	बघौली
48	श्री विन्ध्याचल यादव	बघौली
49	श्री ओमकार	खचापुर
50	श्री नूर अली	परसवा
51	श्री राम पति	आठाखुर्द
52	श्री मोल्हू . ..	कपियां
53	श्री लपतर	जडोखर
54	श्री राम अजोर	चानेहोह
55	श्री हैदर अली	मुगरद
56	श्री उसमान	बसडोला
57	श्री शाहआलम	बसडोला
58	श्री इदीस	इसरा
59	श्री हरी	लडेही
60	श्री मुत्तकीम	नूरो
61	श्री अवधेश	पीपरा
62	श्री ओमकार	पीपरा
63	श्री जमील अहमद	बसडोला
64	श्री जगरनाथ	बघुवन
65	श्री गिरीश चन्द्र	भंडारी
66	श्री रवी प्रताप सिंह	बखिरा
67	श्री शिवप्रसाद मलेन
68	श्री कैलाश	करौवा
69	श्री राम नरेश	घनटिन टिमा
70	श्री लाल चन्द्र	पचडी
71	श्री जीत बहादुर	पचडो
72	श्री धर्मदेव	पचडो
73	श्री चन्द्रेश	घनखिरिया
74	श्री शिव मंगल सिंह	वेलहसा
75	श्री हरिराम वर्मा	खुखुन्डा
76	श्री राम हरख	सागढ़
77	श्री सीता राम	बघौली

1	2	3
78	श्री भानु प्रताप सिंह	बघौली
79	श्री निवास पाठक	सिटीकर
80	श्री भास्कर राय	उतराचल
81	श्री सदा नन्द	उत्तराचल
82	श्री राम नरायन राय	कोल्द
83	श्री राम सुमेर	सागढ़
84	श्री श्याम नारायन	बालशासन
85	श्री बंशीधर	उत्तरावल
86	श्री बड़े लाल	बघौली
87	श्री चन्द्रिका पान्डेय	चौरी
88	श्री राधेश्याम तिवारी	बघुआ
89	श्री झिकान	देवकली
90	श्री रामकृपाल पान्डेय	बाल शासन
91	श्री मजीद	गंगोली
92	श्री इस्लाम	पडोखर
93	श्री शिव कुमार सिंह	बेलडसा
94	श्री जीतबहादुर सिंह	पचेडी
95	श्री गोपाल सिंह	बेलडसा
96	श्री मो0 नसीर	लेडुआमहुआ
97	श्री उबैदुर रहमान	उडसरा
98	श्री सिट्टीक	उडसरा
99	श्री इदरीश	उडसरा
100	श्री सतीश कुमार	उडसरा
101	श्री साधु सरन	उतरौला
102	श्री मनीश कुमार	माधरेपुर
103	श्री रामपति	उतरौला
104	श्री जयराम	माधोपुर
105	श्री रामरतन	मदाह
106	श्री महेन्द्र सिंह	उतरौला
107	श्री गिरजा पान्डेय	औराही
108	श्री रंगी लाल	औराही
109	श्री भमि कंशव राय	बाल शासन
110	श्री राम शब्द चौधरी	चानीडीहा
111	श्री सजन लाल	चानीडीहा
112	श्री राम आजोर	चानीडीहा
113	श्री शिव नन्द पाठक	शिकोहरा
114	श्री परमात्मा प्रसाद	मधुवन
115	श्री अब्दुल मजीद	जौसी
116	श्री पृथ्वी राज राय	उतरौवल
117	श्री प्रदुमन सिंह	भड़ारी
118	श्री राम अजोर	कांटा मानसिंह

1	2	3
119	श्री जीत मो0	हारापटी
120	श्री छेदी मल्लाह	महला
121	श्री शिव पाल सिंह	वेलहसा
122	श्री गोपाल सिंह	वेलहसा
123	श्री लालजी	मडारी
124	श्री हरीराम	मुणडी
125	श्री चन्देश सिंह	घनखिरिया
126	श्री आधारे	घनखिरिवा
127	श्री शोहरत	पचेड़ी
128	श्री कैलास	करौदा
129	श्री मिटू	बघौली
130	श्री राम शब्द	मकईनपुर
131	श्री वीरेन्द्र सिंह	वक्हा
132	श्री विजय बहादुर सिंह	बघौली
133	श्री उदय शंकर पान्डेय	बघौली
134	श्री देवेन्द्र सिंह	लगड़ाबाद
135	श्री कृष्ण देव राय	उतरौवल
136	श्री भरोसे यादव	बखिरा
137	श्री भोला यादव	खैंचुआ
138	श्री अहमद हुसैन	अमरडीहा
139	श्री विजय बहादुर सिंह	बदुआ
140	श्री विरेन्द्र मणि	हरदी
141	श्री राम चन्द्र मिश्र	समवहा
142	श्री सलोकी	मन्डारी
143	श्री दिलीप कुमार सिंह	कोडिया
144	श्री राजेन्द्र यादव	मैनहवा
145	श्री गुप्तार खां	महला
146	श्री राम अधीन	बनाहिया
147	श्री गुरु प्रसाद	सुखा
148	श्री राम मिलन	सुखा
149	श्री जगमोहन	परतिया
150	श्री मोती	भूजिया
151	श्री जगरनाथ	शिवखिरी
152	श्री विधा सिंह	बड़गी
153	श्री अवधेश	बमंगरिया
154	श्री हरि राम	कोडिया
155	श्री बसन्त	वकहा
156	श्री राम चन्द्र	हरदी
157	श्री राम अवध	तिघरा
158	श्री सोहरत	करौली
159	श्री जगर नाथ तिवारी	बधुवा
160	श्री राम दौर	नगवा
161	श्री हरि प्रसाद	जुरी
162	श्री रक्बुल्लाह	उदहरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
163	श्री बरसाती	उदरहा
164	श्री राम अधार	विशुनपुर
165	श्री ओमकार	विशुनपुर
166	श्री बाबूराम	विशुनपुर
167	श्री श्रीमंहगू	विशुनपुर
168	श्री भगवानदास	विशुनपुर
169	श्री छेदी	मैंसठ
170	श्री राम राज पाठक	अहिरौली
171	श्री परमात्मा पाठक	लगड़ीसई
172	श्री प्रहलाद	मुदरहा
173	श्री परमानन्द	वरईपार
174	श्री बली असरवासी	जगदीशपुर
175	श्री जगरा नाथ तिवारी	बघुवा
176	श्री श्री खड़क बहादुर सिह	बंधुआ
177	श्री इन्द्रजीत शुक्ल	बघौली
178	श्री राम भगवत सिह	जगदीशपुर
179	श्री भगवत सिह	जगदीशपुर
180	श्री चन्द्र भाम सिह	बघौली
181	श्री गिरजेश सिह	बघौली
182	श्री राम नाथ पान्डेय	बघौली
183	श्री सत्यदेव ..	बघौली
184	श्री कैलाश	कटौवा
185	श्री चन्द्र प्रकाश	समिचरा
186	श्री विजय बहादुर	बछुआ
187	श्री हरिवंश तिवारी	निवास
188	श्री भरोस यादव	बखिरा
189	श्री जगनरायण	बन्धुआ
190	श्री जरी	बैखोले
191	श्री कलीमुल्लाह	बघौली
192	श्री संतराम	कबरा
193	श्री प्रेम शंकर	एकला
194	श्री जोखन	कबरा
195	श्री इजहार	शाहपुर
196	श्री कमला	बन्जरिया

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 468 वि0 सभा (760)—1989—813।